लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(दसवीं लोक सभा)

XVI-Session

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

दिनांक 28 फरवरी, 1996 के लोक सभा
वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची	2	1995	1996
विषय सूची	9	पैसा जाने	पैसा दिए जाने
17	4	तथ	तथा
25	23	श्री सुशील चन्द्र शर्मा	श्री सुशील चन्द्र वर्मा
68,85	17,16	राज्य तथा	राज्य मंत्री तथा
140	2	श्री सैयद शाहकुद्दीन	श्री सैयद शहाबुद्दीन
156	नीचे से 7	की	को
163	11	डा० के.बी.आर.चौधरी	डा० के.वी.आर.चौधरी
206	नीचे से 7	श्री काडीकुन्नील सुरेश	श्री कोडीकुन्नील सुरेश
243	नीचे से 2	कुमारी ममता कनर्जी	कुमारी ममता बनर्जी

विषय-सूची

दशम माला, खंड 47, सोलहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 3, बुधवार, 28 फरवरी, 1996/9 फाल्गुन, 1917 (शक)

विषय		कालम
ै लिखित उत्तर :		
.रांकित प्रश्न संख्या :	21 से 40	1 18
अतारांकित प्रश्न संख्या :	156 से 316	19 165
हवाला मामले से संबंधित आरोपों और कुछ संसद सदस्यों को गैर-कानूनी रूप से पैस जाने के आरोपों का उत्तर देने में सरकार की असफलता पर असंतोष व्यक्त करने के संबंध में—**प्रस्ताव**		170—219, 230 246
श्री अटल बिहारी वाजपेयी		170 185
श्री बूटा सिंह		185 186
श्री मणि शंकर अय्यर		187 206
श्री सूरज मंडल		213 219
श्री सोमनाथ चटर्जी		230 246
सभा पटल पर रखे गये पत्र		220 228
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
अड़तालीसवां प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		229
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		
उनचासवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश—**प्रस्तुत**		229
लाभ के पदों संबंधी सयुंक्त समिति		
तेरहवां प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		229
गृह कार्य संबंधी समिति		
सत्ताईसवां और अट्ठाइसवां प्रतिवेदन—**सभा पटल पर रखा गया**		229 230
अंतरिम बजट (सामान्य) 1996		247 266
वित्त विधेयक, 1996 **पुरः स्थापित**		266

लोक सभा

बुधवार, 28 फरवरी, 1996/9, फाल्गुन, 1917 (शक)

लोक सभा 11.02 म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, पिछले आठ साल से प्रैस के लोगों का पे-रिविजन नहीं हुआ है और सरकार उनको 50 पर्सेंट इन्ट्रीम-रिलीफ के स्थान पर केवल 20 परसेंट इन्ट्रीम रिलीफ देने के लिए तैयार हुई है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे कक्ष में आज बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि हम प्रश्न काल को स्थगित करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पेटेंटों की स्वीकृति

***21. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :**
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रयोगशालाओं तथा विश्वविद्यालयों में अनुसंधान तथा तकनीक पर आधारित प्रस्तुत किए गए पेटेंट संबंधी आवेदनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन आवेदनों का अनुसंधान तथा वैज्ञानिक निकायों जैसे सी.एस.आई.आर., आई.सी.ए.आर., आई.आई.टी. संस्थानों, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा कृषि विश्वविद्यालयों इत्यादि के संदर्भ में अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मामलों में स्वीकृत किये गये पेटेंटों की संख्या क्या है;

(घ) क्या भारत में प्रस्तुत किये गये अधिकांश पेटेंट आवेदन विदेशियों द्वारा भेजे गये थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री के. करूणाकरन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय आवेदकों द्वारा भारतीय पेटेंट कार्यालय में दायर किए गए पेटेंट आवेदनों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	दायर किए गए आवेदनों की संख्या
1992-93	1228
1993-94	1266
1994-95	1741

इनमें वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, अनुसंधान संस्थानों आदि द्वारा अलग-अलग दायर किए गए आवेदन भी शामिल हैं।

(ख) और (ग). भारतीय संस्थाओं/व्यक्तियों आदि द्वारा दायर किए गए आवेदनों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	सीएसआईआर/ डी एस टी	आईसीएआर	आईआई टी	कृषि/अन्य विश्व	सरकारी निकाय	व्यक्ति/ लिमिटेड कं.	कुल भारतीय दायर आवेदन	कुल स्वीकृत
1992-93	233	शून्य	7	3	33	952	1228	104
1993-94	168	शून्य	13	शून्य	35	1050	1266	27
1994-95	219	शून्य	20	शून्य	45	1457	1741	6

(घ) जी, हां।

(ङ) पिछले तीन वर्षों में विदेशी और भारतीय आवेदकों द्वारा दायर किए आवेदनों की संख्या इस प्रकार हैं :

वर्ष	विदेशी आवेदक	भारतीय आवेदक	कुल
1992-93	2239	1228	3467
1993-94	2603	1266	3869
1994-95	3589	1741	5330

पेटेंट के लिए दिए गए आवेदनों की संख्या, व्यापार, प्रौद्योगिकीय और औद्योगिक विकास, व्यावसायिक अवसरों के लाभ, अनुसंधान तथा विकास कार्यकलापों, आदि के लिए पेटेंटों के प्रति जागरूकता पर निर्भर करती है।

अंटार्कटिका को वैज्ञानिक अभियान

***22. डा. मुमताज अंसारी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अंटार्कटिका में क्रिल मछली और अन्य समुद्री जीव/संसाधनों के व्यावसायिक उपभोग संबंधी क्षमता का आंकलन करने हेतु प्रथम भारतीय वैज्ञानिक अभियान भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकाले और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च की जा रही है;

(घ) इस अभियान का स्वरूप और उद्देश्य क्या-क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित लक्ष्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ). क्रिल संसाधनों का व्यापक संसाधन सर्वेक्षण करने और वाणिज्यिक विदोहन हेतु तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने के उद्देश्य से महासागर विकास विभाग ने अपने मत्स्य एवं समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान, सागर सम्पदा पर 22 वैज्ञानिकों तथा तकनीकी कार्मिकों सहित एक वैज्ञानिक अभियान दिसम्बर, 1995 को हिन्द महासागर से जुड़े अंटार्कटिक जल क्षेत्र के लिए रवाना किया। सर्वेक्षण कार्य पूरा करने के बाद यह अभियान मार्च, 1996 के मध्य तक कोचीन लौट आएगा। तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन से प्राप्त निर्विष्टियां भारतीय मत्स्य उद्योग को उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि वे अंटार्कटिक जल क्षेत्रों से इस सजीव संसाधन के विदोहन की संभावना को छान-बीन आसानी से कर सकें।

इस विभाग ने इस अभियान पर लगभग 0.73 लाख रुपये की राशि खर्च की है। इसके अतिरिक्त सागर सम्पदा जलयान पर लगाए जाने के लिए क्रिल ट्रॉल जाल (नैट) तथा सम्बद्ध उपकरणों की खरीद के लिए और अंटार्कटिक की लम्बी समुद्री यात्रा करने हेतु इस जलयान का स्थायित्व में वृद्धि करने के लिए लगभग 1.35 करोड़ रुपये की राशि भी खर्च की गई।

भारत और पोलैंड के बीच हुए समझौता ज्ञापन के आधार पर मत्स्य संसाधन मूल्यांकन और तकनीकी- आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने में भारतीय वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान करने के लिए पोलैंड का एक विशेषज्ञ भी यात्रा में भाग ले रहे हैं। संसाधनों की उपलब्धता के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए भारतीय मत्स्य उद्योग के दो प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया।

संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट सहित इस अभियान के परिणाम, अभियान के अंटार्कटिक जल क्षेत्र से लौटने पर ही प्राप्त हो सकेंगे।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी

*24. **श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम" :**
श्री रहमानन्द मंडल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पाकिस्तानी सैनिकों ने फरवरी सहित गत छः माह के दौरान नियंत्रण रेखा पर स्थित भारतीय सैनिकों पर कई बार गोलीबारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितने लोग हताहत हुए हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा क्या जवाबी कार्यवाही की गई है;

(ङ) पंजाब के समीप बहारपुर से अखनूर क्षेत्र में संगम के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाढ़ लगाने के काम पर इस गोलीबारी का क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(च) नियंत्रण रेखा में लगे क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (च). पाकिस्तानी सेनाओं ने 01 अगस्त, 1995 से 21 फरवरी, 1996 तक नियंत्रण रेखा पर तैनात हमारी सैन्य टुकड़ियों पर आवधिक रूप से अकारण गोलीबारी की जिसके परिणामस्वरूप सेना और सीमा सुरक्षा बल के कुछ कार्मिक तथा कुछ सिविलियन हताहत हुए हैं।

पाकिस्तानी सैनिक गोलीबारी की आड़ में आतंकवादियों के भारत में घुसने/भारत से बाहर भाग निकलने में सहायता के लिए गोलीबारी करते रहे हैं।

हम हमेशा कारगर एवं क्रमिक रूप से जवाबी कार्रवाई करते आए हैं ताकि शत्रु की गोलीबारी को नियंत्रित करके अनावश्यक तनाव को बढ़ने से रोकना सुनिश्चित किया जा सके। तनाव कम करने के उद्देश्य से इन घटनाओं पर दोनों देशों के समकक्ष फील्ड कमांडरों की ध्वज बैठकों में विचार-विमर्श किया जाता है। महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भारत और पाकिस्तान के सैन्य संक्रिया महानिदेशकों के बीच हर सप्ताह टेलीफोन पर भी विचार-विमर्श किया जाता है।

उपर्युक्त अवधि में पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 22 बार गोलीबारी की जिसके परिणामस्वरूप एक भारतीय सिविलियन मारा गया और एक घायल हुआ। गोलीबारी की इन घटनाओं के कारण जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

हमारी सशस्त्र सेनाएँ उन सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती हैं जिनसे नियंत्रण रेखा पर तथा स्थानीय जनता की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इस क्षेत्र में गोलीबारी की संभावना होने पर ग्रामवासियों को पूर्व चेतावनी दी जाती है। अन्य विशेष उपायों में रात्रि के समय, जब सामान्यतः अधिकतम गोलीबारी की जाती है, नियंत्रण रेखा के 5 कि. मी. क्षेत्र के भीतर कर्फ्यू लगा दिया जाना भी शामिल है। दिन के समय आवश्यक होने पर ग्रामवासियों को उन सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाता है जहां गोलीबारी का असर न हो।

[अनुवाद]

रैन बसेरों की स्थापना

*24. **श्री रतिलाल वर्मा :**
डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :

क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत राज्यों में केन्द्रीय सहायता से स्थानीय निकायों द्वारा रैन बसेरों की स्थापना की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को अगले वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस राशि के वितरण और इसके द्वारा दिये गये ऋणों की अदायगी का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) केन्द्र सरकार की मदद से स्थानीय निकायों द्वारा रैन बसेरों की स्थापना की कोई योजना नहीं बनाई गयी है।

तथापि, शहरी इलाकों में पटरीवासियों के लिए बसेरों और स्वच्छता सुविधाओं की केन्द्रीय सेक्टर की एक स्कीम 1988-89 से चल रही है। इस स्कीम के तहत, रैन बसेरों के निर्माण हेतु स्थानीय निकायों सहित विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रति लाभार्थी 1000/- रुपये की राशि की केन्द्रीय सब्सिडी और 4000/- रुपये तक हडको ऋण मुहैया कराया जाता है। स्कीम में विकल्पतः समूल्य उपयोग शौचालयों के निर्माण हेतु प्रति प्रयोक्ता 350/- रुपये की केन्द्रीय सब्सिडी देने का भी प्रावधान है। यह स्कीम हडको की मार्फत कार्यान्वित की जाती है।

(ख) चूंकि उपर्युक्त स्कीम मांग-आधारित किस्म की है इसलिए इस स्कीम के तहत राज्यवार धन राशि तय नहीं की जाती है। राज्य विशेष को केन्द्रीय मदद उस राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त मांग पर निर्भर करती है।

(ग) 31.1.96 की स्थिति के अनुसार सब्सिडी वितरण और ऋण तथा उसके पुनर्भुगतान की राशि इस प्रकार है :

केन्द्रीय सब्सिडी	401.02 लाख रुपये
हडको ऋण	257.28 लाख रुपये
हडको ऋण का पुनर्भुगतान	73.38 लाख रुपये

परमाणु रिएक्टर

*25. **श्री राम नाईक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 30 वर्षों में स्थापित किये गये सात परमाणु रिएक्टरों में से चार रिएक्टरों को बन्द कर दिया गया है;

(ख) क्या कोई भी रिएक्टर निर्धारित क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक रिएक्टर की निर्धारित क्षमता और वास्तविक क्षमता क्या है;

(घ) किसी रिएक्टर को बंद करने पर प्रति दिन कितनी लागत आती है;

(ङ) क्या परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम को धीमा करने की अनुमति दे दी गई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और 1989 से आरम्भ किये गए अनुसंधान कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(छ) क्या 10,000 मेगावाट विद्युत शक्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(ज) यदि हां, तो सभी जेनेरेटरों द्वारा उत्पन्न कुल परमाणु विद्युत की वर्तमान स्थिति क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं। अब तक भारत में दस परमाणु विद्युत रिएक्टर चालू किए गए हैं। इनमें से राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दो यूनिट इस समय बंद किए हुए हैं।

(ख) और (ग). इन रिएक्टरों की मूल निर्धारित क्षमता, उनकी वर्तमान निर्धारित क्षमता और उनकी क्षमता के पुनर्निर्धारण की तदनुरूपी तारीखें निम्नलिखित सारणी में दी गई हैं।

यूनिट	मूल क्षमता मेगावाट	वाणिज्यिक स्तरों पर उत्पादन कब से	वर्तमान निर्धारित क्षमता मेगावाट	से प्रभावी
टी ए पी एस-1	210	अक्तूबर, 69	160	अप्रैल, 85
टी ए पी एस-2	210	अक्तूबर, 69	160	अप्रैल, 85
आर ए पी एस-1	220	दिसम्बर, 73	100	दिसम्बर, 73
आर ए पी एस-2	220	अप्रैल, 81	200	अप्रैल, 91
एम ए पी एस-1	235	जनवरी, 84	170	जनवरी, 95
एम ए पी एस-2	235	मार्च, 86	170	जनवरी, 95
एन ए पी एस-1	235	जनवरी, 91	220	जनवरी, 92
एन ए पी एस-2	220	जुलाई, 92	220	लागू नहीं
के ए पी एस-1	220	मई, 93	220	लागू नहीं
के ए पी एस-2	220	सितम्बर, 95	220	लागू नहीं

(घ) किसी रिएक्टर के बन्द रहने की अवस्था में औसत राजस्व हानि पूंजीगत निवेश और यूनिट की आयु के आधार पर 14 लाख रुपए से 61 लाख रुपए प्रति दिन के बीच होती है।

(ङ) और (च). जी, नहीं। 500 मेगावाट क्षमता वाले दाबित भारी पानी रिएक्टरों और प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीहर रिएक्टर के डिजायन में काफी प्रगति की गई है। सन् 1989 से हाथ में लिए गए अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत, विद्युत तथा अनुसंधान रिएक्टर, रेडियो आइसोटोपों का उत्पादन तथा उपयोग, लेसर, त्वरक, संलयन, नियंत्रण प्रणालियां, रोबोटिकी, सुपर कम्प्यूटर, निम्नतापिकी और पदार्थ प्रौद्योगिकी आदि जैसे उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया है।

(छ) वर्ष 2000 ईसवी तक 10,000 मेगावाट परमाणु विद्युत की संचयी स्थापित क्षमता हासिल करने के लक्ष्य की परिकल्पना सन् 1984 में की गई थी।

(ज) इस समय भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 1840 मेगावाट है।

रेल लाइन का दोहरीकरण

*26. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोरूवण्णूर-मंगलोर रेल लाइन के दोहरीकरण के कार्य में कोंकण रेलवे कारपोरेशन को शामिल करने संबंधी अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) क्या कोंकण रेलवे कारपोरेशन ने "बोल्ट" योजना के अंतर्गत इस काम को करने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) बोल्ट संबंधी बोलियां आमंत्रित करने का विनिश्चय किया गया है जिसमें कोंकण रेल निगम भी भाग ले सकता है।

(ख) और (ग). कोंकण रेल निगम ने बोल्ट आधार पर इस शर्त पर कार्य शुरू करने का प्रस्ताव किया था कि उसे निविदा आमंत्रित किए बिना कार्य आबंटित कर दिया जाए। चूंकि यह स्वीकार्य नहीं था, अतः उपर्युक्त भाग (क) में यथा उल्लिखित निर्णय लिया गया है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

* 27. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों के समक्ष प्रधान मंत्री के समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल सभी शहरों के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने अब तक केन्द्रीय सरकार को परियोजना रिपोर्टें भेज दी है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने परियोजना रिपोर्ट भेजने वाले राज्यों को धन का आवंटन कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). राज्य सरकारों से परियोजना प्रस्ताव केन्द्र सरकार को पेश करने की अपेक्षा नहीं की जाती। वर्ष 1995-96 के लिए विभिन्न राज्यों को जारी धनराशि के ब्यौरे का विवरण संलग्न है।

विवरण

1995-96 के लिए प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी.एन.आई.यू.पी.ई.पी.) के तहत जारी केन्द्रीय धनराशि

क्र.सं.	राज्य	रिलीज केन्द्रीय शेयर (रुपये लाख में)
1.	हरियाणा	183.03
2.	केरल	263.20
3.	मध्य प्रदेश	772.87
4.	पंजाब	306.30
5.	पश्चिम बंगाल	679.43
6.	आन्ध्र प्रदेश	980.58
7.	महाराष्ट्र	948.60
8.	राजस्थान	506.27
9.	असम	120.00
10.	नागालैण्ड	60.00
11.	गोवा	90.00
12.	उत्तर प्रदेश	1516.63
13.	बिहार	819.37
14.	गुजरात	583.59
15.	कर्नाटक	634.59
16.	उड़ीसा	269.17
17.	तमिलनाडु	1046.37
18.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	50.00*
19.	पाण्डिचेरी	30.00

*राशि जारी की जा रही है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों में निवेश की सीमा

*28. **श्री नीतीश कुमार :**
डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवों की एक समिति ने लघु उद्योग इकाइयों में पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा को बढ़ाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंद्ध में क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) क्या इस समय अधिकांश लघु उद्योग इकाइयां एक लाख अथवा इससे कम पूंजी निवेश से स्थापित की जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1994-95 के दौरान ऐसी इकाइयों की प्रतिशतता कितनी है;

(ङ) क्या पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने से इस क्षेत्र में बड़े तथा मध्यम उद्योगों के प्रवेश की संभावना बढ़ जायेगी; और

(च) यदि हां, तो लघु उद्योगों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री के. करूणाकरन) : (क), (ख), (ङ) और (च). लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग के तहत आने वाली लघु उद्योग इकाइयों में निवेश बढ़ाने और कुछ अन्य सम्बद्ध मुद्दों के प्रस्ताव पर सचिवों की समिति (सी.ओ.एस.) द्वारा विचार किया गया है। तथापि, विभाग द्वारा इन सिफारिशों पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ). संख्या के अनुसार, अधिकतर लघु इकाइयां एक लाख रुपये की पूंजी निवेश से ही स्थापित की गई हैं। आधार वर्ष 1987-88 में लघु उद्योगों के संबंध में की गई दूसरी गणना के अनुसार, संयंत्र तथा मशीनरी (प्रारंभिक मूल्य) में एक लाख रुपया तक के निवेश वाले एककों की संख्या कुल लघु इकाइयों की 82 प्रतिशत बनती है। ऐसे आंकड़े वर्ष 1994-95 के लिए उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ऐसी सूचना केवल गणना के दौरान ही एकत्र की जाती है।

राष्ट्रीय साक्षरता अभियान

*29. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय साक्षरता अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो देश के प्रत्येक राज्य में किन-किन जिलों को 'पूर्ण साक्षरता' तथा साक्षरता अभियान पश्चात् वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2,000 ई. तक राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के लक्ष्यों में कुछ संशोधन करने का कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) संपूर्ण साक्षरता अभियान तथा उत्तर साक्षरता अभियान के अन्तर्गत क्रमशः 379 तथा 160 जिले शामिल किए गए हैं। संपूर्ण साक्षरता तथा उत्तर साक्षरता अभियान के अन्तर्गत शामिल किए गए जिलों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

संपूर्ण/उत्तर साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत शामिल किए गए जिलों की संख्या की राज्यवार सूची

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संपूर्ण साक्षरता अभियान	उत्तर साक्षरता अभियान
	(जिलों की संख्या)	
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	23	22
असम	18	6
बिहार	27	5
दिल्ली	1	–
गोवा	2	–
गुजरात	19	12
हरियाणा	15	2
हिमाचल प्रदेश	12	8
जम्मू और कश्मीर	2	–
कर्नाटक	19	12
केरल	14	14
मध्य प्रदेश	45	10
महाराष्ट्र	24	11
मणिपुर	1	–
मेघालय	3	–
उड़ीसा	17	9
पंजाब	7	2
राजस्थान	26	6
तमिलनाडु	23	17

1	2	3
त्रिपुरा	3	–
उत्तर प्रदेश	56	8
पश्चिम बंगाल	17	11
चंडीगढ़	11	1
दमन और दीव	1	–
दादरा और नगर हवेली	1	–
पांडिचेरी	4	4
	379	160

विकास दर

*30. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन उद्योगों की विकास दर उल्लेखनीय नहीं रही है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री के. करूणाकरन) : (क) और (ख). केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी किए गए औद्योगिक उत्पादन के ताजे सूचकांक के अनुसार, उद्योग का समग्र विकास 1993-94 में 6 प्रतिशत, 1994-95 में 8.6 प्रतिशत और अप्रैल-सितम्बर 1995 के दौरान 12 प्रतिशत था। 1993-94 के बाद से उद्योग के सभी तीनों प्रमुख क्षेत्रों ने उल्लेखनीय विकास दर दर्शायी है।

(ग) 1991 में घोषित नयी औद्योगिक नीति के बाद उद्योग में उल्लेखनीय सुधार और महत्वपूर्ण विकास हुआ है। औद्योगिक निष्पादन की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है और आवश्यकतानुसार यथासमय उपचारात्मक उपाए किए जाते हैं।

आई.आर.एस.-1 सी उपग्रह

*31. **श्री अमर पाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत के तीसरे दूर संवेदी उपग्रह आई. आर एस.-1 सी. का जिसमें शक्तिशाली कैमरे लगे हैं, प्रक्षेपण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उपग्रह के निर्माण में कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) इस उपग्रह द्वारा कब तक कार्य शुरू किये जाने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). जी, हां। द्वितीय पीढ़ी के भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह, आई.आर. एस.-1सी. को कजाखस्तान में स्थित बैकानूर कॉस्मोड्रोम से रूसी मोलनिया प्रमोचक राकेट द्वारा दिसम्बर, 28, 1995 को छोड़ा गया था। इस उपग्रह में तीन प्रतिबिम्बन संवेदक हैं, अर्थात् :

* **रैखिक प्रतिबिम्बन स्वतः क्रमवीक्षक (लिस-III),** एक बहु-स्पेक्ट्रमी क्रमवीक्षक है, जो 70.5 मीटर के विभेदन सहित शार्ट वेव अवरक्त (स्विर) बैण्ड और 23.5 मीटर के आकाशीय विभेदन सहित दृश्यक, निकट-अवरक्त (आई.आर.) स्पेक्ट्रमी बैण्डों में कार्य करता है। यह संवेदक 148 किलो मीटर के प्रमार्ज को आवृत्त करता है।
* **पैन्क्रोमेटिक (पैन) कैमरा** में पथ में आर-पार त्रिविम दृश्यन क्षमता सहित 5.8 मीटर का विभेदन है और यह 70 किलो मीटर के प्रमार्ज को आवृत्त करता है।
* **वाइड-फील्ड संवेदक (डब्ल्यू.आई.एफ.एस.)** 188 मीटर के आकाशीय विभेदन और 810 किलो मीटर के विस्तृत प्रमार्ज सहित दृश्यक और निकट-अवरक्त क्षेत्र में कार्य करता है।

(ग) संयुक्त आई.आर.एस.-1 सी और 1डी परियोजना की लागत 185.85 करोड़ रुपये है, जिसमें आई.आर.एस.-1सी उपग्रह तथा इसके उत्तराधिकारी, आई.आर.एस.-1डी उपग्रह के संविरचन और विकास, जांच सुविधाओं की स्थापना; आंकड़ा अभिग्रहण केन्द्र और अन्य भू-खण्ड अवयवों के उन्नयन की लागत शामिल है। स्वीकृत लागत में से अभी तक 174.00 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

(घ) उपग्रह ने पहले ही अच्छे तरह कार्य करना शुरू कर दिया है तथा तीन संवेदकों से भारत पर नियमित रूप से राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एन.आर.एस.ए.) हैदराबाद में आंकड़ों का अभिग्रहण और संसाधन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

एथनोल का उपयोग

*32. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने के एक सह-उत्पाद एथनोल के ईंधन के रूप में उपयोग को लोकप्रिय बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी.जे. कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) एथनोल-डीजल (14 प्रतिशत एथनोल) की दोहरी ईंधन अवस्था में 25 बसों में एथनोल का इस्तेमाल किया गया और 93 कारों को पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथनोल मिश्रण से चलाया गया। कुल ईंधन बचत क्रमशः 65,000 लीटर डीजल और 20,000 लीटर पेट्रोल हुई थी।

(ग) चालू वर्ष में इस कार्यक्रम को 100 अन्य वाहनों तक विस्तृत किए जाने का प्रस्ताव है।

अल्पसंख्यक समुदाय हेतु कोचिंग कक्षाएं

*33. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ 12 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कक्षाओं के संबंध में कोई दिशा-निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस योजना को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कक्षाओं को संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1993 में जारी किये गये संशोधित दिशा-निर्देशों मे विश्वविद्यालयों को पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 2.50 लाख रु. के अनावर्ती- अनुदान और 1.50 लाख रु. के आवर्ती अनुदान सहित वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। कॉलेजों के लिए तदनुरूपी प्रावधान क्रमशः 1.50 लाख रु. (अनावर्ती) और 1.00 लाख रु. (आवर्ती) है।

(ग) शिक्षा विभाग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इलैक्ट्रानिक और प्रिंट-मीडिया के माध्यम से उपर्युक्त योजना का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करने का अनुरोध किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस योजना के पर्याप्त प्रचार-प्रसार हेतु मीडिया यूनिटों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

[हिन्दी]

महिला पायलट

*34. **श्री रामपाल सिंह :**
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायु सेना में महिला पायलटों की वर्तमान कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों को भर्ती करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस समय भारतीय वायुसेना में महिला पायलटों की कुल संख्या इक्कीस है। दस और महिलाएं कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण ले रही हैं।

(ख) भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों की भर्ती किए जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

थ्री फेस इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव

*35. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हाल ही में "थ्री फेस इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव" का परीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या यह परीक्षण सफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो "थ्री फेस इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव" का उत्पादन कब तक शुरू हो जाने की संभावना है; और

(ङ) इसके उत्पादन पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं। परन्तु तीन फेज वाले रेल इंजन का परीक्षण किया जा रहा है ताकि यह जांच की जा सके कि उनका निष्पादन डिजाइन के अनुरूप है या नहीं।

(ख) और (ग). अभी परीक्षण जारी हैं और उनके शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है।

(घ) 1996-97 में चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में तीन फेज ड्राइव बिजली रेल इंजनों की सीरीज का निर्माण शुरू किए जाने की योजना है।

(ङ) देश में निर्मित रेल इंजन की लागत 6.50 करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

लम्बित बकाया राशि

*36. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा रेलवे की देय राशि में वृद्धि हुई हैं;

(ख) वर्ष 1995 में कुल कितनी धनराशि बकाया थी और 1996 में अब तक इसमें कुल कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) रेलवे की बकाया धनराशि में इतनी वृद्धि का क्या कारण है; और

(घ) बकाया धनराशि की वसूली हेतु रेलवे द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, हां।

(ख)

मार्च, 1995	831.09 करोड़ रुपए
दिसंबर, 1995	1088.45 करोड़ रुपए
वृद्धि	257.36 करोड़ रुपए

(ग) राज्य बिजली बोर्डों/बिजलीघरों विशेषकर राष्ट्रीय ताप बिजली निगम बदरपुर तथा राष्ट्रीय ताप बिजलीं घरों की अन्य इकाइयों और बिजली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा भुगतान न किया जाना। इन दो इकाइयों के कारण हुई वृद्धि 193.19 करोड़ रुपये है।

(घ) बकाया देयों की वसूली के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं:

(1) राज्य बिजली बोर्डों/बिजली घरों से बार-बार बकाया का भुगतान करने का अनुरोध किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने केन्द्रीय योजना सहायता में से 308.05 करोड़ रुपये की राशि वसूल करने का विनिश्चय किया है (दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और राष्ट्रीय ताप बिजली निगम को छोड़कर) गुजरात तथा हरियाणा राज्य बिजली बोर्डों के बिजली घरों पर मालभाड़े का भुगतान किया जाना अनिवार्य बना दिया गया है।

(2) "भुगतान देय" के आधार पर कोयला परेषणों को बुक करने के संबंध में राज्य बिजली बोर्डों को हतोत्साहित करने के लिए 15.1.1995 से प्रभार को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

(3) इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कर्षण बिलों में समायोजन किया जा रहा है ताकि उनके बकाया देय में कमी हो सके।

(4) हाल ही में बकाया राशि की वसूली के लिए इस मामले को विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा दिल्ली के मुख्य मंत्री को भेजा गया है।

ग्रामीण शिक्षा समितियां

*37. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में ग्रामीण शिक्षा समितियों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है;

(ख) इन समितियों का स्वरूप क्या है; और

(ग) 1995-96 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रस्तावित अन्य नई व्यवस्था क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत, प्राथमिक शिक्षा उन विषयों में एक ऐसा विषय है जिसे पंचायती राज निकायों को सौंपा जा सकता है। ग्राम शिक्षा समिति की परिकल्पना ग्राम स्तर पर शिक्षा की विकेन्द्रीकृत आयोजना और प्रबंधन की सुविधा के लिए मुख्य यंत्र के रूप में दी गई है।

(ख) हालांकि अलग-अलग राज्यों में इसका वास्तविक ढांचा अलग-अलग है, फिर भी ग्राम शिक्षा समिति में व्यापक प्रतिनिधित्व की परिकल्पना की गई है जिसमें पंचायतों के चुने हुए पदाधिकारी, ग्राम प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक अभिभावक तथा कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हों।

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान सरकार द्वारा की गई एक बड़ी पहल प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण-संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम है।

नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत बैंक ऋण

*38. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेहरू रोजगार योजना और प्रधान मंत्री के समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए कोई राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी उद्देश्य पूर्ति हुई है;

(ग) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री के समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के दायरे को बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि इसे

कुछ राज्यों के और अधिक पर्वतीय कस्बों तक पहुंचाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथ गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) और (ख). प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मामलों के निर्धारण व निपटान हेतु राज्यों के शहरी गरीबी उन्मूलन तथा आवास कार्यक्रमों के प्रभारी मंत्रियों और सचिवों के 15.1.1996 को आयोजित सम्मेलन में एक समयबद्ध कार्यक्रम मंजूर किया गया है। बैंकों को भी, नेहरू रोजगार योजना की शहरी लघु उद्यम स्कीम (सूमे) के तहत अपने कार्य निष्पादन में सुधार की सलाह दी गई है।

इस कार्यक्रम के लाभों को बड़ी तादात में शहरी गरीबों को लाभ पहुंचाने और मामलों के शीघ्र निपटान के उद्देश्य से "स्व रोजगार तथा आश्रय सुधार पखवाड़ा" (10 से 25 फरवरी, 1996) भी मनाया गया।

(ग) और (घ). जी, हां। इस कार्यक्रम को उत्तर-पूर्वी राज्यों, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर और उत्तर प्रदेश के गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र के 74 जनपद कस्बों में लागू किया गया है।

यमुना तटीय क्षेत्र

*39. **श्री श्रीकान्त जेना :**
श्री राम विलास पासवान :

क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यमुना तटीय क्षेत्र के विकास हेतु कोई योजना तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यमुना तटीय क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित काफी हिस्से पर अतिक्रमण हो गया है;

(घ) यदि हां, तो अनुमानतः कितने क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा अतिक्रमण किए गए क्षेत्र का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) और (ख). जी, हां। दिल्ली मास्टर प्लान 2001 में यमुना नदी क्षेत्र उत्तर में वजीराबाद बैराज से दक्षिण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सीमा के बीच "O" जोन के रूप में अंकित है। मास्टर प्लान का लक्ष्य विभिन्न उपायों द्वारा यमुना नदी को प्रदूषण से मुक्त करने का है। नदी के दोनों किनारों का व्यापक विस्तार करके, शहर के अभिन्न अंग के रूप में, भौतिक और सौन्दर्यपरक दृष्टिकोण से विशाल मनोरंजन स्थल विकसित किये जायेंगे। इस मास्टर प्लान में यह उल्लेख है कि नदी धारा के मानक अध्ययन के परिणाम मिलने के बाद, परिवेश पहलुओं को भली-भांति ध्यान में रखकर, नदी क्षेत्र विकास कार्यक्रम दिल्ली शहर के लिए खास महत्व की परियोजना के रूप में शुरू किया जाएगा। यमुना नदी की धारा के मानक अध्ययन का काम केन्द्रीय जल एवं विद्युत शौध केन्द्र, पुणे, द्वारा पूरा कर लिया गया है। इस अध्ययन के फलस्वरूप, निजामुद्दीन रेल पुल तथा सराय काले खां मयूर विहार पैंटून ब्रिज के बीच 490 हेक्टेयर इलाके में नदी क्षेत्र के विकास की योजना का काम दिल्ली सरकार से सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के परमर्श से हाथ में लिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). दिल्ली विकास प्राधिकरण की करीब 30 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमण के अन्तर्गत है। पिछले 3 वर्षों के दौरान, इस क्षेत्र में करीब 10 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण अवैध निर्माण को हटाया जा चुका है।

परमाणु विद्युत केंद्र

*40. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर में 1000 मेगावाट का परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित करने का मामला काफी लम्बे अर्से से लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विद्युत केंद्र के स्थल के संबंध में पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ परामर्श कर इस लम्बित मामले की जांच कर ली गयी है; और

(घ) स्थापित किए जाने वाले परमाणु विद्युत केंद्र के स्थल के संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा और इस उद्देश्य हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा कब तक तैयार कर लिया जाएगा?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में स्थित नागार्जुन सागर उन संभावित स्थलों में से एक है जिनकी जांच परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गठित स्थल चयन समिति द्वारा की गई थी। फिलहाल, मुख्यतः वित्तीय कमी के कारण इस जगह पर परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय से इस स्थल के लिए अनुमति लेने के बारे में परामर्श करने का प्रश्न इस स्थल पर परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के बारे में निर्णय लेने के बाद ही उठेगा।

(घ) इस समय यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को ठहराना

156. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिद्वार और दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ियों को बरेली जिला में नगरिया सादात, भिटोड़ा और कलट्टरबकगंज स्टेशनों पर ठहराने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, हां।

(ख) जांच की गई थी लेकिन औचित्य नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों के शेयरों का विनिवेश

157. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल-दिसम्बर, 1995 की अवधि के दौरान किन-किन सरकारी उपक्रमों के शेयरों का विनिवेश किया गया;

(ख) कितने शेयरों का विनिवेश किया गया और प्रत्येक सरकारी उपक्रम के शेयर का अंकित मूल्य क्या है;

(ग) प्रत्येक सरकारी उपक्रम के शेयर का विक्रय मूल्य कितना है;

(घ) क्या शेयरों के विनिवेश से प्राप्त धनराशि सरकारी उपक्रम के खाते में या सरकार के खाते में जमा कर दी गई है;

(ङ) अब तक प्रत्येक सरकारी उपक्रम के कितने प्रतिशत शेयरों का विनिवेश किया गया है; और

(च) क्या किसी सरकारी उपक्रम के मामले में वित्तीय संस्थानों सहित किसी पार्टी ने एक प्रतिशत से अधिक शेयर प्राप्त कर लिए हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (च). अप्रैल से दिसम्बर, 1995 तक सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों के शेयरों का विनिवेश किया गया है उनके नाम, विनिवेशित शेयरों की संख्या, प्रत्येक उपक्रम के शेयरों का विक्रय मूल्य तथा कुल शेयर पूंजी के प्रतिशत के रूप में विनिवेशित शेयर आदि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। शेयरों का अंकित मूल्य 10/- रुपए था। बिक्री से प्राप्त राशि सरकारी खातें में जमा कर दी गयी है। सिर्फ कॉन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया के मामले में एक बोलीदाता ने चुकता पूंजी के 1 प्रतिशत से ज्यादा शेयर प्राप्त किया है।

विवरण

अप्रैल से दिसम्बर, 1995 के दौरान सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों के शेयरों का विनिवेश किया गया है उनका विवरण

(अनन्तिम)

क्र.सं.	सरकारी उपक्रम का नाम	शेयरों की संख्या (करोड़ में)	औसत मूल्य (रुपये में)	दिसम्बर, 95 तक विनिवेशित शेयरों का प्रतिशत	अक्तूबर, 95 में विनिवेशित शेयरों का प्रतिशत
1.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	0.87	156.23	34.27	1.45
2.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	0.44	30.39	10.71	0.11
3.	कंटेनर कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	0.20	70.60	23.08	3.08
4.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम	0.02	260.50	2.06	0.06

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए आवंटन

158. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन के लिए संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी धनराशि का आवंटन किया गया; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इस दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी.जे. कुरियन) : (क) गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई संघ राज्य क्षेत्र योजना के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के संवर्द्धन के लिए वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान क्रमशः 4.00 लाख रुपये, 10.00 लाख रुपये और 15.50 लाख रुपये

की धनराशि आवंटित की गई थी। इसके अलावा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत इन संबंधित वर्षों के लिए संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार 2.93 लाख रुपये, 2.91 लाख रुपये और 14.16 लाख रुपये की धनराशि भी उपलब्ध कराई गई थी।

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में 5430 उन्नत चूल्हे, 982 सौर कुकर, 17450 लीटर प्रतिदिन समग्र क्षमता की सौर जल तापन प्रणालियां, 7 विलवणीकरण प्रणालियां, 1 बायोमास गैसीफायर, 7 एस पी वी प्रणालियां, 5 पारिवारिक और 2 सामुदायिक बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए थे।

मेट्रो रेलवे

159. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पास केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कलकत्ता के दक्षिणी उपनगर में टालीगंज को गरिया के जोड़ने की 8.5 किलोमीटर मेट्रो रेल परियोजना को आगे बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) से (ग). कलकत्ता में मेट्रो रेल को टोलीगंज से बढ़ाकर गरिया तक करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जून, 1995 में एक प्रस्ताव भेजा गया था। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, पश्चिम बंगाल सरकार से जुलाई, 1995 में परियोजना को लागू करने के लिए एक कम्पनी गठित करने; कम्पनी में पश्चिम बंगाल सरकार भी 50 प्रतिशत इक्विटी भागीदारी; कम्पनी को सम्पत्ति कर तथा अन्य लागू सरकारी करों में छूट देने; अपने खर्च पर परियोजना हेतु भूमि का प्रावधान; और इस प्रणाली को अपने कार्यात्मक स्तर पर होने वाले 50 प्रतिशत घाटे को वहन करने की राज्य सरकार की तत्परता सम्बन्धी मुद्दों पर अपनी टिप्पणी देने का अनुरोध किया गया था। तथापि, इस बारे में राज्य सरकार से कोई टिप्पणी नहीं मिली है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु पद

160. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्री राजनारायण :

क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन आरक्षित श्रेणियों में रिक्त पदों को भरने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों और उपक्रमों में कुछ रिक्त पदों को भरा गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

161. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या **प्रधान मंत्री** 28 नवंबर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 247 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा आई.एस.टी.एम. को वास्तव में कितने फ्लैट सौंपे गए हैं;

(ख) आई.एस.टी.एम. को सभी आवास कब तक सौंपे दिए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में किए जा रहे प्रयास का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

परमाणु विद्युत उत्पादन

162. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1984 में यह निर्णय लिया था कि सन् 2000 तक परमाणु विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को पूरा कर लेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का पुनर्निरीक्षण कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो हुए पुनर्निरीक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त लक्ष्य को पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (घ). जी, हां। 220 मेगावाट क्षमता वाले तथा तैयार किए गए नए डिजायन के 500 मेगावाट क्षमता वाले अतिरिक्त यूनिट स्थापित करके वर्ष 2000 तक 10,000 मेगावाट परमाणु विद्युत की संचयी स्थापित क्षमता हासिल करने के लक्ष्य की परिकल्पना की गई थी। सन् 2000 ईसवी तक 10,000 मेगावाट क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के अनुसार काम करना मुख्यतः संसाधनों की कमी की वजह से संभव नहीं हो पाया है और इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि इस कार्यक्रम को संक्षिप्त करके उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप कर दिया जाए।

देश की परमाणु विद्युत उत्पादन की वर्तमान स्थापित क्षमता 1840 मेगावाट है। 10,000 मेगावाट क्षमता हासिल करने के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 220 मेगावाट क्षमता वाले 4 यूनिटों और 500 मेगावाट क्षमता वाले 6 यूनिटों के लिए क्रांतिक किस्म के और लम्बे समय में प्राप्त होने वाले उपस्करों के अग्रिम प्रापण की कार्यवाही को संक्षिप्त कर दिया गया है और तारापुर में 500 मेगावाट क्षमता के दो यूनिटों वाले मुख्य संयंत्र के निर्माण-कार्य की शुरूआत वित्तीय कमी की वजह से स्थगित कर दी गई है।

कैगा और रावतभाटा में निर्माणाधीन दो परमाणु विद्युत परियोजनाओं (4×220 मेगावाट) के पूरा हो जाने से, काम कर रहे यूनिटों की परमाणु विद्युत की संचयी स्थापित क्षमता वर्ष 2000 तक 2720 मेगावाट हो जाएगी।

[अनुवाद]

प्लाईवुड उद्योग

163. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत प्लाईवुड उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे लाइसेंस जारी करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या कच्चे माल के रूप में आयातित लकड़ी (विनिअर) की आपूर्ति पर आधारित प्लाईवुड उद्योग बिना लाइसेंस के लगाया जा सकता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) नई औद्योगिक नीति, 1991 के तहत प्लाईवुड उद्योग स्थापित करने हेतु सभी औद्योगिक उपक्रमों को औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है, सिवाय उन लघु औद्योगिक उपक्रमों के जो बिजली का उपयोग करते हैं और जिनमें 50 से कम कामगार हों अथवा जो बिजली का उपयोग न करते हों और जिनमें 100 से कम कामगार हों।

(ख) से (घ). कच्चे माल के रूप में लकड़ी पर आधारित प्लाईवुड के विनिर्माण हेतु औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों पर अन्य बातों के साथ-साथ लकड़ी की उपलब्धता के संबंध में संबंधित राज्य सरकार, राज्य वन विभाग तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय की सिफारिशों को ध्यान में रख कर विचार किया जाता है। कच्चे माल के रूप में विनियर पर आधारित आवेदनों पर भी गुणदोष के आधार पर विचार किया जाता है।

उपरि पुल

164. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के अम्बालापुझा में रेल उपरि पुल के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) श्रीमन्, 70 प्रतिशत से अधिक।

(ख) 1995-96 के लिए 70.00 लाख रुपये।

(ग) जून, 1996।

आनन्द पर्वत औद्योगिक क्षेत्र

165. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आनन्द पर्वत, नई दिल्ली को अगस्त, 1990 में हल्के उद्योगों के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र घोषित कर दिया था;

(ख) क्या कुछ अनधिकृत लोगों ने बिल्कुल हाल-फिलहाल में संबंधित पुलिस अधिकारियों की मिली-भगत से उपरोक्त क्षेत्र के खसरा सं. 606/364 में करोड़ों रुपए के मूल्य की औद्योगिक भूमि पर कब्जा कर लिया है;

(ग) क्या बिजली के उपराज्यपाल को कुछ संसद सदस्यों से अनधिकृत अतिक्रमण हटाने और संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध तुरंत कार्यवाही करने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) 1.8.90 को अधिसूचित दिल्ली 200। मास्टर प्लान में आनन्द पर्वत औद्योगिक क्षेत्र को छोटे उद्योगों के लिए निर्धारित क्षेत्रों में शामिल किया गया है जिसके लिए समुचित सर्वे तथा मूल्यांकन के पश्चात् पुनर्विकास स्कीम तैयार करने की आवश्यकता है। पर्यावरण सुधार के पश्चात् विनियमन के लिए उन्हीं औद्योगिक इकाईयों बाबात विचार किया जायेगा जो सुरक्षित तथा भू-उपयोग के मुआफिक हैं। प्रत्येक औद्योगिक इकाई की अवस्थिति पुनर्विकास स्कीम के एक भाग के रूप में (प्रत्येक के) गुण-दोषों के आधार पर होगी। भू-धृति का निर्णय इकाई को विनियमित करते समय किया जाएगा।

(ख) जी, नहीं। दिल्ली पुलिस आयुक्त कार्यालय ने बताया है कि आनन्द पर्वत पुलिस स्टेशन क्षेत्र में स्थित खसरा सं. 606/364 में स्थानीय पुलिस की मिली-भगत से भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया गया है।

(ग) और (घ). जी, हां। यह बताया गया है कि श्री करिया मुंडा, सांसद (लोक सभा) से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। पुलिस प्राधिकारियों ने आरोपों की सतर्कता जांच की थी किन्तु ये आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

[हिन्दी]

हबीबगंज रेलवे स्टेशन

166. **श्री सुशील चन्द्र शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के वित्त वर्ष के दौरान भोपाल, मध्य प्रदेश स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन के विकास के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है;

(ख) उक्त धनराशि का उपयोग किन कार्य मदों पर होना था;

(ग) वित्तीय और वास्तविक रूप से किस हद तक उपलब्धि मिली है;

(घ) वर्ष 1995-96 के लिए आवंटित धनराशि से अब तक कितना व्यय हुआ है;

(ङ) भविष्य में हबीबगंज रेलवे स्टेशन के विकास की संरचना क्या है; और

(च) उक्त रेलवे स्टेशन के विकास के लिए अगले वर्ष कितनी धनराशि खर्च की जानी है और किन-किन कार्यमदों पर काम शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर कोचिंग टर्मिनल सुविधाओं के विकास हेतु 1995-96 के बजट में 15 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) से (च). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पेंशन का भुगतान

167. **श्री जीवन शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के कार्मिकों को ग्रामीण बैंकों के द्वारा पेंशन का भुगतान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). सेना कार्मिकों को पेंशन का भुगतान ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किए जाने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके विचार किया था परंतु इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया था।

कार शेड

168. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा-खड़गपुर खण्ड में पांसकुड़ा रेलवे स्टेशन पर रेलवे कार शेड बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक कर लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख). जी, हां। पांसकुड़ा में ई.एम.यू. यान शेड का निर्माण प्रगति पर है और इसके 1996-97 के दौरान पूरा होने की संभावना है।

बिना बारी के आवंटन

169. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान नियमों में छूट देकर बिना बारी के आवंटन किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इनमें से अधिकांश अधिकारी/कर्मचारी सम्पदा निदेशालय में 10 वर्षों या इससे अधिक समय से कार्यरत हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विभाग की छवि स्वच्छ बनाने हेतु निकट भविष्य में ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण का कोई विचार है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख)

1993	2057
1994	2811
1995	908

आवेदकों द्वारा अपने अभ्यावेदनों में दिए गये कारणों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना बारी के आवंटनों को स्वीकृति दी गई है। दिए गए मुख्य कारण ये हैं:-

(i) परिवार में बीमारी;

(ii) कार्य की अत्यावश्यकता;

(iii) अत्याधिक किराया, आदि।

(ग) से (ङ). संपदा निदेशालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी दो श्रेणियों के हैं:-

(i) संपदा निदेशालय संवर्ग।

(ii) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय से संबंधित संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी।

श्रेणी (i) के मामले में व्यक्तिगतों को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकता चूंकि वे संपदा निदेशालय संवर्ग के हैं। श्रेणी (ii) की तैनाती/स्थानांतरण संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा विभिन्न संवर्ग एककों में सेवा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आवधिक रूप से की जाती है।

श्रेणी (ii) के 430 के स्टाफ में से, नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार 205 ने 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है:-

श्रेणी "ख"	राजपत्रित	4
श्रेणी "ख"	अराजपत्रित	34
श्रेणी "ग"	अराजपत्रित	167

सौर ऊर्जा

170. श्री बलराज पासी : क्या **प्रधान मंत्री** दिनांक 29 नवम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न सं. 563 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.ई.डी.ए. ने मैसर्स राघव ट्रेडिंग कम्पनी, दिल्ली को क्रयादेश देते समय संगत नियमों और प्रक्रिया का पालन किया है;

(ख) इस कंपनी के विरूद्ध शुरू की गई कानूनी कार्यवाही इस समय किस स्थिति में है,

(ग) क्या उक्त फोटोवोल्टईक विद्युत प्रणाली प्रदान करते समय उक्त गांव बायेलामल्ला के निवासियों से कोई राशि ली गई थी; और

(घ) उक्त गांव में उक्त सौर फोटोवोल्टईक विद्युत प्रणाली के रख-रखाव के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी.जे. कुरियन) : (क) उत्तर प्रदेश की अपारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी (नेडा) के अनुसार एक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से मैसर्स राघव ट्रेडिंग कम्पनी को आदेश दिया गया था।

(ख) इस फर्म को एक कानूनी नोटिस जारी किया गया था। इस फर्म ने नोटिस का उत्तर नहीं दिया है। आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है।

(ग) प्रारंभिक सुरक्षित जमा के रूप में प्रत्येक लाभार्थी से 500 रुपये की राशि ली गई थी। सदस्यता हेतु गांव समिति द्वारा 15 रुपये की राशि एकत्र की गई।

(घ) इस उद्देश्य के लिए गठित की गई ग्राम समिति के माध्यम से नेडा ने प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के प्रचालन और रख रखाव के लिए प्रबंध किए हैं। इसमें ग्राम-वासियों को प्रशिक्षण, जब कभी आवश्यकता हो, बैटरी को बदलना, नेडा अधिकारियों द्वारा निरीक्षण शामिल है। रख रखाव लागतों को पूरा करने के लिए समिति द्वारा लाभार्थीयों से मासिक अंशदान भी एकत्र किया जाता है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशन का पुनः नामकरण

171. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समस्तीपुर रेलवे डिविजन-I में मधेपुरा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वी.पी. मंडल रेलवे स्टेशन रखने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग). समस्तीपुर मंडल में मधेपुरा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वी. पी. मंडल रेलवे स्टेशन रखे जाने के लिए एक मांग आई है। नीति के अनुसार, वर्तमान स्टेशन के नाम में कोई भी परिवर्तन केवल संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से किया जा सकता है। इस संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार से विधिवत सहमति के साथ रेल मंत्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली

172. **श्री उत्तमराव देवराव पाटील** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आशय पत्र जारी करने, इसकी समयावधि बढ़ाने और इसे औद्योगिक लाइसेंस में बदलने तथा पूर्णता रिपोर्ट की प्रणाली जटिल है और इसमें काफी समय लग जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकार की एकल खिड़की सुविधा एवं उदारीकरण नीति को देखते हुए इस प्रणाली को सरल तथा स्वचालित बनाने हेतु इसकी समीक्षा करने का है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख) उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय पहले से ही एक केन्द्रीय अभिकरण के रूप में कार्य कर रहा है और वह औद्योगिक लाइसेंस, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रौद्योगिकी अनुबंध, 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों और औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एस.) प्रस्तुत करने के संबंध में सभी अनुमोदनों के लिए एकल खिड़की सुविधा प्रदान करता है।

नए जोन/मंडलों का बनाया जाना

173. **श्री दिलीप भाई संघाणी :**
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्री हरिन पाठक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का विचार इलाहाबाद, बंगलौर, जबलपुर और जयपुर में चार अतिरिक्त जोन बनाने का है;

(ख) क्या गुजरात सरकार कोयला, इस्पात कृषि उत्पादों और अन्य औद्योगिक उत्पादों में काम आने वाले पेट्रोलियम पदार्थों, उर्वरकों, नमक और अन्य औद्योगिक वस्तुओं की ढुलाई के जरिये रेलवे को काफी अधिक राजस्व अर्जित कराने के अलावा पड़ोसी देश के साथ लगने वाली लंबी सीमा के साथ-साथ उद्योगों में भरपूर निवेश कर रही है;

(ग) क्या गुजरात में मुख्यालय बनाकर अतिरिक्त जोन की स्थापना करने के संबंध में विचार किया गया है अथवा विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया और इसे कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ङ). इस मंत्रालय द्वारा 'एक-आमान परियोजना' और कोंकण रेल मंत्रालय के निर्माण के संदर्भ में जोनों और मण्डलों के पुनर्गठन से संबंधित मुद्दों का एक अध्ययन हाल ही में पूरा किया गया है। प्रस्तावों और अन्य संबंधित मामलों को तैयार करने के लिए आगे की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है।

संसद सदस्यों द्वारा भेजे गए पत्र

174. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के संबंध में संसद सदस्यों तथा अन्य से प्राप्त पत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) कितने पत्रों को पावती भेजी गई तथा कितने पत्र निपटाये गये; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) केन्द्र सरकार को ऐसे कोई पत्र नहीं मिले हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

नई रेल लाईन

175. **श्री राम सिंह कस्वां** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर मंडल में रतनगढ़ से हनुमानगढ़ के लिए बरास्ता सरदार शहर और राजगढ़ (सादुलपुर) से हनुमानगढ़ अथवा राजगढ़ से नोहर के लिए बरास्ता तारानगर नई रेल लाईनों के निर्माण हेतु सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिये जाने की संभावना है;

(ग) परियोजनावार अनुमानतः कितनी लागत आयेगी और कब तक कार्य आरम्भ किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) हनुमानगढ़ से सरदार शहर तक नई बड़ी लाइन के निर्माण तथा सरदार शहर से रतनगढ़ तक आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण शुरू करने का विनिश्चय किया गया है।

(ख) और (ग). सर्वेक्षण की लागत 5.70 लाख रुपये है जिसके 1996-97 के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही कार्य शुरू करने के बारे मे निर्णय लिया जाएगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल लाइन

176. श्री पी.सी. थामस : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकानोमिक सर्विसिज (राइट्स) द्वारा प्रस्तावित अंगामलि मुवन्तुपुजा - पलाई - ईरूमली रेल लाइन पर किए गए सर्वेक्षण के बारे में कोई रिपोर्ट दक्षिण रेलवे को प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कोटटायम से शुरू होने वाली इस लाइन की आर्थिक व्यवहार्यता के संबंध में निष्कर्ष क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर अनुमानतः कुल कितनी लागत आएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) राइट्स से अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

क्षेत्रीय परामर्शदाता समिति

177. श्री कुन्जी लाल :
श्री काशीराम राणा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कौन-कौन सी क्षेत्रीय परामर्शदाता समितियां, रेल मंत्रालय में कार्यरत है;

(ख) क्या इन समितियों में निर्धारित सीमा से अधिक सदस्य नामनिर्देशित किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन समितियों में मंत्रालय/सरकार के प्रतिनिधियों को कितने प्रतिशत अधिक नाम-निर्देशन किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) इस समय रेल मंत्रालय के अंतर्गत 9 क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियां अर्थात् प्रत्येक क्षेत्रीय रेल पर एक समिति, कार्यरत है।

(ख) जी, हां।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

178. श्री राम कृपाल यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में प्रतिवर्ष औसतन कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कुछ स्वैच्छिक संगठनों को मनोनीत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो दिसम्बर, 1992 के दौरान ऐसे कुल कितने स्वैच्छिक संगठनों को मनोनीत किया गया तथा उन्हें अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सहायता राशि में वृद्धि करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए बिहार को क्रमशः 299.67 लाख रु., 110. 93 लाख रु. और 1628.87 लाख रु. की राशि प्रदान की गई।

(ग) इसके लिए कोई भी स्वैच्छिक संगठन नामित नहीं किए जाते हैं। तथापि, राज्य सरकार की सिफारिशों पर प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

(घ) किसी भी स्वैच्छिक संगठन को दिसम्बर, 1992 के दौरान सहायता-अनुदान संस्वीकृत नहीं किया गया था।

(ङ) और (च). प्रत्येक परियोजना का राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाता है और केन्द्रीय सहायता अनुदान समिति द्वारा ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् ही केन्द्र अनुदान प्रदान करने की राशि का निर्णय करता है।

[अनुवाद]

केरल में नवोदय विद्यालय

179. श्री ए. चार्ल्स : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के त्रिवेन्द्रम जिलों में नवोदय विद्यालय खोलने हेतु अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा प्रस्ताव कब से लंबित है; और

(ग) उक्त विद्यालय के कब तक शुरू होने की आशा है?

मानव संसाधान विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). एक जिले में नवोदय विद्यालय खोलना राज्य सरकार से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर करता है जिसमें समिति के मानदण्डों के अनुसार निःशुल्क उपयुक्त/पर्याप्त भूमि तथा किराया रहित अस्थाई आवास शामिल हैं। त्रिवेन्द्रम ज़िले में नवोदय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव समिति के पास लम्बित नहीं है।

दिवा-वसाई सेवा

180. श्री राम कापसे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिवा-वसाई सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों में व्याप्त भारी असंतोष की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस असंतोष को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग). दिवा-वसई खंड पर उपलबध दो जोड़ी डी. एम. यू. गाड़ियां दैनिक यात्रियों को अधिकांशतः संतोषजनक रूप से सेवित कर रही हैं। फिर भी सेवाओं की संख्या बढ़ाने और गाड़ियों के समय में परिवर्तन करने संबंधी मांगें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच की गई थी परन्तु परिचालनिक कारणों की वजह से उन्हें व्यावहारिक नहीं पाया गया था।

[हिन्दी]

"हुडको"

181. श्रीमति शीला गौतम : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास समस्याओं के समाधान के लिए "हुडको" द्वारा विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या शहरी विकास निगम ने इन योजनाओं को स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) (क) से (घ). हुडको ने सूचना दी है कि उसने वर्ष 1995-96 (31.1.96 की स्थिति के अनुसार) के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के लिए कुल 20 शहरी और ग्रामीण आवास स्कीमें स्वीकृत की हैं। पूरी हो जाने पर ये स्कीमें 22572 रिहायशी मकान और 107। विकसित प्लाट मुहैय्या करायेगी। हुडको ने इन परियोजनाओं के लिए 22.99 करोड़ रुपये राशि का ऋण स्वीकृत किया है। इसके अतिरिक्त 29.39 करोड़ रुपये ऋण राशि की ।। आवास स्कीमें हुडको के विचाराधीन हैं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। स्कीमों की स्वीकृति नेमि प्रक्रिया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य हेतु एजेंसी-वार विचाराधीन आवास स्कीमें
(31.1.96 की स्थितिनुसार)

क्र. स.	राज्य/एजेंसी	स्कीम का नाम	(ऋण राशि रुपये में) ई.डब्लू. एस. शहरी	एल. आई. जी.	एम. आई. जी.	एच. आई. जी.	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आगरा विकास प्राधिकरण	शास्त्री पुरम चरण ग आगरा में भूखण्डीय विकास स्कीम	10.98	25.24	64.15	25.42	0.00
2.	ई.एल.डी.ई.सी.ओ.	उदयन रक्षा खण्ड, रायबरेली रोड में 141 मकानों का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	186.55
3.	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	बुध विहार आवास स्कीम गोरखपुर	0.00	0.00	0.00	613.83	0.00
4.	- वही -	शास्त्रीपुरम गोरखपुर में सहकारी आवास स्कीम	0.00	13.75	0.00	50.42	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	लखनऊ विकास प्राधिकरण	अम्बेडकर नगर में आवास स्कीम	0.00	85.63	192.69	46.31	0.00
6.	लखनऊ विकास प्राधिकरण	विभव खण्ड, गोमती नगर लखनऊ में 108 एम.आई.जी. स्कीम	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00
7.	- वही -	विभव खण्ड, गोमती नगर लखनऊ में 100 एच.आई.जी. स्कीम	0.00	0.00	166.17	0.00	0.00
8.	वही -	हरदोई रोड, लखनऊ में 500 ई.डब्लू.एस. का निर्माण	196.57	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	- वही -	रामगंगा विहार चरण II दीन दयाल नगर मुरादाबाद में आवास स्कीम	0.00	186.15	0.00	305.85	0.00
10.	- वही -	मऊ कंठ रोड मुरादाबाद में आवास स्कीम	0.00	56.78	0.00	435.22	0.00
11.	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद	से. 2ए, वसुन्धरा, गाजियाबाद में 20वीं हुडको भूखण्डीय विकास स्कीम	0.00	80.36	17.82	0.00	0.00

रक्षा परिव्यय

182. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाहरी खतरों को देखते हुए सरकार का विचार रक्षा परिव्यय में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). सरकार रक्षा परिव्यय का निर्धारण उत्पन्न होने वाले खतरे के परिवेश और संसाधनों की समग्र उपलब्धता के आधार पर करती है। हमारी रक्षा सेनाओं को सभी संभाव्य घटनाओं से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से अनुकूल बनाया जाएगा।

[अनुवाद]

सदस्यों हेतु आवासीय परिसर

183. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मंत्रियों के लिए अलग आवासीय परिसरों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस उद्देश्य हेतु किन क्षेत्रों का चयन किया गया है; और

(घ) किस तारीख तक इस प्रस्ताव को क्रियान्वित कर दिया जायेगा?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

नागरिक चेतना मंच

184. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कानपुर के नागरिक चेतना मंच ने कानपुर की जनता के लिए पर्याप्त सुविधाएं (जैसे फुटपाथ, स.क., पार्क पेयजल, सफाई आदि) उपलब्ध नहीं कराए जाने के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) और (ख). शिकायतों के ब्यौरे एकत्रित किये जा रहे हैं तथा सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

[हिन्दी]

अस्थाई फार्मासिस्ट

185. **श्री जनार्दन मिश्र :**
श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजन अस्पताल, वाराणसी में लंबे समय से कार्यरत अस्थाई फार्मासिस्टों की सेवाएं अब तक नियमित नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन अस्थाई फार्मासिस्टों की सेवाओं को नियमित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इन फार्मासिस्टों की सेवाओं को कब तक नियमित कर दिये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आमान परिवर्तन

186. **श्री हरिलाल नन्जी पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधीधाम-भुज-नालिया रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के चालू कार्य में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक संपन्न हुए आमन परिवर्तन कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निर्माण कार्य में निर्धारित कार्य योजना के अनुसार प्रगति हो रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कठिनाइयां सामने आ रही हैं; और

(ङ) इस कार्य को पूरा होने और बड़ी रेल लाइन के चालू होने का निर्धारित समय क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) अभी कार्य शुरू नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) योजना आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा है। भुज-नालिया के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

(ङ) कार्य शुरू किये जाने के बाद इस बारे में विनिश्चय किया जायेगा।

ऊर्जा ग्राम योजना

187. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान मंजूर की जा रही ऊर्जा ग्राम योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी.जे. कुरियन) : (क) इस समय देश के विभिन्न भागों में 412 ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं है। इनमें से 234 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार चल रही परियोजनाओं के लिए संबंधित राज्य सरकारों को चालू वर्ष 1995-96 में निधियां उपलब्ध कराई जा रही है।

(ख) और (ग). पश्चिम बंगाल राज्य में अब तक दस ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ऊर्जा ग्राम योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा उनकी टिप्पणी सहित ऊर्जा ग्राम परियोजना प्रस्ताव भेजे जाने होते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा चालू वर्ष 1995-96 में कोई ऊर्जा ग्राम प्रस्ताव नहीं भेजे गए।

आमान परिवर्तन

188. **श्री राम बदन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में मऊ-शाहगंज रेल लाइन पर अमान परिवर्तन का कार्य धीमी गति से चल रहा है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कार्य को शीघ्रता से करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या रेल विभाग ने इस क्षेत्र हेतु मंजूर की गई धनराशि को बिहार के अन्य कार्यों में लगाया है;

(ग) यदि हां, तो धनराशि का अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए क्या निर्देश जारी किए जा रहे हैं; और

(घ) इन रेल लाइनों पर यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) यह कार्य ठीक प्रगति कर रहा है।

(ख) जी, नहीं। वस्तुतः इस कार्य के लिए 1995-96 में 7 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 1996-97 के दौरान।

[अनुवाद]

मैसूर में कंटेनर फीड स्टेशन

189. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल इंडिया टैक्निकल एंड इकानोमिक सर्विसेज (राइट्स) ने मैसूर में कंटेनर फीड स्टेशन की स्थापना की संभाव्यता पर कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या "राइट्स" ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) क्या मैसूर में प्रस्तावित कंटेनर फीड स्टेशन की स्थापना करना संभव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस

190. श्री चित्त बसु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञान कांग्रेस के हाल ही में आयोजित किये गये 83 वें अधिवेशन ने विज्ञान तथा औद्योगिक नीति से संबंधित स्वीकृत परियोजनाओं को लागू न किए जाने की ओर ध्यान दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). जनवरी, 1996 को पटियाला में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 83 वें सत्र में उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं पर भारतीय विज्ञान कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई सम्प्रेषण प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

अंतरिक्ष कार्यक्रम

191. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी दो वर्षों के दौरान कौन-कौन से अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किए जाने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : आगामी दो वर्षों के दौरान भारत ने अन्तरिक्ष कार्यक्रम में शुरू किए जाने वाले प्रमुख कार्यों में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा निर्मित इन्सैट-2डी. और इन्सैट-2 ई. उपग्रहों के प्रमोचन के माध्यम से दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण, मौसम विज्ञान, आपदा चेतावनी और खोज तथा बचाव सेवाओं के लिए इन्सैट प्रणाली की सेवाओं को जारी रखना और उनका संवर्धन करना; प्रचालनात्मक उपग्रह, आई.आर.एस.-1डी तथा प्रौद्योगिकी सिद्ध करने वाले आई.आर.एस.पी.3, आई.आर.एस.-पी.4 और आई.आर.एस.-पी.5 उपग्रहों के प्रमोचन के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबन्ध के लिए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.) प्रणाली की सेवाओं को जारी रखना और उनका संवर्धन करना; और ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) की अन्य तीन उड़ानों के माध्यम से समानुपातिक स्वदेशी प्रमोचन क्षमता अर्जित करना और भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) के विकास से संबंधित कार्य शामिल हैं।

दीर्घकालीन विकास के लिए समाकलित मिशन तथा अन्तरिक्ष उपयोगों, विशेष रूप में विकासोन्मुख शिक्षा के प्रदर्शन सहित सुदूर संवेदन उपयोगों के क्रियान्वयन को जारी रखने की भी योजना है; मध्य प्रदेश के झाबुवा जिले में ग्रामीण विकास के लिए उपग्रह आधारित विकासात्मक संचार और प्रशिक्षण नेटवर्क पर एक पाइलट परियोजना आयोजित की जायेगी।

[अनुवाद]

होर्डिंग्स

192. श्री तारा सिंह : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 दिसंबर, 1995 के "स्टेट्समेन" में "होर्डिंग्स में बी बैण्ड इस रेजीर्डेसियल सेंदियाज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या होर्डिंगों के अंधाधुंध लगाये जाने के कारण राजधानी की सुंदरता को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या होर्डिंगों के कारण राजधानी की सड़कों पर दुर्घटनाएं भी हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सभी होर्डिंगों को हटाए जाने के संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर कला आयोग ने विज्ञापन पट्टा (होर्डिंग्स)/घरों के बाहर प्रचार पट्ट के विनियमन हेतु स्थानीय निकायों के परामर्श से विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।

(ग) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(घ) होर्डिंग्स पर पूर्ण रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दिशा-निर्देशों/उपनियमों में अन्य के अलावा निम्नलिखित प्रावधान भी हैं:—

(i) वाणिज्यिक विज्ञापन पट्टों के स्थान निर्धारण पर प्रतिबंध;

(ii) सूचना पट्टों (साइन बोर्ड) के अधिकतम आकार, ऊंचाई तथा क्षेत्रफल का निर्धारण;

(iii) स्थानीय निकाय की लिखित अनुमति के बिना, विज्ञापन होर्डिंग्स की स्थापना, प्रदर्शन जमाव लगाने, रक्षण या निरूपण पर रोक।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले

193. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के शैक्षिक सत्र के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और इस अवधि के दौरान इनमें से कितने आवेदकों को दाखिला मिला;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले हेतु आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसमें कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हो रही है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि सभी आवेदकों को दाखिला मिले?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने यह सूचित किया है कि वे विभिन्न विद्यालयों में दाखिले के लिए आवेदकों के लिए आवेदनों/पंजीकरणों की कुल संख्या के आंकड़े नहीं रखते। वर्ष 1994-95 के दौरान कक्षा-1 में 71, 172 नए दाखिले स्वीकृत किये गये।

दाखिले की मांग प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने के उद्देश्य से आधारभूत सुविधाएं और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर नये विद्यालय और अतिरिक्त सेक्शन स्वीकृत किये जाते हैं।

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग

194. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके सदस्यों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या इस आयोग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में से संबंधित कोई सदस्य है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रूसी हथियारों की सप्लाई

195. **श्री श्रीकान्त जेना :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस भारतीय वायु सेना के लिए मिग-29 एम विमान देने में विलंब कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो समझौते के अंतर्गत रूस की सरकार द्वारा कितने मिग-29 एम विमान दिये जायेंगे;

(ग) रूस द्वारा विमान न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) मामले को सुलझाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रूस से वायुयानों की सुपुर्दगी में कोई विलंब नहीं हुआ है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राज्यों में आई.ए.एस./आई.पी.एस./ आई.एफ.एस. अधिकारी

196. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक विभिन्न राज्यों में राज्यवार विशेष रूप से गुजरात राज्य में ऐसे कितने अधिकारी सेवारत हैं जो आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.एफ.एस. (भारतीय वन सेवा) काडर के लिए अर्ह

हैं। और इनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों विशेष रूप से गुजरात सरकार की ओर से इन अधिकारियों का आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.एफ. एस. काडर में नाम निर्दिष्ट करने के आशय के कतिपय प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजे गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने अधिकारी हैं और क्या ये प्रस्ताव आरक्षण नियमों के अनुसार बनाए गए हैं और यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्देश दिए गए हैं;

(घ) राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दी जाएगी और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) एक विवरण-I जिसमें राज्यवार उन अधिकारियों की संख्या को दर्शाया गया है जो कि चयन सूची में शामिल हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा में नियुक्ति के लिए अर्हक हैं तथा इनमें से उन अधिकारियों की संख्या जिनका संबंध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से है, संलग्न है।

(ख) एक विवरण-II जिसमें राज्यवार अधिकारियों की संख्या को दर्शाया गया है जिनके संबंध में राज्य सरकारों द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारीतय वन सेवा में नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजे गए तथा उनमें से उन अधिकारियों की संख्या जिनका संबंध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से है संलग्न है।

(ग) से (ङ). संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सेवाओं में प्रारंभिक भर्ती के समय आरक्षण नियम सभी राज्य सरकारों पर लागू होते हैं। राज्य सिविल सेवा/राज्य पुलिस सेवा/राज्य वन सेवा अधिकारियों की क्रमशः भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा में नियुक्ति के लिए पैनल, एक चयन समिति द्वारा तैयार किया जाता है जिसमें (समिति में) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं तथा जिसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य द्वारा की जाती है। अधिकारियों का चयन योग्यता (मेरिट) के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा रखे गए अधिकारियों के सेवा रिकार्डों के आधार पर किया जाता है। चयन सूची में शामिल अधिकारियों की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों से इस आशय के प्रस्ताव प्राप्त होने पर की जाती है। चयन सूची में बिना किसी शर्त के शामिल किए गए अधिकारियों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त सभी प्रस्तावों पर विचार किया गया है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इन नियुक्तियों को अविलम्ब अधिसूचित किया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1995-96 की चयन सूची में शामिल अधिकारियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल			अनु.जा			अनु. जनजाति		
		भा.प्र. सेवा	भा.पु. सेवा	भा.व. सेवा	भा.प्र. सेवा	भा.पु. सेवा	भा.व. सेवा	भा.प्र. सेवा	भा.पु. सेवा	भा.व. सेवा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अरुणाचल प्रदेश	3	2	—	1	—	—	2	2	—
2.	आंध्र प्रदेश	—	6	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	—	4	—	—	1	—	—	—	—
4.	बिहार	—	8	8	—	3	—	—	1	—
5.	गोवा	2	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	6	3	—	—	1	—	1	1	—
7.	हरियाणा	—	5	—	—	1	—	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	3	3	—	1	1	—	—	—	—
9.	जम्मू और कश्मीर	25	11	42	—	—	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	6	2	3	1	—	—	1	—	—
11.	केरल	1	11	4	—	1	—	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	15	7	13	3	1	1	5	2	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	महाराष्ट्र	10	2	2	3	1	—	1	—	—
14.	मणिपुर	4	4	2	—	—	—	—	2	—
15.	मेघालय	3	3	2	—	—	—	3	3	2
16.	मिजोरम	3	2	—	—	—	—	1	—	—
17.	नागालैण्ड	6	—	3	—	—	—	3	—	3
18.	उड़ीसा	21	3	—	—	—	—	—	—	—
19.	पंजाब	8	13	2	3	3	2	—	—	—
20.	राजस्थान	19	—	—	2	—	—	3	—	—
21.	सिक्किम	2	3	—	—	—	—	2	3	—
22.	तमिलनाडु	7	11	6	1	—	1	—	—	—
23.	त्रिपुरा	4	2	2	1	1	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	10	16	—	1	4	—	—	—	—
25.	केन्द्र शासित प्रदेश	5	2	—	2	—	—	—	1	—
26.	पश्चिम बंगाल	9	4	7	—	1	—	—	1	—
कुल योग		*172	*127	*96	19	19	4	22	16	5

*इन आंकड़ों में वर्ष के दौरान भरी जाने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए प्रतिक्षा सूची के रूप में 46 भा.प्र.से. 30 भा.पु.से. तथा 31 भा.वन सेवा के अधिकारी शामिल हैं।

विवरण–II

ऐसे अधिकारियों की संख्या जिनके नियुक्ति प्रस्ताव 1995–96 के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त हुए

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल			अनु.जा			अनु. जनजाति		
		भा.प्र. सेवा	भा.पु. सेवा	भा.व. सेवा	भा.प्र. सेवा	भा.पु. सेवा	भा.व. सेवा	भा.प्र. सेवा	भा.पु. सेवा	भा.व. सेवा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अरुणाचल प्रदेश	1	—	—	1	—	—	—	—	—
2.	आंध्र प्रदेश	—	4	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	—	2	—	—	—	—	—	—	—
4.	बिहार	—	—	7	—	—	—	—	—	—
5.	गोवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	2	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	हरियाणा	—	3	—	—	1	—	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	2	1	—	1	—	—	—	—	—
9.	जम्मू और कश्मीर	21	9	28	—	—	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	5	2	1	1	—	—	—	—	—
11.	केरल	—	6	—	—	1	—	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	12	3	8	3	—	—	2	1	—
13.	महाराष्ट्र	9	—	—	2	—	—	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	मणिपुर	—	2	—	—	—	—	—	1	—
15.	मेघालय	1	2	2	—	—	—	1	2	2
16.	मिजोरम	2	—	—	—	—	—	1	—	—
17.	नागालैण्ड	—	—	2	—	—	—	—	—	2
18.	उड़ीसा	18	2	—	—	—	—	—	—	—
19.	पंजाब	6	12	2	2	3	2	—	—	—
20.	राजस्थान	16	—	—	1	—	—	3	—	—
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	4	8	3	1	—	1	—	—	—
23.	त्रिपुरा	1	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	5	14	—	—	4	—	—	—	—
25.	संघ राज्य क्षेत्र	2	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	पश्चिम बंगाल	6	3	5	—	1	—	—	1	—
	कुल योग	113	73	58	12	10	3	8	5	4

[अनुवाद]

स्थानीय निकाय

197. **श्री शंकरसिंह वाघेला :** क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश में स्थानीय/नगरपालिका निकायों को हो रही कठिनाइयों का आंकलन करने के लिए इन सभी निकायों के अध्यक्षों के साथ बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो निष्कर्ष की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों से इन स्थानीय निकायों को वित्तीय और आर्थिक शक्तियों के हस्तांतरण के संबंध में हुई प्रगति का विवरण मांगा है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को क्या प्रत्युत्तर दिया है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) जी, हां। शहरी रोजगार तथा गरीबी उपशमन विभाग ने 19-20 दिसम्बर, 1995 को एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें विभिन्न राज्यों के आवास, शहरी विकास तथा स्थानीय प्रशासन मंत्रियों, राज्य सरकारों के सचिवों और अधिकारियों, निर्वाचित स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और चेयरमैनों ने भाग लिया। शहरी विकास मंत्री ने भी इस सम्मेलन में शिरकत की और इस सत्र की अध्यक्षता की जिसमें संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम और स्थानीय/नगरपालिका निकायों पर विचार किया गया था।

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग ने भी 15.1.96 को एक दूसरी बैठक की, जिसमें शहरी विकास/स्थानीय शासन के प्रभारी मंत्रियों और सचिवों ने भाग लिया।

(ख) उपर्युक्त बैठकों में निकले निष्कर्षों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(i) शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियां संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम में यथा परिकल्पित शीघ्र प्रदान की जायें।

(ii) अवस्थापना विकास सहित स्व-पोषित नागरिक सुविधाएं शुरू करने में नगरपालिकाओं को मदद देने हेतु विशिष्ट विकास कोष बनाये जायें।

(iii) कस्बों और शहरों में कूड़ा निपटान पद्धतियों में यथेष्ट रूप से सुधार करके इन सुविधाओं को पुख्ता बनाया जाय।

(iv) विभिन्न योजनाएं लागू करने में नगरपालिकाओं को मदद देने के मामले में हडको को और ठोस भूमिका निभानी चाहिए।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि पुराने नगरपालिका कानूनों को संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम के अनुरूप बनाने के लिए उनके प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

[हिन्दी]

रेल लाइन

198. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री काशीराम राणा :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर और पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत अलाभकारी रेल लाइनों को लाभकारी बनाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो 1993-94 और 1994-95 में कितनी अलाभकारी रेल लाइनों को लाभकारी बनाया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख). रेलों द्वारा किए गए अनेक उपायों के परिणामस्वरूप अलाभप्रद लाइनों पर आय में सामान्यतः वृद्धि हुई है; परन्तु यह आय इतनी पर्याप्त नहीं है कि ये लाइनें लाभप्रद हो जाएं।

[अनुवाद]

राजधानी एक्सप्रेस की बारम्बारता

199. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस की बारम्बारता बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) फिलहाल, कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सफाई अभियान

200. **श्री रवि राय :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने जनवरी, 1996 में कोई सफाई अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च की गई और कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख). स्टेशनों पर तथा गाड़ियों में सफाई के स्तर में सुधार करने की दृष्टि से एक कार्य योजना बनाई गई है तथा 1.1.96 से एक सफाई अभियान शुरू किया गया है। इस कार्य योजना में स्टेशनों पर तथा गाड़ियों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गहन निरीक्षण शौचालयों की मरम्मत, कूड़ेदानों की व्यवस्था, गाड़ियों में चलते फिरते सफाई कर्मचारी, सफाई के लिए "क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं।" बूथों की स्थापना, "भुगतान के आधार पर इस्तेमाल किए जाने वाले शौचालय" शुरू करना तथा सुलभ इंटरनेशनल जैसे गैर-सरकारी सगठनों को सफाई संबंधी कार्य दिया जाना, सफाई कर्मचारियों की रिक्तियां भरना, अंशकालीन सफाई कर्मचारियों की तैनाती आदि शामिल है।

(ग) अब तक की गई प्रगति इस प्रकार है :—

1. अधिकारियों द्वारा स्टेशनों के 7946 तथा गड़ियों के 6833 निरीक्षण किए गए हैं।
2. अब तक 3,891 शौचालयों की मरम्मत की गई है।
3. 398 स्टेशनों पर शौचालयों की "भुगतान के आधार पर इस्तेमाल" करने की प्रणाली शुरू की गई है और 193 स्टेशनों पर सुलभ इंटरनेशनल जैसे गैर-सरकारी संगठनों को सफाई संबंधी कार्य सौंपे गए हैं।
4. विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 11,000 कूड़ेदानों की व्यवस्था की गई है।
5. 284 गाड़ियों में चलते फिरते सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है।
6. 1500 से अधिक पूर्णकालिक/अंशकालिक सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई है।
7. 246 स्टेशनों पर सफाई के लिए "क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं" बूथों की स्थापना की गई है।
8. स्टेशनों को आकर्षक रूप देने के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों पर विज्ञापन बोर्डों/होर्डिगों को पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
9. सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों के प्रमुख स्थानों पर सफाई संबंधी इश्तहार, बैनर आदि लगाए गए हैं।
10. सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली से लैस सभी स्टेशनों पर सफाई संबंधी उद्घोषणाएं की जाती हैं।

रेलों द्वारा सफाई के संबंध में खर्च की गई राशि से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

स्कूलों में योग

201. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री प्रभू दयाल कठेरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों के स्कूलों में योग कक्षाएं शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा राज्यवार कितनी आर्थिक सहायता दी जायेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई) : (क) से (ग). राज्य के स्कूलों में योग की कक्षाएं शुरू करना संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, केन्द्रीय सरकार "स्कूलों में योग शिक्षा का विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रही है जिसके अन्तर्गत योग में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारों/योग संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राज्यों को क्रमशः 29.97 लाख रु., 60.00 लाख रु. और 25-31 लाख रु. प्रदान किए गए हैं।

[अनुवाद]

चुनावों के लिए धन उपलब्ध कराना

202. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया :**
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जैन हवाला कांड में हाल ही में उजागर तथ्यों को देखते हुए चुनाव खर्च का वित्त-पोषण राज्य द्वारा किये जाने संबंधी निर्णय शीघ्र लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय तथा कंपनी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). सरकार ने हाल ही में निर्वाचन व्ययों और उसके लिए निधि उपलब्ध कराने संबंधी कतिपय पहलुओं पर राजनैतिक दलों से परामर्श किया है। सरकार इस विषय पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पाठ्यक्रमों में पाठ्य पुस्तकों को शामिल करना

203. **श्री देवी बक्स सिंह :**
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रमों में पांच वर्ष पूर्व पढ़ायी गयी पाठ्य पुस्तकें शामिल हैं तथा इसमें स्वर्गीय प्रधान मंत्री के संबंध में जानकारी शामिल है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

204. **श्री छीतूभाई गामीत :**
श्री गामाजी मंगाजी ठाकुर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद-हिम्मतनगर और अहमदाबाद-बीजापुर रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने संबंधी कोई व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है;

(ख) क्या उक्त रिपोर्ट टिप्पणियों के लिए गुजरात सरकार को भेज दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो कार्य योजना का ब्यौरा क्या है, यह काम कब से आरम्भ हो जाएगा और कब तक पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उदयपुर-चित्तौड़गढ़ के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण किया गया है। अहमदाबाद-बीजापुर खंड के आमान परिवर्तन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) जी, नहीं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसकी आवश्यकता नहीं है।

(ग) अहमदाबाद-हिम्मतनगर खंड कार्य योजना के पहले चरण में शामिल किया गया है और इसे नौवीं योजनावधि में शुरू किया जाएगा। अहमदाबाद-बीजापुर के बारे में 10वीं योजनावधि में किसी समय शुरू की जाने वाली कार्य योजना के अगले चरण में शेष लाइनों के साथ विचार किया जाएगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सूचना जारी करना

205. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कुछ संस्थाओं को दिल्ली में कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में आवंटित भूखण्डों के दुरूपयोग के लिए उन्हें नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में आबंटित भूखण्डों के दुरूपयोग के लिए जिन संस्थाओं को नोटिस जारी किए हैं उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) पट्टा विलेख की शर्त और निबन्धनों के तहत दोषी आवंटितियों/पट्टाधारियों के विरूद्ध पट्टा विलेख रद्द करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

विवरण

क्र.सं.	समिति का नाम	स्थान	दुरूपयोग की प्रकृति
1.	ओटोमोबाइल एसोशियेशन अपर इंडिया	सी-8, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र	इलैक्ट्रिक कं. को किराये पर दिया गया।
2.	गणेश नाट्य शाला	सी-16, -वही-	क्राफ्ट एवं इलैक्ट्रानिक कं. को किराये पर दिया गया।
3.	गुरूनानक फाउंडेशन	ए-5 -वही-	एबीबी (बहुराष्ट्रीय) को किराये पर दिया गया।
4.	यूनाइटिड स्कूल आर्गेनाइजेशन	ए-13, -वही-	होस्टल सुविधाओं को लिए किराये पर दिया गया।
5.	नगरी प्रचारिणी सभा	ए-16, -वही-	ओडियन एप्पल (कंप्यूटर) एवं एसआरएफ को किराये पर दिया गया।
6.	इंस्टीट्यूट ऑफ सोशलिस्ट एजुकेशन	ए-1, -वही-	केनरा बैंक रेस्टोरेंट व होस्टल को किराये पर दिया गया।
7.	फरटीलाइजर एसोशियशन ऑफ इंडिया	ए-3, -वही-	रैलिज इंडिया को किराये पर दिया।
8.	आल इंडिया फैडरेशन ऑफ दी डीफ	ए-4, -वही-	वक्त एडवरटाइजिंग एजेंसी को किराये पर दिया गया।

ग्लासनोस्त की आवश्यकता

206. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आम धारणा बन गई है कि अधिकांश सरकारी कार्यप्रणाली छिपाव और गोपनीयता से ढकी हुई है जिससे भ्रष्टाचार, बर्बादी, अक्षमता और सभी तरह के कदाचार और कुप्रशासन को बढ़ावा मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सरकारी कार्यकरण में और खुलापन लाने एवं इसे और अधिक पारदर्शी बनाने और सरकारी पदाधिकारी द्वारा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पत्रों का उत्तर दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख). सरकार के कार्यकलापों के बारे में जनता को जानकारी देने और ऐसी जानकारी जिसे प्रकट करना राष्ट्रहित में न हो, को सुरक्षित रखने की आवश्यकता के बीच एक संतुलन बनाये रखना अपेक्षित होता है। केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका में वर्गीकृत कागजातों के रख-रखाव के लिये अपनाई जाने वाली कार्य-विधि निर्दिष्ट की गई है। सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 के अतिरिक्त, सरकार के पास ऐसी सूचना के संरक्षण के लिये, जिसके अनधिकृत रूप से प्रकट होने पर सरकार को अपने कार्य-निष्पादन में परेशानी उठानी पड़े, सभी सरकारी संगठनों में विभागीय सुरक्षा संबंधी अनुदेश भी परिचालित किये जाते हैं। तथापि, उत्तरदायी प्रशासन योजना के अनुसरण में, जो कि बीस-सूत्री कार्यक्रम का एक हिस्सा है, मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियमों और प्रक्रियाओं को सख्त बनाने, जबावदेही लागू करने और प्राधिकार सौंपने, जिसमें मौजूदा प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाना, नियमों को सुस्पष्ट करना, सरकारी एजेन्सियों से सेवा प्राप्त करने के लिये। निर्धारित विभिन्न प्रकार के फार्मों को सरल बनाना तथा विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा अपनाये जा रहे नियमों और प्रक्रियाओं से संबंधित पुस्तिकाएं, पम्पलेट और हैण्ड-बिल आदि जारी करना भी शामिल हैं, संबंधी अनेक कदम उठाये गये हैं।

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का तुरंत जबाव देने हेतु केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका में भी समुचित प्रावधान मौजूद है। इन प्रावधानों के अनुसार संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का 15 दिनों के अन्दर जवाब दिया जाना होता है। जहां उत्तर भेजने में विलंब होने की संभावना हो अथवा जहां किसी अन्य मंत्रालय या कार्यालय से सूचना प्राप्त करनी हो, ऐसे मामलों में पंद्रह दिनों के भीतर एक अंतरिम उत्तर भेजा जाना होता है जिसमें वह संभावित तिथि बताई

जाती है जिस तक अंतिम उत्तर भेजा जा सकता है। यदि ऐसा कोई पत्र गलती से किसी अन्य विभाग को भेजा गया हो तो संबंधित संसद सदस्य को सूचित करते हुये यह पत्र तीन दिन के भीतर सही विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। सामान्यतः किसी सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना उन्हें दे दी जाती है बशर्ते कि सूचना इस प्रकृति की न हो कि सदस्य द्वारा संसद के सदनों में पूछे जाने पर भी उन्हें मना कर दिया जाता।

[हिन्दी]

तकनीकी शिक्षा संस्थान

207. श्री मंजय लाल :
श्री रामप्रसाद सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में तकनीकी शिक्षा संस्थानों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र और विदेशी निवेशकों की सहायता से और अधिक तकनीकी शिक्षा संस्थान खोलने की कोई योजना बनाई गई है अथवा बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). समूचे देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उचित आयोजना और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने, नियोजित परिमाणात्मक विकास के संबंध में इस प्रकार की शिक्षा के गुणात्मक सुधार की उन्नति और तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानदण्डों और मानकों के नियमन और उचित अनुरक्षण को ध्यान में रखते हुए अखिल भातरीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की स्थापना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 के अंतर्गत की गई है। प्राइवेट ट्रस्टों/सोसाइटियों से प्राप्त इस प्रकार के प्रस्ताव जो वित्तीय रूप से तथा शैक्षिक रूप से व्यवहार्य होते हैं और जिनमें भावी तकनीकी जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है; पर अनुमोदन हेतु परिषद् द्वारा विचार-विनियमों के अंतर्गत यथा-निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार किया जाता है।

रेल सेवा का विस्तार

208. श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदनगर के लोग मुम्बई से पुणे तक चलने वाली किसी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को अहमदनगर तक चलाने की गत अनेक वर्षों से मांग करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त मांग को पूरा करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (घ). मुंबई-पुणे गाड़ियों को अहमदनगर तक चलाने की मांग की जांच की गई है लेकिन परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

कश्मीरी प्रवासी

209. श्री मोहन रावले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीरी प्रवासियों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधान मंत्री से जनवरी, 1996 में मिला तथा उन्हें दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर शिविरों में रह रहे प्रवासी परिवारों के लिए बेहतर सुविधाएं देने के लिए एक मांगों का ज्ञापन प्रस्तुत किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). कश्मीरी प्रवासियों के एक शिष्टमण्डल ने 20 जनवरी, 1996 को प्रधान मंत्री से मुलाकात की थी। इस शिष्टमण्डल ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने स्थायीवत् पुनर्वास, रोजगार और व्यापारिक सुविधाएं, कश्मीर घाटी में छूट गई उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा, उन्हें दी जा रही राहत के स्केल में संशोधन तथा उनके बच्चों के लिए बेहतर शैक्षिणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की थी। उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सरकार की नीति में घाटी के बाहर उनका स्थाई रूप से पुनर्वास करना शामिल नहीं है तथा जब-कभी भी उनकी वापसी के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो जाएगा, वे अपने मूल-निवास स्थान को वापस जाएंगे। इस बीच जरूरतमंद प्रवासियों को, जिस राज्य में वे इस समय रह रहें हैं, उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र द्वारा उन्हें भरण-पोषण सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने घाटी में प्रवासियों द्वारा पीछे छोड़ी गई सम्पत्ति की सूची बनाने तथा उसकी सुरक्षा करने के लिए कदम उठाए हैं। कश्मीरी प्रवासियों की समस्याओं और उनकी मांगों की सरकार द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है तथा उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

हिन्दी शिक्षण पारंगत

210. श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा स्थित केन्द्रीय हिन्दी संस्थान पत्राचार के माध्यम से हिन्दी शिक्षण पारंगत पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पाठ्यक्रम को सरकार की मान्यता प्राप्त है;

(ग) क्या इस पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित शिक्षकों को स्नातक शिक्षकों के समकक्ष माना जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस पाठ्यक्रम को हाईस्कूल/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों/कॉलेजों तथा प्रशिक्षण संस्थाओं आदि में हिन्दी शिक्षण के विशिष्ट प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत रोजगार के प्रयोजन हेतु एक भारतीय विश्वविद्यालय की बी.टी./बी.एड. डिग्री के समकक्ष, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शोध पाठ्यक्रम

211. श्री सी. श्रीनिवासन् : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शोध छात्रों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान यथा-संकलित सामान्य रूप से डॉक्टोरल और उत्तरडॉक्टोरल छात्रों के नामांकन संबंधी सांख्यिकीय आंकड़ों में किसी प्रकार का ह्रास नहीं दर्शाया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान करने वाले छात्रों का ब्यौरा अलग से उपलब्ध नहीं है।

गंदी बस्तियों का विकास

212. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना काल के दौरान देश में गन्दी बस्तियों के विकास हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) राज्यों को आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात सरकार द्वारा गंदी बस्तियों को मंजूर किए जाने तथा राज्य के विभिन्न नगरों में गंदी बस्तियों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) और (ख). गन्दी बस्तियों के विकास हेतु केवल शहरी स्लमों का पर्यावरणीय सुधार (ई.आई.यू.एस.) योजना स्कीम है जिसमें राज्य सरकार द्वारा इसके अपने संसाधनों से निधियां आवंटित की जाती हैं। संघ सरकार इस स्कीम का प्रबोधन राज्य स्तर पर करती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ई.आई.यू.एस. के लिए परिव्यय इस प्रकार है :—

वर्ष	लाख रुपये
1992-93	7964.00
1993-94	7432.50
1994-95	7847.50
1995-96 (अनन्तिम)	10833.00

आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्यवार नियतनों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) संघ सरकार की वर्तमान नीति बड़े पैमाने पर उन्मूलन और पुनर्वास के बजाए शहरी स्लमों के पर्यावरणीय सुधार पर बल देती है। ई.आई.यू.एस. की स्कीम के तहत शहरी स्लमों में जल आपूर्ति, मलजल निकासी सामुदायिक स्नानघर और शौचालय, गलियों को चौड़ा करना व खड़ंजे बिछाना और पथ प्रकाश जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया की जाती हैं।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ई.आई.यू.एस. के लिए राज्यवार और वर्षवार परिव्यय

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	1992-93	1993-94	1994-95	1996-97 (अनन्तिम)
1.	आन्ध्र प्रदेश	433.00	401.50	292.00	191.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
3.	असम	35.00	35.00	40.00	60.00
4.	बिहार	350.00	390.00	300.00	300.00
5.	गोवा	5.00	1.50	-	—
6.	गुजरात	220.00	300.00	325.00	600.00
7.	हरियाणा	200.00	190.00	253.00	500.00
8.	हिमाचल प्रदेश	63.00	73.00	73.00	81.00
9.	जम्मू तथा कश्मीर	90.00	90.00	88.00	100.00
10.	कर्नाटक	845.00	912.00	859.00	859.00
11.	मध्य प्रदेश	675.00	510.00	582.00	598.00
12.	केरल	90.00	130.00	110.00	160.00
13.	महाराष्ट्र	1217.00	974.00	1500.00	4162.00
14.	मणिपुर	25.00	30.00	—	—
15.	मेघालय	40.00	40.00	40.00	40.00
16.	मिजोरम	10.00	10.00	10.00	10.00
17.	नागालैण्ड	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	90.00	81.00	56.00	80.00
19.	पंजाब	175.00	175.00	—	—
20.	राजस्थान	365.00	370.00	400.00	445.00
21.	सिक्किम	6.00	5.00	6.00	—
22.	तमिलनाडु	260.00	230.00	330.00	526.00
23.	त्रिपुरा	50.00	55.00	55.00	50.00
24.	उत्तर प्रदेश	785.00	785.00	785.00	794.00
25.	पश्चिम बंगाल	1050.00	700.00	500.00	270.00
संघ शासित राज्य					
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	10.00	—	—	—
2.	चण्डीगढ़	—	—	300.00	—
3.	दमण तथा द्वीव	5.00	4.50	3.50	1.50
4.	दिल्ली	820.00	900.00	900.00	960.00
5.	दादर तथा नगर हवेली	—	—	—	—
6.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
7.	पाण्डिचेरी	50.00	40.00	40.00	45.00
	योग :	7964.00	7432.50	7847.50	10833.00

[हिन्दी]

दिल्ली और हावड़ा के बीच नई रेलगाड़ी

213. **श्री प्रेम चन्द राम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और हावड़ा के बीच गया-नवादा होकर नई रेलगाड़ी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयां और संसाधनों की तंगी।

[अनुवाद]

डा. सतीश चन्द्र समिति

214. **श्री ए. इन्द्रकरण रेड्डी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा. सतीश चन्द्र की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). डा. सतीश चन्द्र समिति, जिसने संघ लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं को माध्यम के रूप में लागू करने तथा इन परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र को समाप्त करने की मांगों की जांच की है, ने 1990 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार अभी भी इसकी सिफारिशों की जांच कर रही है। चूंकि ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं तथा इस पर भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियायें हुई हैं, अतः सरकार आम सहमति पर पहुंचाने का प्रयास कर रही है।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना

215. **श्री सुधीर सावन्त :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत अक्तूबर, 1993 से उद्योग आयुक्त के कार्यालय राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली, सी.पी.ओ.भवन, कश्मीरी गेट दिल्ली में लंबित पड़े आवेदनों के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में अक्तूबर, 1995 में प्राप्त आवेदनों के लंबित होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जिम्मेदारी तय की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या योजना के अंतर्गत लाभकारियों हेतु अनिवार्य प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को कोई वृत्तिका दी जा रही है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) उद्योग आयुक्त के कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उनके पास प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत कोई भी आवेदन लंबित नहीं पड़ा है। प्र.मं.रो. योजना के तहत प्राप्त सभी आवेदनों की जांच उद्योग आयुक्त के कार्यालय में की गई और उचित पाये गए आवेदन पत्रों को ऋण की मंजूरी/वितरण के लिए बैंकों को भेजा गया। किंतु बैंकों को प्रेषित कई आवेदन उन्हें दूसरे बैंकों को भेजने अथवा कोई स्पष्टीकरण मांगने के लिए समय-समय पर वापस लौटाए जा रहे हैं। बैंकों के पुनः आवंटन और स्पष्टीकरण के पश्चात जहां अपेक्षित हैं, ऐसे आवेदन पत्र वापिस भेज दिए जाते हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(ङ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(च) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(छ) जी, हां।

(ज) 518 व्यक्तियों को 2,00,876 रुपये की रकम वृत्तिका के रूप में पहले ही वितरित की जा चुकी है। वर्ष 1993-94 के दौरान स्वीकृत मामलों के लिए प्रति प्रशिक्षार्थी 500 रुपये की दर से वृत्तिका दी गई थी। 1994-95 के बाद से स्वीकृत मामलों में 300/- रुपये प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से वृत्तिका दी जा रही है। फरवरी, 1996 से प्रशिक्षित किये जा रहे सेवाकालीन तथा व्यावसायिक श्रेणी के प्रशिक्षाणर्थियों को प्रति प्रशिक्षार्थी 150/- रु. की दर से वृत्तिका दी जायेगी क्योंकि

प्रशिक्षण अवधि को घटाकर 10 कार्यदिवस कर दिया गया है। तथापि, उद्योग श्रेणी के तहत आने वाले प्रशिक्षणार्थी विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति प्रशिक्षणार्थी 300/- रु. की दर से वृत्तिका राशि प्राप्त करते रहेंगे।

(झ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

बिना सचिवों वाले मंत्रालय

216. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 फरवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार बिना सचिवों वाले मंत्रालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त पदों को न भरने के क्या कारण हैं; और

(ग) अप्रैल, 1995 से आज तक सचिवों के रूप में नियुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) 15.2.96 की स्थिति के अनुसार कोई भी मंत्रालय बिना सचिव के नहीं था।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर इसका प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अप्रैल, 1995 से अब तक भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित अनुसूचित जनजाति के एक अधिकारी तथा अनुसूचित जाति के तीन अधिकारियों को सचिवों के पदों पर नियुक्त किया गया।

पेंशन में वृद्धि

217. श्री अन्ना जोशी :
प्रो. प्रेम धूमल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 01 जनवरी, 1992 से सैनिकों की पद के अनुरूप पेंशन में एक बार वृद्धि करने पर करार हो गया है और इसे कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पेंशन में एक बार वृद्धि के परिणाम-स्वरूप सरकार को प्रतिवर्ष कितना खर्च वहन करना पड़ेगा;

(घ) क्या इस करार के एक खंड के अनुसार सेवानिवृत्त सैनिक के सेवानिवृत्ति के पश्चात् सरकारी, अर्द्ध-सरकारी अथवा सरकारी उपक्रम में एक अथवा अधिक वर्ष तक नौकरी करने पर पेंशन में एक बार की गई वृद्धि में से कुछ प्रतिशत राशि में कटौती की जायेगी;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का इस खंड को समाप्त करने का विचार है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। 01.01.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए सशस्त्र सेना कार्मिकों की पेंशन में एक बार की वृद्धि का भुगतान किए जाने के लिए 16.03.1992 तथा 25.02.1994 को आदेश जारी किए गए थे। ये आदेश 01.01.1992 से प्रभावी हैं तथा कार्यान्वित कर दिए गए हैं।

(ख) 31.12.1995 तक 5, 72, 828 सशस्त्र सेना पेन्शन भोगियों को उनकी पेन्शन में एक बार की वृद्धि की स्वीकृति दे दी गई है।

(ग) पेंशन में एक बार की वृद्धि की योजना में प्रतिवर्ष अनुमानतः 140 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

(घ) से (छ). आदेशों के अनुसार, सशस्त्र सेनाओं के जो पेन्शनभोगी 01.01.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए तथा सरकार के अधीन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अर्ध-सरकारी संगठनों आदि के अधीन सिविल पदों पर 10 वर्ष से कम अवधि के लिए पुनर्नियोजित हुए, उन्हें उनके पुनर्नियोजन की अवधि के आधार पर श्रेणीकृत स्केल में पेन्शन में एक बार की वृद्धि स्वीकृत की गई है। 10 वर्ष या उससे अधिक के लिए पुनर्नियोजित सशस्त्र सेना पेन्शनभोगी, पेन्शन में एक बार की वृद्धि के लिए पात्र नहीं हैं। 01.01.1986 से पूर्व सेवानिवृत्तसशस्त्र सेना पेशनभोगियों को यह मानकर पेन्शन में एक बार की वृद्धि प्रदान की गई है कि उनकी सैन्य-सेवा अल्पावधि की थी तथा सिविल सेवाओं में कार्यरत अपने समकक्ष अधिकारियों/कर्मचारियों की अपेक्षा वे सैन्य सेवा से बहुत पहले सेवानिवृत्त हो गए थे। चूंकि यह शर्त उन सशस्त्र सेना पेन्शनभोगियों के मामले में लागू नहीं होती है जो सशस्त्र सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद सिविल सेवाओं में रोजगार प्राप्त कर लेते हैं तथा सेवानिवृत्ति की सामान्य तिथि तक सिविल सेवा में बने रहते हैं और दूसरी पेन्शन प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें पेन्शन में एक बार की वृद्धि प्रदान नहीं की गई है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विश्वविद्यालय का खोला जाना

218. डा. लाल बहादुर रावल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में 1996 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय तथा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक संसद में विचारार्थ लंबित पड़ा है।

विमान दुर्घटना

219. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बरेली हवाई अड्डे पर पक्षियों से टकराने के कारण कितने विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं;

(ख) उसके परिणामस्वरूप कितनी वित्तीय क्षति हुई है; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय वायुसेना का कोई भी वायुयान पक्षियों के टकराने से बरेली में क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। अतः इस संबंध में कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है।

[अनुवाद]

फ्लैटों का अनधिकृत कब्जा

220. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1995 को हकदार व्यक्तियों को आवंटन हेतु टाइप-वार टाईप-I सेक्टाईप-VI के कितने सरकारी आवास उपलब्ध हैं;

(ख) प्रत्येक टाईप के आवास हेतु हकदार व्यक्तियों की श्रेणियां क्या हैं;

(ग) 1 अप्रैल, 1995 को टाइप-वार कुल कितने आवास का आवंटित किये जा चुके थे;

(घ) उपर्युक्त आवंटन में टाइप-वार कुल कितने आवासों को आवंटन बिना बारी के आधार पर किया गया था;

(ङ) 1 अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार टाइप-वार कुल कितने एककों पर गैर-हकदार और अनधिकृत कब्जे हैं;

(च) 1 अप्रैल, 1995 को टाइप-वार ऐसी कुल कितनी आवासीय इकाईयां हैं जो अनधिकृत कब्जे में हैं और जिनमें ऐसे व्यक्ति रह रहे हैं; जो उस टाइप के हकदार नहीं हैं;

(छ) क्या सरकार ने बिना बारी के आंवटन और गैर-हकदार व्यक्तियों को आवंटन हेतु कोई दिशानिर्देश तैयार किये हैं; और

(ज) सरकार द्वारा हकदार अथवा गैर हकदार व्यक्तियों के अनधिकृत कब्जे से आवास खाली कराने हेतु कदम उठाये गये हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) प्रत्येक टाइप में आवासों की संख्या इस प्रकार है :—

टाइप	सं. (31.12.95 की स्थिति के अनुसार)
ए	16448
बी	23204
सी	16100
डी	5001
डी (स्पेशल)	372
ई	1848
VI	526

(ख) प्रत्येक टाइप के लिए पात्रता बाबत विवरण संलग्न है।

(ग) से (च). सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(छ) बिना बारी आबंटन, आबंटन नियमावली 1963 के उपबन्धों में छूट देकर, किये जाते हैं और इस बाबत कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश तय नहीं हैं। बिना बारी आवंटन का समूचा प्रश्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष होने से न्यायाधीन है। तथापि, साधरण पूल रिहायशी वास के गैर पात्र व्यक्तियों/संगठनों यथा स्वतन्त्रता सेनानियों, पत्रकारों, कलाकारों, अन्य विभिन्न श्रेणियों और राजनीतिक दलों को आबंटन बाबत दिशा-निर्देश पहले से हैं।

(ज) किसी कब्जे के अनधिकृत हो जाने पर मकान खाली कराने के लिए लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत कार्यवाही की गई है।

विवरण

क्वार्टर की टाइप	आवंटन नियमों के अनुसार पात्रता	आबंटन वर्ष 1994-95 के लिए मांगे गये सीमित आवेदन पत्र
1	2	3
i.	रु. 750-949	रु. 750-949 तथा 31.12.85 तक सरकारी सेवा में आये व्यक्ति
ii.	रु. 950-1499	रु. 950-1499 तथा 31.12.74 तक सरकारी सेवा में आये व्यक्ति
iii.	रु. 1500-2799	रु. 1500-2799 तथा 30.6.71 तक सरकारी सेवा में आये व्यक्ति
iv.	रु. 2800-3599	रु. 2800-3599 तथा 30.6.72 तक सरकारी सेवा में आये व्यक्ति

1	2	3
iv. (स्पे.)	रु. 3000-3599	वे अधिकारी, जिनका मूल वेतन 1.10.93 को 4230 रु. प्रति माह से कम न था।
v. (ए)	रु. 3600-4499	वे अधिकारी, जिनका मूल वेतन 1.10.93 को 5,000 रु. प्रति माह से कम न था।
vi. (बी)	रु. 4500-5899	वे अधिकारी, जिनका मूल वेतन 1.10.93 को 6100 रु. प्रति माह से कम न था।
vii. (ए)	रु. 5900-6699	वे अधिकारी, जिनका मूल वेतन 1.10.93 को 6300 रु. प्रति माह से कम न था।
viii. (बी)	रु. 6700-7299	वे अधिकारी, जिनका मूल वेतन 1.10.93 को 6700 रु. प्रति माह से कम न था।

[हिन्दी]

नेपा न्यूजप्रिन्ट पेपर मिल

221. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की नेपा न्यूजप्रिन्ट पेपर मिल ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्वीकृति के बिना निजी भागीदारी के लिए आर्थिक मामलों संबंधी केबिनेट समिति की मंजूरी प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त मंजूरी के आधार पर निजीकरण की दिशा में कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (घ). नेपा लिमिटेड को वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान भारी घाटा हुआ। कंपनी ने एक पुनरुद्धार प्रस्ताव तैयार किया जिसमें, दीर्घावधिक रूप से जैव्य बनने के लिए, लगभग 280 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की परिकल्पना की गई थी और सरकार ने इस संबंध में कंपनी में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए पेशकशें आमंत्रित करने का फैसला किया था। कंपनी अभी तक औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को संदर्भित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र

222. श्री राम नाईक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र के कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कैंसर से मृत्यु हुई है और कुछ लोगों का केन्द्र के अस्पताल में इलाज चल रहा है;

(ख) क्या इन लोगों की मृत्यु तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र में विकिरण का पता लगाने में पर्याप्त ध्यान न दिए जाने के कारण हुई है;

(ग) क्या मृत भूतपूर्व कर्मचारियों को पर्याप्त मुआवजा दिया गया है; और

(घ) कर्मचारियों को ऐसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। कैंसर से हुई मौतों में से कोई भी तारापुर परमाणु बिजलीघर से उत्पन्न विकिरण द्वारा नहीं हुई। इनमें से कुछ कर्मचारियों ने विकिरण क्षेत्र में बिल्कुल भी काम नहीं किया था। हाल ही में टाटा स्मारक अस्पताल द्वारा किए गए महामारी विज्ञान संबंधी विस्तृत अध्ययन से पता चला है कि सूचित की गई कैंसर की घटना उन मामलों से अधिक नहीं हैं जो इस राज्य की सामान्य जनसंख्या में पाए गए हैं। तारापुर परमाणु बिजलीघर के विकिरण कार्य से जुड़े सभी कर्मचारियों की हर वर्ष चिकित्सा जांच की जाती है और उन पर पड़ने वाले विकिरण के प्रभाव की मात्रा को मानीटर किया जाता है और उसे निर्धारित सीमाओं के भीतर ही नियंत्रित रखा जाता है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) तारापुर परमाणु बिजलीघर में विकिरण को मानीटर करने और नियंत्रित करने की प्रणाली अच्छी तरह से स्थापित की गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि संयंत्र स्टाफ और जनसामान्य दोनों पर पड़ने वाले विकिरण के प्रभाव की मात्रा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड तथा अंतर्राष्ट्रीय वैकरणिकी संरक्षा आयोग द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप रहें, इसका अति सावधानी पूर्वक पालन किया जाता है। तारापुर परमाणु बिजलीघर के कर्मचारी और उन पर आश्रित व्यक्ति परमाणु ऊर्जा विभाग की अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत आते हैं। कर्मचारियों और उन पर आश्रित व्यक्तियों के स्वास्थ्य का पूरा रिकार्ड रखा जाता है।

सिहोर सिटी में उपरि पुल

223. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने नए उपरि पुलों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार को कितने प्रस्ताव भेजे हैं और उक्त पुलों का निर्माण किन-किन स्थानों पर किया जाएगा;

(ख) क्या राज्य सरकार ने सिहोर सिटी में उपरिपुल के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) चौदह प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

क्र.सं.	निकटवर्ती स्टेशन	स्थान
1.	इटारसी	कि.मी. 745/14-15--746/1-2 पर
2.	होशंगाबाद	कि.मी. 762/11-12 पर
3.	दामोह	कि.मी. 1126/11-12 पर
4.	बोटलानगर	कि.मी. 1227/13-14 पर
5.	बेतुल	कि.मी. 850/7-8 पर
6.	सतना	कि.मी.1178/5-6 पर
7.	निंबोला	कि.मी. 505/13-14 पर
8.	सागर	कि.मी. 1048/4-5 पर
9.	मैहर	कि.मी. 1142/14-15 पर
10.	हबीबगंज	कि.मी. 829/6-8 पर
11.	चुचियापाड़ा	कि.मी. 717/18-20 पर
12.	रतलाम	जेवरा रोड समपार सं. 192 पर
13.	नागदा	समपार सं. 1 के बदले
14.	इंदौर	समपार सं. 246 के बदले

(ख) सिहोर में कि.मी. 200/2-3 पर निचले सड़क पुल का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और इसकी जांच की गई थी परंतु गुजरने वाले वाहनों की संख्या को देखते हुए इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया। राज्य सरकार को एक ऊपरी सड़क पुल का प्रस्ताव प्रयोजित करने का अनुरोध किया गया है। परन्तु अब तक यह प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेंशन बकाया

224. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 16 जनवरी, 1947 को सेवामुक्त कर दिये गये राजपूत रेजीमेंट फतेहगढ़ (उ.प्र.) के भूतपूर्व सिपाहियों को इस वर्ष बकाया पेंशन का भुगतान किया है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) 1947 में पेंशन का भुगतान न करने के कारण हुई क्षति की भरपाई किस प्रकार की जाएगी?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार राजपूत रेजिमेंट से 16-1-1947 को सेवामुक्त हुए उत्तर प्रदेश के सभी पात्र कार्मिकों को पेन्शन मंजूर कर दी गई थी। तथापि, नवंबर, 1994 में एक पेन्शनर ने अभ्यावेदन किया था कि उसके पेन्शन-कागजात 1947 में खो गए थे और उसे पेन्शन नहीं मिल रही है। उसके दावे की जांच की गई और 1.5.1947 से 31.1.1996 तक की अवधि के लिए उसे पेन्शन की बकाया राशि के रूप में 1,11,587/- रुपये की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। चूंकि पेन्शन वितरण में देरी स्वयं कार्मिक के कारण हुई इसलिए मुआवजे के रूप में उसे कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जा सकती। वैसे भी "सेना के लिए पेन्शन विनियमों" में ऐसे मामलों में किसी प्रकार के मुआवजे/ब्याज की आदायगी किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

रेलवे अस्पताल

225. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण पूर्व रेलवे के पासकुड़ा-हल्दिया सेक्शन के तमलुक रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे अस्पताल और रक्त कोट की स्थापना करने हेतु कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) तामलुक में रेलवे अस्पताल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उपदान की सीमा

226. डा. मुमताज अंसारी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यमों के ब्यूरो ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को वर्तमान समय में दिए जाने वाले उपदान की सीमा को एक लाख रुपए से ढाई लाख रुपए करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य, ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस बढ़ी हुई सीमा को किस तिथि तथा वर्ष से लागू किए जाने/दिये जाने की सम्भावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (घ). सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के उपदान की सीमा में वृद्धि पर सरकार विचार कर रही है।

रेल लाइन

227. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **प्रधान मंत्री** 25 अप्रैल, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3157 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल और कर्नाटक को जोड़ने वाली तेल्लिचेरी मैसूर रेल लाइन की सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिसंबर, 1996 तक।

नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला

228. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बुक ट्रस्ट (एन.बी.टी.) ने हाल ही में नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने देशों ने भाग लिया। विभिन्न भाषाओं के कितने प्रकाशन रखे गए तथा कुल कितनी बिक्री हुई; सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ विदेशी प्रकाशकों द्वारा कतिपय आपत्तिजनक प्रकाशन भी रखे गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा ऐसे प्रकाशकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या इसमें भाग लेने वाले सार्क देशों के बीच सिद्धांत रूप से दक्षिण एशिया पुस्तक विकास परिषद् की स्थापना करने पर सहमति हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई) : (क) और (ख). 12वें विश्व पुस्तक मेले का आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत द्वारा नई दिल्ली में 3 से 11 फरवरी, 1996 तक किया गया और इसमें 46 देशों ने भाग लिया। एक मिलियन से अधिक पुस्तकें प्रदर्शित की गई।

जिन भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को इसमें शामिल किया गया वे थीं : असमी, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तुलुगु, उर्दू, अओ, गारो, खासी और मिजो तथा इसमें शामिल की गई विदेशी भाषायें थीं : अरबी, भूटानी, बहशा, मलेशिया, चीनी, चैक, फ्रैंच, जर्मन, हिब्रू, जापानी, मालदीवी, नेपाली, पुर्तगाली, फारसी, सिंहली और स्पेनी।

अनुमान है कि लगभग 20 करोड़ रु. के आसपास का संपूर्ण व्यापार हुआ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च). जी, हां। पुस्तक प्रौन्नति परिषद् की स्थापना का मुख्य लक्ष्य होगा कि वह क्षेत्र में पुस्तकों के निर्बाध प्रसार के लिए कार्य करे। परिषद् में चार सदस्य होंगे जिनमें क्षेत्र के प्रत्येक देश से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास जैसे सरकारी अभिकरण शामिल होंगे।

एशिया ब्राउन बॉवेरी लोको मोटिवस

229. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :**
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों ने स्विटरजलैंड की एशिया ब्राउन बावेरी से आयात किये जा रहे उच्च गति वाले इंजनों की भारतीय परिस्थितियों में उपयुक्तता के संबंध में कुछ शंका प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारत में इन रेल इंजनों के निर्माण हेतु तकनीक के स्थानांतरण के लिए निर्धारित 10 वर्ष की समय सीमा तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

[हिन्दी]

समुद्री सुरंग

230. **डा. रमेश चन्द तोमर :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने नई किस्म की समुद्री सुरंग विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है; और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किस संस्थान ने इन समुद्री सुरंगों को विकसित किया है;

(घ) क्या नौसेना ने इन समुद्री सुरंगों को अंगीकार कर लिया है; और

(ङ) इन समुद्री सुरंगों के विकास में कितनी अनुमानित लागत आयी है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने संसाधक-आधारित जमीनी बारूदी सुरंग नामक एक नई किस्म की समुद्री-बारूदी सुरंग का विकास किया है जिसे पानी में 300 मीटर की गहराई तक तल पोत द्वारा बिछाया अथवा पनडुब्बी से छोड़ा जा सकता है। यह बारूदी सुरंग लक्ष्य की ध्वनि, चुबंकीय प्रभाव या दाब अथवा इन प्रभावों के संयोजन से कार्यशील हो जाती है।

(ग) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की विशाखापटनम स्थित नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला।

(घ) जी, हां।

(ङ) इस समुद्री बारूदी सुरंग के विकास पर 23.50 लाख रुपए (लगभग) की लागत आई है।

रेल लाइन

231. **श्री सूर्य नारायण यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** 14 मार्च, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 252 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सराकर को मानसी-सहरसा-फोरबिसगंज रेल लाइन के परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य को कब तक आरम्भ किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अभी परियोजना अनुमोदित नहीं हुई है।

[अनुवाद]

दिल्ली में रिज क्षेत्र का अतिक्रमण

232. **श्री बी.एल. शर्मा प्रेम :**
श्री सैयद् शहाबुद्दीन :

क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में सेंट्रल रिज क्षेत्र में हुए सभी अनधिकृत निर्माणों को गिरा दिया है;

(ख) क्या अब तक गिराये गये निर्माणों में पूजा स्थल शामिल हैं;

(ग) ऐसे अनधिकृत निर्माणों का संक्षिप्त विवरण क्या है जिन्हें गिराया जाना है परन्तु गिराया नहीं गया है;

(घ) क्या इन्हें गिराये जाने से पूर्व कब्जाधारियों और निवासियों को पर्याप्त सूचना दी गई है; और

(ङ) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् और दिल्ली नगर निगम को भी अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे ही अनधिकृत निर्माण को गिराने के निर्देश दिए गए हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि उसने गांव टोडापुर दसघरा में अधूरे पक्के लगभग 522 ढांचों और केन्द्रीय रिज में पांच धार्मिक स्थानों को छोड़ दिल्ली में केन्द्रीय रिज में पता लगाए गए सभी अवैध ढांचों को गिरा दिया है।

(ख) जी, हां।

(ग) टोडापुर/दसघरा गांव में पता लगाए गए विद्यमान लगभग 522 अवैध ढांचों और 5 धार्मिक ढांचों, जिन्हें नहीं गिराया जा सका/उन्हें गिराने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाई के तथ्यों को उच्चतम न्यायालय के नोटिस में लाया गया है।

(घ) जी, हां। गिराने से पूर्व गांव टोडापुर/दसघरा में महत्वपूर्ण स्थानों में मुद्रित चेतावनी नोटिस चिपकाये/लगाए गये थे।

(ङ) नई दिल्ली नगर परिषद और दिल्ली नगर निगम को भी उच्चतम न्यायालय के दिनांक 5.5.95 के आदेशों को कार्यान्वित करने के आदेश दिये गये हैं।

आमान परिवर्तन

233. **श्री रतिलाल वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विचार भावनगर और तारापुर के बीच नई बड़ी रेल लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस निर्माण कार्य को कब से शुरू किए जाने और कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय कार्य योजना में शामिल किए गए कार्य संसाधनों की उपलब्धता और परियोजना की प्राथमिकता के आधार पर किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

आवास समस्याएं

234. **श्री मंजय लाल :** क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आवास समस्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आवास समस्या को हल करने हेतु सरकार और गैर-सरकारी स्तर पर चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या शहरी आवास और ग्रामीण आवास के लिए उचित राशि उपलब्ध कराई जा रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) और (ख). ऐसा कोई सर्वे नहीं किया गया है तथापि, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन जनगणना के संबंध में मकानों की सूची बनाने के अभियान के दौरान जुटाये गये आंकड़ों के आधार पर मकानों की कमी की आवधिक मूल्यांकन कर रहा है। 1.3.91 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने 31 मिलियन रिहायशी इकाईयों की कमी का अनुमान लगाया था जिसमे से 20.6 मिलियन की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 10.4 मिलियन की कमी शहरी क्षेत्रों में है।

(ग) और (घ). आवास राज्य विषय होने के नाते विभिन्न राज्य सरकारें/संघ शासित प्रशासन विभिन्न आय वर्गों के लिए अपनी योजना निधियों में से अपनी योजना प्राथमिकताओं तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आवास स्कीमें बनाती है तथा कार्यान्वित करती हैं। वह इन योजनाओं के वित्तपोषित हेतु हडको/एलआईसी/जी.आई.सी. से ऋण तथा राष्ट्रीय आवास बैंक से पुनर्वित्त भी ले सकते हैं। तथापि, शहरी आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद हेतु केन्द्र प्रवर्तित कुछेक स्कीमें चल रही हैं जैसे एन.आर.वाई. के तहत आश्रय सुधार तथा ई.डब्ल्यू.एस. के लिये और पीएमआई यूपीईपी शहरी पटरीवासियों के लिये रैन बसेरा व स्वच्छता सुविधा।

(ङ) और (च). आठवीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में आवास हेतु 2795.6 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसमें से 1341.35 करोड़ रु. शहरी आवास तथा 1454 करोड़ रु. ग्रामीण आवास के लिये थे। क्षेत्रवार आबंटन अन्तः क्षेत्र प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुये किये जाते हैं।

अर्जुन टैंक

235. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया) :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्जुन टैंक सेना को सौंप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस टैंक की मारक क्षमता कितनी है और इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे तथा रक्षा मंत्रालय के किन-किन विभागा ने इसके निर्माण में सहयोग दिया है;

(ग) इस टैंक में लगाये गये विदेशी तथा स्वदेशी पुर्जों की अलग-अलग संख्या क्या है; और

(घ) इसके निर्माण में कितनी लागत आयी है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अभी नहीं, श्रीमान्।

(ख) मुख्य युद्धक टैंक "अर्जुन" की अच्छी प्रहारक क्षमता है। और इसमें विश्व के सर्वोत्तम टैंकों के मुकाबले की अन्य विशेषताएं हैं। सेना ने इस टैंक को उत्पादन करने के लिए जनवरी, 1996 में मंजूरी दे दी है। इसे सेना द्वारा इस्तेमाल के लिए 9वीं योजना अवधि के दौरान शामिल कर लिया जाएगा। इस टैंक का डिजाइन और विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशालाओं द्वारा किया गया, जिनमें मुख्य प्रयोगशाला, युद्धक वाहन अनुसंधान तथा विकास स्थापना आवड़ी है। इस अर्जुन टैंक का निर्माण भरी वाहन निर्माणी, आवड़ी करेगी।

(ग) लागत के हिसाब से अर्जुन टैंक में फिट किए गए विदेशी पुरजे अनुमानतः 30 प्रतिशत और देशी पुरजे 70 प्रतिशत हैं। विदेशी पुरजों की मात्रा उत्तरोत्तर कम कर दी जाएगी।

(घ) वर्तमान में इसकी यूनिट लागत 10.8 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

प्राइवेट भवन निर्माता

236. **श्री लाल बाबू राय :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में कुछ भवन निर्माता फ्लैटों और प्लाटों की बुकिंग के माध्यम से उपभोक्ताओं से गलत तरीके से बड़ी धनराशि एकत्र कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो एक वर्ष के दौरान सरकार को ऐसे भवन निर्माताओं के विरूद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) ऐसे भवन निर्माताओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार गैर सरकारी भवन निर्माताओं के अनिवार्य पंजीकरण हेतु कोई नया कानून बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) से (ङ) भवन निर्माताओं के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों बाबत अपेक्षित एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वर्तमान में इस प्रकार की शिकायतों पर क्रीमिनल प्रोसीजर कोड (सी.पी.सी.) के संगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है, तथापि, भवन निर्माताओं तथा विकासकों के क्रियाकलापों को नियामित करने के लिए दिल्ली अपार्टमेंट एण्ड प्रापर्टी रेगूलेशन एक्ट, बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र उपक्रम सम्बन्धी नीति पर पुनर्विचार

237. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन सम्बन्धी अपनी नीति की समीक्षा करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (ग). सरकार उपक्रमों के पुनर्गठन से सम्बन्धित नीति का वर्णन जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति वक्तव्य में किया गया है। उक्त नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

यात्रियों से अप्राधिकृत शुल्कों की वसूली

238. **श्री कुन्जी लाल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चल टिकट निरीक्षकों द्वारा ट्रेनों में यात्रियों से रिश्वत लेने की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों के दौरान मंडल-वार कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख). जी, हां। पिछले छः महीनों के दौरान प्राप्त की गई क्षेत्र-वार शिकायतों को ब्यौरा इस प्रकार है :—

रेलवे जोन	शिकायतों की संख्या
मध्य	66
पूर्व	17
उत्तर	49
पूर्वोत्तर	24
पूर्वोत्तर सीमा	—
दक्षिण	11
दक्षिण मध्य	17
दक्षिण पूर्व	16
पश्चिम	53

(ग) दोषी पाए गए 32 कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की गई है। इस बुराई की रोकथाम के लिए प्लेटफार्मों तथा चलती गाड़ियों में सतर्कता एवं वाणिज्यिक विभागों द्वारा निवारक, आकस्मिक और छद्म जांचें की जाती हैं। इसके अलावा, गर्मी तथा पूजा की छुट्टियों की भीड़-भाड़ के दौरान विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं।

[अनुवाद]

आई-सी-डी-एस परियोजनाएं

239. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिचूर जिले में मथिलकम और कोडुंगल्लूर प्रखडों और एर्नाकुलम जिले में अंगामाली प्रखंड के लिए समेकित बाल विकास योजना परियोजनाएं स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) और (ख). वर्ष 1995-96 के दौरान त्रिचूर जिले के मथिलकम तथा कोडुगल्लूर नामक ब्लाकों में दो समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं तथा एर्नाकुलम जिले के अंकामली ब्लाक में एक समेकित बाल विकास सेवा परियोजना स्वीकृत की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मंत्री के दौरे

240. **श्री राम कापसे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैलेन्डर वर्ष 1995 में रेल मंत्री के बम्बई दौरे पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या खर्च की गई धनराशि यात्राओं के लिए सामान्य नियमों में निर्धारित धनराशि के अंतर्गत थी; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्धारित राशि से अधिक खर्च की गई धनराशि किन-किन स्रोतों से जुटाई गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) 95,500/- रुपए।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्काउट और गाईड

241. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्काउट और गाईड के प्रतिनिधिमंडल ने गत दो वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया;

(ग) उनके दौरे का क्या परिणाम निकला; और

(घ) सरकार द्वारा सामाजिक सेवा क्रियाकलापों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिनिधिमंडल ने जिन देशों का दौरा किया उनके नाम हैं, चीन, सिंगापुर, ताइवान, पाकिस्तान, मोरक्को, श्रीलंका, नेपाल, आस्ट्रेलिया, फिलीपाइन्स, डेनमार्क, मिस्र, इन्डोनेशिया, मस्कट, इंग्लैण्ड, जापान, हॉलैण्ड, मलेशिया, थाईलैण्ड और बंगलादेश।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) युवा कार्यक्रम और खेल विभाग भारत स्काउट और गाईड को उन समाज सेवा संबंधी कार्यों में नियमित रूप से शामिल करता है जिनके साथ इसका संबंध होता है।

रोजगार सृजन योजना

242. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यापक रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ख) इस योजना को सफल बनाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा जारी मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के लिए 1996-97 के दौरान कुल कितनी धनराशि जारी की गई?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) "विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यापक रोजगार सृजन (मैगसेट)" नामक पायलट स्कीम के द्वारा यह प्रदर्शित करना संभव हो सका है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप से जीवन यापन के लिए रोजगार का निर्माण करना संभव है। वर्तमान पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 45,000 से अधिक रोजगारों का सृजन किया गया।

(ख) मैगसेट कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक या अनुसंधान संस्थानों, व्यावसायिक निकायों तथा स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा सीधे तौर पर चलाया जाता है। भाग लेने वाली एजेंसियों को जारी किये जाने वाले दिशानिर्देशों में प्रस्ताव भेजने के लिए प्रोफार्मा, प्रशिक्षण की अवधि, प्रशिक्षण का प्रकार तथा प्रगति रिपोर्टें शामिल होती हैं। प्रशिक्षण संगठनों का पता लगाने तथा

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्य निष्पादन को मानीटर करने में, जब जैसी आवश्यकता होती है, राज्य सरकारों को भी शामिल किया जाता है।

(ग) इस पायलट स्कीम पर खर्च का वहन "विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास तथा रोजगार सृजन" की स्कीम के लिए आवंटित संपूर्ण राशि के भीतर से किया जाता है। 1996-97 के लिए बजट प्रावधान को 1996-97 के बजट दस्तावेज में विधिवत् दर्शाया गया है।

मतदाता सूची

243. **श्री फूलचंद वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश राज्य में सभी निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां, सरसरी तौर से अर्हता की तारीख के रूप में 1.1.96 के प्रति निर्देश से पुनरीक्षित की गई थीं और अंतिम रूप से 2.1.96 को प्रकाशित कर दी गई थी।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

स्वामित्व का अधिकार दिया जाना

244. **श्री तारा सिंह :** क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के चार बाजारों में स्वामित्व का अधिकार देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन बाजारों में स्वामित्व का अधिकार दिया गया है तथा इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है; और

(ग) राजधानी के सभी शरणार्थी बाजारों में स्वामित्व का अधिकार कब तक दिए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) से (ग). सरोजनी नगर, प्लीजर गार्डन, न्यू सेंट्रल मार्किट और कमला मार्किट नामक चार पुनर्वास बाजारों में शेष बचे दुकानदारों को स्वामित्वाधिकार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मूल आवंटी, वे आवंटी जिनके नाम में दुकानें मूल आवंटी की सहमति से 6.5.75 तक अथवा इससे पूर्व नियमित कर दी गई है, और 20.10.89 तक के वास्तविक कब्जाधारी स्वामित्वाधिकार प्राप्त करने के हकदार होंगे। उन्हें मानकों के अनुसार भूमि की लागत, संरचना लागत तथा भूमि किराये का भुगतान करना होगा। पट्टाकर्ता की पूर्व अनुमति के बिना आंबटी, आबंटित संरचना के अतिरिक्त आगे कोई निर्माण नहीं करेंगे।

स्वामित्वधिकार प्रदान करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

अबुधाबी में प्रदर्शनी

245. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अबुधाबी में एक प्रदर्शनी में भाग लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कुल कितना व्यय किया गया; और

(घ) इसके भारतीय रक्षा उत्पादनों में किस हद तक उपयोगी होने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख). अबूधाबी में 19 मार्च, 1995 से 23 मार्च, 1995 तक एक अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी (आइडेक्स 95) आयोजित की गई थी। इस प्रदर्शनी में आयुध निर्माणी बोर्ड, रक्षा क्षेत्र के छह सार्वजनिक उपक्रमों, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियों ने भाग लिया था।

(ग) प्रदर्शनी में भाग लेने वाले संगठनों ने जगह के किराए, स्टैंडों, भाड़े, आतिथ्य सत्कार आदि पर लगभग 1.04 करोड़ रुपए का खर्च किया।

(घ) इस प्रदर्शनी में हमारे देश के भाग लेने से पश्चिम एशिया क्षेत्र में हमारे उत्पादन और हमारी रख-रखाव संबंधी क्षमताओं के बारे में जागरूकता बढ़ी है और इससे हमारी निर्यात-क्षमता में वृद्धि हुई है। इससे कुछ सौदों में प्रगति हुई है।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

246. **डा. महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दरभंगा और समस्तीपुर, के बीच 37.5 कि. मी. लम्बी रेल लाइन की बड़ी लाइन में बदलने का कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब पूरी हुई और क्या उक्त परियोजना पर कार्य 1973-74 में शुरू किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना पर कार्य शुरू करने का निर्णय कब लिया गया था और इसे शुरू करने के समय परियोजना की अनुमानित लागत कितनी थी;

(घ) क्या परियोजना को मूल अनुमानित लागत पर पूरा किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो परियोजना पूरी होने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). यह कार्य जनवरी, 1996 में पूरा हो गया था। इस कार्य को पहले 1974-75 के बजट में शामिल किया गया था परन्तु इसे स्थगित रखा गया। कार्य को वास्तव में 28.43 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1993-94 में शुरू किया गया था।

(घ) जी, नहीं। इसे 36.65 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया गया है।

(ङ) संविदात्मक समस्याओं तथा पुल संबंधी कार्यों की धीमी प्रगति के कारण।

[अनुवाद]

दिल्ली में लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड भूमि में परिवर्तित करना

247. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड भूमि में परिवर्तन करने हेतु एक नई नीति को तैयार करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) वर्तमान में यह मामला किस चरण में है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) से (घ). दिल्ली में लीज होल्ड भूमि को फ्री-होल्ड में बदलने की स्कीम को और उदार/सरल बनाने के प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय की सलाह से विचार किया जा रहा है।

शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां

248. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और हैदराबाद के बीच शताब्दी एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ियां शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कश्मीर का मुद्दा

249. **श्री चित्त बसु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य में गत दिसम्बर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाये जाने के बाद कश्मीर की समस्या को सुलझाने के लिए नए सिरे से प्रयास किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). सरकार का उद्देश्य जम्मू व कश्मीर राज्य में शीघ्रति-शीघ्र प्रजातान्त्रिक और लोकतांत्रिक संस्थानों की बहाली करके राज्य में सम्पूर्ण शांति और सामान्य स्थिति को बहाल करना सुनिश्चित करना है। सरकार निकट से स्थिति पर नजर रखे हुए है तथा निरन्तर उसकी संवीक्षा कर रही है तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें उग्रवादियों की गतिविधियों पर काबू पाने के लिए निरन्तर और लक्षित अभियान चलाना तथा बन्दूक का भय कम करना, युवकों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के लिए राज्य में विकास और आर्थिक गतिविधियों को गति तीव्र करना तथा लोगों को सामान्य जीवन और सामान्य गतिविधियों की ओर प्रेरित करना, सिविल प्रशासन को पुनः सक्रिय बनाना तथा सामान्य गतिविधियों के लिए मनोबल को बहाल करने, लोगों का प्रशासन में विश्वास मजबूत करने के प्रयास करना और उसके द्वारा प्रशासन में उनका सहयोग सुनिश्चित करना, राज्य में राजनीतिक तत्वों को पुनः सक्रिय बनाना, तथा बेहतर पारदर्शिता, नजरबंदों को रिहा करने सहित विश्वास जगाने वाले उपायों के माध्यम से शांति प्रक्रिया मजबूत करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, इत्यादि शामिल है।

सरकार विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर विचार-विमर्श भी करती आ रही है।

सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों का स्थिति पर तथा सम्पूर्ण वातावरण और लोगों पर निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पहले बताए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार स्थिति को और मजबूत करने हेतु गहन प्रयास करती रहेगी।

जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता

250. श्री परस राम भारद्वाज : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों द्वारा जम्मू और कश्मीर में 1953 से पूर्व की स्थिति बहाल करने की कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). निकट अतीत में, जम्मू एवं कश्मीर के लिए स्वायत्तता जैसे मुद्दों पर व्यक्तियों और समूहों द्वारा भिन्न-भिन्न मत और सुझाव दिए गए हैं। इस संदर्भ में प्रधान मंत्री ने 4 नवम्बर, 1995 को एक वक्तव्य दिया था जिसमें, जम्मू एवं कश्मीर की जनता से आतंकवादियों के खिलाफ एक सख्त रूख अख्तियार करने और एक चुनी हुई सरकार की बहाली में मदद देने का अनुरोध किया गया था वहीं उन्होंने न केवल संविधान की धारा 370 के अधीन राज्य के विशेष दरजे को बनाए रखने बल्कि राज्य के सभी क्षेत्रों से संबंधित लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संविधान के अंतर्गत राज्य की स्वायत्तता को भी मजबूत करने के प्रति सरकार की वचनबद्धता को दुहराया था। केन्द्र और इस राज्य के बीच 1975 में हुए समझौते को पूरी तरह लागू करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दुहराए जाने के साथ-साथ यह भी कहा गया था कि "वजीर-ए-आजम" और "सदर-ए-रियासत" के पदनामों को बहाल किए जाने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी बशर्ते कि इस उद्देश्य के लिए राज्य के संविधान में संशोधन के लिए राज्य विधानमंडल कार्रवाई करे। सरकार लगातार यह कहती रही है कि राज्य में एक माहौल बनाने और सुधरी हुई स्थिति को और मजबूत करने के उद्देश्य से वह विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के साथ बातचीत एवं विचार-विमर्श के लिए हमेशा तत्पर है जिससे कि शांति और सामान्य स्थिति बहाल हो सके तथा शीघ्रतिशीघ्र स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाकर एक जनतांत्रिक एवं चुनी हुई सरकार लाई जा सके। ऐसी बात-चीत और विचार-विमर्श में स्वायत्तता के सवाल से जुड़े मुद्दे भी शामिल किए जा सकते हैं जैसा कि प्रधान मंत्री के वक्तव्य में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। सरकार इस दिशा में चलती रहेगी और उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में अपने प्रयास जारी रखेगी और इस बारे में इन प्रयासों में कोई ढील नहीं आएगी।

[हिन्दी]

बिहार में नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय

251. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय कितने नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय चल रहे हैं;

(ख) इन विद्यालयों में श्रेणीवार कुल कितने पद रिक्त हैं;

(ग) क्या शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को कठिनाइयां हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो ये रिक्तियां कब तक भरी जायेंगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) बिहार में इस समय 37 नवोदय विद्यालय और 56 केन्द्रीय विद्यालय कार्य कर रहे हैं।

(ख) इन विद्यालयों में शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों की स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). पद रिक्त होना और उनको भरना एक सतत् प्रक्रिया का भाग है और केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय समिति ने इन पदों को शीघ्रतिशीघ्र भरने के लिए पहले ही आवश्यक कदम उठाए हैं। शिक्षकों की नियमित रूप से नियुक्ति को अंतिम रूप दिए जाने तक, शिक्षकों को संविदा आधार पर नियुक्त किया जाता है ताकि विद्यालयों के शैक्षिक कार्यकलापों में कोई क्षति न पहुंचे।

विवरण

बिहार के स्कूलों में शिक्षण तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों के रिक्त पदों की स्थिति

	केन्द्रीय विद्यालय संगठन (31.1.96 तक की स्थिति)	नवोदय विद्यालय संगठन (31.12.95 तक की स्थिति)
प्रधानाचार्य	06	11
स्नाकोत्तर शिक्षक	48	77
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	60	48
पी.आर.टी.	75	—
विविध श्रेणी	107	21

[अनुवाद]

विमान दुर्घटना

252. श्री राम विलास पासवान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1995 में पंजाब के होशियारपुर जिले में वायुसेना के दो "मिग" लड़ाकू विमान आकाश में टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो गये;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में करायी गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). पंजाब के होशियारपुर जिले में दिसंबर, 1995 में एक मिग-23 लड़ाकू और एक मिग-23 लड़ाकू (प्रशिक्षक) वायुयान आकाश में टकराए और नष्ट हो गए। यह दुर्घटना वायु कर्मियों की मानवीय त्रुटि के कारण हुई। इन वायुयानों के कैप्टनों की उड़ान पर, उनके विरूद्ध अनुशासनिक/प्रशासनिक कार्रवाई पूरी होने तक, रोक लगा दी गई है।

कोरापुट-रायगडा लाइन पर दुर्घटना

253. श्री श्रीकान्त जेना : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30.12.1995 को कोरापुट-रायगड़ा लाइन पर कोई गम्भीर दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कितना घाटा होने का अनुमान है;

(ग) दुर्घटना के संबंध में करायी गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख). 31.12.1995 को दक्षिण पूर्व रेलवे के कोरापुट-रायगडा खंड पर रौली और लालीगुमा स्टेशनों के बीच डाउन एमडी/डी डी-586 माल गाड़ी के 10 माल डिब्बे पटरी से उतर गए। रेलों की हुई हानि की अनुमानित राशि 17,50,000/- रुपए हैं।

(ग) और (घ). दुर्घटना जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना रेलपथ की खराबी तथा गाड़ी की अत्यधिक गति के कारण हुई जिसके लिए रेलपथ निरीक्षक/निर्माण तथा गाड़ी के ड्राइवर को जिम्मेवार ठहराया गया है। उनके विरूद्ध अनुशासन और अपील नियमों के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई है।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

254. श्री एन.जे. राठवा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के विशेषकर आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में कौन-कौन सी छोटी लाइनें और मोटर लाइनें हैं;

(ख) क्या इन लाइनों में से किसी लाइन को सरकार के "समान आमान कार्यक्रम" में शामिल किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) गुजरात में छोटी तथा मीटर लाइनों के नाम निम्नलिखित हैं :-

छोटी लाइनें

1. बिलिमोरा-बघई
2. कोसंबा-उमरपाड़ा
3. अंकलेश्वर-राजपिपला
4. झागड़िया-नेत्रंग
5. मोतीकोरल-मियागाम करजन
6. भरूंच-कावि
7. समनी-दहेज
8. दभोई-टिम्बारोड
9. टनखाला-छुचपुरा
10. चन्दोद-मालसर
11. जम्बूसर-छोटा उदयपुर
12. चम्पानेर रोड़-पानीमाइन्स
13. नडियाद-भादरन
14. गोधरा-लूनावडा

मीटर लाइनें

1. अहमदाबाद-बोटाद
2. सुरेन्द्रनगर-भावनगर
3. राजकोट-वेरावल
4. ढासा-महुआ
5. खिजडिया-वेरावल
6. तलाला-देलवाड़ा

7. प्राची रोड़-कोडिनार
8. जूनागढ़-विसावदर
9. अहमदाबाद-खेडब्रह्मा
10. मेहसाना-वीरमगाम
11. मेहसाना-मारवाड़ (अंशतः गुजरात में)
12. मेहसाना-पाटन
13. वांकानेर-मलिया मियाणा
14. पालनपुर-गांधीधाम
15. गांधीधाम-भुज नालिया

(ख) और (ग). निम्नलिखित मीटर लाइनों को पहले ही सरकार के एक आमान कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है।

1. राजकोट-वेरावल खण्ड
2. बांकानेर-मलिया मियाणा
3. वीरमगाम-मेहसाना
4. मेहसाना-पालनपुर-मारवाड़
5. मेहसाना-पाटन (कार्य फिलहाल अस्थाई रूप से रोक दिया गया है।)
6. गांधीधाम-भुज

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अवैध निर्माण

255. श्री रामपाल सिंह : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली में विशेष रूप से डीडीए फ्लैटों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं;

(ख) क्या भूतल फ्लैटों के मालिक अपने फ्लैटों के आंगन में कमरे का निर्माण कर रहे हैं जिससे प्रथम तल के फ्लैटों के मालिकों को सुरक्षा की दृष्टि से खतरे का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा अवैध निर्माण को रोकने के लिए तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

शहरों की पहचान

256. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में पानी की गंभीर कमी की समस्या वाले छोटे तथा मध्यम श्रेणी के शहरों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे शहरों के राज्यवार नाम क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इन शहरों में पीने के पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु योजनाएं प्रस्तुत कर दी है तथा धनराशि की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) और (ख). जी, नहीं। जलापूर्ति राज्य का विषय होने के कारण ऐसे कस्बों का पता लगाना और उपचारी उपाय करना राज्य सरकार/स्थानीय निकायों का दायित्व है।

(ग) और (घ). राज्य सरकारों ने 20,000 से कम आबादी (1991 की जनगणना के अनुसार) वाले कस्बों के लिए केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत विचार करने के लिए योजनाएं भेजी हैं।

इन योजनाओं की जांच की गई है और 15.2.96 तक 105.84 करोड़ रुपये की लागत से 155 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 187.64 करोड़ रुपये की लागत वाली 139 योजनाएं संवीक्षाधीन हैं। स्वीकृत योजनाओं तथा रिलीज की गई निधियों के राज्यवार संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के दौरान वित्तीय स्थिति (15.2.96 तक)

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	8वीं योजना नियतन	स्वीकृत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की संख्या	कुल अनुमानित लागत	रिलीज की निधियां केन्द्रीय अंश			
					1993-94	1994-95	1995-96	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अरुणाचल प्रदेश	16.95	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	असम	111.62	1	135.31	0.00	26.06	0.00	26.06
3.	बिहार	261.94	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	गोवा	32.59	2	51.13	6.24	10.14	0.00	16.38
5.	गुजरात	280.27	8	508.09	71.0	87.24	0.00	158.32
6.	हरियाणा	109.22	4	283.80	30.25	34.00	77.65	141.90
7.	हिमाचल प्रदेश	41.12	2	78.50	8.79	9.88	20.58	39.25
8.	जम्मू तथा कश्मीर	50.00	2	155.10	5.32	20.00	0.00	25.32
9.	कर्नाटक	337.74	7	438.90	85.15	105.12	0.00	190.27
10.	केरल	120.83	1	233.72	28.21	37.62	0.00	65.83
11.	मध्य प्रदेश	784.50	36	2098.80	205.10	343.19	212.38	760.67
12.	महाराष्ट्र	332.03	6	515.11	85.36	92.50	0.00	177.86
13.	मणिपुर	35.35	5	186.39	7.65	20.50	0.00	28.15
14.	मेघालय	30.00	1	195.63	0.00	0.00	2.55	2.55
15.	मिजोरम	18.27	1	46.48	4.26	0.00	7.10	11.36
16.	नागालैण्ड	8.78	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	उड़ीसा	209.58	3	204.53	50.23	51.13	0.00	101.36
18.	पंजाब	114.57	2	240.65	26.73	35.64	57.96	120.33
19.	राजस्थान	321.57	14	1055.78	81.97	177.97	0.00	259.94
20.	सिक्किम	2.65	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	तमिलनाडु	319.95	10	438.62	82.24	9.59	0.00	91.83
22.	त्रिपुरा	23.46	—	—	5.16	0.00	0.00	5.16
23.	उत्तर प्रदेश	1269.12	47	3392.44	327.88	586.17	559.87	1473.92
24.	पश्चिम बंगाल	167.89	3	325.88	39.13	52.25	71.56	162.94
		5000.00	155	10594.86	1150.75	1699.00	1009.65	3859.40

सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा अवैध कब्जा

257. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**
श्री बलराज पासी :

क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा अवैध कब्जा किए जाने के बारे में 6 दिसम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1646 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से जांच पूरी कर ली गई है और जांच समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो जांच शीघ्र ही पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सी.पी.डब्ल्यू.डी. के कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए मकान खाली करा लिए गए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अनधिकृत कब्जा खाली करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) इन मकानों से वसूल किए गए किराए किस खाते में, किसके द्वारा, किसके प्राधिकार में और किन दरों पर जमा किए गए हैं;

(छ) भविष्य में जालसाजी की ऐसी घटनाएं न घटें, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ज) इसमें दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। यह जांच रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय में सिविल रिट पेटिशन नं. 588/94 श्री शिव सागर तिवारी बनाम भारत सरकार तथा अन्य में, दायर की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तथा (ङ). केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कार्मिकों द्वारा रिहायशी प्रयोजनार्थ कब्जे किए गये सभी मकान, 73 को छोड़कर, खाली करा लिये गये हैं। 20 अन्य क्वार्टरों का इस्तेमाल भंडारों/कार्यालयों के रूप में किया जा रहा है। शेष 73 क्वार्टरों को खाली कराने के लिये भी कार्यवाही चल रही है।

(च) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग स्टाफ को (क्वार्टरों के आबंटन से प्राप्त किराया, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को) सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा मुख्य शीर्ष 0216-आवास में जमा करा दिया गया है। कार्यालय/भंडारों के रूप में इस्तेमाल किये गये क्वार्टरों का कोई किराया नहीं लिया गया है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने किराये की वसूली, अपने स्टाफ को किये गये आवंटनों के आधार पर की है केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वसूल किये गये किराये की दर एफ आर 45-ए के साथ पठित एस आर 317-बी-5 के प्रावधानों के अनुरूप है।

(छ) जांच रिपोर्ट में, भविष्य में ऐसी घटना से बचने के उपाय सुझाये गये हैं। तथापि, मामला न्यायधीन है।

(ज) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग स्टाफ को सरकारी वास आवंटित करने के जिम्मेवार सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए सिफारिश की है।

विवरण

सिफारिशों का सार

(i) 1975 से आगे गिराने के लिये सौंपे गये क्वार्टरों बावत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा गिराने की एक सुस्पष्ट अनुसूची तैयार की जाये (जो मंत्रालय द्वारा पहले ही 3.8.95 तक मांगी गई थी लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई) और गिराने की कार्यवाही 30.6.95 तक पूरी की जाये।

(ii) इस कार्यवाही से खाली कराई गई भूमि, एम पी डी-2001 में "मनोरंजनात्मक हरित" के रूप में निर्धारित भूमि को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा गिराने की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात् 6 महीने के भीतर हरित स्थल के रूप में विकसित किया जाये।

(iii) निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुये शेष भूमि पर रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण किया जाना चाहिये। इससे शेष भूमि का पुनर्विकास के लिये तैयार रहने तक समुचित उपायों द्वारा सुरक्षा की जाये।

(iv) मरम्मत योग्य तथा वापस किये जाने वाले क्वार्टरों बाबत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग शीघ्र ही इन्हें साधारण, मध्यम तथा प्रमुख की श्रेणी में विभक्त करें और सभी भावी मामलों में मरम्मत पूरी करने तथा सम्पदा निदेशालय की वापसी के लिये 3,5 और 7 माह की समय-सीमा निर्धारित करें।

(v) फील्ड अफसरों के साथ कड़ी जबाव देही करती जाए ताकि वे कानून अपने हाथ में लेकर इन क्वार्टरों को अपने अफसरों को आवंटित न कर सकें, जो एक प्रकार से विश्वास-भंग है, साथ ही, अतिक्रमण को मूक दर्शक बन कर न देखते रहें।

[हिन्दी]

रेल सेवा का विस्तार

258. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुम्बई वी.टी. और करजत के बीच चलने वाली स्थानीय रेलगाड़ियों का पुणे तक विस्तार करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, हां।

(ख) जांच की गई थी परन्तु परिचालनि एवं तकनीकी कारणों की वजह से व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

रेलवे भूमि का अतिक्रमण

259. श्री मोहन रावले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलवे जोनों में रेल लाइनों के दोनों ओर अत्यधिक अतिक्रमण हो रहा है जिससे सामान्य रेल सेवायें प्रभावित हो रही हैं और दुर्घटनाओं की दर में भी वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अतिक्रमण वाली भूमि का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन अतिक्रमणों को हटाने के लिये क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) रेल समपारों पर उन्नत प्रौद्योगिकी के क्या उपाय किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) श्रीमान् कुछ स्थानों पर रेलवे भूमि पर अतिक्रमण से रेल परिचालन पर प्रभाव पड़ रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) रेलपथ के साथ-साथ संरक्षा जोन में लगभग 3060 ऐसी झोपड़ियां मौजूद हैं जिनसे 321.81 कि.मी. मार्ग में रेल परिचालन पर प्रभाव पड़ रहा है।

(घ) रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए सार्वजनिक स्थान बेदखली अधिनियम, 1971 के अंतर्गत निरंतर कार्रवाई की जाती है, इनमें से अधिकांश मामलों में राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल तैनात करने संबंधी सहायता अनिवार्य हो जाती है। तथापि यह सहायता सामान्यतः प्रदान नहीं की जाती है।

(ङ) रेल समपारों पर प्रौद्योगिकी के ग्रेडोन्नयन के लिए किए गए उपाय इस प्रकार है : (i) बेहतर संरक्षा के लिए फाटक का अतपाशन (ii) लिफ्टिंग बैरियर की व्यवस्था ताकि फाटक शीघ्रता से खुल सके और बन्द हो सके (iii) संरक्षा में सुधार करने के लिए बिना चौकीदार वाले समपारों पर दृश्य-श्रव्य अलार्म संस्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए मैसर्स भारत इलेक्ट्रानिक्स लि. द्वारा निर्मित दो दृश्य-श्रव्य अलार्म सेटों का परीक्षण किया जा रहा है। यदि ये सेट परीक्षण में सफल पाए जाते हैं तो इन्हें कार्यक्रमबद्ध आधार पर बिना चौकीदार वाले अन्य समपारों पर लगाया जाएगा।

[हिन्दी]

गुजरात में चमड़ा उद्योग

260. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में आज की तिथि के अनुसार चमड़े की वस्तुओं का निर्माण करने वाले कितने एकक चल रहे हैं और ये एकक कहां-कहां स्थित है;

(ख) क्या सरकार गुजरात में चमड़ा उद्योग के विकास हेतु कोई योजना तैयार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह योजना कब तक तैयार हो जाएगी; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान चमड़ा उद्योग का राज्यवार वार्षिक उत्पादन कितना-कितना रहा?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). राज्य सरकार द्वारा इदार (जिला-साबरकांथा) में एक सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में एक चमड़ा विकास कॉम्प्लैक्स की स्थापना किये जाने का भी प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने प्रस्तावित चमड़ा काम्प्लैक्स के लिए भूमि अधिग्रहण और अन्य सबंद्ध खर्चों के लिए 25 लाख रुपये दिये हैं। चमड़ा कांम्प्लैक्स की स्थापना संबंधी परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने का कार्य केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (के.च.अ.सं.) मद्रास को सौंपा गया है।

(घ) चमड़ा उद्योग मुख्य रूप से असंगठित लघु/कुटीर क्षेत्रों में होने के कारण इसके उत्पादन संबंधी ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

विवरण

31.12.95 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में चमड़े की वस्तुओं का विनिर्माण करने वाले एककों का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	लघु उद्योग एककों की संख्या	मझौले और बड़े एककों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	348	–	–
2.	अमरेली	19	–	–
3.	बनसकथा	30	–	–
4.	भरूच	106	–	–
5.	भावनगर	44	–	–
6	डांगस	–	–	–

1	2	3	4	5
7.	गांधीनगर	21		-
8.	जामनगर	44		-
9.	जूनागढ़	21		-
10.	खेड़ा	92		-
11.	कच्छ	15	-	-
12.	महसाना	91	-	-
13.	पंचमहलस	157	1	उत्पादन कर रहे हैं।
14.	राजकोट	295		-
15.	साबरकंथा	96	-	
16.	सूरत	42	1	क्रियान्वयनाधीन है
17.	सुरेन्द्रनगर	21	1	क्रियान्वयनाधीन है
18.	वदोदरा	53	4	3 उत्पादन कर रहे हैं। क्रियान्वयनाधीन है
19.	वलसाद	17		-
	योग	1512	7	-

[अनुवाद]

पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम

261. श्री हरि सिंह चावड़ा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के किन-किन जिलों को पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गयी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि का वास्तव में उपयोग किया गया; और

(घ) इससे क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) खेड़ा, डांगस, अहमदाबाद, भुज-कच्छ, जूनागढ़, सूरत, सुरेन्द्रनगर साबरकांता, भारूच, वडोदरा, अमरेली, जामनगर, महसाना, राजकोट, पंचमहल, वलसड, बांसकांथा गांधी नगर तथा भावनगर गुजरात के इन सभी 19 जिलों को संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

(ख) और (ग). संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्षवार तथा राज्यवार आवंटन नहीं किए जाते हैं। जिला विशेष प्रस्तावों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत किया जाता है। ये जिला विशेष प्रस्ताव, जिला विशेष द्वारा संपूर्ण साक्षरता अभियान आरम्भ करने की तत्परता तथा राज्य सरकार की सिफारिश पर आधारित होते हैं। तथापि, गुजरात राज्य में संपूर्ण साक्षरता अभियानों के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1992 से 1252.00 लाख रुपए की राशि केन्द्र के हिस्से के रूप में जारी की गई है। यह अनुदान राशि, परियोजनावार संस्वीकृत की गई है, वर्षवार नहीं। ये परियोजनाएं एक से तीन वर्ष की अवधि तक चलती हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर ही वास्तविक व्यय का पता लगेगा।

(घ) राज्य सरकार से प्राप्त नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 9 से 35 आयु वर्ग के 30.19 लाख निरक्षरों को साक्षर बनाया जा चुका है।

रेल लाइन का दोहरीकरण

262. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या **प्रधान मंत्री** 21 मार्च, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1211 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा क्विलोन और त्रिवेन्द्रम के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए रेलवे को भूमि सौंप दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक हुई प्रगति की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) कार्य की गति की तेज करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख). परियोजना के लिए अपेक्षित 25 हैक्टेयर भूमि में से राज्य सरकार द्वारा अभी तक 5.07 हेक्टेयर भूमि ही उपलब्ध कराई गई है। भूमि अधिग्रहण के संबंध में प्रगति 22 प्रतिशत है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है तथा कार्य की प्रगति इसी पर निर्भर करेगी। तब तक मुख्य पुलों, ऊपरी सड़क पुलों जैसी लम्बी अवधि की मदों से संबंधित कार्य शुरू किए जा रहे हैं। तिरूवनन्तपुरम तथा कणकुट्टम के बीच, जहां राज्य सरकार द्वारा भूमि पहले ही उपलब्ध करा दी गई है, संरचना में मिट्टी संबंधी कार्य शुरू किया गया है।

कश्मीरी उग्रवादियों के साथ वार्ता

263. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री ए. इन्द्रकरण रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीरी उग्रवादियों के दृष्टिकोण में ऐसा कोई बदलाव आया है कि वे अब केन्द्र सरकार के साथ पाकिस्तान को शामिल किये बगैर बातचीत करने के लिए तैयार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). कश्मीर के मुद्दे का समाधान निकालने में मदद करने हेतु सरकार के साथ बातचीत करने के बारे में कुछेक उग्रवादी नेताओं की पेशकश के बारे में प्रकाशित समाचार की सरकार को जानकारी है।

(ग) सरकार लगातार यह बात कहती रही है कि राज्य में एक माहौल बनाने और सुधरी हुई स्थिति को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से सरकार विभिन्न व्यक्तियों और ग्रुपों के साथ बातचीत और विचार-विमर्श करने के लिए हमेशा तत्पर है ताकि शांति और सामान्य स्थिति बहाल हो सके और यथाशीघ्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाकर एक लोकतांत्रिक एवं चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार लाई जा सके। सरकार इस नीति पर चलती रहेगी और उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने प्रयास जारी रखेगी तथा इस संबंध में इन प्रयासों में कोई ढील नहीं आएगी।

[हिन्दी]

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

264. श्री प्रेम चन्द राम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मुगलसराय-पटना-हावड़ा रेल लाइन के विद्युतीकरण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) मुगलसराय-पटना-सीतारामपुर खण्ड का विद्युतीकरण एक अनुमोदित कार्य है जिसका निष्पादन किया जा रहा है। इस खण्ड का कुछ भाग पहले से विद्युतीकृत है तथा यह कार्य उचित गति से आगे बढ़ रहा है। सीतारामपुर-हावड़ा खण्ड को बहुत पहले ही विद्युतीकृत किया जा चुका है।

(ख) और (ग). सीतारामपुर-पटना-मुगलसराय खण्ड का विद्युतीकरण मार्च, 1999 तक पूरा किए जाने की योजना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

विमान का लापता होना

265. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के एक "सी हेरियर" विमान को गोवा के पास अरब महासागर के ऊपर सामान्य रात्रि उड़ान अभ्यास करते समय लापता होने की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसकी जांच के कोई आदेश दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) यह वायुयान 7 फरवरी, 1996 को डबोलियम, गोवा से सामान्य रात्रि उड़ान अभ्यास के लिए उड़ाया गया था। जब यह वायुयान हवाई अड्डे पर वापस नहीं आया तो तुरंत ही नौसेना के पोतों और वायुयानों ने उसकी खोज शुरू कर दी। वायुयान के मलबे और पायलट के बारे में अब तक कोई पता नहीं चला है।

(ग) जी, हां। इस संबंध में जांच करने के लिए एक जांच बोर्ड बिठाने के आदेश दे दिए गए हैं।

(घ) बोर्ड की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) उड़ान सुरक्षा के लिए नियमित रूप से सभी संभावित उपाय किए जाते हैं। इस संबंध में आगे की कार्रवाई जांच बोर्ड की सिफारिशों पर निर्भर करेगी।

मुकुन्द नगर क्वार्टर्स, पूणे की बिक्री

266. श्री अन्ना जोशी : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिद्धान्त रूप में पुणे स्थित मुकुन्द नगर क्वार्टरों को जहां हे, जैसा है, आधार पर क्वार्टर के कब्जाधारियों को बेचने के लिए तैयार हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्राथमिकता आधार पर 1961 के पनसेट बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों की समस्या का निदान करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) से (घ). जी, नहीं। सरकार, मुकुन्द नगर के क्वार्टरों को केवल मूल दखलकारों/बाढ़ पीड़ित कर्मचारियों को बेचने के लिए सहमत हुई थी। तथापि, अन्य लोगों से और अभ्यावेदन प्राप्त होने पर यह मामला विचाराधीन है और मामले को निपटाये जाने के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जा रहा है।

[हिन्दी]

रेल पटरी

267. श्री सत्यदेव सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे में पुरानी रेल पटरियों को बदलने पर कितनी राशि खर्च हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) 1995-96 में आमान परिवर्तन के लिए कितनी राशि मंजूर की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलों पर पुराने रेलपथों के बदलाव के संबंध में पिछले तीन वर्ष में खर्च की गई राशि (सकल) इस प्रकार है :

वर्ष	उत्तर रुपए (करोड़)	पूर्वोत्तर रुपए (करोड़)
1992-93	204.65	34.39
1993-94	189.55	41.20
1994-95	194.01	53.41
	588.21	129.00

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर रेल, पूर्वोत्तर रेल और भारतीय रेलों पर मीटर लाइनों के बड़ी लाइनों में बदलने पर खर्च की गई राशि (सकल) इस प्रकार है :

वर्ष	उत्तर रुपए (करोड़)	पूर्वोत्तर रुपए (करोड़)	भारतीय रेलें रुपए (करोड़)
1992-93	151.62	68.11	693.92
1993-94	239.16	84.19	999.51
1994-95	195.05	128.49	1263.55
जोड़	585.83	280.79	2956.98

(ग) उत्तर रेल, पूर्वोत्तर रेल तथा भारतीय रेलों के लिए 1995-96 के दौरान आमान परिवर्तन हेतु की गई बजट व्यवस्था का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	उत्तर रुपए (करोड़)	पूर्वोत्तर रुपए (करोड़)	भारतीय रेले रुपए (करोड़)
1995-96	22.50	71.17	873.00 + 265 बोल्ट

हाथरस किला और दिल्ली के बीच नई रेलगाड़ी शुरू करना

268. डा. लाल बहादुर रावल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथरस किला स्टेशन और नई दिल्ली के बीच नई रेलगाड़ी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किया जाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो क्या अलीगढ़ तक चलने वाली ई.एम.यू. को हाथरस किला तक बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा नीति का कार्यान्वयन

269. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने 1986 की शिक्षा नीति के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त नीति के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावों में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे और इन प्रस्तावों को ठीक प्रकार से लागू भी किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संपूर्ण रूप से शिक्षा के विकास के लिए दिशा-निर्देश हेतु विस्तृत कार्य ढांचे तथा इसके विभिन्न प्रस्तावों के आयोजन कार्यान्वयन तथा निधियन हेतु विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपे जाने संबंधी कार्य योजना का प्रावधान किया गया है। कार्य ढांचा अभी भी प्रासंगिक है। तथापि, कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव और अन्य गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1990-92 के दौरान आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति समीक्षा समिति तथा श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति द्वारा वर्तमान नीति की समीक्षा की गई। तदनुसार, संशोधित नीति सूत्रों तथा संशोधित कार्य योजना, 1992 को क्रमशः 7 मई, 1992 तथा 19 अगस्त, 1992 को सभा पटल पर रख दिया गया था।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय नगर तथा ग्राम योजनाकार कांग्रेस

270. **श्री राम नाईक :** क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1996 में भारतीय ग्राम योजनाकार संस्थान इन्स्टीच्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स आफ इंडिया द्वारा नई दिल्ली में आयोजित की गई 44वीं वार्षिक "राष्ट्रीय नगर तथा ग्राम योजनाकार कांग्रेस" के प्रतिनिधियों द्वारा मानी गई सिफारिशों की जानकारी है;

(ख) क्या इस सम्मेलन ने शहरी तथा ग्रामीण विकास योजनाएं बनाने तथा लागू करने में नागरिकों तथा गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो इस भागीदारी की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा नागरिकों तथा गैर-सरकारी संगठनों की पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) विभिन्न नगर नियोजन तथा विकास अधिनियमों के तहत नियोजन तथा विकास प्रक्रिया में जनता की भागीदारी का प्रावधान है। 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा प्रारम्भिक स्तर पर नियोजन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी हेतु स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं।

(घ) गैर सरकारी संगठनों सहित जनता की पूरी भागीदारी से शहरी विकास योजनाएं तैयार करने में राज्य सरकारों मदद देने के लिए भारतीय नगर नियोजन संस्थान का एक अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है ताकि शहरी विकास योजना के दिशा-निर्देश तैयार किये जा सकें। इस अध्ययन की फाइनल रिपोर्ट जून, 1996 तक उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

प्रथम श्रेणी के डिब्बे

271. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्सप्रेस गाड़ियों में प्रथम श्रेणी के डिब्बे धीरे-धीरे हटाए जा रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति क्या है और ऐसे डिब्बों के स्थान पर किस श्रेणी के डिब्बे लगाए जा रहे हैं;

(ग) किस वर्ष तक प्रथम श्रेणी के डिब्बों की सुविधा बनाई रखी जाएगी; और

(घ) यात्रियों में 3 टियर ए.सी. डिब्बों को लोकप्रियता के संबंध में सरकार का अनुभव क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, हां।

(ख) पहले दर्जे के नए सवारी डिब्बों का निर्माण नहीं किया जा रहा है और इसलिए पुराने डिब्बों के नाकारा होने पर इन्हें धीरे-धीरे सेवा से हटाया जा रहा है। इनके स्थान पर औचित्य और उपलब्धता के आधार पर वातानुकूल-2 शयनयान, वातानुकूल-3 टियर शयनयान और दूसरे दर्जे के शयनयानों की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) कुछ सवारी डिब्बों के आयु एवं दशा के आधार पर कुछ और समय तक सेवा में बने रहने की संभावना है।

(घ) इन्हें बहुत लोकप्रिय पाया गया है।

"भेल" द्वारा डी.पी.एल. विद्युत संयंत्रों का नवीकरण

272. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को साइमन्स भारत के सहयोग से पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (डीपीएल) विद्युत संयंत्रों के नवीकरण के कार्य के संबंध में ठेका दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अन्य बातों के अलावा "भेल" साइमन्स भारत द्वारा किए जाने वाले इस कार्य की शर्तों को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "भेल" तथा साइमन्स भारत ने भारत में संयुक्त रूप से कार्य करने के संबंध में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा भारत में और परस्पर सम्मत अन्य देशों में फॉसिल ईंधन विद्युत संयंत्रों का "संयंत्र कार्यनिष्पादन सुधार" करने के लिए भारत में एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने की संभावना का पता लगाने के लिए सीमन्स ए.जी., जर्मनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

[अनुवाद]

देय धनराशि को माफ करना

273. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :**
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अति विशिष्ट व्यक्तियों और अन्य द्वारा सरकारी आवासों पर अनधिकृत कब्जा रखने के लिए उनके द्वारा देय दांडिक गृह कर की धनराशि माफ कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो अति विशिष्ट व्यक्तियों और अन्य द्वारा सरकारी आवासों पर अनधिकृत कब्जा रखने के लिए उनके द्वारा देय दांडिक गृह कर की कितनी धनराशि पिछले पांच वर्षों में माफ कर दी गई है तथा उनके नाम क्या है;

(ग) इसके क्या कारण है; और

(घ) उन अति विशिष्ट व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने सरकारी आवासों पर अभी भी अनधिकृत कब्जा किया हुआ है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) से (ग). दखलकार से पेनल किराया उसकी अधिकृत वास अवधि समाप्त होते ही लगना शुरू हो जाता है। जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी दखल अवधि में वृद्धि करता है और बढ़ाई हुई अवधि के लिए वसूल किया जाने वाला किराया भी तय करता है उन मामलों में नियमितिकरण के आधार पर पहले से आंकी गई देय राशि में तदनुसार संशोधन किया जाता है।

ऐसे मामलों का विवरण संलग्न है जिनमे वर्ष 1991 से 95 के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय में संशोधन के कारण बकाया राशि में संशोधन करना पड़ा है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

विवरण

क्र.सं.	नाम तथा क्वार्टर नं.	अवधि	नियमितिकरण से पहले बकाया राशि (रुपये में)	मंत्रिमंडल आवास समिति के निर्णय के बाद	अन्तर (रुपये में)	प्राप्त भुगतान (रुपये में)
1.	आर.के. खण्डेवाल 48, लोधी स्टेट	1.04.88 से 8.7.89	84.274	9,116	75,158	
2.	आर. वेंकटनारायण 17, लोधी स्टेट	9.12.90 से 7.11.91	1,18,845	37,364	81,481	28,902
3.	सी.एस. द्विवेदी, सी-11/115 मोतीबाग	21.10.90 से 31.01.92	1,05,753	7,034	98,719	2,000
4.	आर.के. शर्मा, सी-11/113 डा. जाकिर हुसैन मार्ग	26.8.87 से 18.11.88	21,761	3,989	17,852	2,435
5.	शिरोमणि शर्मा, एबी-83 शाजहां मार्ग	17.6.89 से 28.12.89	28,447	4,233	24,214	3,500
6.	राजा मणि 78, लोधी स्टेट	26.6.90 से 19.12.90	37,282	26,502	10,780	26,502
7.	श्रीमती एस. लक्ष्मी शास्त्री, के-2-2	28.1.91 से 27.7.91	92,196	5,022	87,174	5,022
	(एमएस) आर.के.पुरम	28.7.91 से 27.1.92				
8.	एच.एम. सिंह, सी-1/29 पंडारा पार्क	19.12.89 से 3.1.91	51,854	4,944	46,910	3,710
9.	डा. जी.एस. ढिल्लों, सी-1/11	19.7.90 से 17.7.91	61,740	44,425	17,315	
	पडारा पार्क	18.7.91 से 23.3.92	99,258	15.928	83,334	60,353
10.	आनंद स्वरूप, एबी-1 डा. जाकिर हुसैन मार्ग	19.5.87 से 18.6.90	1,86,071	1,46,808	39,263	1,46,808

क्र.सं.	नाम तथा क्वार्टर नं. सर्व/श्री	सरकारी निर्णय की तारीख	अधिक प्रवास की अवधि	नियमितिकरण से पूर्व देय राशि	नियमितिकरण के बाद देय राशि	अन्तर	की गई वसूली
1	2	3	4	5	6	7	8
1992							
1.	एस.पी. शुक्ला ओ.एस.डी. केबिनेट सचिवालय, एबी-86 शाहजाह रोड	21.7.92	01.07.92 से 31.8.92	19,710.0	1,860.00	17,850.00	1,860.00
2.	वी.के. नाम्बियार राजदूत, काबुल, डी-1 80, भारती नगर	21.7.92	1.2.91 से 10.01.93	1,46,394.00	18,961.00	1,27.433	4,920.00
3.	एस.पी.श्रीवास्तव कलैक्टर, कस्टमर डस-11/41 काकानगर	21.7.92	1.6.90 से 30.11.91	71,298.00	6,962.00	64,276.00	शून्य
4.	एस.वी. अय्यर, डी.जी. के.ईको. आई.बी. सी-11/9 मोतीबाग	21.7.92	1.1.92 से 31.10.92	76,350.00	3,950.00	72,400.00	3,950.00
5.	डा. जे.पी. सिंह 51, लोधी स्टेट	21.7.92	1.2.89 से 26.10.89	77,174.00	8,100.00	69,074.00	2,400.00
6.	के.के. माथुर मुख्य सचिव, गोवा बी-6-2(एम.एस) एस-13 आर.के.पुरम	21.7.92	3.5.83 से 2.11.83	5,400.00	1,993.00	3,407.00	1,993.00
7.	तेजेन्द्र खन्ना मुख्य सचिव सी-1/39 पंडारा पार्क	21.7.92	14.3.91 से 31.5.92	1,20,968.00	11,340.00	1,09.628.00	11,340.00
8.	स्व. सुरेन्द्र नाथ राज्यपाल, पंजाब 68, लोधी स्टेट	21.7.92	7.8.91 से 09.08.94	4,52,024.00	87,064.00	3,64,960.00	87,064.00
9.	आर. नारायणस्वामी मुख्य सचिव, अरुणाचल डी-11/330 पंडारा रोड	21.7.92	20.7.87 से 31.12.87	13,306.00	4,476.00	8,830.00	4,476.00
10.	एच.के.एल. भगत पूर्व सांसद 34, पृथ्वीराज रोड	21.7.92 से 12.12.94	2.6.91 से 31.1.95	23,33,365.00	7,59,989.00	15,73,376.00	1,73.773.00
11.	एस.वी.सुब्रमणि अध्यक्ष आइ. डब्लू.ए. आइ.डी-1/61 सत्य मार्ग	21.7.92	29.1.90 से 28.1.93	1,97,154.00	49,032.00	1,48,122.00	49,032.00

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	श्रीमती अकबर जहां पूर्व सांसद 9, सफदरजंग लेन	21.7.92	27.12.89 से 26.12.94	8,05,921.00	27,619.00	7,78,302.00	27,619.00
13.	जे.सी.लिन, अध्यक्ष एफ.सी.आई. सी.-11/65 मोतीबाग	21.7.92	19.2.91 से 22.12.92	1,95,291.00	42,512.00	1,52,779.00	42,512.00
14.	श्रीमती एस सत्यभामा सी.एम.डी.रा.बि.नि. डी-1/73 भारती नगर	21.7.92	1.7.90 से 3.8.91	63,352.00	23,885.00	36,467.00	23,885.00
15.	वजाहत हबीबुल्ला डी-1/69 रविन्द्र नगर	21.7.92	11.10.91 से 30.6.92	58,564.00	2,621.00	55,943.00	324.00
16.	डा. वीएस. अरुणाचलम वैज्ञानिक सलाहकार रक्षा मंत्री के 82 लोधी स्टेट	21.7.92	1.6.92 से 16.10.94	3,76,753.00	13,632.00	3,63,121.00	13,632.00
17.	जी. वेंकटरमन आई.ए.एस., 3/2 एम.एस. शाहजहांरोड	17.9.92	16.7.90 से 2.1.91	18,511.00	4,587.00	13,924.00	4,582.00
18.	बी.के.एस. सिन्हा आर.एस. डी-1 117 रविन्द्र नगर	17.9.92	6.11.89 से 15.4.91	56,202.00	6,070.00	50,132.00	2,100.00
19.	वी.यू. ईराडी सदस्य, कर सुधार सं. डी-1/62 भारती नगर	17.9.92	1.1.92 से 14.5.92	25,494.00	2,510.00	22,984.00	2,510.00
20.	एस.वी. शिरोही डी.आई.जी.बी.एस.एफ. डी-11/5/4 ऐन्ड्रूजगंज	17.9.92	17.5.91 से 5.5.92	56,246.00	3,260.00	52,986.00	3,260.00
21.	प्रदीप कुमार जैन, पुत्र स्व. श्री जनेन्द्र कुमार जैन डी-1/35, भारतीनगर	17.9.92	24.12.88 से 31.12.92	2,20,946.00	73,662.00	1,47,284.00	48,172.00
22.	मुफ्ती मो. सईद 10 अकबर रोड	17.9.92	13.4.91 से 28.11.91	1,74,569.00	66,115.00	1,08,454.00	66,000.00
23.	आर.सी. विकल एम.पी. 5 डूपले रोड	17.9.92	2.5.90 से 6.7.90	38,135.00	23,173.00	14,962.00	12,096.00
24.	एस. के. मोंगा. ए.पी.एस. उद्योग मंत्री 12/236 लोधी कालोनी	17.9.92	17.8.90 से 20.6.91	14,991.00	676.00	14,315.00	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एस. मुखोपाध्याय डी.जी.रा.अका. नशाखोरी, राजस्व, और सीमा शुल्क डी-8-1, एम.एस. फ्लैट एस. 13 आर.के.पुरम	26.2.93	29.2.92 से 31.5.92	19,196.00	2,218.00	16,978.00	शून्य
2.	एम.सी. गुप्ता सदस्य सचिव 10वां वित्त आयोग सी-11/31 तिलक लेन	26.2.93	17.12.91 से 23.3.92	22,326.00	2,178.00	20,148.00	शून्य
3.	जी.पी. दुबे आइ.जी.पी.(ओ.पी.एस.) सी.आर.पी.एफ.डी-11/ एम-2791 नेताजी नगर	26.2.93	20.6.91 से 2.8.92	75,773.00	7,414.00	68,359.00	6,506.00
4.	नवल किशोर शर्मा पूर्व सांसद, बगला नं.03. कृष्णन मेनेन मार्ग	26.2.93	27.12.89 से 2.1.90	21,315.00	17,972.00	3,343.00	3,391.00
5.	स्व.डा.जी. एस. ढिल्लों, पूर्वस्पीकर (रा.स.) 3-टीआर मार्ग	26.2.93	27.12.89 से 29.7.90	1,38,177.00	43,256.00	94,921.00	2,438.00
6.	सैयद मीर कासिम, फ्रीडम फाइटर ए-21/87, लोधी कालोनी,	26.2.93	15.5.90 से 11.6.90	2,133.00	138.00	1,995.00	138.00
7.	स्व. श्री सी.पी.एन. सिंह, पूर्व सांसद 2-अकबर रोड,	26.2.93	26.1.90 से 19.3.90	39,296.00	10,411.00	28,885.00	410.00
8.	श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, पूर्व मंत्री एबी-96 शाहजहां रोड,	26.2 93	14.3.88 से 14.3.89	78,009.00	41,230.00	36,779.00	शून्य
9.	श्रीमती अमरजीतकौर विधवा स्व. श्री भाई सामिन्द सिंह, पूर्व सांसद बी-2, बी.के.मार्ग	26.2.93	8.8.91 से 7.8.93	2,07,153.00	77,468.00	1,29,685.00	77,468.00
10.	श्रीमती पामेला सिंह पूर्व सलाहकार आति. डी-1/55, भारती नगर	26.2.93	1.1.92 से 30.4.93	1,09,792.00	4,608.00	1,05,184.00	4,608.00
11.	आर.एल. प्रदीप अपर सचिव सी-1/10, पंडारा पार्क।	26.2.93	16.9.90 से 17.1.91	54,576.00	7,989.00	46,587.00	7,989.00

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	जे.एस. उप्पल आयुक्त, पशुपालन तथा डेरी विभाग, डी. 1/72 एंड पी आर.डी.1/30 चाणक्यपुरी	3.5.93	1.8.87 से 28.11.88	48,724.00	13,687.00	35,037.00	13,687.00
13.	ए.जे. एलेक्स, वरिष्ठ सलाहकार राज्यपाल, नागालैंड डी. 1/193, भारती नगर	3.5.93	1.8.90 से 2.7.92	1,22,891.00	11,671.00	1,11,222.00	11,671.00
14.	न्यायमूर्ति श्री आर. सी.पाठक, भारत का उच्चतम न्यायालय 15, तुगलक रोड	3.5.93	30.6.92 से 2.7.92	322.00	शून्य	322.00	शून्य
15.	न्यायमूर्ति श्री एम.के. चावला, दिल्ली उच्च न्यायालय 18-अशोक रोड	3.5.93	5.8.90 से 30.01.91	1,86,865.00	8,605.00	1,78,260.00	8,605.00
16.	डा. टी.एन.खुशू वैज्ञानिक ए-वी. 81, शाहजहां रोड	7.7.93	15.1.91 से 29.2.92	63,298.00	19,338.00	43,960.00	19,338.00
17.	आर.सी.जैन, पूर्व सचिव, सी-2/81 मोती बाग	7.7.93	1.10.91 से 30.1.93	2,23,177.00	44,074.00	1,79,103.00	18,670.00
18.	स्व. एम.ए. बालासुब्रमनयम संयुक्त निदेशक, एस.एस. बी. निदेशालय डी-11/299, विनय मार्ग	7.7.93	3.3.91 से 30.9.93	1,78,324	21,009.00	1,57,315.00	2,592.00
19.	लोक पति त्रिपाठी सुपुत्र स्व. श्री कमला पति त्रिपाठी 9-जनपथ	7.7.93	7.11.90 से 14.10.91	4,13,826.00	51,010.00	3,62,816.00	शून्य
20.	स्व. श्री मो. अमीन अंसारी का परिवार 12-गुरूद्वारा रकाबगंज रोड	7.7.93	14.9.90 से 22.1.91	21,336.00	5,460.00	15,876.00	शून्य
21.	एच.पी.सिंह 21-सी, बीएसएफ पंजाब ए-730, कर्जन रोड होस्टल	7.7.93	31.10.92 से 31.10.95	2,23,010.00	29,709.00	1,93,301.00	29,709.00
22.	सुधीर शर्मा निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय डी-11/44. पंडारा रोड	7.7.93	1.1.92 से 9.9.92	45.332.00	6,095.00	39,237.00	6,095.00
23.	डा. श्रीमती बी. करोली 9-गुरूद्वारा रकाबगंज रोड	7.7.93	1.6.92 से 31.5.95	7,20,122.00	14,680.00	7,05,442.00	14,680.00

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	डा. श्रीमती रेणुका के. निगम ए-2, बी.के.एस.मार्ग	7.7.93	7.7.93 से 31.10.95	1,85,272.00	8,742.00	1,76,530.00	8,742.00
25.	बी.के. शर्मा महानिरीक्षक, सीआरपीएफ, ए-5/3, एम.एस.एस.-13, रा.कृ.पुरम्	7.9.93	जुलाई 92 से 31.12.93	1,20,501.00	10,722.00	1,09,779,00	10,722.00
26.	उर्मिलेश झा, स्वतंत्रता सेनानी 508-ए,से.-3, टाइप-IV आर.के. पुरम्	7.9.93	7.9.88 से 30.11.95	2,64,895.00	1,32,269.00	1,32,626.00	15,707.00
27.	स्व. श्री रामजी लाल अधीक्षक अभियंता कोलोनिवि 24/ए, एम.बी.रोड	7.9.93	3.11.91 से 31.12.92	49,851.00	9,166.00	40,685.00	शून्य
28.	कौशल कुमार पूर्व उपाध्यक्ष, कैट जोधपुर सी 1/35, पंडारा पार्क	7.9.93	6.9.89 से 4.11.89	7,600.00	1,140.00	6,660.00	1,140.00
29.	पूर्व सांसद 15-फिरोजशाह रोड	7.9.93	27.12.89 से 10.5.90	40,309.00	8,403.00	31,906.00	8,403.00
30.	बी. भट्टाचार्यजी संयुक्त सचिव ए-7-3, एमएस, आर.के. पुरम्	22.12.93	13.6.89 से 30.4.95	2,24,408.00	23,975.00	2,00,433.00	23,975.00
31.	वी.एस.जफा, सलाहकार 18 फाइर्नेस कालोनी डी-1/57, सत्य मार्ग	22.12.93	1.7.92 से	2,39,922.00	20,709.00	2,19,213.00	20,209.00
32.	बी.के. गोस्वामी सलाहकार उ.प्र. राज्यपाल, सी-11/ 45, बापा नगर	22.12.93	1.2.93 से 4.1.94	95,344.00	3,888.00	91,456.00	3,888.00
33.	ओ.पी. टंडन, राजस्थान राज्यपाल के सलाहकार सी-11, तिलक मार्ग	22.12.93	16.12.92	1,26,341.00	5,117.00	1,21,224.00	5,117.00
34.	स्व. श्री दिनेश गोस्वामी, पूर्व मंत्री, 11 रेश कोर्स रोड	22.12.93	10.12.90 से 14.8.91	61,858.00	शून्य	61,858.00	शून्य
35.	श्रीमति तनकम्मा, स्टीफेन पूर्व सदस्य अल्पसंख्यक आयोग, सी-1/32, पंडारा पार्क	22.12.93	30.9.90 से 20.12.90	10,714.00	1,607.00	9,107.00	1,607.00
36.	श्री आई के बंठाकुर परामर्शदाता, आर्थिक कार्य विभाग सी 1/38, पंडारा पार्क	22.12.93	1.5.93 से 30.4.94	1,15,320.00	4,940.00	1,10,380.00	4,940.00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री के.एन. राव, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, 21-बी टेलीग्राफ लेन	10.2.94	1.7.91 से 3.1.94	1,66,175	1,66,175	-	-
2.	श्रीमती वी.एस. रामादेवी अवेतनिक सलाहकार राष्ट्रीय महिला आयोग, एबी/93, शाहजहां रोड	10.2.94	1.10.92 से 30.6.93	98,121.00	4,185.00	93,936.00	4,185.00
3.	स्व. श्री दिनेश सिंह पूर्व मंत्री 1-त्यागराज मार्ग	10.2.94	20.1.91 से 16.1.93	7,88,903.00	75,003.00	7,13,900.00	75,003.00
4.	पी.एस.बावा पुलिस महानिदेशक सिक्किम डी-1/85, रबिन्द्र नगर	28.3.94	17.9.93 से 31.10.95	1,96,838.00	11,623.00	1,85,215.00	11,623.00
5.	आर.सी. जैन पूर्व सलाहकार, राज्यपाल, जम्मू व कश्मीर सी-11/81, मोती बाग	28.3.94	1.2.93 से 12.6.93	38,910.00	1,738.00	37,132.00	1,738.00
6.	आर.के. सईद अल्पसंख्यक भाषा आयुक्त, सी-11/24, तिलक लैन	28.3.94	1.1.90 से 3.4.91	18,176.00	4,128.00	14,048.00	4,128.00
7.	पी. शिवशंकर पूर्व सांसद, राज्य सभा 2-विलिंगटन क्रीसेंट	28.3.94	13.9.93 से 12.12.93	2,03,696.00	4,860.00	1,98,836.00	4,860.00
8.	के.जे.एस.चतरथ रेजीडेंट्स आयुक्त, उड़ीसा डी-11/1, शाहजहां रोड	28.3.94	1.1.88 से 9.10.88	25,813.00	4,320.00	21,493.00	शून्य
9.	दलजीत सिंह, पूर्व उपमहानिरीक्षक, बीएसएफ, क्यू-2-1, रा.कृ.पुरम	7.6.94	1.7.92 से 31.3.94	1,11,506.00	20,851.00	90,655.00	शून्य
10.	भीम सिंह, पूर्व विधायक जम्मू व कश्मीर अध्यक्ष, पैंथर पार्टी	7.6.94	2.4.93 से 2.10.94	47,332.00	14,181.00	33,151.00	5,683.00
	स्यूट नं.4, क्र.स.42 वी.पी. हाउस	7.6.94	1.1.92 से 18.2.92	17,161.00	1,280.00	15,881.00	1,280.00

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	के.के. पुरी, 10–बी, राजाजी मार्ग	7.6.94	1.3.87 से 24.6.88	19,339.00	4,296.00	15,043.00	4,296.00
12.	सुश्री सरोज खापड़े सांसद राज्य.सभा 98–100 साउथ एवेन्यू	7.6.94	12.5.86 से 1.1.90	62,669.00	10,101.00	52,568.00	शून्य
13.	के. किपजेन, संयुक्त सचिव सी–1/18, पंडारा पार्क	7.6.94	1.3.87 से 24.6.88	19,339.00	42,96.00	15,043.00	4,296.00
14.	ए.आर. बंधोपध्यय पूर्व अपर सचिव डी 1/208, चाणक्यपुरी	7.6.94	1.12.93 31.12.93	8,002.00	596.00	7,466.00	596.00
15.	वी.जी. वैद निदेशक, आई.बी. 9, तुगलक रोड	7.6.94	15.4.94 से 26.8.94	11,388.00	5,694.00	5,69.00	शून्य
16.	आर.के. गुप्ता, पूर्व संयुक्त सचिव, कानूनी सलाहकार, 5–बी, टे. गरफथ लेन	26.8.94	1.5.91 से 30.5.91	5,008.00	420.00	4588.00	शून्य
17.	अरविंद मौर्या, उप सचिव आर्थिक कार्य मंत्रालय डी–11 काका नगर	26.8.94	24.8.91 से 11.12.92	1,99,199.00	22,402.00	77,797.00	
18.	श्रीमती आर.के. बाजपेयी पूर्व मंत्री, 6. अशोक रोड	26.8.94	20.6.91 से 11.11.92	4,87,183.00	88,445.00	4,01,738.00	85,445.00
19.	आर.के. थावनी, डीजीआई केन्दीय राजस्व और उत्पाद ई–48, हैदराबाद स्टेट, बम्बई	26.8.94	19.1.94 से 18.5.94	61,967.00	3,042.00	58,925.00	3,042.00
20.	लालखना महानिदेशक (सीए पीएआरटी (सी–1/8 लोधी का. कालोनी	26.8.94	18.8.92 से 21.12.93	1,56,769.00	6,485.00	1,50,284.00	6,485.00
21.	श्रीमती रणवीर कौर दिल्लो विधवा श्रीजीएस दिल्लो स्पीकर(लोक सभा) सी–1/2, पंडारा पार्क	26.8.94	25.7.94 से 31.10.95	4,78,143.00	84,654.00	3,93,489.00	72,870.00
22.	बंसत साठे, 2–कृष्ण मेनन मार्ग	12.12.94	20.6.94 से 4.2.93	7,76,475.00	78,576.00	6,94,899.00	78,576.00
23.	आर. श्रीकुमार ए–332 प्रगति विहार होस्टल	12.12.94	10.10.92 से 31.7.93	26.749.00	3.796.00	22,953.00	शून्य
24.	डा. (श्रीमती) कपिला बात्सयन, डी–1/23 सत्य मार्ग,	12.12.94	1.4.93 से 31.10.95	2,37,320.00	67,692.00	1,69,628.00	39,300.00

1	2	3	4	5	6	7	8
1995							
1.	राम मोहन राव, सूचना सलाहकार जम्मू और कश्मीर सरकार डी-1/133, सत्यमार्ग।	24.2.95	1.6.92 से 31.10.95	3,31,944.00	25,660.00	3,06,284.00	25,660.00
2.	जेड.आर.अंसारी, पूर्व मंत्री 9-अकबर रोड	24.2.95	1.4.73 से 15.2.90	97,766.00	शून्य	97,786.00	शून्य
3.	श्रीमती मोहिसना किदवई पूर्व मंत्री 12, जनपथ	24.2.95	2.1.90 से 28.3.90	51,303.00	शून्य	51,303.00	शून्य
4.	वी. नरसिंहमन स्था. अपर सचिव, सी-11/48, तिलक मार्ग	24.2.95	3.4.93 से 15.4.93	3,169.00	291.00	2,878.00	शून्य
5.	बी.एन.सोम, अपरपो. मा. जनरल-1, डी-11/2 शाहजहां रोड	24.2.95	1.8.88 से 1.6.89	29,097.00	5,210.00	23,887.00	1,229.00
6.	एल. मिश्रा महानिदेशक (कैपाट) सी-11/35, मोतीबाग	24.2.95	6.1.94 से 31.11.95	88,398.00	28,906.00	59,492.00	28,906.00
7.	न्या. महेशचन्द्र एवी-10 पुराना किला रोड,	24.2.95	1.11.91 से 31.10.95	6,18,090.00	67,888.00	5,50,202.00	शून्य
8.	श्रीमती कृष्णा साही मंत्री, 7 तीन मूर्ति मार्ग	24.2.95	2.1.90 से 28.3.90	14,214.00	5,808.00	8,406.00	3,273.00
9.	एम.एम. हाशिम, सांसद (रा.स.) एवी.-19, तिलक मार्ग	24.2.95	8.4.91 से 31.10.95	75,793.00	49,793.00	26,000.00	49,793.00
10.	आर.के. भार्गव, सचिव, सु.व.प्र.एवी-88, शाहजहां रोड	24.2.95	1.7.94 से 7.1.95	70,575.00	19,991.00	50,584.00	शून्य
11.	एन.एस. चौधरी, डीजी बीआईएस सी1/20, हुमायूं रोड,	10.5.95	23.12.93 से 22.12.95	2,44,769.00	63,982.00	1,80,787.00	63,982.00
12.	नाजिमुस साहिब डी11/306	10.5.95	11.7.93 से	1,68,153.00	8,782.00	1,59,371.00	6,666.00
13.	डा. एन.पी. सिंह, 147, नार्थ ऐवन्यू,	10.5.95	1.12.89 से 31.10.95	4,14,428.00	1,06,535.00	3,07,893.00	58,442.00
14.	जी.वी.जी. कृष्णामूर्ति पूर्व सदस्य सचिव, विधि आयोग, 9-वी, डा. जेडएच मार्ग	10.5.95	1.8.93 से 30.9.93	24,894.00	1,956.00	22,938.00	1,956.00
15.	ईएन. राममोहन महानिरीक्षक, बीएसएफ, वी-11/वी/11, लोधी रोड परिसर	10.5.95	4.12.92 से 18.2.93	120,12.00	972.00	11,040.00	972.00

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	के.एम. जोशीपूरा संयुक्त निदेशक डीजीओए, सी-8 तिलक लेन	10.5.95	1.12.93 से 1.8.94	61,494.00	21,156.00	40,338.00	8,828.00
17.	श्रीमती वैजंतीमाला वाली सांसद (रा.स.) 76-लोधी एस्टेट	10.5.95	20.6.91 से 28.8.93	4,55,606.00	1,19,095.00	3,36,511.00	39,134.00
18.	न्या.बी.एन. कृपाल पूर्व न्या. दि.उ.न्या. 37-औरंगजेब रोड,	10.5.95	13.1.94 से 4.3.94	42,437.00	2,432.00	40,005.00	शून्य
19.	आर.एन.मिर्धा, सांसद 17, सफदरजंग रोड,	10.5.95	2.1.90 से 25.3.90	15,316.00	3,720.00	11,596.00	3,720.00
20.	जीतेन्द्र प्रसाद, सांसद 60, लोधी एस्टेट	10.5.95	27.12.89 से 26.8.90	78.498.00	34.809.00	43,689.00	34,809.00
21.	एस.काननगो, 83, शाहजहां रोड	10.5.95	1.12.94 से 18.7.95	95,146.00	7,899.00	87,247.00	6,857.00
22.	एम.सी. नरसिंहमन, स.स. सी-11/10, तिलक मार्ग।	10.5.95	1.5.87 से 20.5.89	35,060.00	9,794.00	25,266.00	शून्य
23.	एस.एच.खान, उपयुक्त म.प्र. सरकार, ई-11/87, एजीवी काम्पलेक्स,	10.5.95	5.4.94 30.6.95	1,13,237.00	22,247.00	90,990.00	14,280.00
24.	देवेन्द्र नाथ द्विवेदी ए.एस.जी. 1-बी, मौलाना आजाद रोड	6.10.95	3.3.95 से 31.3.96	3,30,627.00	17,933.00	3,12,694.00	शून्य
25.	पं. रवि शंकर, कलाकार 95, लोदी एस्टेट,	6.10.95	11.6.92 से 31.10.95	5,10,448.00	16,623.00	4,93,825.00	13,125.00
26.	ओम मेहता 30, पृथ्वीराज रोड,	6.10.95	12.3.95 से 31.10.95	3,57,794.00	7,867.00	3,49,927.00	शून्य
27.	बी.एन.पाण्डेय पूर्व सांसद (यू.एस.) 1, लोदी एस्टेट	6.10.95	24.12.94 से 31.10.95	1,67,060.00	5,016.00	1,62,044.00	शून्य
28.	मोहम्मद युनूस, पूर्व सांसद (आर.एस.) 1, तुगलक रोड	6.10.95	14.7.95 से 31.10.95	1,49,438.00	3,684.00	1,45,754.00	शून्य
29.	एम.के. हंडू, सेवा नि. अवर सचिव, बी-32, नानकपुरा	6.10.95	1.4.94 से 6.10.95	56,803.00	2,875.00	53,928.00	2,979.00
30.	देवकी नंदन पाण्डेय 19, लक्ष्मीबाई नगर	6.10.95	6.12.92 से 3.2.94	35,602.00	5,417.00	30,185.00	4,808.00

कश्मीर का मुद्दा

274. डा. मुमताज अंसारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर घाटी में स्थिति की समीक्षा करने के लिए जून, 1995 के दौरान जम्मू और कश्मीर में उनकी अध्यक्षता में कोई उच्च स्तरीय बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई, क्या सुझाव दिये गये तथा क्या सिफारिशें की गई; और

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं। श्रीमान।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

275. श्री सूर्य नारायण यादव :
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दरभंगा-निर्मली रेल लाइन और दरभंगा-सीतामढ़ी-रक्सौल सैक्शन के आमान परिवर्तन का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख). इन आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण करने का निर्णय किया गया है। परियोजना के बारे में आगे विचार करना सर्वेक्षण पूरा हो जाने के पश्चात संभव होगा।

रोहिणी में भूखंडों का आवंटन

276. श्री बी.एल. शर्मा प्रेम : क्या शहरी कार्य रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी संख्या में अल्प आय समूह के लोगों ने रोहिणी में भू-खण्डों/फ्लैट के लिए आवेदन किया था जिन्हें 15 वर्ष के बाद तक भी भू-खण्ड नहीं मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा शीघ्रतिशीघ्र ऐसे लोगों को भू-खण्ड/फ्लैट दिलाने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) और (ख). दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि रोहिणी आवासीय स्कीम 1981 के तहत 38105 लोगों ने एल.आई.जी. प्लाटों के आवंटन के लिए अपने नाम पंजीकृत कराए थे, जिनमें से अभी तक 17109 लोगों को प्लाट आबंटित किए जा चुके हैं तथा 595 लोगों ने अपना पंजीकरण रद्द करवा दिया है। अब 20401 लोग प्रतीक्षा सूची में है।

(ग) पर्याप्त भूमि, अवस्थापना, निधियां आदि की उपलब्धता पर सभी शेष पंजीकृतों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्लाट दिए जाने की दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजना है।

क्षेत्रीय रेल यात्री सलाहकार समिति

277. श्री लाल बाबू राय :
श्री खेलन राम जांगडे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में एक क्षेत्रीय रेल यात्री सलाहकार समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम तथा पते क्या हैं;

(ग) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संसद सदस्यों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रक्षा संबंधी तैयारियां

278. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पाकिस्तान सेना भारत के विरूद्ध भारी तोपों के प्रयोग की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). पाकिस्तान ने सियाचिन और कुछ अन्य क्षेत्रों में कभी कभार आर्टिलरी फायर किए हैं। ऐसे सभी फायरों का भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा समुचित जवाब दिया जाता है। इस प्रकार की सभी आकस्मिक घटनाओं का सामना करने के लिए हमारे सैन्य बल पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और सज्जित हैं।

त्रिचूर रेलवे स्टेशन में सुधार

279. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में त्रिचूर रेलवे स्टेशन में सुधार के लिए तथा माल के मालगोदाम की उन्नत तथा भण्डारण की बेहतर सुविधा से युक्त बनाने के लिए कई एजेंसियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, हां।

(ख) त्रिचूर में स्टेशन इमारत के ढांचे में परिवर्तन तथा उसको सुंदर बनाने, परिचलन क्षेत्र और बुकिंग सुविधाओं में सुधार तथा एक नये पार्सल कार्यालय की व्यवस्था से संबंधित कार्य 60 लाख रुपए की कुल लागत पर शुरू किए गए हैं। त्रिचूर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर पर एक नये माल शेड का निर्माण भी 15.72 लाख रुपए की लागत पर शुरू किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उर्दू को प्रोत्साहन देना

280. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995 के दौरान गठित उर्दू प्रोमोशन काउंसिल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा इन सिफारिशों के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई) : राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नति परिषद (नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन आफॅ उर्दू लैंग्युएज) का गठन उर्दू भाषा का विकास करने, उसे प्रोन्नत करने तथा उसके प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया है। परिषद ने अभी तक सरकार को कोई सिफारिश नहीं की है।

प्रौद्योगिकी निधि

281. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग को वैज्ञानिक अनुसंधान उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी निधि की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका किस प्रकार संचालन किया जाता है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 स्वदेशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक अनुप्रयोग का प्रयास करने वाले या वृहत्तर घरेलू अनुप्रयोगों वाले आयातित प्रौद्योगिकी का अभ्यंतरीकरण करने वाले औद्योगिक उपक्रमों तथा अन्य एजेंसियों को इक्विटी पूंजी अथवा कोई अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग निधि की स्थापना की बात करता है। निधि के द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास अथवा व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए आयातित प्रौद्योगिकी के अभ्यंतरीकरण में संलग्न अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है। निधि का परिचालन बोर्ड द्वारा अधिनियम के मुताबिक किया जायेगा।

स्टेडियमों का नवीकरण

282. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खेलों को ध्यान में रखते हुए मैसूर स्थित स्टेडियम का निर्माण और नवीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन स्टेडियमों पर अभी तक कितनी राशि खर्च की गई है तथा कार्य को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(घ) राज्य सरकार को अभी तक कितनी राशि जारी की गई है; और

(ङ) इन स्टेडियमों का निर्माण और नवीकरण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, चामुण्डी विहार खेल परिसर और साहूकार चन्नैया कुश्ती स्टेडियम,

मैसूर में कार्य की नौ मदों के निर्माण/नवीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अब तक इन स्टेडियमों पर 3.87 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है।

(घ) राष्ट्रीय खेलों के संबंध में, मैसूर में स्टेडियमों के निर्माण और नवीकरण कार्य के लिए राज्य सरकार को अभी तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

(ङ) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि चामुण्डी विहार खेल परिसर और साहूकार चन्नैया कुश्ती स्टेडियम, मैसूर में निर्माण/नवीकरण कार्य जून, 1996 के अंत तक पूरा होने की संभावना है।

विवरण

मैसूर में चतुर्थ राष्ट्रीय खेलों के लिए आरंभ किए गए कार्य का ब्यौरा

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	अब तक किया गया व्यय (रु. लाखों में)	सिविल कार्यों के पूरा होने की संभावित तारीख	अभ्युक्तियां
1.	मैसूर में 3000 व्यक्तियों की क्षमता वाले इंडोर स्टेडियम का निर्माण	610.00	310.00	जून, 96	70% सिविल कार्य पूरा हो गया है।
2.	श्री साहूकार चन्नैया कुश्ती स्टेडियम, मैसूर में शौचालय का निर्माण	10.90	9.89	कार्य पूरा हो गया है।	
3.	मैसूर में श्री साहूकार चन्नैया कुश्ती स्टेडियम में गैलरी का निर्माण	18.80	17.38	कार्य पूरा हो गया है।	
4.	श्री साहूकार चन्नैया कुश्ती स्टेडियम, मैसूर में वर्तमान बैठने की व्यवस्था में सुधार करना, श्रृंखला-बद्ध फेंसिंग तथा प्रवेश द्वारा उपलब्ध कराना	8.60	11.27	कार्य पूरा हो गया है।	
5.	चामुंडी विहार खेल परिसर, मैसूर में स्टेडियम पेवेलियन बिल्डिंग जी.एफ. तथा एफ.एफ. में सुधार करना	13.80	7.98	कार्य पूरा हो गया है।	
6.	चामुंडी विहार खेल परिसर, मैसूर में पुरूषों के लिए शयनागार भवन का निर्माण	15.80	12.36	कार्य पूरा हो गया है।	
7.	चामुंडी विहार खेल परिसर, मैसूर में महिलाओं के लिए शयनागार भवन का निर्माण	14.00	11.90	कार्य पूरा हो गया है।	
8.	चामुंडी विहार खेल परिसर के सामने सड़क का निर्माण करना तथा कंकरीट बिछाना और बांध में सुधार करना	9.20	6.23	कार्य पूरा हो गया है।	
9.	चामुंडी विहार खेल परिसर, मैसूर में संक्षुब्ध जल की निकासी के लिए पक्की नाल का निर्माण।	11.50	–	कार्य शुरू किया जाना है।	

[हिन्दी]

"हुडको" द्वारा ऋण

283. श्री एन.जे. राठवा : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "हुडको" द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान देश के, विशेषतः गुजरात के पिछड़े/ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में व्यक्तियों और सहकारी समितियों को ऋण की कुल कितनी धनराशि दी गई;

(ख) फ्लैटों आदि के निर्माण के लिए व्यक्तियों को आवंटित ऋण का श्रेणी वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के पिछड़े/ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में उक्त उद्देश्य से "हुडको" के माध्यम से अधिक ऋण/धन स्वीकृत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) और (ख). हुडको आवास कार्य के लिए व्यक्तियों को धन नहीं देता। तथापि, हुडको देश के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों की सहकारी आवास समितियों से प्राप्त आवास योजनाओं के लिए धन देता रहा है। 31.1.96 तक उन्होंने सहकारी सेक्टर की कुल 740 योजनाओं को मंजूरी दी है जिनमें पिछड़े/ग्रामीण/जन-जातीय क्षेत्रों सहित पूरे देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 579780 रिहायशी मकानों तथा 5508 अन्य मकानों के निर्माण बाबत 690.85 करोड़ रुपये की ऋण सहायता का विचार है।

जहां तक गुजरात राज्य की बात है, गत तीन वर्षों अर्थात् 1992-93 से 1994-95 के दौरान सहकारी समितियों को मंजूर किये गये ऋण के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	योजनाओं की सं.	मंजूर ऋण (रु. करोड़ में)	मंजूर रिहायशी/ अन्य मकान
1992-93	11	10.86	2335
1993-94	-	-	
1994-95	1	1.60	177

(ग) और (घ). हुडको सहकारी सेक्टर को योजनाओं पर अपने दिशा निर्देशों के अनुसार तथा राज्य के समुचे धन नियतन/उपलब्धता के तहत मंजूरी हेतु विचार करता है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ी का शुरू किया जाना

284. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग पर सुपरफास्ट गाड़ी अथवा शताब्दी एक्सप्रेस चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उत्पादों की कीमतें

285. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के लाइसेंस शुदा विक्रेताओं द्वारा रेल यात्रियों से अधिक धनराशि वसूल की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मंडलवार ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या रेलवे और उसके विक्रेताओं द्वारा बेची गई वस्तुओं की गुणवत्ता और मात्रा भी असंतोषजनक है;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए विक्रेता लाइसेंसों की कुछ प्रतिशतता आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख). रेल यात्रियों को आपूर्ति किए जाने वाले सभी खाद्य पदार्थों के लिए दर सूची रेलवे द्वारा निर्धारित की जाती है। दर सूची अनिवार्य है तथा यह सभी विक्रेताओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जब कभी अधिक धनराशि वसूलने की शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी जांच की जाती है, तथा उपयुक्त निवारक कार्रवाई की जाती है। पिछले तीन वर्षों में ऐसी शिकायतों का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

विवरण

रेलवे	शिकायतों की संख्या
मध्य	51
पूर्व	01
उत्तर	38
पूर्वोत्तर	-
पूर्वोत्तर सीमा	-
दक्षिण	20
दक्षिण मध्य	29
दक्षिण पूर्व	01
पश्चिम	-
जोड़	140

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पुस्तकों के प्रकाशन में विलम्ब

286. श्री मोहन रावले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणादेश निर्धारित समय के बाद दिए

गए हैं, जिसके कारण आगामी शैक्षणिक सत्र के दौरान पुस्तकों की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद शैक्षिक सत्र 1996-97 के लिए मुद्रण कार्यक्रम में कुछ पीछे है।

(ख) मुद्रण दरों को अंतिम रूप देने तथा खुली निविदा के माध्यम से कागज प्राप्त करने की प्रक्रिया में कुछ समय लग गया जिसके कारण सामान्य मुद्रण कार्यक्रम में आंशिक रूप में गड़बड़ी हुई।

(ग) पुस्तकों के पहले उपलब्ध स्टाक का उपयोग करके तथा उच्च प्राथमिकता आधार पर पाठ्य-पुस्तकों की छपाई में तेजी लाकर, परिषद को आशा है कि वह आगामी शैक्षिक सत्र के दौरान पाठ्यपुस्तकों की मांगों को पूरा कर सकेगी और कमियों को दूर कर सकेगी।

[हिन्दी]

गुजरात में स्वरोजगार योजना

287. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कुछ क्षेत्रों में शहरी निर्धनों के लिए कोई स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इससे गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रवार कुल कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और 1995-96 के लिए इस हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) इस कार्यक्रम के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित और वितरित की गई है; और

(घ) 1994-95 और 1995-96 में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए और इनमें से कितने आवेदन स्वीकृत किए गए?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) गुजरात में शहरी निर्धनों के लिए केन्द्र-प्रवर्तित दो स्व-रोजगार कार्यक्रम नामतः नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) की शहरी लघु उद्यम योजना (सूमे) और प्रधान मंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी एम आई-यू पी ई वी) कार्यान्वित किए जा रहे हैं। शहरी लघु उद्यम योजना अक्टूबर, 1989 से लागू है जबकि प्रधान मंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नवंबर, 1995 में ही आरंभ किया गया है।

(ख) शहरी लघु उद्यम योजना (सूमे) का राज्य स्तर पर प्रबोधन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है और इसका क्षेत्र-वार/कस्बा अथवा नगर-वार प्रबोधन नहीं किया जाता। पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या तथा वर्ष 1995-96 के लिए निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार है :

वर्ष	सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या एन आर वाई	पी एम आई यू पी ई जी
1992-93	4,765	–
1993-94	2,630	–
1994-95	1,663	–
1995-96 (लक्ष्य)	4,397	3663

प्रधान मंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी एम आई यू पी ई पी) गुजरात के श्रेणी-II के 27 (सत्ताईस) शहरी कस्बों में लागू किया जाएगा।

(ग) शहरी लघु उद्यम योजना (सूमे) के लिए, पिछले तीन वर्षों अर्थात 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के दौरान 298.65 लाख रुपये के नियतन की तुलना में 149.32 लाख रु. की केन्द्रीय सब्सिडी और प्रशिक्षण निधियां रिलीज की गई।

(घ) केन्द्र स्तर पर ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है।

रेल लाइनें

288. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार रेलवे के कुल राजस्व में लगभग 16 प्रतिशत राजस्व का योगदान करता है परन्तु बिहार में समानुपातिक ढंग से रेल लाइनों का विस्तार नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या बिहार के पलामू जिले में बरवाडीह तथा मध्य प्रदेश के चिरमिरी के बीच रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) रेलवे नेटवर्क का विस्तार यातायात की आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शुरू किया जाता है न कि राज्यवार राजस्व के आधार पर प्राप्त किए जाने वाले राजस्व का ब्यौरा राज्य-वार नहीं रखा जाता है। तथापि, बिहार में 100 वर्ग कि.मी. क्षेत्र फल में 3.04 मार्ग कि.मी. मौजूद है जबकि राष्ट्रीय औसत प्रति 100 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में 1.90 मार्ग कि.मी. है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वरकला अंडरब्रिज

289. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरकला अंडरब्रिज में वास्तव में कार्य आरंभ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितना कार्य पूरा किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो कार्य आरंभ न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ङ). वरकाला और अकतुमुरी (कोल्लम में) के बीच कि.मी. 179/13-14 पर स्थित मौजूदा समपार के बदले निचले सड़क पुल के निर्माण कार्य को रेलों के 1996-97 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए अनुमोदित किया गया है। संसद द्वारा 1996-97 का रेल बजट पारित कर दिए जाने के बाद यह कार्य स्वीकृत समझा जाएगा। कार्य शुरू करने के लिए कार्रवाई उसके बाद की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा पहुंच-मार्गों का कार्य पूरा कर लेने के साथ-साथ रेलवे भी पुल खास पर अपने हिस्से का कार्य पूरा करेगी।

[अनुवाद]

सरकारी आवासों का विनियमन

290. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में एक रेलवे कर्मचारी की याचिका पर दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकारी आवास के विनियमन हेतु सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों द्वारा अपने आश्रितों का नामनिर्देशित करने संबंधी नियमों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक इसे लागू किए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) से (ग). ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

प्रतीक्षा कक्ष

291. श्री सत्यदेव सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोंडा जंक्शन में प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित श्रेणी के यात्रियों के लिए विद्यमान वर्तमान प्रतिक्षा कक्षों का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) श्रीमन्, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण

292. श्री सूर्य नारायण यादव :
श्री प्रेम चन्दराम :

क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की अल्फा, बीटा और गामा सोसाइटी योजनाओं में आवंटियों की तुलना में आवेदकों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) योजनावार आज तक कितने व्यक्तियों ने अपने भू-खण्डों (प्लाट) का कब्जा ले लिया है;

(ग) कितने व्यक्ति अभी भी भूखंडों (प्लाट) का कब्जा लेने हेतु प्रतिक्षारत है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि प्राधिकरण द्वारा ऐसे अधिकार पत्र जारी किये गये थे जिनमें कतिपय विसंगतियां थी;

(ङ) यदि हां, तो क्या प्राधिकारण द्वारा नये और संशोधित अधिकार पत्र जारी कर दिये गये हैं;

(च) यदि हां, तो किस तारीख को ये पत्र जारी किये गये; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया) : ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण से प्राप्त ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

(क)

स्कीम	आवंटियों की संख्या
एल्फा	3527
बीटा	3203
गामा	2285
सहकारी समिति स्कीम	2526

(ख) स्कीम	उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने कब्जा ले लिया है,
एल्फा	560
बीटा	267
गामा	शून्य
सहकारी समिति स्कीम	शून्य

(ग) और (घ). प्रक्रिया के अनुसार, आबंटी द्वारा पट्टा करार करने के बाद आबंटी को पत्र जारी करके कब्जा लेने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। जब आबंटी यह पत्र लेकर आता है, उसे वास्तविक कब्जा दे दिया जाता है और तदुपरान्त उसे "कब्जा प्रमाण पत्र" जारी कर दिया जाता है।

निम्नलिखित आबंटियों को कब्जा नहीं दिया गया है :-

स्कीम	व्यक्तियों की संख्या
एल्फा	57
बीटा	29
गामा	शून्य
सहकारी समिति स्कीम	शून्य

86 मामलों में से 85 व्यक्ति कब्जा लेने नहीं आए। एक मामले में पट्टे और कब्जा पत्र में पायी गई असंगति के कारण कब्जा नहीं दिया जा सका; आबंटी से संशोधित पट्टा अभिलेख निष्पादित करने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) से (छ). संशोधित पट्टा अभिलेख निष्पादित करने के लिए आबंटी अबतक नहीं आया है संशोधित पट्टा अभिलेख निष्पादित करने के बाद नये तथा संशोधित कब्जा पत्र जारी किए जायेंगे।

कालोनियों को मंजूरी देना

293. श्री बी.एल. शर्मा प्रेम : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में गैर मंजूरी प्राप्त कालोनियों की कुल संख्या, क्या है जिनको मंजूरी देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने सिफारिश की है;

(ख) इनमें से कितनी कालोनियां मंजूरी दिए जाने हेतु विचाराधीन हैं;

(ग) ऐसी मंजूरी प्रदान करने संबंधी समयावधि क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी कालोनियों में प्रदान की जाने वाली नागरिक सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) 1071 (31.3.1993)

(ख) और (ग). कॉमन कॉज रजि. सोसाइटी बनाम संघ सरकार व अन्य सिविल रिट याचिका सं. 4771/93 नामक एक न्यायिक मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित है। दिल्ली उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बैंच ने 13.10.93 को आदेश पारित किया जिसमें प्रतिवादियों को अगले आदेशों तक दिल्ली में किसी भी अवैध कालोनी को नियमित करने के लिए आगे कोई निर्णय लेने अथवा कोई कार्रवाई करने पर रोक लगाई है। इस प्रकार यह मामला न्यायाधीन है।

(घ) जहां तक जन-सुविधाओं का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 31.3.1993 तक विद्यमान सभी कालोनियों को पानी और बिजली के कनेक्सन मुहैया कराने का निर्णय लिया है बशर्ते कि लाभार्थियों द्वारा नियमानुसार सभी ऐसी औपचारिकताएं और अपेक्षाएं, जो ऐसी सुविधाएं प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक हैं, पूरी कर ली हों।

दिल्ली में मलिन बस्तियां

294. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 दिसंबर, 1995 के "स्टेटसमैन" में प्रकाशित "एवरी सिक्सथ डेल्हाइट्स लिव्स इन ए झुग्गी" शीर्षक प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में मलिन बस्तियों में तेजी से वृद्धि हो रही हैं;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली में झुग्गियों/मलिन बस्तियों द्वारा कुल कितने भू-क्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया है; और

(घ) उनका अधिक सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास करने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) इस बारे में कोई व्यापक सर्वे नहीं किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुसार, दिल्ली में करीब 1080 झुग्गी समूह हैं जिनमें करीब 20 लाख झुग्गी बासियों के लगभग 4.80 लाख झुग्गी परिवार है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सूचना के अनुसार दिल्ली में 1951 से 1994 तक झुग्गियों की संख्या में वृद्धि के ब्यौरे संलग्न विवरण के अनुसार हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद, भूमि तथा विकास कार्यालय, रेलवे तथा रक्षा मंत्रालय के

नियंत्रण वाली भूमि पर झुग्गी वासियों द्वारा मोटे रूप में अनुमानित क्षेत्र इस प्रकार हैं :-

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण — 186.69 हैक्टेयर
(ii) दिल्ली नगर निगम — 14.05 हैक्टेयर
(iii) नई दिल्ली नगर परिषद — 1 हैक्टेयर
(iv) भूमि तथा विकास कार्यालय — 33.131 हैक्टेयर
(v) रेलवे — 360.3 हैक्टेयर
(vi) रक्षा — 9.273 हैक्टेयर

(घ) स्लमों/झुग्गी वासियों की जीवन यापन परिस्थितियों में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित तीहरी कार्य नीति अपनाई जा रही है :-

(i) सरकारी परियोजना के लिए तत्काल जरूरी भूमि से पात्र झुग्गी वासियों की अन्यत्र बसाव/पुनर्वास;

(ii) ऐसी भूमि पर स्थित झुग्गी समूहों में बुनियादी नागरिक सेवाओं का प्रावधान जो सरकारी परियोजनाओं के लिए निर्धारित है परन्तु जिसकी कार्यान्वयन हेतु तत्काल जरूरत न हो; और

(iii) ऐसी सरकारी भूमि जो न तो किसी परियोजना के लिए निर्धारित है और न ही जिसकी निकट भविष्य में जरूरत है, पर स्थित निर्धारित झुग्गी झोपड़ी समुहों का भूमि स्वामी एजेन्सियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर उसी स्थान पर सुधार।

विवरण

दिल्ली में झुग्गियों की संख्या में वृद्धि

वर्ष	झुग्गियों की संख्या
1951	12,800
1956	22,400
1961	42,800
1966	42,700
1971	62,600
1973	88,500
1977	20,000
1981	90,700
1983	1,13,400
1985	1,50,000
1986	2,00,000
1987	2,25,000
1990	2,59,300
1994	4,80,900

जम्मू और कश्मीर में मुठभेड़ की घटनाएं

295. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995 के दौरान उग्रवादियों तथा सुरक्षा बलों के बीच सशस्त्र मुठभेड़ की कितनी घटनाएं हुई;

(ख) इन मुठभेड़ों में मारे गए उग्रवादियों, सुरक्षाकर्मियों तथा नागरिकों की सख्या कितनी है;

(ग) 1995 के दौरान कितने उग्रवादी नजरबंद किये गये तथा 31 दिसम्बर, 1995 तक नजरबंद उग्रवादियों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) 1995 के दौरान कितने उग्रवादियों पर मुकदमा चलाया गया तथा 31 दिसम्बर, 1995 तक उग्रवादियों के विरूद्ध विचाराधीन मुकदमों की कुल संख्या कितनी है;

(ङ) बगावत के दौरान क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट हुए घरों, पूजा स्थलों तथा सार्वजनिक भवनों की संख्या कितनी है तथा 1995 के दौरान ऐसे कितने स्थलों की मरम्मत अथवा उनका पुनर्निर्माण किया गया और 31 दिसम्बर, 1995 तक उनकी कुल संख्या कितनी है; और

(च) 1995-96 के दौरान बगावत तथा बगावत-रोधी कार्यवाही से प्रभावित लोगों को राहत और उनके पुनर्वास पर सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की है और प्रमुख मदों के अंतर्गत खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) वर्ष 1995 के दौरान जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच आपस में गोलीबारी की 1968 घटनाएं हुई।

(ख) इस अवधि के दौरान कुल 1332 उग्रवादी, 234 सुरक्षा बल कार्मिक और 171 नागरिक मारे गए।

(ग) 31 दिसम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार जम्मू और कश्मीर में कुल 2812 उग्रवादी निरूद्ध थे। वर्ष 1995 के दौरान 2433 उग्रवादी हिरासत में लिए गए।

(घ) 1995 के दौरान 2138 उग्रवादियों पर मुकदमा चलाया गया और 31 दिसम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार 1937 उग्रवादियों के खिलाफ मुकदमे विचाराधीन थे।

(ङ) वर्ष 1995 के दौरान विद्रोह के दौरान 1814 घरों, 262 सार्वजनिक भवनों और 38 पूजास्थलों को क्षति पहुंचाई गई/नष्ट किया गया। समेकित तदनुरूपी आंकड़े क्रमशः 8409, 2413, और 158 हैं। मरम्मत का काम स्वयं मालिकों द्वारा किया जा रहा है, जिन्हे सरकार द्वारा नियमों के अन्तर्गत अनुग्रह राहत दी जाती है।

(च) वर्ष 1995-96 (31.12.95 तक) के दौरान विद्रोह एवं विद्रोह-रोधी कार्रवाई से प्रभावित लोगों को राहत एवं पुनर्वास पर हुआ खर्च 60.43 करोड़ रुपये है।

हथियारों पर कार्यशाला

296. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अध्ययन और विश्लेषण, "द अमेरिकन एकेडमी आफ आर्ट्स एंड साइंस" और अन्य अमरीकी ग्रुपों द्वारा 21-23 अक्तूबर, 1995 को नई दिल्ली के निकट सूरजकुंड में "स्माल आर्म्स एंड लाइट वैपन्स् इम्पलीकेशन्स फार ग्लोबल कनफलिक्ट एंड सिक्योरिटी" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यशाला में की गई मुख्य टिप्पणियों और दिए गए सुझावों के साथ-साथ जिन-जिन बातों पर विचार-विमर्श किया गया, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). विज्ञान और विश्व मामलों संबंधी पुगवाश कांफ्रेन्स ने भारतीय पुगवाश सोसाइटी तथा अमरीका की एकेडमी आफॅ आर्ट्स एंड साइंसिज में स्थित यू एस पुगवाश ग्रुप के सहयोग से एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था। रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली ने भी इस कार्यशाला में सहयोग दिया।

इस कार्यशाला में निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया :-

(1) शीत-युद्धोत्तर काल में हलके शस्त्रों का प्रसार और विश्वव्यापी हिंसा।

(2) आंतरिक संघर्ष और हल्के शस्त्रों की भूमिका।

(3) हल्के शस्त्र और दक्षिण एशियाई संघर्ष।

(4) दक्षिण एशिया : मादक पदार्थों और शस्त्रों का संबंध।

(5) दक्षिणी अफ्रीका में हल्के शस्त्रों के प्रसार का समाज शास्त्रीय लेखा-जोखा।

(6) हल्के शस्त्रों के हस्तांतरण को सीमित किए जाने के लिए नीतिगत प्रस्तावों का विश्लेषण।

(7) हल्के शस्त्रों के निर्माण और उनके व्यापार संबंधी आंकड़ो का संग्रहण और उन्हें सुव्यवस्थित करना।

(8) उनके प्रसार को नियंत्रित करना।

इस कार्यशाला में व्यक्त किए गए मुख्य विचार ये हैं :-

(1) लघु और हल्के शस्त्रों के प्रसार ने पूरे विश्व में गंभीर रूप धारण कर लिया है। विशेषतः पाकिस्तान-अफगानिस्तान क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले प्रसार से बहुत बड़े क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को खतरा हो गया है, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के निकटवर्ती भारतीय भूभाग भी शामिल हैं।

(2) यह समस्या दो प्रकार की है - पहली तो वह है जो शस्त्रों के पूर्ववर्ती प्रसार से उत्पन्न हुई है और दूसरी वह है जो भविष्य में होने वाले शस्त्र-प्रसार से उत्पन्न होने वाली है।

(3) लघु और हल्के शस्त्रों के प्रसार को नियंत्रित किए जाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मिलित रूप से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

सरकार ने इस कांफ्रेंस में व्यक्त विचारों को नोट कर लिया है।

प्राथमिक शिक्षा के लिए विश्व बैंक सहायता

297. श्री एन.जे. राठवा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1995-96 के दौरान प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए विश्व बैंक से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात और अन्य राज्यों में ऐसे कौन-कौन से जिले हैं जहां उपरोक्त सहायता से प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई) : (क) और (ख). विश्व बैंक असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तथा केरल छह राज्यों के 23 जिलों में नवम्बर, 1994 में आरंभ किए गए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए सात वर्षों से ऋण के तौर पर लगभग 800 करोड़ रु. प्रदान कर रहा है। विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के 10 जिलों को शामिल करने वाली उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए लगभग 728 करोड़ रु. का दूसरा ऋण प्रदान किया है।

(ग) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत जिले निम्नवत हैं :-

असम : घुबरी, दरांग, कर्बी, एंगलांग, मोरीगॉव।

हरियाणा : कैथल, जीन्द, हिसार तथा सिरसा

महाराष्ट्र : परभनी, नान्देड़, उस्मानाबाद, औरंगाबाद तथा लातूर

कर्नाटक : रायचुर, मंड्या, कोलार तथा बेलगांव

तमिलनाडु : धर्मापुरी, थ्रिरूवन्नमिलाई, दक्षिण आर्कोट

केरल : केसी गढ़, वैनाड़ तथा मालापुरम

उत्तर प्रदेश : इलाहबाद, अलीगढ़, बांदा, इटावा, गोरखपुर, नैनीताल, पौड़ी, सहारनपुर, सीतापुर तथा वाराणसी।

नौ-सैनिक अड्डा

298. श्रीमति चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारवार में "सी-बर्ड" नामक नौ-सैनिक अड्डा परियोजना के पहले चरण को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) कब तक इसे पूरा किया जाएगा?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) 31 दिसम्बर, 1995 तक 43.91 करोड़ रुपए।

(ग) इस परियोजना का प्रथम चरण वर्ष 2005 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

सद्भावना एक्सप्रेस

299. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सद्भावना एक्सप्रेस गाड़ी का मार्ग बदलकर इसे बारास्ता बरेली चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

क्लिनिंग पाउडर की खरीद/आपूर्ति

300. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग विभाग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग उद्योग मंत्रालय के सचिव ने भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों के सभी सचिवों केवल लघु उद्योग तथा फरिशता के कैडेट द्वारा उत्पादित क्लिनिंग पाउडर खरीदने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी कार्यालयों, स्वशासी निकायों, आदि द्वारा उनके मंत्रालय के निदेशों की उपेक्षा करते हुए अभी भी हिन्दुस्तान लीवर का विम खरीदे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकारी विभागों तथा स्वशासी संगठनों में अपने निर्देशों को कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकारी विभागों को लेखा सामग्री/सफाई संबंधी सामान को बिक्री करने वाली सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार को ऐसा कोई निदेश देने का विचार है कि वे फरिशता के कैडेट जैसे लघु उद्योगों में उत्पादित क्लिनिंग पाउडर को छोड़कर किसी अन्य उद्योग से क्लिनिंग पाउडर खरीदें/आपूर्ति करें तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) वर्तमान नीति के तहत सरकारी विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए अनन्य रूप से आरक्षित मदें सिर्फ उद्योग इकाइयों से ही खरीदें। कुछ निश्चत गैर आरक्षित मदों के मामलें में लघु उद्योग इकाइयों को मूल्य/खरीद वरीयता भी दी जाती है।

(ख) सरकार को लघु उद्योग इकाइयों से इस आरोप को कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है कि कोई सरकारी विभाग किसी विशेष लघु उद्योग इकाई के दावे की उपेक्षा कर अभी भी हिन्दुस्तान लीवर के विम को खरीद रहे हैं।

(ग) और (घ). उपर्युक्त (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता। तथापि, सामान्य नीति के तौर पर केन्द्र की खरीद नीति के संबंध में पहले ही जारी किये गये निर्देश सभी संबंधितों को समय-समय पर दोहराये जाते हैं।

रेलवे फाटक

301. डा. मुमताज अंसारी : क्या **प्रधान मंत्री** 22 अगस्त, 1995 के अतरांकित प्रश्न संख्या 2628 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर रेलवे फाटक के संबंध में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की प्रतिक्रिया अब तक प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार इस मामले पर राज्य सरकार के साथ पुनः बातचीत करने का विचार कर रही है; और

(घ) उक्त सड़क उपरि पुल का कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) इस कार्य को राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रेल निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने संबंधी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा पुल के पहुंच मार्गो में कार्य शुरू करने पर रेलवे के हिस्से का कार्य शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

महासागर के विकास कार्यक्रम

302. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास महासागर विकास से संबंधित कितने प्रस्ताव विचारधीन हैं;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने भी इस संबंध में अपना कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान महासागर विकास पर कितना खर्च किया है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) कार्यान्वयन हेतु आठ प्रस्तावों पर विचार किया जाना है। सूची विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं। श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना के अन्तर्गत 110.77 करोड़ रुपये तथा गैर-योजना के अन्तर्गत 40.65 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। (ब्यौरा संलग्न विवरण-II के अनुसार)

विवरण-I

(क) महासागर विकास से संबंधित प्रस्तावों की सूची।

1. आंकड़ा के व्यापक दीर्घकालिक प्रबोधन के लिए मेट-ओशन आंकड़ा प्लव और मौसमवैज्ञानिक और समुद्रवैज्ञानिक प्राचल।
2. तट से जलयान संचार प्रणालियां - भाग-2
3. एकीकृत मत्स्य खोजी युक्त भूमण्डलीय अवस्थिति प्रणाली।
4. जैव-सक्रिय पदार्थों का पता लगाने के लिए समुद्र से औषधियां।
5. समुद्रविधि पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार महाद्वीपीय शेल्फ का चित्रण।
6. गोवा में ओशनेरियम की स्थापना।
7. महासागर विज्ञान के क्षेत्र में जनशक्ति विकास और विश्वविद्यालयों को सहायता।
8. देश के तटवर्ती जलक्षेत्रों के साथ-साथ समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए दो तटीय अनुसंधान जलयानों का निर्माण।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए वास्तविक खर्च (योजना) का विवरण
महासागर विकास विभाग

(रुपये करोड़ में)

क्र.स.	योजना का नाम	1992-93 (वास्तविक) (योजना)	1993-94 (वास्तविक) (योजना)	1994-95 (वास्तविक) (योजना)
1	2	3	4	5
1.	अंटार्कटिक अनुसंधान	14.91	13.61	12.77
2.	बहुधात्विक पिण्डिका कार्यक्रम	4.64	3.47	8.32
3.	तटीय आरदन की रोकथाम और तरंग ऊर्जा से संबंधित अध्ययन	0.40	0.24	
4.	अनुसंधान परियोजनाओं, गोष्ठियों संगोष्ठियों आदि के लिए सहायता	1.39	2.89	3.29
5.	समुद्री उपग्रह सूचना सेवा (आरक्षित)	4.10	4.38	4.51
6.	द्वीप विकास कार्यक्रम	0.95	0.86	0.05
7.	तटीय महासागर प्रबोधन एवं प्रागुक्ति प्रणाली (कोपैणा)	1.57	1.42	1.91
8.	समुद्री यंत्रीकरण	0.45	0.20	0.35
9.	एकीकृत भूमण्डल जीवमण्डल कार्यक्रम	0.72	0.19	
10.	समुद्र स्तर विभिन्नताओं का प्रबोधन एवं प्रतिरूपण	0.70	0.18	0.96
11.	गहरा समुद्र फैलाव से संबंधित एकीकृत अध्ययन	0.32	0.23	
12.	जनशक्ति प्रशिक्षण	0.05	0.14	0.07

1	2	3	4	5
13.	स्नातकोत्तर केन्द्रों के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता	0.03	0.19	
14.	राष्ट्रीय समुद्रवैज्ञानिक सूचना प्रणाली	0.15	0.98	1.09
15.	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और कार्यक्रम	0.29	1.24	0.51
16.	प्रशासनिक सहयोग एवं अवसंरचना	0.38	0.47	0.44
17.	प्रदर्शनियां एवं मेले	0.13	0.17	0.12
18.	तटीय अनुसंधान जलयान		0.35	3.56
19.	राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ओ.टी)		4.63	5.80
	कुल योग	31.18	35.84	43.75

पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए वास्तविक खर्च (गैर-योजना) का विवरण
महासागर विकास विभाग

(रुपये करोड़ में)

क्र.स.	योजना का नाम	1992-93 (वास्तविक)	1993-94 (वास्तविक)	1994-95 (वास्तविक)
1.	सचिवालय	0.51	0.60	0.60
2.	समुद्रवैज्ञानिक अनुसंधान जलयान	9.23	6.50	8.14
3.	मत्स्य एवं समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान	4.30	4.00	5.43
4.	अनुसंधान परियोजनाओं, संगोष्ठियों आदि के लिए सहायता	0.03	0.16	
5.	जनशक्ति प्रशिक्षण		0.10	
6.	प्रशासनिक सहायता	0.28	0.34	0.43
	कुल योग	14.35	11.70	14.60

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का लौटाया जाना

303. श्री सत्यदेव सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने परीक्षा फल की घोषणा के पश्चात् स्नातकोत्तर छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिका लौटाने का निर्णय लिया है ताकि छात्र प्राप्त अंकों के औचित्य की स्वयं जांच कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

यौन उत्पीड़न के संबंध में रिपोर्ट

304. श्रीमति सुशीला गोपालन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय माहिला आयोग ने बच्चों के यौन उत्पीड़न के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार बच्चों के यौन-उत्पीड़न के संबंध में कोई समग्र कानून लागू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) फरवरी, 1995 में 31-1-92 से 31-3-93 की अवधि से संबंधित रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) की गई सिफारिशों के उद्देश्यों का सार विवरण-I के रूप में संलगन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). बलात्कार के अपराध के लिए भारतीय दण्ड संहिता में कड़ी सजा का प्रावधान पहले से मौजूद है। जहां तक राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संस्तुत संशोधनों का संबंध है, इन्हे विधि आयोग के पास भेजा गया है।

(च) विलम्ब के कारणों के संबंध में एक विवरण 26 अगस्त, 1995 को सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका है। इसकी प्रति विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

बच्चों के यौन उत्पीड़न के सबंध में कानूनों में संशोधन के बारे में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का सार

राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1992 में संशोधन की सिफारिशें की है। आयोग द्वारा संस्तुत भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन में अन्य बातों के साथ-साथ कानून के निर्देशों की अवज्ञा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए दण्ड का प्रावधान, 18 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के शीलभंग के लिए अधिक सजा, धारा 376 क-376 घ तक के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए, यदि बच्चों के साथ किए गए हो, कड़ी सजा, छेड़छाड को एक अपराध मानना तथा उसके लिए सजा, शामिल है।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अपराधिक प्रक्रिया संहिता में संस्तुत सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ बलात्कार की शिकार महिलाओं की महिला अधिकारियों द्वारा जांच और महिला दण्डाधीशों द्वारा सुनवाई, बलात्कार के मामलों की बंद कमरे में सुनवाई तथा जांच कार्य को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा मामले में सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाना, शामिल है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संस्तुत संशोधन में लैंगिक मैथुन तथा बलात्कार करने तथा बलात्कार के प्रयास करने सबंधी कतिपय संकल्पना शामिल हैं।

विवरण-II

राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्ष 1992-93 की वार्षिक रिपोर्ट/ लेखा परीक्षित लेखा विवरण लेखा (वित्तीय) वर्ष की समाप्ति के पश्चात 9 माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत न किये जाने के कारण

राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली का निधीयन एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। इसलिये आयोग की 1992-93 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे वर्ष की सामप्ति के 9 माह की अवधि के भीतर अर्थात् 31 दिसम्बर, 1993 तक लोक सभा और राज्य सभा को प्रस्तुत किये जाने थे।

आयोग के लेखाओं की लेखा परीक्षा नियन्त्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 17 (क) (घ) तथा (ङ) के तहत अधिसूचित नियमों के अनुसार प्रस्तुत किया जाना होता है। इन नियमों, अर्थात् राष्ट्रीय महिला आयोग (वार्षिक लेखा विवरण और वार्षिक रिपोर्ट) नियमावली, 1995 को अन्तिम रूप देकर 10-1-1995 को अधिसूचित किया जा सका, क्योंकि उन्हें अन्तिम रूप देने से पूर्व वित्त मंत्रालय, विधि मंत्रालय, नियंत्रक एव महालेखा परीक्षक तथा राष्ट्रीय महिला आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता थी।

वार्षिक रिपोर्ट सरकार को फरवरी, 1995 में प्राप्त हुई। इसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके सिफारिशों पर कार्यवाही करके और की गयी कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट बनाने के पश्चात् ही लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर रखा जा सकता था।

[अनुवाद]

पूर्ण साक्षरता अभियान

305. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पूर्ण साक्षरता और विशेष रूप से सबके लिए प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य पूरा करने में आ रही समस्याओं पर चर्चा करने के लिए नवम्बर, 1995 में कभी राज्यों के मुख्य-मंत्रियों/शिक्षा मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बात पर क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं;

(ग) क्या देश में पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य पाने के लिए कोई नए लक्ष्य निधारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) पूर्ण साक्षरता के कार्यक्रम में तेजी लाने और इसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं। तथापि, इन राज्यों में साक्षरता अभियानों को संचालित करने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 16 नवम्बर, 1995 को नई दिल्ली में छह राज्यों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ख) इस सम्मेलन के दौरान जिन महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिया गया था, वे निम्नवत हैं :

(i) राज्य सरकारें संपूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत शामिल न किए गए जिलों को सम्मिलित करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करें।

(ii) साक्षरता अभियानों से जुड़े हुए स्वयंसेवियों की प्रेरणा को बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाएं जायें।

(iii) पंचायती राज संस्थाओं तथा साक्षरता अभियानों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किए जायें।

(iv) साक्षरता कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, डी. डब्ल्यू.सी.आर.ए. आदि जैसे अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किए जायें।

(v) राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों की स्थापना करके साक्षरता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों के अधिकारों का विकेन्द्रीकरण तथा उनका प्रत्यायोजन।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ख) में यथा प्रतिपादित।

[हिन्दी]

दरभंगा से रेलगाड़ियां

306. **श्री सूर्य नारायण यादव :**
श्री उदय प्रताप सिंह :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा से हावड़ा, नई दिल्ली, पटना तक सीधी सुपर फास्ट रेल गाड़ियां और अन्य आवश्यक रेलगाड़ियां शुरू करने का कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन रेलगाड़ियों को कब तक शुरू किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग). दरभंगा में टर्मिनल सुविधाओं का विकास संबंधी कार्य, जिसे शुरू किया जा रहा है, पूरा हो जाने पर दरभंगा से सीधी गाड़ी सेवाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

धनराशि का आबंटन

307. **श्री बी.एल. शर्मा प्रेम** : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी 5 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के परिसरीय शहरों के रेल यातायात, सड़क यातायात और विद्युत विकास के लिए अनुमानतः कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी;

(ख) उक्त परियोजनाओं के लिए जुटाई जाने वाली प्रस्तावित धनराशि किस प्रकार की होगी।

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वित्त निगम की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) आगामी 5 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेल यातायात सड़क यातायात, और विद्युत विकास (संचरण और वितरण) के लिए अपेक्षित अनुमानित धनराशि क्रमशः 3720 करोड़ रुपये, 3015 करोड़ और 625 रुपये है।

(ख) इन निधियों को राज्य और केन्द्र के मिले-जुले बजटीय स्रोत्रों से जुटाये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, प्राइवेट सेक्टर से भी निधियां जुटाये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कुपोषण

308. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "यूनिसेफ" की अद्यतन रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पांच वर्ष से कम आयु के 75 मिलियन बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो बाल विकास कार्यक्रमों को लागू करने में इस प्रकार की खामियों को दूर करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) जी, हां। यूनिसेफ की "भारतीय राज्यों की प्रगति, 1995" नामक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 75 मिलियन बच्चे कुपोषण का शिकार हैं।

(ख) चूंकि कुपोषण निर्धनता, अज्ञानता, महिलाओं की स्थिति, जनसंख्या में वृद्धि की दर तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, पर्यावरणीय स्वच्छता, साफ-सफाई, आदि जैसे कई अन्योन्याश्रित कारकों का मिश्रित परिणाम है, इसलिए इसके उन्मूलन के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। समेकित बाल विकास सेवा योजना, जिसका उद्देश्य कमजोर वर्गों, जिसमें स्कूल-पूर्व आयु के बच्चे, गर्भवती तथा शिशुवती महिलाएं भी शामिल हैं, के पोषाहारीय स्तर को सुधारना है, राष्ट्रीय कार्य योजना के अन्तर्गत 2000 ई. तक प्राप्य लक्ष्यों को प्राप्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। समेकित बाल विकास सेवा स्कीम को अब 1995-96 के दौरान सर्व-सुलभ बना दिया गया है तथा देश भर के सभी 5291 विकास खण्डों तथा 310 प्रमुख शहरी गन्दी बस्तियों को इसके अन्तर्गत कवर कर लिया गया है। समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मार्च 1992 में यह संख्या 1.66 करोड़ थी, जो दिसम्बर 1995 तक बढ़कर 2.20 करोड़ हो गई है। इसके अतिरिक्त, 3-15 वर्ष की आयुवर्ग के 2.25 लाख बच्चों को बालवाडी पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर कर लिया गया है। समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन से बच्चों के पोषाहारीय स्तर में उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित हुआ है। गम्भीर कुपोषण के शिकार बच्चों की प्रतिशतता में तेजी से गिरावट आई है। वर्ष 1976-78 के दौरान यह दर 15.3 प्रतिशत थी, जो 1988-1990 के दौरान घटकर 8.7 प्रतिशत रह गई है (राष्ट्रीय पोषाहार प्रवोधन ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़े)। इसके अतिरिक्त, समेकित बाल विकास सेवा के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केन्द्रीय तकनीकी समिति द्वारा प्रकाशित समेकित मातृ एवं बाल विकास 1975-1995 के दौरान वार्षिक सर्वेक्षण के परिणामों में भी यह दर्शाया गया है कि गैर-आई.सी.डी.एस. ब्लाकों की तुलना में आई.सी.डी.एस. के क्षेत्रों में रहने वाले गम्भीर कुपोषण के शिकार बच्चों की प्रतिशतता में तेजी से कमी हुई है।

फिरोजाबाद में दुर्घटना

309. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुरक्षा समिति ने फिरोज़ाबाद में हुई दुर्घटना के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख). जी, हां। रेल संरक्षा आयुक्त/उत्तर सर्कल ने कालिंदी एक्सप्रेस के गुजरने के पश्चात स्टार्टर सिगनल के लीवर को वापस "आन" स्थिति में (लाल रंग) करने में हुई फिरोजाबाद के पश्चिमी केबिन के स्विचमैन की विफलता तथा अगले स्टेशन से "लाइन क्लियर" लिए बिना पुरूषोत्तम एक्सप्रेस को पहले से व्यस्त लाइन पर उतार देने को इस दुर्घटना का कारण ठहराया है।

(ग) (i) निम्नलिखित कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है तथा उनके विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है :

1. स्विचमैन, पश्चिम केबिन, फिरोज़ाबाद।
2. स्टेशन मास्टर, फिरोज़ाबाद।
3. यातायात निरीक्षक, टूण्डला।

इसके अतिरिक्त चार कर्मचारियों को चार्जशीट जारी कर दी गई हैं तथा दो अधिकारियों को उनके पदों से स्थानांतरित कर दिया गया है।

(ii) फिरोजाबाद दुर्घटना के बाद संरक्षा में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :

(क) सरकार ने ट्रंक मार्गों तथा मुख्य लाइनों के सभी स्टेशनों पर उल्लंघन चिह्न से उल्लंघन चिह्न तक तथा स्टार्टर से अग्रिम स्टार्टर के बीच रेलपथ परिपथन को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का विनिश्चय किया है।

(ख) चलती गाड़ियों में स्टेशन कर्मचारी, ड्राइवर और गार्ड के बीच रेडियो आधारित संचार प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी जिससे ऐसी आकस्मिकताओं में निवारक कार्रवाई की जा सके।

(ग) रेलों से स्टार्टर सिगनल से आगे रेलपथ परिपथन की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है ताकि गाड़ी गुजर जाने के बाद स्टार्टर सिगनल लाल हो जाए।

(घ) छोटे स्टेशनों पर स्टार्टर तथा अग्रिम स्टार्टर के बीच की दूरी को कम करके 180 मीटर किया जा रहा है ताकि यदि गाड़ी अग्रिम स्टार्टर से न गुजती हो तो उसे केबिनमैन द्वारा देखा जा सके।

(ङ) सिगनल परिपथन में यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है जब तक पहले गुजरी गाड़ी के लिए स्टार्टर और अग्रिम स्टार्टर को "आन" की स्थिति में वापस न कर दिया जाए तब तक अगली गाड़ी के लिए सिगनल को नीचे न किया जा सके।

(च) इसके अलावा, सलाह देने, निरीक्षण/जांच, निगरानी आदि जैसे पहले से किये जा रहे संरक्षा उपायों में और तेजी लाई गई है।

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

310. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में भूतपूर्व सैनिकों की कुल वर्तमान संख्या, जिला-वार कितनी है;

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास हेतु गत तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार, कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास हेतु सरकार ने क्या सुविधाएं प्रदान की हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली राशि में वृद्धि करने का है; और

(ड़) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ). गुजरात में विभिन्न जिला सैनिक बोर्डों में 31 दिसम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या इस प्रकार है :

गुजरात स्थित जिला सैनिक बोर्ड	पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या
अहमदाबाद	3532
जामनगर	2756
सूरत	947
वदोदरा	1947
कुल	9182

भूतपूर्व सैनिकों के पुर्नवास का कार्य केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त दायित्व के रूप में स्वीकार किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यों के वास्ते धनराशि की व्यवस्था मुख्य रूप से राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास संबंधी विशेष निधि से होने वाली आय से की जाती है। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक और जिला सैनिक बोर्डों की स्थापना लागत की 50 प्रतिशत राशि भी वहन करते हैं। शेष 50 प्रतिशत लागत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती है।

वर्ष 1995-96 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा निधि से 12 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों की सरकारों को भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास संबंधी उनकी विशेष निधि में वृद्धि के लिए 240 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण एवं पुनर्वास उपायों के रूप में व्यापक कार्यक्रम मौजूद हैं। केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र सरकार के विभागों और राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" और "घ" पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की हुई है। अर्धसैनिक बलों में सहायक कमांडेट के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। रक्षा सुरक्षा कोर में भर्ती मुख्यतः भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त गुजरात सरकार ने राज्य सरकार के विभागों और अपने उपक्रमों में समूह "ग" और "घ" पदों में क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा पशु चिकित्सा सेवा/पशुपालन सेवा श्रेणी - I और II के 25 प्रतिशत पद भी सीधे चयन द्वारा भरे जाते हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। पुनः नौकरी प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्रीय और राज्य सरकारें आयु और शैक्षिक अर्हताओं में भी छूट प्रदान करती हैं।

भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं। ये योजनाएं हैं - सेम्फैक्स-I योजना; जिसके अंतर्गत लघु औद्योगिक परियोजनाएं लगाने के लिए वत्तीय सहायता प्रदान की जाती है; सेम्फेक्स-2 योजना जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी लाभकारी ढ़ंग से कृषि और गैर-कृषि कार्यकलाप चलाए जाते हैं; सेम्फेक्टस-3 योजना, जिस के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देकर स्वः रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों और निशक्त भूतपूर्व सैनिकों को पेट्रोलियम उत्पाद एजेंसियों के आबंटन में प्राथमिकता प्रदान की जाती है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट एजेंसियों आदि का आबंटन किया जाता है। उनकी रोजगार प्राप्त करने की योग्यता को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। भूतपूर्व सैनिक, सैन्य-अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने और निकटवर्ती सी एस डी की कैन्टीनों की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हैं। अन्य कल्याण कार्य हैं - युद्ध में मारे गए अथवा निशक्त हुए सशस्त्र सेना कार्मिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा; युद्ध में मारे गए/निशक्त हुए और डाक्टरी आधार पर सेवामुक्त किए गए सेना कार्मिकों के बच्चों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीटों का आरक्षण; कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, बाय-पास सर्जरी एवं कोरोनरी सर्जरी जैसे गम्भीर रोगों पर भूतपूर्व सैनिकों द्वारा किए गए व्यय की 60 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति; युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को रेल यात्रा और इंडियन एयरलाइन्स के विमानों द्वारा देश में की जाने वाली यात्रा में छूट। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को गृह-निर्माण/मरम्मत, चिकित्सा-उपचार, पुत्री के विवाह आदि के लिए रक्षा मंत्री को स्वैच्छिक निधि में से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वरिष्ठ नागरिकों की रियायत

311. **डा. रमेश चन्द तोमर :**
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी हाल ही में देश के वरिष्ठ नागरिकों हेतु रेल किरायों में दी जा रही रियायतों को और-अधिक उदार बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो वरिष्ठ नागरिकों को इस समय उपलब्ध रेल रियायतों का ब्यौरा क्या है तथा हाल में घोषित रियायतों का सशर्त ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "एज केयर सोसायटी" ने कुछ समय पूर्व वरिष्ठ नागरिकों हेतु इन रियायतों को उदार बनाने के लिए कोई ज्ञापन दिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड़) हाल ही में घोषित की गई रियायतें "एज केयर सोसायटी" की मांगों को किस हद तक पूरा करती है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक 500 कि. मी. और इससे अधिक की यात्रा के लिए दूसरे/शयनयान दर्जे में 25 प्रतिशत रेल रियायत के पात्र हैं। अब उपरोक्त रियायत बिना किसी दूरी प्रतिबंध के लागू कर दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) एज केयर इंडिया, एक पंजीकृत सोसाइटी ने निम्नलिखित अनुरोध किए थे :

1. रियायत को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करना।
2. इसे सभी दर्जों पर लागू करना।
3. आयु सीमा में संशोधन करके इसे 65 वर्ष से 60 वर्ष करना।
4. दूरी प्रतिबंधन हटाना

(ङ) दूरी प्रतिबंध हटाना।

आमान परिवर्तन

312. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आमान परिवर्तन संबंधी विभिन्न परियोजनाओं में प्रगति की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) क्या रेलवे द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) :

(क) ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्र.सं.	खण्ड का नाम	कि.मी.	लागत (करोड़ रुपए में)	प्रगति
1	2	3	4	5
1.	परसिया-छिंदवाड़ा	29	24	कार्य पूरा होने वाला है तथा इस खंड को वित्त वर्ष 1995-96 के भीतर चालू कर दिया जाएगा
2.	मिरज-लातूर	259	225	कुर्डुवाडी तथा पंठारपुर के बीच कार्य शुरू किया गया है। कुर्डुवाडी-लातूर तथा लातूर-लातूर रोड नई लाइन के बीच के हिस्से पर कार्य आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा।
3.	जोधपुर-मारवाड़	100	58	कार्य को बोल्ट योजना के अंतर्गत शुरू किया जा रहा है तथा इसे 1996-97 में पूरा करने की आशा है।
4.	छपरा-औंछिहार	171	83	कार्य की तेजी से प्रगति की जा रही है और इसे 31.3.96 तक पूरा कर लिया जाएगा।
5.	काशीपुर-लालकुंआ	60	45	कार्य को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।
6.	सगौली-नरकटियागंज	59	42	मिट्टी संबंधी कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। 65 पुलों में से 27 पुलों से संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है। कार्य को मार्च 1997 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है।

1	2	3	4	5
7.	नरकटियागंज-वाल्मीकि नगर	50	40	मिट्टी संबंधी 55 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। यार्ड आयोजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है तथा पुल संबंधी आरेखण तैयार किए जा रहे हैं। लगभग 1500 घन फुट गिट्टियां भी एकत्रित कर ली गई है। कार्य 1997-98 में पूरा हो जाएगा।
8.	खड़डा-गोरखपुर	86	45	यार्ड आयोजनाएं तथा पुल संबंधी आरेखण तैयार किए जा रहे हैं। मिट्टी संबंधी तथा पुल संबंधी निविदाओं को अंतिम रूप दिया गया है। मिट्टी संबंधी कार्य शुरू किया गया है। यह कार्य 1997-98 के दौरान पूरा हो जाएगा।
9.	मऊ-शाहगंज	99	38.70	कार्य अच्छी प्रगति कर रहा है। खण्ड को 1996-97 में पूरा करने का लक्ष्य है।
10.	शाखा-लाइनों सहित लमडिंग-डिब्रूगढ़	628	317	लमडिंग-दीमापुर खण्ड पहले ही चालू कर दिया गया है। दीमापुर फरकेटिंग, 31.3.96 तक पूरा हो जाएगा और फरकेटिंग-डिब्रूगढ़ तथा तिनसुखिया-लेखा पानी, 1996-97 में पूरा हो जाएगा। अन्य शाखा लाइनें 1997-98 में पूरी हो जाएंगी।
11.	मद्रास-त्रिची-दिंडीगुल	433	373	मद्रास-ताबंरम खंड पूरा हो गया है। शेष खंड पर लंबी अवधि वाली मदों से संबंधित कार्य प्रगति पर है, जिसे 1997-98 में पूरा करने की योजना है।
12.	अरसीकेरे-हसन-मंगलोर	236	186	कार्य प्रगति पर है। अरसीकेरे-हसन खंड 1996-97 में पूरा हो जाएगा तथा शेष खंड को 1997-98 में पूरा करने की योजना है।
13.	येलहंका-बंगारपेट	62	26	येलहंका-चिकबल्लापुर खंड पर कार्य पूरा हो गया है और इसे चालू कर दिया गया है। बंगारपेट-कोल्लार खंड को 1997-98 में खोला जाएगा। चरण-II अर्थात् कोल्लार-चिकबल्लापुर के कार्य को नौवीं योजनावधि में शुरू और पूरा किया जाएगा।
14.	गुंटूर-गुंतकल	458	226	गुंटूर-गुंतकल खण्ड पूरा हो गया है। शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है। गिडालूर और नांदयाल खण्ड पर कार्य पूरा होने वाला है तथा इसे मार्च 1996 में चालू कर दिया जाएगा। नांदयाल से गुंतकल तक शेष खंड के कार्य को पूरा करने की लक्ष्य तिथि 1996-97।
15.	सिंकदराबाद-द्रोणाचलम	331	226	सिंकदराबाद-महबूबनगर खंड पूरा हो गया है। महबूबनगर-कुरनूल-द्रोणाचलम खण्ड पर कार्य प्रगति पर है तथा इसके 1996-97 में पूरा हो जाने की आशा है।
16.	परभनी-मुदखेड-आदिलाबाद	162	108	परभनी-नांदेड खंड पूरा हो गया है। मुदखेड-आदिलाबाद खंड पर कार्य शुरू किया जा रहा है और इसे 1996-97 में पूरा करने की संभावना है।

1	2	3	4	5
17.	शोलापुर-होतगी गदग	300	180	कार्य शुरू किया गया है। होतगी-बीजापुर खंड पर कार्य 1996-97 में पूरा हो जायगा। शेष खंड को 1997-98 में पूरा करने की योजना है।
18.	काटपरीड-तिरूपति	104	63	लम्बी अवधि वाली मदों पर कार्य शुरू किया गया है तथा इसे 1997-98 में पूरा करने की योजना है।
19.	होसपेट-गोवा	489	378	हौसपेट-कैसलराक खंड पूरा हो गया है। शेष खंड 1996-98 में पूरा हो जाएगा।
20.	गोंदिया-चांदाफोर्ट	242	158	गोंदिया-वाडसा खंड पहले ही पूरा हो गया है। वाडसा-नागवीर खंड 1996-97 में तथा शेष खंड 31.12.1996 तक पूरा हो जाएगा।
21.	भीलड़ी-वीरमगाम	157	155	वीरमगाम-मेहसाणा (65 कि.मी.) जिसे पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.12.96 है को छोड़कर शेष खंड पर कार्य अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।
22.	दिल्ली-अहमदाबाद	904	750	दिल्ली-अजमेर तथा मेहसाणा से अहमदाबाद खंड पूरा हो गया है। मेहसाणा-अजमेर खंड का कार्य प्रगति पर है तथा इसे 1996-97 में पूरा किया जाएगा।
23.	नीमच-रतलाम	135	65	लम्बी अवधि वाली मदों पर कार्य शुरू किया गया है। खंड को नौवीं योजनावधि में पूरा करने की योजना है।
24.	राजकोट-वोरावल	185	100	कार्य शीघ्र शुरू किया जा रहा है तथा इसे नौवीं योजना में पूरा करने की योजना है।
25.	आगरा-बांदीकुई	151	89	कार्य बोल्ट योजना के अंतर्गत शुरू किया जा रहा है तथा इसे 1996-97 में पूरा करने की संभावना है।
26.	बांकानेर-मलिया मियाणा	90	51	-यथोक्त---
27.	त्रिची-नागौर-कराईकल	200	100	मिट्टी पुल तथा गिट्टी संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं। कार्य को 1997-98 में पूरा करने की संभावना है।
28.	यशंवतपुर-सेलम	197	140	यशवंतपुर-हौसूर 31.3.96 तक पूरा हो जायेगा तथा शेष खंड 1996-97 में पूरा हो जाएगा।
29.	मथुरा-अछपेरा	35	20	कार्य शुरू किया जा रहा है तथा यह 1996-97 में पूरा हो जाएगा।

(ख) और (ग). आठवीं योजना के लिए निर्धारित 6000 कि.मी. के लक्ष्य की तुलना में, 5092 कि.मी. लाइनें पहले ही परिवर्तित की जा चुकी हैं। 469 कि.मी. अन्य लाइनें 1995-96 को शेष अवधि के दौरान परिवर्तित की जाएगी। 8 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 1996-97 के लिए लक्ष्य 1600 कि.मी. है इस प्रकार 8 वीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में काफी अधिक आमान परिवर्तन कार्य हो जायगा।

पुस्तक मेले में ग्लोबों की बिक्री

313. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आयोजित पुस्तक मेले में ताइवान से आयातित ऐसे ग्लोब खुले आम बिक रहे थे। जिनमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को विवादित दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे ग्लोबों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम

314. **श्री तारा सिंह :**
डा.के.वी.आर. चौधरी :

क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अधिनियम को कब तक अधिसूचित कर दिया जायेगा?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) से (ग). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य मंत्री द्वारा तैनात सर्वदलीय समिति ने दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 में कुछ उपान्तरण प्रस्ताव तैयार किये हैं। ये प्रस्ताव मूलतः डीम्ड रेंट, किरायेदारी पंजीकरण, किरायेदारी की वसीयत, बेदखली आदि से सम्बन्धित प्रावधानों के बारे में हैं। कथित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। इस मामले में अन्तिम निर्णय होने पर ही अधिनियम प्रभावी होगा। फिलहाल इस बाबत निश्चित समय सीमा बताना सम्भव नहीं है।

जम्मू और कश्मीर विधान सभा चुनाव

315. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया) :
श्री चेतन पी.एस. चौहान :
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री विलासराव नागनाथ राव मूंडेवार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, जम्मू और कश्मीर में लोक सभा चुनावों के साथ ही साथ विधान सभा और स्थानीय निकायों के चुनाव शीघ्र ही करवाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार तथा राज्य की राजनीतिक पार्टियों ने जम्मू और कश्मीर में शांति तथा सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कोई योजना (पैकेज) तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक निर्णय कर लिए जाने और इसे लागू किये जाने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ङ). जम्मू एवं कश्मीर राज्य में शीघ्रति-शीघ्र प्रजातांत्रिक एवं प्रतिनिधिक संस्थाओं की बहाली के अपने प्रयासों में सरकार, राष्ट्रीय-स्तर पर और राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों और ग्रुपों के साथ परामर्श करती रही है। 4 नवम्बर, 1995 को प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, जम्मू एवं कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे को बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता, पूरे राज्य की जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संविधान के अंतर्गत राज्य की स्वायत्तता को मजबूत करने की अपनी तत्परता, "वजीर-ए-आजम" और "सदर-ए-रियासत" के पदनामों की बहाली और राज्य के लाभार्थ अतिरिक्त वित्तीय एवं विकासात्मक लाभ तैयार करने की सरकार की योजनाओं को दुहराया गया था।

स्थिति के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सरकार ने नवम्बर, 1995 में राज्य में चुनाव करवाने के लिए कदम उठाने की सिफारिश निर्वाचन आयोग से की थी। तथापि, निर्वाचन आयोग सिफारिश से सहमत नहीं हुआ। इसी बीच, सरकार ने पूर्व में उल्लिखित अपने उद्देश्य की दिशा में स्थिति को और भी मजबूत करने के लिए सघन प्रयास जारी रखे हैं। इस प्रक्रिया में, सरकार ने निर्वाचन आयोग के साथ और राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों और समूहों के साथ आगे बातचीत की है। उचित समय में उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग

316. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत नहीं किए जाने के क्या कारण हैं तथा उक्त सिफारिशों को कब तक लागू किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों के बारे में की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट/विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियां पहले ही 26 अगस्त, 1995 को लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, पिछले आठ साल से प्रैस के लोगों का पे-रिवीजन नहीं हुआ है और सरकार उनको 50 परसेंट इन्ट्रीम-रिलीफ के स्थान पर केवल 20 परसेंट इन्ट्रीम रिलीफ देने के लिए तैयार हुई है। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार मैनेजमेंट के हाथों में न खेले और कम से कम 35 परसेंट इन्ट्रीम रिलीफ दे। आज तो इम्पोर्टेंट डिबेट होने वाली है। आज हवाला के ऊपर डिबेट चलेगी और आज प्रधान मंत्री के ऊपर चार्ज लगेगा। आज अगर पेपर वाले नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा, इसमें क्या हुआ यह कैसे पता चलेगा? इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार को मैनेजमेंट के हाथों में नहीं खेलना चाहिए और जो एम्प्लाइज की जायज मांगें हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट को वक्तव्य देना चाहिए।...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, अखबारों का अपने आप में एक महत्व है। उनके पास यहां की खबरें न जाएं तो कैसे चलेगा? प्रधान मंत्री भी आज सदन में आए हैं यह भी अपने आप में एक खबर है। प्रैस वाले नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? पत्रकारों की जो मांगें हैं वे जायज मांगें हैं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वे हड़ताल पर चले गए हैं। ...**(व्यवधान)**...सरकार को मजदूरों के साथ बातचीत आरंभ करनी चाहिए।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष जी, क्या कारण है कि प्रैस वालों की मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : ममता जी, आप तो सत्ता पक्ष में बैठी हुई हैं। सरकार स्पष्ट करे कि प्रैस के लोगों की मांगों को क्यों अटकाया जा रहा है?...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप लोगों ने कल मुझे जो सहयोग दिया उसके लिए धन्यवाद करते हुए मैं आज की कार्यवाही आरंभ करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आज भी उसी तरह का सहयोग आप लोग देंगे। हम हड़ताल के कारण उत्पन्न कठिनाई को भी समझते हैं और यह भी समझते हैं कि आप चाहते हैं कि आप सभा में जो प्रश्न उठाना चाहते हैं, लोगों को उनके बारे में मालूम हो।

फिर हमने मेरे कक्ष में यह निर्णय लिया है। साथ ही, आज यह निर्णय लिया गया था कि हम प्रश्नकाल स्थगित कर देंगे और तत्काल यह चर्चा आरंभ कर देंगे। एक बात यह है।

दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि चर्चा आज पूरी नहीं हो पाती है, तो आवश्यक होने पर यह कल भी जारी रह सकती है।

तीसरी बात यह है कि हमें पांच बजे सांय लेखानुदान प्रस्तुत करने के लिए समय और सुविधा उपलब्ध करनी होगी।

अतः, हम दिए जाने वाले भाषणों के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं करेंगे। पहले घण्टे अर्थात् प्रश्नकाल का पूरे देश में प्रसारण किया जा रहा है और हर कोई इसको देख रहा है। यदि संभव हुआ तो हम उसे भी जारी रखेंगे। मैं इसके बारे में यकीन के साथ नहीं कह सकता हूं। हमें इस बारे में दूसरों से पता करना होगा। जब हम लोगों को प्रचार माध्यमों से जुड़े लोगों और उनकी कठिनाइयों के साथ सहानुभूति है तो हमें आशा है कि वे कठिनाइयां भी हल हो जाएंगी। इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि हम इस पर कभी एक तरह से और कभी दूसरी तरह से निर्णय लें। यह हमारी गरिमा के अनुरूप नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए भी कि यह चर्चा कल भी जारी रह सकती है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमें वाद-विवाद जारी रखना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, सवाल हम लोगों के हित का नहीं है, सवाल पत्रकारों के हित का है। सरकार को उनकी मांग स्वीकार करनी चाहिये। आपने उनसे बात क्यों नहीं की? एक अर्से से यह मामला पड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि हम लोगों की सिम्पैथी उनके प्रति है। यह इनकी सिम्पैथी है... **(व्यवधान)**...अगर आप लोगों की सिम्पैथी है तो कहां लेबर मिनिस्टर हैं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं उनकी भावनाएं जानती हूं। इसका कारण यह है कि मैं भी हितों के लिए लड़ रही हूं। वास्तव में, सरकार ने कहा था कि वह तत्काल अंतरिम राहत

की घोषणा करने जा रही है। लेकिन वेतन बोर्ड गठित करने का प्रश्न लम्बित है। पेंशन योजना अधर में है। सरकार ने कहा था कि हम पन्द्रह प्रतिशत अंतरिम राहत की घोषणा करेंगे। महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार को श्रमजीवी पत्रकारों के लिए 15 प्रतिशत की बजाय 50 प्रतिशत अंतरिम राहत की घोषणा करनी चाहिए। यह एक बहुत उचित मांग है। वे लोग हड़ताल पर चले गए हैं।

अतः, प्रधान मंत्री जी से और श्रम मंत्री जी से भी अनुरोध करती हूं कि उन्हें आज श्रमजीवी पत्रकार यूनियन को बुलाकर इस मुद्दे को तत्काल हल करना चाहिए। राजनीतिज्ञों और प्रशासकों की तरह ही प्रचार माध्यमों से जुड़े लोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महोदय, सभा इस बात पर सर्वसम्मत है कि श्रमजीवी पत्रकारों को अंतरिम राहत तत्काल मिलनी चाहिए। उनके लिए वेतन बोर्ड का तत्काल गठन किया जाना चाहिए और उनके लिए पेंशन योजना भी तत्काल लागू की जानी चाहिए।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेंद्रम) : हम भी इसका समर्थन कर रहे हैं।

श्री अर्जुन सिंह (सतना) : सभा, कुमारी ममता बनर्जी की इस मांग से सहमत है कि सरकार को श्रमजीवी पत्रकारों को तत्काल सभी राहतों की घोषणा करनी चाहिए। सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों को इस बात का समर्थन करना चाहिए।.. **(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, हमें एक प्रस्ताव पारित करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्यों ने यहां पर जो विचार प्रकट किए हैं, उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। हमें इसी क्षण प्रस्ताव पारित करके उसके फलितार्थ को जाने बिना किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। इस सब पर विचार करते समय माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट किए गए विचारों को ध्यान में रखा जाएगा।...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब इस तरह से अपनी बात जारी मत रखिए। यह ठीक नहीं है। आप जो कहना चाहते थे, वह आप कह चुके हैं और जो मैं कहना चाहता था, वह मैं कह चुका हूं।...

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, हम वास्तव में आपके आभारी हैं कि आपकी टिप्पणी के बाद प्रधान मंत्री जी इसका जवाब देंगे। प्रधान मंत्री जी को हर हाल में जवाब देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : प्रधान मंत्री जी, इतना तो कह दीजिये कि इस पर विचार करेंगे।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : महोदय, मैंने अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ व्यक्त की गई राय को नोट कर लिया है। मैं इस सब को निश्चित रूप से ध्यान में रखूंगा और मैं समझता हूं कि हम कुछ और करते हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि चर्चा शुरू हो और यह संतोष की बात है कि चर्चा 184 में हो रही है। हमारी मांग थी कि प्रधान मंत्री जी सदन में आये और वह पूरी हो गयी है लेकिन अध्यक्ष महोदय...

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : हमारी भी मांग है कि एल. के. अडवाणी यहां आयें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं बी.ए.सी. की बैठक में नहीं था। जैसा वहां फैसला लिया गया, शायद यह बात कमेटी के नोटिस में नहीं लायी गयी कि अखबार हड़ताल पर जायेंगे, कल कोई अखबार नहीं निकलेगा। पार्लियामेंट और प्रेस का संबंध चोली-दामन का संबंध है। हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह केवल चारदीवारी के भीतर चर्चा करने का विषय है...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह पूरे देश में प्रसारित किया जाएगा। पहला घण्टा पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, केवल एक घंटे का सवाल नहीं है। मेरा भाषण तो आ जायेगा लेकिन बाद में जो चर्चा होगी, उसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। मैं चर्चा शुरू करने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं कर रहा हूं। मैं तो तैयार हूं लेकिन मैं समझता हूं कि अगर...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, यह ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सदन की राय बने...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब एक बार हमने निर्णय ले लिया है, तो यह ठीक नहीं है। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं और उनको सम्मान करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : और मैम्बरों की राय ले लीजिये।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह चर्चा किस नियम के तहत करवाई जाएगी और इसका विषय क्या होगा।

अध्यक्ष महोदय : नियम 184 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया है :

> "कि यह सभा "हवाला मामले" से संबंधित आरोपों और कुछ संसद सदस्यों को गैर-कानूनी रूप से पैसा दिए जाने के आरोपों का उत्तर देने में सरकार की असफलता पर अपना असंतोष व्यक्त करती है।"

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, इसी बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो निर्णय लिया गया है, आप उस पर अमल कर सकते हैं मैं यह कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि आपको उस पर अमल नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपका ध्यान कल सभा में आपके द्वारा की गई उन टिप्पणियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो आपने इस मामले को मेरे द्वारा उठाए जाने पर की थी। महोदय, क्या मैं उन्हें पढ़कर आपको सुना सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, आपकी अनुमति से, मैं आपके समक्ष और माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए भी यह तथ्य रखना चाहता हूं कि मैंने नियम 222 और 223 के अन्तर्गत प्रधान मंत्री के विरूद्ध, विशेषाधिकार के उल्लंघन का नोटिस दे रखा है। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री और उसमें उल्लिखित अन्य लोगों के विरूद्ध दिए गए विशेषाधिकार के उल्लंघन के नोटिस चर्चा के किसी अन्य रूप में नहीं बदला जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से ऐसा नहीं किया जा सकता है।

इस बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि केवल यही चर्चा हो सकती है लेकिन विशेषाधिकार प्रस्ताव केवल इस लिए समाप्त नहीं हो सकता है कि चर्चा हो चुकी है। यह निर्णय माननीय अध्यक्ष महोदय करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या मेरे यहां होते हुए आप मेरा निर्णय चाहते हैं?

श्री अर्जुन सिंह : मैं आपका फैसला नहीं चाहता हूं। मैं आपका फैसला कैसे मांग सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : तो इसे उठाने का यह समय नहीं है।

श्री अर्जुन सिंह : मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि कल यह कहा जा सकता है कि सभा ने इस पर चर्चा कर ली है, विशेषाधिकार प्रस्ताव समाप्त हो गया यह समाप्त नहीं हो सकता है। यही मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, कृपया अपनी बात कहिए।

11.16 म.प.

[अनुवाद]

'हवाला मामले' से संबंधित आरोपों और कुछ संसद सदस्यों को गैर कानूनी रूप से पैसा दिए जाने के आरोपों का उत्तर देने में सरकार की असफलता पर असंतोष व्यक्त करने के संबंध में प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं अधोलिखित प्रस्ताव पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूं :—

[अनुवाद]

> "कि यह सभा "हवाला मामले" से संबंधित आरोपों और कुछ संसद सदस्यों को गैर-कानूनी रूप से पैसा दिए जाने के आरोपों का उत्तर देने में सरकार की असफलता पर अपना असंतोष व्यक्त करती है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव से स्पष्ट है कि हम दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस समय चर्चा चाहते हैं। एक मुद्दा है हवाला काण्ड का और दूसरा यह आरोप कि सरकार ने इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अपनी पराजय से बचने के लिए समर्थन खरीदा, इस सदन के कुछ सदस्यों को धन दिया गया। यह गंभीर आरोप है और न केवल चर्चा की मांग करता है बल्कि जांच की भी मांग करता है।

जहां तक हवाला काण्ड का संबंध है, इस बात की तो शिकायत देश में होती रही है, राजनीतिक क्षेत्रों में, बुद्धिजीवियों के बीच, समाचार पत्रों में-कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के बजाय इस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। इस सरकार का पिछले साढ़े चार साल का कार्यकाल घोटालों से भरा हुआ कार्यकाल है। यह समय नहीं है उन सारे घोटालों की चर्चा करने का, लेकिन हवाला काण्ड एक ऐसा काण्ड है कि जिसने हमारा सार्वजनिक जीवन, हमारा राष्ट्रीय जीवन किस तरह से अधःपतन की ओर जा रहा है, इस कटु सत्य को, इस कठोर सत्य को अपनी संपूर्ण भयावहता के साथ उजागर कर दिया है। हवाला काण्ड में राजनेता लपेटे गए हैं। हवाला काण्ड में ऊंचे सरकारी अधिकारी लिप्त हैं। एक उद्योगपति और उनके परिवार से जुड़ा हुआ यह काण्ड है, इसे तो बताने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सदन में नहीं हैं। श्री शरद यादव नहीं हैं, श्री चन्द्रजीत यादव नहीं हैं और सरकारी बैंचों पर हमेशा प्रमुखता से दिखायी देने वाले अनेक चेहरे नहीं हैं। यह एक असाधारण परिस्थिति है, एक असामान्य परिस्थिति है। यह गहरा राष्ट्रीय संकट है। इसे कोई कम करके आंकने ही की कोशिश न करे।

क्या यह नौबत एकदम आ गई या भ्रष्टाचार का फोड़ा पक रहा था, पक रहा था, उसका इलाज नहीं किया गया, उसे बढ़ने दिया गया, जिनके हाथ में शासन की बागडोर है, उन्होंने इस मुद्दे को कभी गंभीरता से नहीं लिया और आज वह फोड़ा फूट गया है। अभी भी इलाज नहीं हो रहा है। अब यह दावा किया जा रहा है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है। प्रधान मंत्री तलवार लेकर भ्रष्टाचार के दानव के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। अगर यह बात सच होती तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती। मगर यह सत्य नहीं है।

यह सदन जवाब चाहेगा और देश भी इस उत्तर की अपेक्षा करता है। यह हवाला कांड इतने साल से कैसे चलता रहा। 1991 में पहली बार कुछ तथ्य सरकार के सामने आये, सी.बी.आई. के सामने आए। क्या कदम उठाये गये? एक विश्वविद्यालय के कुछ छात्र, जिनका बाद में पता लगा कि आतंकवादियों से संबंध हैं, फिर पता लगा कि आतंकवादी एक उद्योगपति के घराने से जुड़े हुए हैं, उससे पैसा ले रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रबुद्ध नागरिक पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन नहीं करते तो यह कांड प्रकाश में नहीं आता। पब्लिक लिटीगेशन करने से पहले एक प्रमुख वकील ने इस हवाला कांड के संबंध में प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था, डा. मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था। पत्र का जवाब तो अलग रहा, उस प्रमुख वकील ने मुझे बताया कि उनको उस पत्र की स्वीकृति भी नहीं मिली, पावती भी नहीं मिली। इसलिए वह सुप्रीम कोर्ट में गये, लगातार दरवाजा खटखटाया और अब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सी.बी.आई. जांच कर रही है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर तो सरकार को देना है कि इतनी देर क्यों हुई, इतना विलम्ब क्यों हुआ।

1991 का मामला है। सी.बी.आई. ने कदम क्यों नहीं उठाये? क्या सी.बी.आई. के ऊपर राजनीतिक दबाव था। क्या सरकारी क्षेत्रों में यह अनुमान लगाया गया कि सत्ता पक्ष के कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं और अगर ये सब लपेटे में आ गये, घेरे में आ गये तो क्या होगा और इसलिए कार्यवाही नहीं की गई। जब कार्यवाही की गई तो चुनाव के ऐन मौके पर राजनीति से प्रेरित होकर किसी को पकड़ो, किसी को छोड़ो, चुने हुए तरीके से लोगों को लपेटने का प्रयास हुआ है।

सी.बी.आई. भी एक विचित्र स्थिति में है, उसे कोई स्वतंत्र जांच करने वाली संस्था के रूप में मान्यता नहीं दे सकता, स्वीकार नहीं कर सकता। वह सरकार के अधीन है। प्रधान मंत्री उसका नियमन करते हैं। कहा जाता है कि प्रधान मंत्री निर्देश नहीं दे सकते। लेकिन सी.बी.आई. को प्रभावित करने के सौ तरीके हो सकते हैं। इस मामले में सी.बी.आई. की चर्चा मैं आगे भी करूंगा। लेकिन आज देश में चारों तरफ से यह मांग हो रही है कि इस देश में कोई इंडीपेंडेंट इनवेस्टीगेटिंग मशीनरी होनी चाहिए जो स्वतंत्र रूप से आरोपों की जांच कर सके। विशेषकर राजनेताओं के खिलाफ आरोपों की जांच कर सके। जो नेता सत्ता में बैठे हैं उनकी जांच कर सके। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही पर नजर रखे हुए है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई एक औजार चाहिए, एक हथियार चाहिए जिसकी जांच के बारे में कोई उंगली न उठा सके, जिस पर राजनैतिक दबाव न हो, जिसके सबसे बड़े अफसर को एक्सटेंशन देना या न देना, कितने दिन का देना, यह सरकार के भरोसे न हो। यह सरकार की कृपा पर न हो। आज कितने ऊंचे अफसर, सबसे बड़े अफसर एक्सटेंशन पर हैं, जिनको रिटायर हो जाना चाहिए था, घर चले जाना चाहिए था, एक्सटेंशन दिया जा रहा है। वे तो किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे। आने वाली सरकार के प्रति भी जिम्मेदार नहीं होंगे। क्या यह पद्धति अच्छी है? लेकिन सी.बी.आई. ने जिस ढंग से काम किया है उसकी आलोचना होना स्वाभाविक है। यह तो सरकार को स्पष्ट करना होगा कि उसने कोई दबाव नही डाला। सुप्रीम कोर्ट में मामला है इसका हमें संतोष है। हम चाहते हैं तथ्य सामने आयें, अपनी सम्पूर्ण गंभीरता के साथ, अपनी सम्पूर्ण भयावहता के साथ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आडवाणी जी ने इसी की चुनौती दी है। वे लोक सभा की सदस्यता छोड़कर चले गए और सबने त्यागपत्र नहीं दिया। जिन्होंने नहीं दिया है मैं उनको दोष नहीं देता। आडवाणी जी ने यह भी कहा कि जब तक मैं इन आरोपों से बरी नहीं होऊंगा तब तक मैं लोक सभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, और भी मित्रों ने इस्तीफा दिया है, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने नहीं। लेकिन अब यह मामला अदालत में है, चार्जशीटों का सिलसिला जारी है। दिल्ली के मुख्य मंत्री पर चार्जशीट लग गई, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। लेकिन दिल्ली के पड़ौस में जो हरियाणा प्रदेश है वहां त्याग-पत्र नहीं हुआ। अगर डायरी देखी जाए, और पता नहीं कितनी डायरियां हैं। अब तो कुछ नई डायरियां प्रकाश में आई हैं। कहीं बंधी हुई रखी थीं। अवगुंठन में थी, अब उनका विमोचन हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है। कितनी डायरियां हैं?

अध्यक्ष महोदय, ये डायरियां अलग हैं और जो मुख्य अभियुक्त है उसका बयान अलग है। अब कहा जा रहा है कि डायरी मे जो लिखा हुआ है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है और अभियुक्त ने जो कुछ कहा है वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि प्रधान मंत्री का नाम तो डायरी में नहीं है। लेकिन प्रधान मंत्री का नामोल्लेख एस.के. जैन ने अपने बयान में, जो उन्होंने सी.बी.आई. को दिया है, उसमें है। प्रधान मंत्री संदेह के घेरे में हैं और यह प्रधान मंत्री के हित में है, सत्ता पक्ष के हित में है कि संदेह के घेरों को वे तोडें और कहें कि मैं जांच के लिए तैयार हूं। इस तरह की बात नहीं आ रही है।

कल कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई। मैं नहीं जानता, मैं बैठक में उपस्थित नहीं था। मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हूं और न होना चाहता हूं। समाचार-पत्रों में जो छपा है उसी के आधार पर मैं जा रहा हूं। 'डिफेन्ड मी बोल्डली' राव टेल्स कांग्रेस मैन "सिपहसालारों तैयार हो जाओ, मैं तलवार लेकर मैदान में कूद रहा हूं, कुछ की तो बलि चढ़ गई कुछ और आगे बलि चढ़ाने के लिए मेरे साथ आ जाओ।"

बड़ी अच्छी बात है अगर प्रधान मंत्री ने इस तरह का वक्तव्य दिया है। मगर तथ्य बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह कहा जा रहा है कि केवल अभियुक्त के बयान के बल पर और बयान की कापी मेरे पास है, मैं उस सबको पढ़ना चाहता।...**(व्यवधान)**

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : बयान तो आप तैयार करते हैं।...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अगर सदन चाहता है, तो मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं।...**(व्यवधान)**..अध्यक्ष महोदय, जब यह हवाला कांड आया और टीका-टिप्पणियां हुईं, तो फिर यह कहा गया कि यह तथ्यों पर आधारित नहीं है और प्रधान मंत्री के खिलाफ जांच का कोई मामला नहीं बनता है। तब श्री सुरेन्द्र कुमार जैन ने 11 मार्च, 1995 को जो वक्तव्य दिया था सी.बी.आई. को, उसको सार्वजनिक रूप से प्रकट किया गया। उसका एक सम्बद्ध-अंश मेरे पास है। यदि सदन चाहता है, तो मैं उसको पढ़ सकता हूं। वह इस प्रकार है :—

[अनुवाद]

"श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद..."

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं समझता हूं ऐसे बयानों/वक्तव्यों को सभा में तब तक पढ़ा नहीं जा सकता जब तक कि उनको प्रमाणित न किया गया हो। श्री वाजपेयी जी, जो वक्तव्य पढ़ना चाहते हैं और सभा पटल पर रखना चाहते हैं, क्या वे कृपया इस वक्तव्य को प्रमाणित करेंगे ताकि हमको भी वह जानकारी मिल सके जो कि वह देने वाले हैं और हमें उस वक्तव्य को अपने आप पढ़ने और यह समझने का अवसर मिल सके कि उनकी व्याख्या सही है अथवा नहीं?

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वह इस सभा के किसी सदस्य का नाम तब तक नहीं ले सकते और तब तक उनके खिलाफ नहीं बोल सकते जब तक कि उन्होंने उस सदस्य को इसकी पहले से सूचना/नोटिस दी हो। यह भी एक नियम है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अगर यह मांग है, तो उस वक्तव्य को जो सी.बी.आई. की रिपोर्ट का एक हिस्सा है उसे आथैंटीकेट करके पटल पर रख दिया जाए, तो मैं तैयार हूं।

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर : मेरी अपेक्षा श्री वाजपेयी जी का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि उनके हाथों में दस्तावेज है। उनके भाषण समाप्त होने के बाद मैं चाहता हूं कि मुझे वे दस्तावेज अपने हाथों में लेने का अवसर दिया जाए ताकि मैं उनकी बातों का खण्डन कर सकूं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय यह है कि यदि कोई माननीय सदस्य किन्ही दस्तावेजों पर आश्रित है तो उसे उन दस्तावेजों को प्रमाणित करना होगा। दूसरे, दस्तावेज के किसी भाग को नहीं बल्कि सम्पूर्ण दस्तावेज को प्रमाणित करना होता है ताकि सम्पूर्ण दस्तावेज को पढ़ा जा सके। यदि माननीय सदस्य बिना उस दस्तावेज को पढ़े, उद्धृत किये, उसका उल्लेख करना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो आथेंटीकेट करके पटल पर रखने के लिए तैयार हूं, मगर आपने जो रास्ता बताया है, मैं उस पर भी चलने के लिए तैयार हूं। आज मैं हर रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूं बशर्ते कि वह रास्ता वहां तक पहुंचे।

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : आपके एलीगेशन का जो रास्ता था, इस शब्द से कमजोर हो गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेस के मित्रों को सत्ता जाने का इतना डर समाया हुआ है कि वे हर बात को उसी से जोड़कर देखते हैं। मेरे कथन का अर्थ यह नहीं था। मेरे कथन का अर्थ यह था कि मैं उन सभी रास्तों पर चलने के लिऐ तैयार हूं जिन पर चलने से आप लोग निशाने में आते हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, मैं उस दस्तावेज का उल्लेख नहीं करूंगा ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मैं विपक्ष के विद्वान नेता का भाषण समझ नहीं पा रहा हूं। उन्होंने अभी-अभी कहा है कि वह आपराधिक मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी द्वारा रिकार्ड किये गये बयान पर आश्रित हैं। शायद वे कानून की वास्तविकता को नहीं भूले हैं। यदि मुझे सही तरह से याद है, महोदय यह आप भी जानते हैं, कि प्रथमतः दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार जांच अधिकारी द्वारा यदि कोई बयान रिकार्ड किया जाता है तो उस बयान पर बयान देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं लिये जाते हैं।

दूसरे, जांच अधिकारी द्वारा रिकार्ड किया गया कोई भी बयान को साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। आप यह बात भी जानते हैं। मैं, अपने मित्र श्री वाजपेयी जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस बयान पर वह आश्रित होने वाले हैं, क्या उस पर बयान देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। यह बयान शपथ लेकर नहीं दिया गया है।

कोई भी पुलिस अधिकारी शपथ युक्त बयान रिकार्ड नहीं कर सकता।...**(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है? यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक निर्णय लेना है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मोहम्मद युनूस सलीम : दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार, यदि मुझे ठीक प्रकार से याद है, यदि जांच अधिकारी अभियुक्त का बयान रिकार्ड करता है, तो वह उसे शपथ पत्र पर रिकार्ड नहीं करतां और बयान देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर भी नहीं लिये जाते। मैं श्री वाजपेयी जी से यह जानना चाहता हूं कि वो बयान जिसको वह प्रमाणित करना चाहते हैं, क्या वो शपथ युक्त बयान हैं। क्या उस पर बयान देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं और क्या यह साक्ष्य अधिनियम के अनुसार स्वीकार्य है?

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है।

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, यह कोई न्यायालय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। कृपया, मुझे कानून की जितनी समझ है, उस पर भरोसा कीजिए।

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, मैं कानूनी पहलू को स्पष्ट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री लोढा जी, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। यह ठीक है कि माननीय सदस्य द्वारा स्पष्ट किया गया कानूनी पहलू सही है। परन्तु सभा पटल पर वक्तव्य देने वाले सदस्य ने कहा है कि वह उस बयान को उद्धत नहीं कर रहे हैं बल्कि उसका उल्लेख कर रहे हैं और वह ऐसा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस सारे सवाल को केवल कानूनी दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है... **(व्यवधान)** यह अदालत नहीं है, यह सबसे बड़ा कोर्ट है। यह राजनैतिक मंच है और जिस बात की देश के घर-घर में चर्चा हो रही है, अगर उस बात का उल्लेख यहां यह कहकर रोका जायेगा कि कानून इसकी इजाजत नहीं देता तो यह क्या देश के साथ अन्याय करना नहीं होगा? ऐसा करने पर सदन अपने साथ भी न्याय नहीं करेगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वाजपेयी जी, आप जिस तरीके से जा रहे थे, वह करैक्ट है, उसी तरीके से फालो कीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सीआरपीसी हमारे नियम से ऊपर है? हम अपने नियम के अनुसार कार्य करेंगे, सीआरपीसी कोर्ट में चलेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए हम उनको उल्लेख करने की अनुमति दे रहे हैं उद्धत करने की नहीं।

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, वह उद्धत कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय यह है कि वह उद्धत नहीं कर सकते हैं। कृपया अब आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, यह न्यायालय नहीं है। यहां कोई साक्ष्य नहीं लिया जा रहा है। यह कोई जिरह नहीं है।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी जी को उसका उल्लेख करने में कोई कठिनाई नहीं है और वह सही चल रहे हैं। उनको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि इस मामले की सी.बी.आई. जांच कर रही है, सी.बी. आई. ने पूछताछ की है। सी.बी.आई. की जांच के आधार पर यह मामला आगे बढ़ रहा है। उस जांच के दौरान मुख्य अभियुक्त ने सी. बी.आई. से जो कुछ कहा, उसके कारण प्रधान मंत्री संदेह के घेरे में आ गये। अभियुक्त के अनुसार उसने प्रधान मंत्री को तीन करोड़ रुपया दिया। इसका फैसला अदालत करेगी, लेकिन क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं है, प्रधान मंत्री का कर्तव्य नहीं है कि इस आरोप का उत्तर दें? आखिर लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है पारदर्शिता की, प्रामाणिकता की और उससे कोई बच नहीं सकता।

सी.बी.आई. का जो आफिसर जांच कर रहा था और जिसने इस बात को रिकार्ड किया, उसको उसके काम से हटा दिया गया। ...**(व्यवधान)** चार महीने तक उसे कोई काम नहीं दिया गया। मैं मांग कर चुका हूं और मैं इस मांग को दोहराता हूं कि इस सम्बन्ध में सी. बी.आई. ने जो प्रोग्रैस रिपोर्ट दी है, एक तो सी.बी.आई. केस डायरी तैयार करती है, उसके आधार पर प्रोग्रैस रिपोर्ट तैयार होती है, उस प्रोग्रैस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाय, लेकिन सरकार तैयार नहीं।

श्री ठमराव सिंह : वह ठीक है। वह आपके यशवन्त सिन्हा का रिश्तेदार था न?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हवाला कांड के कई स्वरूप हैं, जैसा मैंने पहले कहा, एक तो राजनेताओं को दिया गया धन और दूसरा विदेशों में जमा किया हुआ पैसा भारत में लाना और

यहां का पैसा विदेशों में जमा करना, यह अपने में एक अपराध है और इस समय इसकी चर्चा नहीं हो रही है कि इस काम-धन्धे में कौन लगे थे, उनके पीछे नहीं पड़ा जा रहा है। आम आदमी की तो समझ में हवाला शब्द ही नहीं आता है कि यह हवाला है क्या बला। राजनेताओं का पक्ष तो उसकी समझ में आता है कि राजनेताओं ने पैसा लिया, उन पर केस चल रहा है। वह अपने को निर्दोष प्रमाणित करेंगे। हमारा इतना ही कहना है कि उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। कठघरे में खड़ा करना है, सबको कर दो और उन सब में भारत के प्रधान मंत्री का भी नम्बर आयेगा, यह भूलना नहीं चाहिए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, हमने दस्तावेज देख लिये हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह की स्पष्ट राय देता है तो फिर हम प्रधान मंत्री को लपेटें, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रधान मंत्री ने कहा है, कानून अपना रास्ता लेगा। क्या वह रास्ता 7, रेस कोर्स रोड होकर जाता है या वह उसको छोड़कर जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में राय दे दे और हम आशा करते हैं कि इस बारे में दो टूक राय मिलेगी, लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी आशा है। यह भ्रम पैदा नहीं होने देना चाहिए, यह सत्ता पक्ष के हित में है कि किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, गलत ढंग से बचाने की कोशिश हो रही है।

लेकिन हवाला का जो तीसरा पहलू है, वह है अधिकारियों का गिरफ्त में आना। कितने बड़े-बड़े अधिकारी हैं जिनके नाम के आगे डायरी में कितनी बड़ी-बड़ी धनराशि लिखी हुई है। यह देश किधर जा रहा है? राजनेता भ्रष्ट हैं, अधिकारी भ्रष्ट हैं, उद्योगपति तो भ्रष्ट थे ही, अब वे सब को भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं। लेकिन यह बात सबके लिए नहीं कही जा सकती है। लेकिन देश की कुल तस्वीर क्या है? 1993 में इसी तरह का दृश्य इटली में पैदा हुआ था। मैं इकॉनोमिक्स का जो आर्टिकल है, उसको उद्धृत करना नहीं चाहता। क्या हम उधर ही जा रहे हैं? क्या राजनीति धन कमाने का साधन बनकर रह जायेगी? अगर राजनेता भ्रष्ट हैं तो अफसरों को आप शुद्ध और निर्मल नहीं रख सकते। कभी-कभी तो अफसर राजनेताओं को भ्रष्ट करने के तरीके बताते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कोई मानदंड होना चाहिए। प्रधान मंत्री ने भी एक बार लक्ष्मण रेखा का उल्लेख किया था। कहां है लक्ष्मण रेखा? आज भारतीय लोकतंत्र की सीता खतरे में है। यह भ्रष्टाचार का रावण, यह अनैतिकता का रावण इसका अपहरण कर सकता है। यह सबके लिए चिन्ता का विषय है।

जब यह हवाला का कांड आया तो हम आशा करते थे कि प्रधान मंत्री के नाते सब को बुलाकर सबको बिठाकर बिना किसी भेद-भाव के यह सोचा जाता कि इतना बड़ा कांड हो गया है, अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। राजनेता चुनाव के लिए कालाधन लेते हैं। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन कालाधन लिये बिना काम चल सके, क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती? दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट को आये हुए कितने साल हो गये हैं, वह अलमारी में धूल खा रही है। पब्लिक फंडिंग का सुझाव दिया गया था, क्या हुआ?

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : देख लीजिये, अगर वह अनुमति देंगे तो मैं कहूंगा। उनकी अनुमति पर आप मत बोलिये। इस विषय पर हम लोग बात कर चुके हैं कि एक जज ने कहा। वाजपेयी जी बाहर भी बोल रहे हैं और यहां पर भी बोल रहे हैं। वह विपक्ष के नेता हैं। क्या राजनीति में सब लोग काला धन लेते हैं? इसलिए कृपा करके उसी विशेषण के साथ बोलिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने कहा कि जो बात मैं कह रहा हूं, वह सब पर लागू नहीं होती और भोगेन्द्र झा जी पर तो बिल्कुल लागू नहीं होती।...**(व्यवधान)**...ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हैं, प्रामाणिक हैं। अगर यह धरती टिकी है तो उन्ही के भरोसे पर टिकी है। लेकिन चुनाव की व्यवस्था और कालेधन से संबंधित मामले का मैं विस्तार से उल्लेख नहीं कर रहा हूं। वह एक अलग विषय है। उस पर अलग से चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन पिछले चार-साढ़े चार साल में व्यवस्था बिगड़ रही है, विकृत हो रही है। यह लोकतंत्र पतन की ओर जा रहा है। गणराज्य खतरे में पड़ गया है। इसकी कही अनुभूति नहीं है। इसका कोई एहसास नहीं है। इसको ठीक करने के लिए कदम उठाने का कोई तरीका नहीं है। इसीलिए यह मामला इतना गम्भीर हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरे पहलू पर आना चाहता हूं। वह इस सदन से संबंधित है, इस सदन के सदस्यों से संबंधित है। फिर 1993 में जाना पड़ेगा। सरकार के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव, सारे प्रतिपक्ष की एकता और सरकार गिरने का पूरा खतरा था। कल शायद प्रधान मंत्री जी ने कांग्रेस के मित्रों से कहा कि मैं तो तैयार था, सरकार गिरती है तो गिर जाए लेकिन वह गिरी नहीं। उसको गिरने से बचा लिया गया। वह सरकार कैसे बची? जब सरकार 19 दिसम्बर, 1991 में बनी थी तो उस समय इस सदन में कांग्रेस पार्टी की शक्ति 232 थी, 20 फरवरी, 96 को ये शक्ति बढ़ कर 253 हो गई। 21 नये सदस्य आए हैं।...**(व्यवधान)** अगर वे विचार परिवर्तन के कारण अपने-अपने दल को छोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए हैं तो बहुत अच्छी बात है।...**(व्यवधान)**

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, पंजाब में इलेक्शन हुए तो पंजाब के कांग्रेस के एम. पीज, ऐड हुए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अच्छा, आप उनको जोड़ लीजिए।...**(व्यवधान)** मेरे पास और भी आंकड़े हैं।...**(व्यवधान)** पंजाब के कारण कांग्रेस की जो शक्ति बढ़ी है वह अलग है, मगर इधर शक्ति घटने के कारण जो उधर शक्ति बढ़ी है मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं। अगर वह केवल विचारों के परिवर्तन के कारण होती तो बड़ी खुशी की बात थी। अभी देश में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो व्यक्ति जिस टिकट पर चुना जाए, जिस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुना जाए अगर वह उस पार्टी को छोड़ना चाहता है तो पहले वह अपनी सीट से इस्तीफा दे तब वह पार्टी छोड़ कर जा सकता है अन्यथा नहीं। इस नियम पर हमने विचार नहीं किया है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, उस समय अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही थी तो इस बात के संकेत मिले थे कि कांग्रेस पार्टी चिंतित है।

कांग्रेस पार्टी को पराजय की आशंका है। उस समय दौड़-धूप हो रही थी, संख्या बढ़ाने के प्रयास चल रहे थे। मुझे याद है कि किस तरह से इस सदन में बैठे हुए हमारे कांग्रेस के जिन मित्रों के चेहरे मुरझाए हुए थे उनके चेहरे पर एक रात के बाद थोड़ी सी मुस्कान आ गई थी। हम लोगों ने यहां से टिप्पणी की थी जो कार्यवाही में भी दर्ज है कि ऐसा लगता है मामला ठीक हो गया है। वह मामला क्या था, उसकी थोड़ी सी झलक मिली है। मैं चाहता हूं कि इस सवाल को जरा गंभीरता से लिया जाए। कुछ लोग जो दल बदलने के बाद सत्ता में पहुंच गए वे अब हमारे सामने विराजमान हैं। मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ दिन पहले प्रेस ने यह रहस्योद्घाटन किया।

एक पार्टी के चार सदस्यों ने उस समय पाला बदला था और पाला बदलने के बाद उन चार सदस्यों के एकाउंट में जो दिल्ली के एक बैंक में है एक ही दिन में लाखों रुपए जमा किए गए। ...**(व्यवधान)** यह 1993 की बात है। यह रुपए कहां से आए, यह रुपये किसने दिए, क्यों दिए और रुपये देने का कारण क्या यह था कि सरकारी पक्ष का समर्थन किया जाए?...**(व्यवधान)** तो इससे लाभ मिला सरकारी पक्ष को।...**(व्यवधान)** धन देने का लाभ किसको मिला?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : धन देने का लाभ किसको मिला? इस बात से इंकार नहीं किया गया है कि सदस्यों को धन दिया गया है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : पैट्रोल-पम्प दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पैट्रोल-पम्प छोड़ो, मैं आना चाहता हूं। अब इस तथ्य का उद्घाटन हो चुका है। कोई इंकार नहीं कर रहा है कि पैसा मिला है। एक सदस्य तो निकले हैं जो अपना दल छोड़ने के बाद हमारे साथ जुड़े हैं।

श्री उमराव सिंह : कैसे जुड़ा है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं इसका उत्तर दूंगा...**(व्यवधान)** आप सबको ले सकते हैं, आप तो गंगा हैं, जो गोता लगाएगा, पवित्र हो जाएगा।...**(व्यवधान)** आपका सवाल ठीक है। अध्यक्ष महोदय, अगर हमें पता होता कि वह सदस्य इस खरीद-फरोख्त में शामिल है। उन्होंने भी सरकारी पार्टी से धन लिया है और धन लेने के बाद अविश्वास प्रस्ताव के समय सरकार का समर्थन किया है तो हम उनसे कहते कि हमारे दल में आने की आवश्यकता है, आप मत आइये।. ..**(व्यवधान)** लेकिन अगर वह हमारे साथ न होते तो शायद इस सच्चाई का उद्घाटन करने का साहस भी न जुटा पाते।...**(व्यवधान)** एक ही सदस्य निकला है जो साहस दिखा रहा है, जो हिम्मत से काम ले रहा है। कह रहा है कि हां, धन लिया गया है, मेरे हिसाब में जमा है। मैंने सारा धन खर्च भी नहीं किया है। लेकिन बाकी के जो सदस्य हैं उन्होंने इस बात का खंडन नहीं किया है कि उन्हें धन मिला है, खंडन कर भी नहीं सकते। धन एक ही तारीख को जमा हुआ, एक ही व्यक्ति के दस्तखत से जमा हुआ और एक ही बैंक में जमा हुआ। ...**(व्यवधान)**

श्री सूरज मंडल (गौड़ा) : मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने इनका नाम नहीं लिया है। ...**(व्यवधान)**

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, यह सदन के बाहर की बात थी और मैंने सदन के बाहर इसका जवाब भी दिया है। आज सदन के अंदर यह सवाल हो रहा है तो मैं इसका जवाब भी सदन के अंदर ही दूंगा।

श्री रूपचंद पाल : दीजिए जवाब।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा के बाद सबको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। अगर कोई सदस्य यह समझता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह उनके बारे में कह रहा हूं, ...**(व्यवधान)** मैंने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया है।

श्री सूरज मंडल : अखबारों में नाम तो आया ही है। मैं भी नाम के बारे में नहीं कह रहा हूं अटलजी; हम लोग आपका बहुत आदर करते हैं। बाहर यह बात हो रही थी लेकिन अब सदन में हो रही है, तो अब सदन में ही जवाब दिया जाएगा।

12.00 मध्याह्न

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय अविश्वास प्रस्ताव के समय जो कुछ हुआ, वह सदन में हुआ।

श्री सूरज मंडल : मुझे सचिवालय की तरफ से नोटिस मिला था। सोमनाथ चटर्जी और अर्जुन सिंह जी ने वह नोटिस दिया था। उस पर जब चर्चा होगी तो मैं उसका जवाब दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह मामला सारे सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा से सम्बन्ध रखता है। इसके बारे में आपको भी विचार करना पड़ेगा। अगर संसद सदस्य इस तरह से घोटाले में फंस जायें, कोई कार्यवाही उनके खिलाफ होनी चाहिये। जो इन्हें उस घोटाले में डाले, वह बड़ा अपराधी है और उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। एक सदस्य जिसने यह स्वीकार किया कि हां, हमें प्रधान मंत्री जी के यहां ले जाया गया था, उनका कहना यह है कि उनको ले जाने वाले सरदार बूटासिंह जी थे। बूटासिंह जी इसमें लिप्त थे। वह ले गये या नहीं ले गये? क्यों ले गये, प्रधान मंत्री के

पास जाने के बाद क्या बात हुई, मगर दो तथ्य साफ हैं। लोक सभा के जो सदस्य सरकार के खिलाफ वोट देने वाले थे, ऐन वक्त पर उन्होंने अपनी राय बदल दी और उसके बाद उनके कोष में, उनके निजी एकाउन्ट में बड़ी धनराशि जमा की गई। दो और दो चीजें जोड़ कर लोग नतीजे निकालेंगे और वह निकाले भी जा रहे हैं। प्रधान मंत्री कह सकते हैं कि हमने उनसे वायदा किया था कि हम झारखंड के विकास के लिये एक स्वायत्त विकास समिति बनाने की बात पर सोचेंगे। आडवाणी जी जो आज इस सदन में नहीं हैं, उन्होंने मामला उठाया था कि खास तौर से उत्तरांचल के लिये आप इस तरह की बात क्यों नहीं कहते जबकि उत्तरांचल के बारे में विधान सभा दो बार प्रस्ताव पास कर चुकी है, उसके बारे में क्यों चुप हैं। फिर आडवाणी जी ने टिप्पणी की कि ऐसा लगता है कि झारखण्ड के बारे में कोई सौदा हो गया है जो कि सदन की कार्यवाही में मौजूद है। उस समय कोई प्रमाण नहीं था। आज प्रमाण आ गया है, वह हमने नहीं गढ़ा, मगर तथ्य सामने आ गया है और उसका सामना करना होगा। यह सदन अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। इस बात की सफाई होनी चाहिये। इसलिये हमने यह कहा कि कार्यवाही तब तक न चले जब तक प्रधान मंत्री जी सदन में अपनी सफाई न दें। प्रधान मंत्री संदेहों के घेरे में काम करें, यह हमें पसन्द नहीं है और यह हम नहीं चाहते। प्रधान मंत्री की छवि निष्कलंक होनी चाहिये, लेकिन अगर प्रधान मंत्री इन घोटालों में फंसे हुए हैं तो प्रधान मंत्री को जाना चाहिए। उन्हें इस पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अब भ्रष्टाचार के बारे में नरमाई से काम नहीं चलेगा। सर्जरी का समय आ गया है। अगर व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना है तो ठीक है। मैं तो अगले चुनाव के बारे में चिन्ता कर रहा हूं। क्या आने वाला चुनाव फिर काले धन पर लड़ा जायेगा? किसी छोटी सी अदालत में हमारे खिलाफ खड़े होकर कुछ कह दिया जाता है जो कहा नहीं जाना चाहिये, उस पर हम उत्तेजित होते हैं। हमारा उत्तेजित होना स्वाभाविक है लेकिन कभी-कभी हम अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखें कि हमारा आचरण क्या है। कुछ मछलियां सारे तालाब को गंदा कर देती हैं, कुछ काली भेड़ें सारे रेवड़ को बदनाम कर देती है। आज राजनेता के रूप में लोगों को मुंह दिखाना मुश्किल हो रहा है। यह स्थिति कैसे बनी? मैं 1957 से चुनकर आया हूं। पार्लियामैंट की सदस्यता एक गौरव का विषय था। हम प्रतिपक्ष में थे, हमारे पास सत्ता नहीं थी मगर प्रतिष्ठा थी। आज वह प्रतिष्ठा भी दाव पर लगी हुई है...

श्री उमराव सिंह : अडवाणी के लिये...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : खाली अडवाणी के लिये नहीं। जब मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं तब आप व्यक्ति की बात कर रहे हैं। क्या व्यवस्था इसी तरह से चलेगी? अडवाणी जी अपना केस आप लड़ेंगे। हम तो मांग कर रहे हैं कि दिन प्रतिदिन सुनवायी करो।

श्री उमराव सिंह : आपकी यह बात लागू नहीं होगी... **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी को जवाब देना है और प्रधान मंत्री जी को जवाब देते समय हम उनको बोलने नहीं दे सकते हैं, इस बात को ख़्याल में रखें...

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : अध्यक्ष जी, इनको चेतावनी दी जाये...**(व्यवधान)**

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी भी इस तरह से नहीं बोल पायेंगे अगर आप इनकी रोकेंगे नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहलें आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : ये बार-बार व्यवधान डाल रहे हैं, इनको बैठा दीजिये...

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप पहले बैठ जायें।

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष जी, आप उनको पहले रोकिये... **(व्यवधान)**

श्री विनय कटियार : यह सदन ऐसे कैसे चलेगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा ही चलने दीजिए।...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह गलत है। पहले आप सब लोग बैठ जाइए।...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, पहले बैठ जाईए। हम सदन में इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा : ये लोग पूरे भाषण में रोक टोक कर रहे हैं। देखते हैं प्रधान मंत्री जी को कैसे बोलने देते हैं?...**(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : हम लोग तो बैठ जाते हैं और आपका कहना मान लेते हैं, उनको भी रोकिये ...**(व्यवधान)**

श्री विनय कटियार : आप इस तरह से हाऊस को कैसे चला सकते हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसलिए तो मैं यहां पर हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठेंगे या नहीं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इसी प्रकार से हाऊस नहीं चला सकेंगे...

श्री विनय कटियार : हम नहीं चलने देंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां पर निर्देश देने के लिए खड़ा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाईए। मुझे बोलना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप बैठ जाईए। अब, मैं यह कहूंगा कि श्री वाजपेयी जी वाद-विवाद को उच्च स्तर का बनाये रखने की कोशिश कर रहे थे और किसी ओर से किसी को उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में बोल रहे हो जबकि मैं यहां पर खड़ा हूं। आप बैठ जाएंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मैं समझता हूं कि हम यहां पर एक बहुत ही नाजुक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसे आप कृपया समझने की कोशिश कीजिए। मैं सोचता हूं कि आपके नेता जो समुचित रूप से अपनी बात रख रहे हैं उनको मामले को उसी रूप में प्रस्तुत करने दीजिए। यह सदस्यों के लिए आवश्यक नहीं है कि बीच-बीच में उठकर टिप्पणी करें। इसकी न तो पीठासीन अधिकारी सराहना करेंगे और न ही सदन सराहना करेगा। किसी सदस्य के खड़े होकर यूं चिल्लाने का भी पीठासीन अधिकारी सराहना नहीं करेंगे। यह आप दोनों पर लागू होता है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि कृपया इसकी सराहना कीजिए और कार्यवाही को उचित रूप में चलने दीजिए। आप बहुत ही महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। श्री वाजपेयी जी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले को ले रहे थे जो कि वर्तमान समय के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी प्रासंगिक हो सकता है। जहां तक मैं समझता हूं अपनी भूमिका बड़ी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं।

मैं संगत भागों को पढ़ूंगा जिसे सदस्य समझ सकते हैं और बाद में वक्तव्य जारी करते समय इसे ध्यान में रखेंगे। नियम कहता है कि उक्त बयान ऐसे किसी मामले से सम्बद्ध नहीं होगा जो देश के किसी भी भाग में न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निर्णयनाधीन है। उन्होंने अब तक न्याय-संगत बात की है ताकि उसका प्रभाव बाहर किसी निर्णय पर न पड़े। हम सबको इस सिद्धांत को समझना होगा। यह एक न्यायाधीन मामला है। यह वो जगह है जहां बौद्धिक लड़ाई हो सकती है। यह वो जगह नहीं है जहां आप जोर से चिल्लाकर लोगों को डरा सकते हैं। हम इस बात की सराहना नहीं करते हैं कि किसी भी पक्ष का सदस्य इस तरह से दूसरों को चुप कराने की कोशिश करें।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वाजपेयी जी को कहने दीजिए।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : वहां से एक सदस्य ने सात बार टोका, आपने उनको कुछ नहीं कहा।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपकी तरफ से भी नारे आ रहे हैं।...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई भी आपे से बाहर न हो जाए। कृपया आप मदद कीजिए। आपके नेता अपना बचाव बखूबी कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि वह अपना बचाव नहीं कर पाते हैं तो आप उनका बचाव करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाना चाहता हूं।

चर्चा के दौरान भी कुछ मुद्दे उठेंगे, कुछ नए पहलू उजागर होंगे। चर्चा का उत्तर देते हुए मैं उनके बारे में कुछ कहूंगा। अभी तो इस गंभीर विषय को जिस ढंग से मैं रख सकता था, उसे रखने की मैंने कोशिश की है। सदन इस मामले पर चर्चा कर रहा है, यह अच्छी बात है। चर्चा शांतिपूर्ण वातावरण में हो रही है, इस टोका-टोकी को मैं गंभीरता से नहीं लेता। यह भी लोकतंत्र के भविष्य के लिए अच्छी बात है। हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं जहां तक हमारी जानकारी है। वह आरोप सच्चाई के आधार पर लगने चाहिए। लेकिन फिर भी सदन में, सदन के बाहर भी वातावरण ऐसा होना चाहिए कि जिसमें लोकतंत्र को बल मिले और जिसमें पारदर्शिता की कीमत बढ़े। यह मामला सार्वजनिक जीवन की शुचिता से, पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है और सार्वजनिक जीवन में जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि राजनेता तो उसका मुख्य बिन्दु हैं, लेकिन उसके साथ अफसर भी आते हैं, उद्योगपति भी आते हैं।

अब आर्थिक क्षेत्र में नयी नीतियां अपनायी जा रही हैं। उदारीकरण विफल हो जाएगा, अगर पारदर्शिता बढ़ेगी नहीं। घोटाले और उदारीकरण साथ-साथ नहीं चल सकते। लेकिन राजनेताओं को अगर खरीदने की छूट है और मैं कभी ताज्जुब करता हूं कि राजनेताओं को कितना धन चाहिए। चुनाव के नाम पर धन इकट्ठा किया जाता है और फिर उस धन का क्या किया जाता है, कम से कम मैं नहीं समझ सकता। यह लूट मची हुई है। आम आदमी को हम परिश्रम के साथ ईमानदारी की रोटी खाने का क्या उपदेश दे सकते हैं? वह उपदेश सुनेगा कैसे। इस स्थिति में आज हमें पहुंचा दिया है। मैं यह नहीं कहता कि अकेले सत्तापक्ष दोषी है, हम भी दोषी हैं। लेकिन इस दोष का मिलकर निराकरण किया जायेगा या नहीं। दूसरे उसका पहला कदम यह है कि जो अपराधी हैं उसको कठोर दंड दिया जाए। जांच में कोई भेदभाव न हो, जांच में कोई पक्षपात न किया जाए। सी. बी.आई. पर कोई उंगली उठाये, ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सी.बी.आई. सरकार का एक हिस्सा है। सी. बी.आई. प्रधान मंत्री के नीचे है। सी.बी.आई. कुछ क्यों नहीं करती है इसका कोई उत्तर नही है। लेकिन देश में एक स्वतंत्र जांच संस्था की आवश्यकता है जिसका आगे जाकर विचार करना पड़ेगा। अभी तो हवाला कांड के जितने आयाम हैं, जितने भी पहलू हैं, उनका विचार हो। हवाला की ओर आर्थिक अपराध की ओर तो कोई देख नहीं रहा है। हवाला तो तब होता है, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि विदेशों से धन लाया जाए, यहां से विदेशों में धन भेजा जाए, जो एक अपराध है। उसकी कौन जांच कर रहा है? वह पहलू इस समय लोगों की नजर में नहीं है। इतने बड़े-बड़े अफसर कैसे फंस गये, उनके मंत्री उस समय क्या कर रहे थे? हम पार्लियामेंट के मैम्बर हैं, हमें अफसरों से ज्यादा पहले अपनी चिंता होनी चाहिए और इस हवाला कांड और बाद में सदस्यों का खरीदने का जो काम हुआ है उससे हमारी प्रतिष्ठा को बहुत धक्का लगा है और समय है कि इस प्रतिष्ठा को फिर से पुनर्प्रतिष्ठापित करने के लिए हम कोई ठोस कदम उठायें और इसी दृष्टि से मैंने यह प्रस्ताव पेश किया है और चर्चा के लिए सबको आमंत्रण दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री बूटा सिंह बोलेंगे और उसके बाद श्री मणि शंकर अय्यर बोलेंगे।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं क्योंकि विपक्ष के हमारे माननीय नेता ने कल प्रेस सम्मेलन में मेरे नाम का उल्लेख किया था और आज भाषण देते समय उन्होंने कई बार मेरे नाम का उल्लेख किया। अपने भाषण के अन्त में भी उन्होंने मेरे नाम का उल्लेख किया। इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा है, उसका एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दूं।

प्रारंभ में, मैं कहता हूं कि मैं रिश्वत के बारे में, प्रेस में एक भाग जो कल प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग जो आज प्रकाशित हुआ-मैं उसे पूरी तरह से इन्कार करता हूं-मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है कि मुझे कोई पैसा दिया गया था या मैंने अथवा मेरे जरिए पैसे का कोई लेन-देन हुआ।

दूसरे, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने श्री शैलेन्द्र महतो के वक्तव्य को पढ़ लिया है जिन्होंने हाल ही में संसद में अपनी मूल पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर अपनी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाई है। प्रेस में प्रकाशित उनके वक्तव्य में मेरे नाम का उल्लेख है और संसद में झारखंड मुक्ति मोर्चा ग्रुप को माननीय प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार को समर्थन देने के लिए लाने हेतु मेरे सम्बद्ध होने के बारे में कथित ब्यौरे दिए गये हैं। इस कथित धन के लेन-देन में श्री महतो के वक्तव्य द्वारा मुझे फंसाने का प्रयास किया गया है जिसका प्रयोग अविश्वास प्रस्ताव के विरूद्ध उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए मुआवजा देने के रूप में किया गया था।

महोदय, मैंने मेरी पार्टी के एक आमसहमत सदस्य के रूप में मेरी पार्टी के लिए राजनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिश की थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व को झारखंड विकास परिषद की स्थापना में जनजातीय लोगों के प्रति कांग्रेस पार्टी की वचनबद्धता के बारे में आश्वस्त किया था।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी देश के गृह मंत्री के रूप में, मैं इस प्रयोजन हेतु उच्च अधिकार प्राप्त समिति के गठन से सम्बद्ध था और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व के साथ घनिष्ठता से कार्य कर रहा था। इसलिए, मैं उनके उद्देश्य में उनकी सहायता के लिए वास्तव में प्रयास कर रहा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग प्रधान मंत्री से मिले थे, मैं उनके साथ था और झारखंड विकास परिषद के इस विषय पर सिद्धांत रूप में व्यापक विचार-विमर्श हुआ था। बस यही सब हुआ था और मुझे याद है जब माननीय प्रधान मंत्री इस महान सभा में अपना उत्तर दे रहे थे, अपने भाषण के अन्त में झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य खड़े हो गये और प्रधान मंत्री को यह कहकर व्यवधान पहुंचाया था कि उन्होंने झारखंड विकास परिषद के बारे में उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया और माननीय प्रधान मंत्री ने यह कह कर उत्तर दिया था कि इस विषय पर ध्यान दिया जा रहा है। मैं उनके शब्दों को उद्धृत करना नहीं चाहता हूं क्योंकि यह कार्यवाही-वृत्तांत में है कि यह सरकार, हमारी सरकार झारखंड जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर विचार करेगी और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को जनजातीय परिषद के विकास के लिए उनको उचित हिस्सा दिलाने में सहायता करना चाहेंगे। महोदय, बस यही बात है।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं आपकी अनुमति से एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको भाषण देने की अनुमति दी जायेगी। व्यक्तिगत स्पष्टीकरण पर किस जिरह की आवश्यकता नहीं है। श्री सोमनाथ चटर्जी।

श्री जसवन्त सिंह : मैं जिरह नहीं कर रहा हूं। यह जिरह नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उनकी तरफ से जिरह कोई नहीं कर रहा है। क्या आपने मुझे बोलने के लिए कहा। मैंने सोचा कि आप श्री सूरज मंडल को बोलने के लिए कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सूरज मंडल को अनुमति दूंगा। मैंने सोचा बूटा सिंह पहले वक्ता थे।

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको सभा की भावना से सम्बद्ध करना चाहता हूं। हम विपक्ष के नेता माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत आभारी हैं जिन्होंने आज इस सभा में प्रक्रियात्मक रूप से उचित तरीके से उस मुद्दे को उठाया है जो इस देश को 16 जनवरी से, जब से ये मुद्दे समाचार पत्रों की मुख्य खबर के, आन्दोलित कर रहे हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस ढंग से इन मुद्दों को सभा के समक्ष रखा है, वह भी बहुत प्रशंसा का विषय है। मुझे विश्वास है कि जिस स्पष्टता से उन्होंने बताया है कि हमें चर्चा किस तरह से करनी है जिससे हमें बहुत अधिक तर्कसंगत और यथोचित आधार पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और हमारे निर्णय को शिथिल करने में अनावश्यक भावनाओं या भावावेगों को अनुमति नहीं दी जायेगी। इस को ध्यान में रखते हुए, महोदय, मैं सबसे पहले जो श्री वाजपेयी जी ने कहा उसे दोहराना चाहता हूं। दो अलग-अलग मामले हैं एक अर्थ में, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन ये दो अलग-अलग मामले हैं जो प्रस्ताव के रूप में सभा के समक्ष हैं जिन पर सभा विचार कर रही है।

सबसे पहला है हवाला मामले से जुड़े आरोपों के उत्तर देने में सरकार की कथित विफलता। दूसरा गैर-कानूनी तरीके से धन देने के आरोपों के बारे में सरकार की कथित विफलता है। जैसा श्री वाजपेयी जी ने कहा है, उसी तरह मैं भी इन दो मामलों पर एक-एक करके चर्चा करना चाहता हूं।

महोदय, पहले प्रस्ताव के बारे में मुझे यह कहना है कि जिसे प्रस्ताव में सभा के समक्ष हवाला मामला कहा जा रहा है, उसमें मुझे प्रतीत होता है और यदि मै गलत हूं तो मुझे अवश्य बतायें, श्री वाजपेयी जो ने सात प्रश्न उठाये हैं जिन परं चर्चा की जानी है। पहला उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि हवाला मामले से संबंधित जांचों को कराने के मामले में सरकार अनावश्यक विलम्ब कर रही है। दूसरा आरोप उन्होंने यह लगाया है कि इन जांचों को कुछ चुने हुए लोगों के बारे में ही कराया जा रहा है। तीसरा आरोप यह है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर इस ढंग से कार्य करने के लिए दबाव डाला जा रहा है जो कि कानून द्वारा इसे सौंपी गई जिम्मेदारियों के अनुकूल नहीं है। चौथा, उन्होंने इस मामले में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दोषी व्यक्ति द्वारा 11 मार्च, 1995 को दिए गए वक्तव्य का उल्लेख किया है।

12.25 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

पांचवा आरोप यह इस बारे में है कि जांच के दौरान जांच कर रहे अधिकारी को क्यों हटाया गया था। मेरे विचार से यह संकेत श्री कान्त की ओर था, हालांकि उन्होंने विशेष रूप से उनका नाम नहीं लिया। छठा आरोप, जिसकी ओर श्री वाजपेयी ने ध्यान आकृष्ट किया है वह यह है गैर कानूनी ढंग से विदेशी मुद्रा का लेन-देन, जो हवाला मामले के बीच में है और जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि उसकी शीघ्रता और उचित प्रकार से जांच नहीं हो रही है। और अन्ततः उन्होंने इस तरफ ध्यान आकृष्ट किया है कि किस सीमा तक हमारा प्रजातंत्र और गणराज्य इस मामले के कारण खतरे में है, इसके परिणामों और प्रभावों ने आम आदमी के मस्तिष्क में क्या प्रभाव डाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं इन सभी मुद्दों में से प्रत्येक पर विचार करना चाहता हूं और इन मुद्दों पर सापेक्ष महत्व देने का प्रयास करना चाहता हूं कदाचित जो महत्व श्री वाजपेयी जी ने इन मुद्दों पर दिया है, वह बिल्कुल वैसा ही न हो।

सबसे पहला प्रश्न विलम्ब का है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जनता के मन में सम्भ्रम की स्थिति मची हुई है जो स्वयं प्रस्ताव के शब्दों 'हवाला मामले' का संदर्भ, में भी दिखाई देती है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि कल जब एक माननीय सदस्य हवाला मामले का उल्लेख कर रहे थे, तो पीठासीन अधिकारी ने इनसे पूछा था "कौन सा मामला, हवाला मामला क्या है, हवाला कांड क्या है?" हालांकि उस समय इस बारे में संभ्रांति की भावना थी कि मामला क्या है या हवाला कांड से सम्बद्ध मुद्दे क्या हैं, चूंकि यही शब्द अभी प्रस्ताव में भी दोहराया गया है, यह कदाचित आवश्यक होगा कि तीनों सम्बद्ध अलग-अलग मुद्दे जो सभा के समक्ष हवाला मामले के रूप में उल्टे विरामों के अन्तर्गत रखे गए हैं, उन्हें स्पष्ट किया जाये।

सर्वप्रथम या इस पूरी घटना का आधार गैर-कानूनी ढंग से विदेशी मुद्रा के लेन-देन की एक कड़ी है जो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम जिसे आमतौर पर फेरा कहा जाता है, का उल्लंघन हुआ है। यह मुद्दों का एक समूह है। दूसरा, इन गैर कानूनी विदेशी मुद्रा लेन-देनों के कुछ भाग का परिणाम है जिसका आतंकवादी गतिविधियों विशेषकर कश्मीर में कथित रूप से धन के उपयोग के रूप में हुआ है। इसमें पूर्ण रूप से एक अलग विधान शामिल है, एक विधान जो अब मृतप्रायः हो गया है लेकिन जो उस समय लागू था अर्थात् आतंकवादी और विध्वंसकारी कार्यकलाप (निवारक) अधिनियम, (टाडा)। तीसरा प्रश्न भ्रष्टाचार के बारे में है-भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को इस धनराशि का दिया जाना जो कि भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन है। यह तभी

सम्भव है यदि हम यह समझते हैं कि हवाला मामले में तीन पूर्ण रूप से एक-दूसरे से अलग घटक शामिल हैं, तब हम यह समझने लगेंगे कि इस मामले में तथाकथित देरी क्यों हो रही है।

हमें याद रखना चाहिए कि यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो की नोटिस में इस प्रकार के हवाला लेन-देन के फलस्वरूप नहीं आया और न ही सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के फलस्वरूप ही ऐसा मामला प्रकाश में आया अपितु यह मामला दिल्ली पुलिस के सामने तब प्रकट हुआ जब वे कश्मीर में आतंकवाद के गहरे सम्बंधों के कारणों की जांच कर रहे थे। सभा को याद होगा कि यह देश इस बात को कभी नहीं भूल सकता कि दिसम्बर 1989 और मार्च 1991 के बीच देश में खासतौर पर जम्मू-कश्मीर की घाटी में श्री राजीव गांधी की सरकार के गिरने से पूर्व, आतंकवादी घटनाओं में बेहताशा वृद्धि हुई थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच करने के प्रयास करने की प्रक्रिया में था कि आतंकवादी का वित्तपोषण कैसे हो रहा था। हथियार कहां से आ रहे थे, इसका स्रोत क्या था, कौन सा देश सहायता कर रहा था, तो दिल्ली पुलिस को पता चला कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ तथाकथित छात्र थे जो घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को चलाने के लिए धन और हथियार भेजने के माध्यम के रूप में उपयोग में लाये जा रहे थे। यह मालूम होने पर कि मामला टाडा मामलों से सम्बद्ध था और इस देश के आतंकवाद से त्रस्त जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए बहुत अधिक चिन्ता के मामले से सम्बंधित था, उन्होंने इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरों को भेज दिया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो मुख्यतया आतंकवाद से निपटने के लिए इस परिदृश्य में आया। और आतंकवाद के इस प्रश्न पर ही और टाडा के अधीन इसकी कानूनी जटिलताओं पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अनिवार्य रूप से अपना ध्यान केन्द्रित किया है।

मेरे विचार से कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि यह जांच करने वाली प्रमुख एजेन्सी अर्थात् केन्द्रीय जांच ब्यूरो की लापरवाही होती, यदि यह एजेन्सी इस मामले से संबंधित उग्रवाद के मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करने की बजाय इसी मुद्दे से संबंधित जो अन्य विषय थे उन्हें निपटाने के लिए उग्रवाद की पृष्ठभूमि से संबंधित मुद्दों की अनदेखी कर देती। वर्ष 1991-92 में मामलों को प्राथमिकता देने की प्रक्रिया में, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले का अपरिहार्य एवं अनिवार्य रूप से सराहनीय तौर पर उग्रवाद को दृष्टिकोण से निपटाया। उग्रवाद की दृष्टि से मामले को निपटाने की प्रक्रिया में ही यह बात सामने आयी कि कश्मीर में उग्रवाद को वित्तीय सहायता प्रदान करने में बहुत बड़ी धनराशि संलिप्त है तथा इन्हें **हवाला** लेनदेन में शामिल किये जाने की जरूरत है।

मैं हाल ही में लगातार चालीस दिन तक अपने निर्वाचन-क्षेत्र में रहा हूं तथा मुझसे मेरे तमिल-भाषी मतदाताओं द्वारा बार-बार यह पूछा जाता रहा है कि '**हवाला**' शब्द का क्या अर्थ है। महोदय, अतः मुझे उम्मीद है कि आप मुझे यहां बोलने के लिए दिये गये इस अवसर पर यह स्पष्ट करने की अनुमति प्रदान करेंगे कि **हवाला** लेन-देन ऐसे गैर कानूनी विदेशी विनिमय लेन-देनों से संबंधित है, जोकि प्राधिकृत भारतीय रिजर्व बैंक के तरीकों के दायरे से बाहर हुए हैं। अब, हमें विदित है कि वर्ष 1956 में कड़ाई से लागू किये गये विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों की तारीख से ही ये गैर-कानूनी लेन-देन भारत नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। यह भी विदित ही है कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था पनपती है, वैसे ही काले धन में भी वृद्धि होती है। इन जांच-पड़तालों के होने तक यह विदित नहीं था कि व्यक्तिगत रूप से कुछ व्यापारी विशेष जोकि अनाधिकृत रूप से तथा भारतीय मुद्रा को विदेश भेजने तथा विदेशी मुद्रा को अनाधिकृत रूप से देश में लाने में सफल हुए थे- उस धनराशि/मुद्रा का पैमाना क्या है। **हवाला** लेनदेन में संलिप्त धनराशि का पैमाना उग्रवादी गतिविधियों की जांच करने के फलस्वरूप उभर कर सामने आया। ऐसी बात नहीं है कि इस मामले में जितनी धनराशि संलिप्त थीं- जिनका कि एक छोटा-सा हिस्सा उग्रवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में जाता था—उनके बारे में रहस्योद्घाटन किसी अकाट्य आधार पर तत्काल जो साक्ष्य उपलब्ध थे, उनसे हुआ हो। यह प्रक्रिया अन्य ढंग से चली थी। सबसे पहले तो हमें यथासम्भव गहराई से एवं विस्तार से यह जांच करनी पड़ी थी कि जम्मू एवं कश्मीर में व्याप्त उग्रवाद में उन दो बेकसूर छात्रों की क्या भूमिका थी, जिससे कि यह स्पष्ट हो गया था कि ये दो भद्रपुरुष किसी प्रक्रिया से अलग नहीं थे, बल्कि एक ऐसे ढांचे के अंग थे जो कि न केवल देश के भीतर चल रहा षडयंत्र था बल्कि एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय षडयंत्र का अंग थे, जिसमें कि धनराशि के व्यापक अंतरणों एवं इसके साथ-साथ हथियारों की तस्करी भी शामिल थी, जो कि भारत में ही हो रही थी। जब आपके सामने इस प्रकार की जानकारी आयेगी तो क्या आप प्रेस को इसकी जानकारी देने को आतुर नहीं होंगे; क्या आप इसे समाप्त करने के लिए नहीं दौड़ेंगे। आप ऐसी स्थिति में आप सावधानीपूर्वक कदम आगे बढ़ायेंगे।

12.34 म.प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इस मामले में सावधानीपूर्वक एवं पूरी तरह प्रमुख रूप से यह स्पष्ट करना अनिवार्य था कि कश्मीर में उग्रवाद को कौन वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, इस मामले में कौन-सी एर्जेसियां संलिप्त हैं, उनके विदेशी सरकारों से क्या संबंध हैं, विदेशी हस्तक्षेप कहां से होता है तथा भारत में ऐसे विदेशी हस्तक्षेप में सहयोग करने वाले कौन लोग हैं, आदि-आदि। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे कि पुलिस जांच की थोड़ी-सी भी जानकारी है, वह आपको यह बताएगा कि किसी बात का रहस्योद्घाटन करने की प्रक्रिया को पलटने का अक्सर सबसे बढ़िया तरीका उसका समय से पूर्व खोलना है। आपको अत्यंत सावधानीपूर्वक चलना पड़ता है; आपको यह समझने की जरूरत पड़ती हैं कि आपके सामने जो साक्ष्य आ रहे है, यद्यपि वे साक्ष्य भौंचक्का कर देने वाले होते हैं फिर भी वह हिमशैल के टुकड़े के समान होते हैं अर्थात्, उसका सतही अंश मात्र होते हैं। वास्तव में जब उसका यह सतही अंश इतना अधिक भौंचक्का कर देने वाला होता

है तो वह सारी बात और अधिक चौंकाने वाली होती है। अतः, वर्ष 1991-92 एवं 1993-94 के दौरान उग्रवाद के प्रश्न पर इस दृष्टि से सबसे पहले केन्द्रीय जांच ब्यूरो का ध्यान गया कि हवाला लेनदेन की धनराशि और आतंकवाद के बीच आपस में कोई सहमति है। ब्यूरो हवाला मामले में अंतर्गस्त धनराशि का पता लगाने की प्रक्रिया में हवाला लेनदेनों में अंतर्गस्त धनराशियां तथा अनेक विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के राजनीतिज्ञों, सिविल सेवा में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, पुलिस तथा व्यापारियों सहित सरकारी कर्मचारियों को व्यक्तिगतरूप से किये गये संदायों की राशियों जैसा कि श्री वाजपेयी जी ने निपुण तरीके से उजागर किया है- के बीच कतिपय संबंध अनधिकृत रूप से उत्पन्न हो गये।

अध्यक्ष महोदय, इस सारी प्रक्रिया के दौरान, मेरे विचार से इस सभा एवं इस देश की जनता के सम्मक्ष, यह सुस्पष्ट करना जरूरी होगा कि इस मामले की प्रगति के बारे में उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया जाता रहा है। उच्चतम न्यायालय को अवगत कराते रहने का कारण जनहित मुकदमों की प्रक्रिया है तथा जनहित मुकदमें लोकतंत्र का अभिन्ने अंग हैं। सभा के हमारी तरफ के सदस्यों को लोक हित मुकदमों को इस देश में विधायी प्रक्रिया के अंग के रूप में सम्मिलित करवाने में हमारे द्वारा अदा की गई भूमिका पर गर्व है। अतः हमें खुशी हुई कि किसी जागरूक अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय में शिकायत दायर की कि इस मामले में पर्याप्त जांच नहीं की जा रही है। उसने अपनी शिकायत जैसा कि हमें श्री वाजपेयी जी ने बताया है- लगभग अढ़ाई वर्ष पहले सन् 1993 में दायर की थी। उस समय के बाद उच्चतम न्यायालय को इस मामले की प्रक्रिया एवं जांच प्रगति से निरंतर अवगत कराया जाता रहा है। यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी संसद के अलावा हमारे प्रजातंत्र की रक्षा करने में संलिप्त अन्य प्रमुख सांवैधानिक प्राधिकरण अर्थात् उच्चतम न्यायालय को किसी भी तरीके से अंधेरे में रखा गया हो। उन्हें लोक हित मुकदमें की तारीख से ही लगातार इस मामले के बारे में जानकारी मिलती रही है तथा उन्होंने बिल्कुल सांवैधानिक तरीके से कार्यवाही की है, उदाहरणार्थ 1996 के प्रारम्भ में हमने इस मामले में संलिप्त राजनीतिज्ञों के विरूद्ध भी आरोपपत्र दाखिल करने शुरू कर देने चाहियें।

महोदय, अब इस मामले पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो एवं उच्चतम न्यायालय को ही यह निर्णय लेना है कि ये मामले पंजीकृत करने के काबिल हैं अथवा नहीं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो 16 जनवरी, 1996 इस बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी कि वह जैन डायरी में उल्लिखित सभी 115 राजनेताओं के संबंध में अपना जांच कार्य पूरा कर पाई है अथवा नहीं। मैं आगे यह भी कहना चाहता हूं कि इन 115 नामों के उल्लेख का सुस्पष्ट रूप से जिक्र नहीं किया गया है। इसमें इन व्यक्तियों के नाम एवं उनके नाम के सामने धनराशि का जिक्र नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ, यदि श्री जैन से मेरा भी कोई लेन-देन होता मेरा प्रसन्नतापूर्वक यह कहना है कि मैं इस मामले में संलिप्त नहीं था - तो मेरे नाम का भी इस प्रकार उल्लेख होता यथा श्री मणि शंकर अय्यर- इतने लाख रुपये। उसमें कुछ संकेताक्षर भी हैं, जिनका खुलासा किया जाना है। वे किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा नहीं लिखे गए। वे एक मुंशी द्वारा लिखे गये संकेताक्षर हैं। अभी भी यह पूर्णतया स्पष्ट नहीं हो पाये हैं। उदाहरण के लिए, 'के.के' अक्षरों का अर्थ किसी कांग्रेसी सांसद से है अथवा "के.के." शब्द किसी भूतपूर्व सांसद के अद्याक्षर हैं, जिनमें कि अन्तिम शब्दों को छोड़ दिया गया है। इन्हीं मुद्दों पर हमारी प्रेस एवं हमारी जनता में आमतौर पर संदेह उत्पन्न होता है। इसके बाद, यह अंदाजा मत लगाइये कि जब 3 मई, 1991 को जैन डायरियां जब्त की गई थी और हमने उन्हें खोला था तथा उसमे आपको एक ऐसी सूची मिली थी जिसमें कि यह आरोप लगाया गया था कि पैसा दिया गया है। यह बात इस तथ्य से बहुत दूर है। एक मुंशी ने उन डायरी में एक ऐसी भाषा में संकेताक्षर लिखे हुए थे, जोकि केवल उसी को विदित थे तथा वे न तो मानक रूप में थे और न ही किसी ऐसे ढंग से लिखे हुए थे कि कोड़ को आसानी से समझा जा सके।

काफी समय से ऐसा प्रतीत होता है कि इन में से कुछ अद्याक्षरों अथवा संकेताक्षरों का सी.बी.आई. ने कुछ हद तक खुलासा कर लिया है। उस समय सी.बी.आई. ने ठोस साक्ष्य के अभाव में 15 जांचें की थी तथा इनमें संलिप्त व्यक्तियों से निबटना ऐसा ही था जैसा कि यदि आप उनके विरूद्ध कीचड़ उछालेंगे, तो उस से समूची व्यवस्था पर आंच आयेगी। अतः वे 'सी.बी.आई.' अपने को प्राप्त शक्तियों के अनुरूप सही ढंग से इस मामले में कार्यवाही कर रहे थे वे अपने अधिकारों के अनुरूप यद्यपि, उच्चतम न्यायालय, जिसे इस विषय पर टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है ने यह कहा था कि जिस गति से कार्य चल रहा है, वह उसकी प्रगति से संतुष्ट नहीं हैं। जांच एजेंसी से इस मामले को जल्दी निबटाने के लिए कहा गया तथा इसके लिए लक्षित समय देना प्रारम्भ कर दिया। तब से अब तक जो भी हुआ है, वह उच्चतम न्यायालय के निदेशों के परिणामस्वरूप हुआ है तथा चूंकि सी.बी.आई. ने स्वयं स्वीकार करके कहा है कि उसने जैन डायरी में प्रस्तुत सभी प्रविष्टियों पर अभी समूची जांच पूरी नहीं की है। अतः, स्वाभाविक ही है कि उनमें से कुछ मामले ऐसे स्तर पर हैं जिनमें कि आप वास्तव में आरोप-पत्र दाखिल कर सकते हैं तथा कुछ ऐसे स्तर पर हैं, जिनमें कि आप आरोप-पत्र जारी नहीं कर सकते तथा कुछ मामले ऐसे हैं, जिनमें कि आप आगे कार्यवाही नहीं कर सकते क्योंकि आगे कार्यवाही करने का कोई आधार विद्यमान नहीं है।

यह कहना कि सी.बी.आई. मनमाने ढंग से चुन-चुन कर नाम ले रही है इन मामलों में ऐसा कहना संस्था की सत्यनिष्ठा पर दोषारोपण करना है। यदि आप सी.बी.आई. की सत्यनिष्ठा पर कीचड़ उछालते हैं, तो इसमें कोई ऐसी गम्भीर बात नहीं हैं। आप इस बात को दोनों तरीके से नहीं कह सकते। आप यह नहीं कह सकते कि सी.बी.आई. की जांच पड़ताल के आधार पर प्रधान मंत्री को दोषी ठहराना उचित है, परन्तु विपक्ष के भूतपूर्व नेता पर दोषारोपण करना सही नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सी.बी.आई. एक संस्था के रूप में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन हो सकता है हम इसके बेहतर कार्य

से संतुष्ट नही हों। हम किसी भी संस्था के बेहतर कार्य से कभी भी संतुष्ट नहीं होते क्योंकि हम संस्था से उससे भी बेहतर कार्य की अपेक्षा करते हैं। यह हमारा अधिकार है। देश में बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जिनका यह मानना है कि संसद अच्छें ढंग से कार्य नहीं कर रही है कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनका यह कहना है कि संसद अत्यंत बेहतर ढंग से कार्य करती है, लेकिन वह बेहतर कार्यकरण भी ज्यादा बेहतर नहीं है।

उस कारण से, आप इस समस्त संस्था और इस सभी, जो यहां बैठे हैं, पर आरोप नहीं लगा सकते-जैसा कि एक न्यायाधीश ने हाल ही में किया है। मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता ने वही ग़लती की है जो उस न्यायधीश ने की थी अर्थात् समस्त संस्था की आलोचना करना।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अपने दोष है। इसमें व्यक्ति है और व्यक्तियों की अपनी सीमाएं है। लेकिन संस्था और इसमें कार्मिकों की सीमाओं के अन्दर, इसने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है और इसने यह इतने निष्पक्ष रूप से किया है कि यहां तक कि लोगों की लघु चयनित सूची में, जहां जांच उस सीमा तक पूरी की गई है जहां आरोप पत्र तैयार किए जा सकते हैं, कई विभिन्न राजनैतिक दलों से सम्बद्ध लोग जाल में फंसते प्रतीत होते हैं। उनमें जाल में फंसने का अर्थ यह नहीं है कि वै दोषी है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं मानता कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी एक बेईमान व्यक्ति हैं। मुझे विगत पांच वर्षों के दौरान श्री लाल कृष्ण आडवाणी के सम्पर्क में आने का अवसर मिला है। इस सभा का सदस्य बनने के शीघ्र पश्चात् मुझे उनके साथ विदेश में लगभग एक सप्ताह यात्रा करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ था। मैं इस बात से अवगत हूं कि उनके विरूद्ध बाबरी मस्जिद गिराने के संबंध में आपराधिक आधारों पर आरोप पत्र दाखिल किया गया है। रिकार्ड में यह है कि उस मामले में उच्चतम न्यायालय को जो आश्वासन दिए गये थे वास्तव में उस दल द्वारा उनका पालन नहीं किया गया। तथापि, मेरा व्यक्तिगत मत यह है- यह पूर्णतया व्यक्तिगत है-कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी एक ईमानदार व्यक्ति हैं। तथापि उनके विरूद्ध आरोप हैं और इन आरोपों का वे उपयुक्त मंच में उत्तर देंगे। इन अर्थों में, जो विलम्ब हुआ है वह गलत मंशा से किया गया विलम्ब नहीं है बल्कि वास्तविक विलम्ब है।

जब तक जांच उचित ढंग से नहीं की जाती, जब तक वस्तुस्थिति के अनुरूप इसे पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक हम उस स्थिति में नहीं, पहुंच पाएंगे जहां उपयुक्त आरोप पत्र दाखिल किए जाएं। महोदय, हमारे पास बोफोर्स मामले का उदाहरण है जिसमें जांच एजेंसियों की ओर से जल्दबाजी से केवल जांच प्रक्रिया में विलम्ब ही हुआ है। 1989-90 में, केवल राजनैतिक कारणों से, बोफोर्स में कथित अदायगी में चल रही जांच प्रक्रिया को पिछली सरकार द्वारा तेज किया गया था जिसके परिणामस्वरूप वे अनुरोध पत्र के साथ विदेशी न्यायालयों में गये जिनमें संशोधन पेंसिल से किए गये थे क्योंकि ऊपर यहां संबंधित अधिकारियों से उन झूठे वायदों को पूरा करने का दबाव था जो उन्होंने चुनावों के दौरान किए थे। इसका परिणाम यह रहा कि हमें कई यूरोपीय देशों में मूर्ख बनाया गया है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारे लिए उस तरह की गलती को दोहराना आवश्यक क्यों होना चाहिए।

जांच में समय लगता है। जांच अधिकारी को जांच पूरी करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। अतः, इस तरह के विलम्ब जो विपक्ष के नेता सभा के ध्यान में लाये हैं, गलत मंशा से नहीं किए गए हैं। इन विलम्बों का कारगर अभियोग में योगदान होगा। दिन के अंत में, जैसा कि श्री वाजपेयी ने कहा है, हम यह चाहते हैं कि दोषियों को दण्डित किया जाये। हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते कि दोषी व्यक्ति उनके अपराधों में जांच पूरी न होने के कारण छोड़ दिये जाये।

फिर चयनात्मकता का दूसरा आरोप आता है।

महोदय, चयनात्मकता के संबंध में, मेरे पास पहले ही यह कहने का अवसर था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपने आप जांच पूरी करके आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। जब इसने अपना कार्य पूरा नहीं किया तो उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे ऐसा करने का निर्देश दिया गया था। अतः, आवश्यक रूप से जितने लोगों के विरूद्ध यह आरोप लगायेगी, वे केवल वे व्यक्ति हैं जिनके संबंध में इसने अपनी जांच पूरी कर ली है तथा उससे वह पूर्णतया संतुष्ट हैं चाहे, न्यायालय व अन्य उक्त जांच से संतुष्ट न हो। और इस संबंध में वह आरोप पत्र दाखिल करने के लिए तैयार थी। अतः चयनात्मकता की इस प्रक्रिया में, किसे सर्वाधिक हानि हुई है? हां, यह सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी संसद में अपने सर्वाधिक योग्य नेताओं में से एक की सेवाओं से वंचित हो गई थी। तथापि, इसको उन सेवाओं से इसीलिए वंचित होना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा से सदन की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। मैं समझता हूं कि यह उनकी बहुत दयनीय स्थिति है। मेरे विचार से यदि श्री आडवाणी इस सभा से हटने के बजाय यहां यह बताने के लिए होते कि क्या उन्होंने उक्त साठ लाख रुपये लिए अथवा नहीं, तो यह बहुत उपयोगी होता। जहां तक मुझे जानकारी है, उन्होंने अभी तक उक्त धनराशि लेने अथवा न लेने की बात की पुष्टि नहीं की है और न ही उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने वह क्यों ली।

मैं यह अवश्य जानना चाहूंगा, मैं...**(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : आडवाणी जी ने सार्वजनिक रूप से इससे इन्कार किया है। सार्वजनिक बैठक में उन्होंने यह कहा है, "यदि ये आरोप सिद्ध हो जायें, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।" **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : आप उनको बोलने दीजिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पाठक जी, धन्यवाद।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : अपनी बात कहे जा रहे हैं। जो कहना चाहिए, वह नहीं कह रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक : कृपया इसे ठीक कीजिए।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप कृपया जारी रखें।

(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : मेरा संक्षिप्त प्रश्न यह है कि श्री आडवाणी हमें वह सब कुछ बताने के लिए यदि इस सदन में होते, जो उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में कहा है, तो यह बहुत अच्छा होता। हमें यह अवसर नहीं मिला। हो सकता है कि श्री आडवाणी की ओर से कोई अन्य वक्ता यहां कुछ स्पष्टीकरण दें। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि यदि उन्होंने अपने एक सर्वाधिक योग्य साथी को खो दिया है तो हमने अपने सात साथियों को खो दिया है। श्री माधव राव सिंधिया 1984-89 की सरकार में पूरे पांच वर्ष रेल मंत्री रहे थे, जिनकी व्यापक रूप से सराहना हुई और यहां उनके पार्टी सहयोगियों द्वारा निश्चित रूप से जिनको सर्वाधिक योग्य मंत्री समझा जाता है। जब उजबेगिस्तान एयरबेज दुर्घटना पर उन्होंने त्यागपत्र दिया तो हममें से अधिकांश को इस पर खेद था कि उन्हें जाना पड़ा। अब वे इस मामले के कारण बाहर हो गये हैं। चयनात्मकता कहां है? हमने उस व्यक्ति को खो दिया है जिसने उनके विरूद्ध कई लड़ाइयों में हमारा नेतृत्व किया था। श्री विद्याचरण शुक्ल। हमने उन्हें क्यों खोया है? क्या यह चयनात्मकता है? हमने श्री बलराम जाखड़ को खो दिया है, जिन्होंने अध्यक्ष को शोभायमान किया था। के आसन को सुशोभित किया जिस पर आप बैठे हैं। वे इस सभा के पीठासीन अधिकारी चुने गये थे, एक सत्र के लिए नहीं, एक लोक सभा के लिए नहीं, बल्कि लगातार दो के लिए। हमने अपने इन सहयोगियों को खो दिया है और यह सुझाव देना कि चयनात्मकता का सहारा विपक्ष के एक या दो सदस्यों की राजनैतिक प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए और पार्टी में राजनैतिक प्रतिद्वन्दियों से निपटने के लिए लिया गया है, का अर्थ यह सुझाव देना है कि इस पार्टी में हम भा.ज.पा. के स्तर तक गिर गये हैं।

हमें इस बात की पूरी जानकारी है कि इस विरोध का तीन चौथाई भाग भा.ज.पा. में आंतरिक पार्टी प्रतिद्वन्दिता का परिणाम है। मैं व्यक्तिगत रूप से श्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी शुभ कामनाएं देना चाहता हूं क्योंकि मैं उनको उसी विचारधारा से संबंद्ध नहीं समझता जिससे उनके पीछे बैठने वाले अधिकांश सदस्य संबंद्ध है। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि इस आत्मघाती पार्टी लड़ाई के परिणामस्वरूप वे भा.ज.पा. के चुनाव जीतने की स्थिति में, जो संभव नहीं लगती, भा.ज.पा. के भारत के संभावित प्रधान मंत्री के रूप में उभर कर सामने आये हैं। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि उनके आंतरिक झगड़े - आखिरकार हमें यह नहीं भूलना चाहिए- कि श्री आडवाणी गांधीनगर से संसद सदस्य बने थे, जिस शहर से उनका कोई संबंध नहीं है, केवल इसीलिए कि श्री शंकरसिंह वाघेला ने उनके लिए सीट खाली की थी, अब श्री वाघेला कहते हैं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी महानतम हैं तथा श्री आडवाणी सर्वाधिक खतरनाक हैं, इसलिए, श्री आडवाणी गांधीनगर से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। उनकी ओर से अपनी सीट से त्यागपत्र देना और यह कहना कि वे फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे उनकी और अत्यधिक बुद्धिमत्तापूर्ण कदम है। अतः चयनात्मकता का आरोप लगा कर इस संसद अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा इस सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल न कीजिए। चयनात्मकता उस प्रक्रिया का एक भाग है जहां एक एजेंसी जो अपना कार्य पूरा करने में अधिक समय लेना चाहती है, उसे वह समय प्रदान करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती और उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की जांच प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तैयार होने से पूर्व आरोप पत्र दाखिल करने के लिए बाध्य किया जाता है।

महोदय, तीसरे, श्री वाजपेयी ने कहा है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर दबाव डाला गया है। मेरे विचार से इस तरह के आरोप को केवल लगाने की अपेक्षा साबित करने की अधिक आवश्यकता है। इसकी जांच करने के लिए हम एक स्वतंत्र एजेंसी चाहते हैं। लेकिन हमें उस विषय को अपने आप में विचार योग्य समझना चाहिए।

जब 1977 से 1979 तक भारत में जनता पार्टी की सरकार सत्ता में थी, उस समय भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त एक जांच एजेंसी की उतनी ही आवश्यकता थी, जितनी की आज है। जब श्री वी.पी. सिंह सत्ता में थे और जिन्हें यहां उपस्थित हमारे सभी मित्रों का समर्थन प्राप्त था, उस समय भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त जांच एजेंसी की उतनी ही आवश्यकता थी जितनी की आज हो सकती है। ये ऐसे मामले हैं, जिन्हें सामान्य संदर्भ में उठाये जाने की जरूरत हैं। इस विशिष्ट संदर्भ में, जिसका प्रस्ताव में **हवाला** मामले के रूप में उल्लेख किया गया है, यह जो नई चाल चली गई है, यह चाल चलना उचित नहीं है, मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया में हम भी शामिल हैं। इस समय हमारे पास केन्द्रीय जांच ब्यूरो एक जांच एजेंसी है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने ही भारत सरकार के सात मंत्रियों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किये हैं। इसने विपक्ष के एक प्रमुख सदस्य और वस्तुतः विपक्ष के अनेक सदस्यों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किये हैं। अतः, इसे अपना काम करते रहने की अनुमति दी जानी चाहिये। और विशेष अभियोजक, जैसाकि संयुक्त राज्य अमरीका में वाटर गेट कांड की जांच के लिए नियुक्त किया गया था, की तरह एक स्वतंत्र जांच प्राधिकरण गठित करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है लेकिन नियम 184 के अंतर्गत पेश किये गये किसी प्रस्ताव अथवा संकल्प के आधार पर इस पर विचार करना कठिन है।

चौथे, श्री वाजपेयी जी ने तथाकथित **हवाला** मामले में प्रमुख अभियुक्तों में से एक के संबंध में एक के । मार्च, 1996 का ब्यान

उद्धृत किया था। मैं समझता हूं कि मेरे लिए उस पर जोर देना आवश्यक है। और जो श्री युनूस सलीम ने बात कही है और जिसका भूतपूर्व न्यायाधीश ने अपनी बुद्धिमत्ता से पूरा प्रतिरोध किया था। यह बात समझ से बाहर है कि अगर कोई बयान न्यायालय में भी अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उसे इस सभा में उद्धृत किया जा सकता है। उसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन हम कौन से ब्यान की बात कर रहे हैं। इस ब्यान पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। यह एक अपरिपुष्ट ब्यान है। यह एक अस्वीकार्य ब्यान है। मैं चाहता हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने सार्वजनिक जीवन में कुछेक मानदंडों का पालन करें। अगर कोई आरोप लगाया जाता है तो आरोपी को अपने ब्यान पर हस्ताक्षर करने के लिए कहना चाहिये। आपने उस ब्यान पर उनके हस्ताक्षर नहीं लिये हैं। आप फिर उन पर बिना किसी परिपुष्ट साक्ष्य के आरोप लगाते हैं। अगर उस ब्यान के सम्बन्ध में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के पास परिपुष्ट साक्ष्य हैं, तो वह उसे इस सभा में क्यों नहीं पेश करते? वह इसे न्यायालय में भी पेश नहीं कर सकेंगे क्योंकि ब्यान स्वयं ही अस्वीकार्य हो जायेगा। लेकिन वह इसे सभा में पेश क्यों नहीं करते? उन्होंने 3.50 करोड़ रुपये कहा है। उन्हें यह कैसे पता चला कि ये 3.51 करोड़ अथवा 3.49 करोड़ रुपये नहीं है? यह धनराशि किसने दी? यह राशि कब दी? उन्होंने यह राशि क्यों दी? उन्होंने जो तारीखें बताई हैं, उनका कोई अर्थ ही नहीं है? यहां श्री पी.वी. नरसिंह राव स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की अस्थियों को संगम में प्रवाहित करने जा रहे थे और इनका कहना है कि उस दिन वह पैसा दे रहे थे। उस ब्यान में जो टिप्पणियां की गई हैं, उनमें से अनेक अहस्ताक्षरित, अपरिपुष्ट तथा अस्वीकार्य ही नहीं हैं बल्कि स्पष्ट तौर पर **प्रथम दृष्टया** असंगत है। मेरे विचार में, यह बहुत ही गलत है कि विपक्ष के नेता, जिनका मैं अत्यधिक सम्मान करता हूं यहां उस ब्यान का तो उल्लेख करते हैं लेकिन उसका नहीं जिसका सम्बन्ध उनके पार्टी सहयोगियों से है। वह यहां किसी ब्यान की बात कैसे कर सकते हैं और आपके इस विनिर्णय के पश्चात् कि अगर कोई ब्यान सदन में रखा जाता है तो वह पूर्ण ब्यान होना चाहिये और फिर यह कहें, "ठीक है, मैं सभा में वह ब्यान नहीं रख रहा हूं बल्कि सिर्फ इसका उल्लेख कर रहा हूं", और उल्लेख करते समय केवल उन्हीं ब्यानों का उल्लेख करें जो इस सभा के एक सदस्य के विरूद्ध तो है लेकिन दूसरे के नहीं? क्या यह ठीक है? क्या यह न्यायोचित है? क्या यह सम्माननीय है? क्या किसी अन्य जांच एजेंसी की योग्यताओं पर टिप्पणी करने का यही तरीका है?

उसके पश्चात्, महोदय, आपने कहा कि हमें स्पष्टता चाहिये और आरोपों का जवाब अवश्य दिया जाना चाहिये। इसीलिए यहां यह चर्चा की जा रही है। ऐसे आरोपों का, जो सार्वजनिक रूप से इस सभा की बैठक होने से पहले ही लगाये जा रहे हों, जवाब देना मुश्किल है। इस सभा की बैठक 26 तारीख को हुई थी और पिछले सत्र की भांति इस बार भी विपक्ष में आपके आचरण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई शंकाओं के कारण चर्चा नहीं की गई थी। कल पूर्ण तौर पर अनावश्यक प्रक्रियात्मक व्यवधान डाला गया जिसे, जैसाकि माननीय अध्यक्ष ने सुझाया था, शुरू में ही सुलझाया जा सकता था।

अब, हमने बात करनी शुरू कर दी है और इस समय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थित हैं और सत्तारूढ़ पक्ष के सभी सदस्य यहां मौजूद है। आपको जो कहना है, हम उसका जवाब देने के इच्छुक हैं। हम अपने लोगों के लिए, इस संसद के लिए न्याय की मांग करने में आपका साथ देने के इच्छुक हैं। लेकिन समाचार पत्र दीर्घा से सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किसी को **मौनी** बाबा अथवा **धरणी बाबा** अथवा कुछ कहना, संसद की गरिमा के अनुरूप है? अतः, विपक्ष पर गंभीर मुद्दों को महत्वहीन बनाने का आरोप है।

इस मुद्दे पर बोलने के लिए यहां प्रधान मंत्री जी मौजूद हैं। उनके मंत्रिमंडल के लोक सभा के अधिकांश सहयोगी तथा राज्य सभा के सहयोगी यहां उपस्थित हैं। निश्चित रूप से उनके सभी लोक सभा सहयोगी यहां उपस्थित हैं। विपक्ष को जो कुछ कहना है, उसे ध्यान से सुनने के लिए हम यहां बैठे हुए हैं। दुर्भाग्य से, जितना ध्यान हम दे रहे हैं, वह उस साक्ष्य, जिसे हमारे सामने पेश किया जा रहा है, की गंभीरता से मेल नहीं खाता।

पांचवे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के इस आरोप, कि जांच अधिकारी को उसके पद से हटा दिया गया था और चार महीने तक कोई काम नहीं दिया गया, के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि यह सच है कि वह व्यक्ति केन्द्रीय जांच ब्यूरो में एक मध्यम स्तर के अधिकारी के रूप में काम कर रहा था। यह भी सच है कि उनका चन्द्रशेखर ग्रुप के जाने-माने दलबदलू के साथ खून का रिश्ता है, जो अब भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ा रहा हैं...**(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक : महोदय, वह उस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने सी.बी.आई. के एक आफिसर की और इशारा किया था। अब हमारे मित्र मणि शंकर अय्यर जी उस आफिसर का किसके साथ संबंध है, किसके साथ रिलेशन है, इसका उल्लेख करने जा रहे हैं। आप देख लीजिए, क्या यह उचित है? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : अब वह व्यक्ति अपने अन्य सैकड़ों सहयोगियों की भांति भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी हैं। किसी पद विशेष पर इन सभी अधिकारियों को कितने समय के लिये नियुक्त किया जाता है, इसके सम्बन्ध में भारत सरकार के कार्मिक विभाग के सामान्य विनियम लागू होते हैं।

वह व्यक्ति श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे, जिन्होंने दिसम्बर, 1978 में करांची स्थित वाणिज्य दूतावास में मुझे एक सिविल

सेवक के रूप में भेजा था। मैंने इराक में अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। मैं वहां केवल दो वर्ष ही रहा था, मुझे वहां तीन वर्ष के लिए भेजा गया था। अब विदेश मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी को मुझे इराक से हटाकर कराची भेजने की न जाने क्या शरारत सूझी? मेरा उत्तर है, जी नहीं, उनकी कोई शरारतपूर्ण मंशा नहीं थी। हमेशा जनउद्देश्य का ध्यान रखा जाता है। भारत का वाणिज्य कराची में हाल में खुला था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की सूची देखकर मेरे विचार में बुद्धिमत्तापूर्वक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस कार्य के लिए उपलब्ध बेहतरीन अधिकारी मणि शंकर अय्यर ही थे।

जब मैं वहां गया तो उनके उत्तराधिकारी ने एक और गलती की। मेरे तीन साल 14 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हो रहे थे, लेकिन मैं वहां 2 जनवरी, 1982 तक रहा। क्या आप उस मंत्री पर जो और कोई नहीं श्री पी.वी. नरसिंहराव ही थे इस सदन में यह आरोप लगायेंगे कि उन्होंने मुझे निर्धारित कार्यकाल से 16 दिन अधिक उस पद पर रखा था? श्री वाजपेयी जी जानते हैं कि वह बहुत कम समय के लिए मंत्री रहे थे, लेकिन वह एक समर्थ मंत्री थे–और यह कि किसी अधिकारी को लगभग तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया जाये और फिर उसे हटा दिया जाये अथवा जनहित को ध्यान में रखकर उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाये, यह सामान्य शासकीय प्रक्रियाओं का अनिवार्य अंग है।

अब, यह अधिकारी केन्द्रीय जांच ब्यूरो में अपनी निर्धारित कार्यकाल पूरा कर चुका था। भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी के नाते उनके लिए स्थानान्तरण सम्बन्धी सामान्य नियमों तथा विनियमों का अनुपालन करना अपेक्षित था।

जब जन हित मुकदमें में, जिसे उन्होंने स्वयं चलाया अथवा उनकी ओर से किसी ने चलाया था, न्यायालयों के सामने आया, तो उसी न्यायपालिका ने जिसका श्री वाजपेयी जी सम्मान करते हैं, यह निर्णय दिया कि उस अधिकारी का कार्यकाल समाप्त हो जाने के पश्चात् उसका स्थानान्तरण करना किसी भी प्रकार से गलत नहीं था।

1.00 म.प.

मेरे विचार से हमें उनको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। एक भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मेरे विचार से हमें प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सार्वजनिक पद ग्रहण करने हेतु पद का दुरूपयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। यदि आप में साहस है, यदि आप सार्वजनिक पद ग्रहण करना चाहते हैं, तो जैसा मैंने किया वैसा कीजिए। आप सेवा से त्यागपत्र दीजिए, चुनाव लड़िए, जीतिए, हारिये और लोगों की स्वीकृति प्राप्त कीजिए। एक सेवारत पुलिस अधिकारी सेवा में रहते हुए भा.ज.पा. का प्रकाशस्त भाजपा की प्रतिमूर्ति क्यों बने? एक सेवारत अधिकारी के रूप में उन्हें चुप रहना चाहिए तथा अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। वह राजनीतिज्ञ के रूप में प्रसिद्धि पाने और एक सरकारी कर्मचारी के होते हुए सारे लाभ प्राप्त करने के लिए इस प्रकार प्रणाली का दुरूपयोग नहीं कर सकता है। वह इनमें से एक ही कर सकता है। वह अपनी नौकरी छोड़कर सार्वजनिक जीवन में आकर जो कुछ वह कहना चाहे कह सकता है। लेकिन इससे स्वयं हमारी पुलिस के रैंकों में अनुशासन हीनता प्रोत्साहित होती है। यदि प्रत्येक पुलिस अधिकारी राजनीतिज्ञों के कार्यों पर निर्णय करने के लिए निर्णय करने वाला अधिकारी बनता है, यदि हमारे लोकतंत्र पर आरोप लगाये जा रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि ऐसे काफी प्रशासनिक अधिकारी हैं जो अपना कार्य करने की अपेक्षा सुर्खियों में रहना चाहते हैं। उसके कार्यकाल की समाप्ति पर इस अधिकारी को हटाने के बारे में कुछ भी गलत मंशा नहीं है। वह अब भारत सरकार के एक अन्य उत्तरदायी पद पर कार्य कर रहे हैं और उस उत्तरदायित्व के अनुरूप मैं उनसे अपने कर्तव्य सीमा तक ही सीमित रहने का अनुरोध करता हूं। यदि वह कुछ कहना चाहते हैं तो उन्हें यह उपयुक्त माध्यम, उपयुक्त प्राधिकार के माध्यम से कहना चाहिए। श्रीमती मारग्रेट अल्वा अब भी उसकी मंत्री है। वे प्रतिदिन सरकारी कर्मचारियों की सैकड़ों शिकायतें निपटाती हैं, ये शिकायतें प्रशासनिक अधिकारियों तथा राजनैतिज्ञों दोनों, के विरूद्ध होती है और ये सज्जन अपने मंत्री को अपील कर सकते हैं और उसे यह सोचकर कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी बनने जा रहे हैं, अपनी कल्पनाओं का आशियाना नहीं बनाना चाहिए। मैं संबंधित अधिकारी को यह आश्वासन दे सकता हूं कि भा.ज.पा. के सितारे डूब रहे हैं। सारा देश यह जानता है कि इनके अनेक लोग हवाला धन प्राप्त करने वालों में सम्मिलित हैं। उन्हें कोई मत नहीं मिलेंगे और सत्ता में आने का उनका सपना चूर चूर हो जायेगा।

अब, श्री अटल बिहारी वाजपेयी का दूसरा आरोप यह है कि अवैध विदेशी मुद्रा लेन देन की पर्याप्त तेज गति से जांच नहीं की जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि काफी सीमा तक मैं श्री वाजपेयी जी से सहमत हूं। यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत अधिकांश अपराध सामाजिक स्वरूप, मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित थे। लेकिन अब जो अपराध किए जा रहे हैं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। अय्यर जी ने एक अधिकारी के बारे में कहा। अगर वह आम बात कहते तो ठीक था लेकिन उन्होंने कहा कि वह अधिकारी बी.जे.पी. का था। उस पर यह चोट करना मुनासिब नहीं है।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैंने यह नहीं कहा। आप रिकार्ड पढ़ लीजिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप जो शिकायतें कर रहे हैं उसका अर्थ है कि आप वही बात कर रहे हैं।

श्री हरिन पाठक : मैं वही बात नहीं कर रहा हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन के संबंध में इस देश में परम्परागत रूप से यह विश्वास किया जाता है कि आर्थिक अपराध एक श्रेणी में आते हैं अन्य अपराध दूसरी श्रेणी में। अब हमें विशेषकर हवाला मामले के संदर्भ में यह पता लग रहा है कि हवाला लेनदेन में शामिल व्यक्ति तस्करों, हत्यारों, आतंकवाद तथा अन्य कार्यों में आसानी से शामिल हो सकते हैं। अतः, आर्थिक अपराधों तथा अन्य अपराधों में अब तक किया गया भेद ऐसा भेद है जो धारणात्मक महत्व का है लेकिन जिसकी व्यवहार में जांच इस तरह से की जानी चाहिए ताकि आर्थिक अपराधों तथा अन्य अपराधों में संबंध स्थापित हो सके। और यदि उस तरह की प्रणाली केन्द्रीय जांच ब्यूरो में होती तो हम इन निष्कर्षों पर कुछ और शीघ्र पहुंचे होते। अभी भी हम सीखने की प्रक्रिया में हैं। यह सरकार स्वतन्त्र भारत में अब तक रही सरकारों में से सर्वाधिक मुक्त विचारों की सरकार है। यह अपने सदस्यों से विरोध को सुनने के लिए तैयार है। यह विपक्ष से बुद्धिमत्ता तथा परामर्श को सुनने के लिए तैयार है, कभी कभी यह उनको सुनने, उन पर विश्वास करने की गलती करती है, जैसा कि 6 दिसम्बर, 1992 की पूर्व संध्या पर किया था।

लेकिन, आमतौर से, हमारी सरकार मुक्त सरकार है। हम सुझावों को सुनने के लिए तैयार हैं और आर्थिक अपराधों की जांच तथा आर्थिक अपराधों तथा अन्य अपराधों में संबंध की जांच को तेज करने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं, उसे करने के लिए प्रधान मंत्री जी तैयार हैं, इसका मुझे पूरा विश्वास है।

इसे देखते हुए, हमारे देश को खतरा भ्रष्ट नौकरशाहों तथा भ्रष्ट करने वाले पूंजीपतियों से है, जैसाकि श्री वाजपेयी ने कहा है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस देश में भ्रष्टाचार का एक **रावण** है। मुझे इसमें भी कोई शक नहीं है कि **रावण श्री राम** के भक्तों के कैम्प में ही है। मैं श्री वाजपेयी को इस से भी आश्वस्त कर सकता हूं कि कानून का रास्ता 7, रेसकोर्स रोड तथा 10 अशोक रोड से बराबर गुजरता है। अब हमें इस बात की जानकारी है कि 10 अशोक रोड, नार्थ ब्लॉक तथा साऊथ ब्लाक सभी पर आरोप लगाये जा रहे हैं। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वर्तमान खतरे से इस लोकतंत्र, अपने गणतंत्र को बचाइए और इस प्रजातंत्र को बचाने के लिए इस जिहाद में शामिल होवें। इसके लिए हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक उपाय करने हैं।

नम्बर एक; भगवान के लिए इस सभा को चलने दे। भगवान के लिए, हम उसी तरह से बोलें जैसे हम आज सुबह बोल रहे थे। स्थिति यह रही है कि विगत सत्र में तेरह दिनों तक इस सभा को नहीं चलने दिया गया और उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि जिस व्यक्ति के संबंध में आपने इस सभा को नहीं चलने दिया था उसे उन सभी आरोपों से बरी कर दिया है जो आपने उसके विरूद्ध लगाये थे और...**(व्यवधान)**...अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार पर किसी भी पार्टी का एकाधिकार नहीं है। अभी हाल ही में राज्य सभा का चुनाव हुआ था। एक विशेष पार्टी के प्रत्याशी द्वारा जोड़ तोड़ से छः अतिरिक्त मत हासिल कर लिए। उनमें से प्रत्येक पर आरोप लगाये जा रहे थे कि प्रत्येक को 25 लाख रुपये में खरीदा गया है। यदि राज्य सभा में एक और स्थान खरीदने के लिए इतनी धनराशि का प्रयोग किया जा रहा है, तो समस्त सरकार को बचाने के लिए तो यह बहुत छोटी राशि है, यह आप अनुमान लगा सकते हैं। इससे मैं सीधे लगाये गये आरोपों पर आ जाता हूं।...**(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : आन्ध्र प्रदेश में क्या हुआ है? आपने भी करोड़ों रुपये खर्च किए हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : इससे मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी के उस आरोप पर आता हूं जो उन्होंने सभा के समक्ष प्रस्ताव में दूसरे भाग के संबंध में लगाया था अर्थात् यह कि सरकार ने कुछ संसद सदस्यों को कथित भुगतान के आरोप पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। महोदय, राजनैतिक तथ्य, जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए, वह यह है कि विपक्ष का एक भाग ऐसे लोगों का है जिन्होंने एक पार्टी से दूसरी पार्टी में दल बदल करना अपना व्यवसाय बना लिया है। यह भा.ज.पा. के संबंध में सत्य नहीं है। कम से कम ऐसा हाल ही तक अर्थात् श्री महतो के मामले में ऐसा नहीं था और यह हमारे वामपंथी साथियों के संबंध में भी सत्य नहीं है जिनकी मेरे विचार से अपनी एक वैचारिक प्रतिबद्धता है जिसकी हम केवल प्रशंसा कर सकते हैं। वे उतने ही अच्छे साम्यवादी हैं जितना मैं एक कांग्रेसी हूं। मैं उनमें कभी भी शामिल नहीं होगा क्योंकि वे कभी भी मेरे दल में शामिल होना नहीं चाहेंगे। लेकिन यदि आप भा.ज.पा. तथा वामपंथी मोर्चा को एक तरफ छोड़ दें तो आप पायेंगे कि राष्ट्रीय मोर्चा में ऐसे लोग हैं जिनका भूतकाल रंग बिरंगा रहा है। उन्होंने काफी दल बदल किया है और जहां एक दल बनाते हैं तो मैं राष्ट्रीय मोर्चा को राजनैतिक गठन को समझने का एकमात्र रास्ता जीवविज्ञान को याद करना है जो हमने स्कूल में पढ़ा था। स्कूल में मुझे पढ़ाया गया था कि अमीबा के विभाजन से नए जीव की उत्पत्ति होती है और हाईड्रा की स्वप्रजनन से उत्पत्ति हो जाती है। अमीबा तथा हाईड्रा की तरह राष्ट्रीय मोर्चा के ये सदस्य आते हैं, जाते हैं, विभाजित होते हैं, आज उनमें प्यार है, कल वे एक दूसरे के साथ लड़ रहे होंगे। यह नजारा हमने कल देखा जब श्री अब्दुल गफूर यह बता रहे थे कि जब वे एक दूसर पर आरोप प्रत्यारोपण लगाने शुरू करते हैं, तो क्या होता है।

जब हमें अस्थिर राजनीतिक अस्तित्व मिला है, जब राष्ट्रीय मोर्चा के सदस्यों द्वारा इस देश में राजनीतिक अवसर वादिता की परंपरा विकसित की जा रही है तो यह आश्चर्यजनक नहीं है। ...**(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : इसकी शुरूआत आपके दल से हुई...**(व्यवधान)** आपने राष्ट्रीय मोर्चे के अनेक सदस्यों को अपने दल में मिला लिया है।

श्री मणि शंकर अय्यर : यह संस्कृति आंध्र प्रदेश में भी फैल रही है।...**(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : यह कांग्रेस दल ही जो बदल को बढ़ावा दे रहा है।...**(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर : वे श्री एन.टी.आर. के नाम पर चुने गए थे और फिर एन.टी.आर. के दामादों ने वही काम किया जैसा सद्दाम हुसैन के दामादों ने सद्दाम हुसैन के साथ किया था।...**(व्यवधान)**

अवसरवादी और व्यक्तिगत कारणों से राजनीतिक दलों का गठन करना, उसका विखण्डन करना, और फिर से गठन करना कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल जो 110 वर्षों से अस्तित्व में है, की राजनीतिक संस्कृति नहीं रही है। चाहे हम हारे हों या जीते हों हम कांग्रेस में ही रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तमिलनाडु राज्य का रहने वाला हूं। तमिलनाडु में कांग्रेस पिछले तीस वर्षों से सत्ता में नहीं रही है। वास्तव में यह कोई नहीं जानता है कि क्या वह अगले तीस वर्षों में भी सत्ता में वापस आयेगी। परन्तु तमिलनाडु की हर गली, हर गांव, हर बस्ती और हर मोहल्ले में कांग्रेसी लोग हैं और गर्व से कहते हैं कि 'हम कांग्रेसी हैं।' हमारा संबंध इस दल से है और यदि हममें से कुछ लोग ऐसे हैं जो टूट कर दूसरे दल में चले जाते हैं और अवसर पाकर फिर कांग्रेस में लौट आते हैं, तो इसके लिए हमें सभा में स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है।

इस मामले की सच्चाई यह है कि 6 दिसम्बर, 1992 को जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, इस सभा में गैर भारतीय जनता पार्टी वर्ग की सर्वसम्मत भावना यह थी कि मस्जिद ढ़हाने वालों का राजनीतिक बहिष्कार किया जाए। छह या सात महीनों के भीतर राष्ट्रीय मोर्चे और वाम मोर्चे के लोग सरकार को गिराने के लिए उस अस्विकार्य भाजपा के साथ मिल गए थे। किस लिए? क्या यह सब एक स्वांग था? आपने उस समय हमें नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया। हम अटल रहे और जब अनेक भूतपूर्व कांग्रेसियों को इस बात का अहसास हुआ कि वे गलत दल में हैं तो उसी समय राजनीतिक रूप से चुने गए व्यक्तियों का एक समूह जो हमारे देश के केवल एक आर्थिक दुर्दशाग्रस्त क्षेत्र ही नहीं बल्कि वास्तव में बहुत दबे हुए क्षेत्र से हैं जो प्रधान मंत्री श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री श्री चन्द्र शेखर और मुख्य मंत्री लालू प्रसाद यादव के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, वे भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे जिस पर कि जार्ज फर्नान्डीज पहुंचे थे कि लालू प्रसाद यादव पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : लालू प्रसाद यादव नहीं रहते तो कोई जीतकर नहीं आता ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : इन लोगों को तब इस बात का अहसास हुआ कि यद्यपि वे लालू प्रसाद यादव की सहायता से जीते हैं फिर भी उन्हें गंगा के उत्तर में रह रहे बिहारियों द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्त कराने की उनकी मुख्य मांग पूरी होने की कोई आशा नहीं थी। इसीलिए वे उस राजनीतिक दल विशेष रूप से श्री राजीव गांधी के शासनकाल के दौरान और अभिमुख हुए जिसने इतिहास पर्यन्त बहुत छोटे समुदायों को संरक्षण दिया है। हमने चकमाओं, लखेर और गोरखाओं को ज्योति बसु के शासन के अत्याचार से बचाया। हमने त्रिपुरा की जनजातियों को नृपेन चक्रवर्ती के अत्याचारों से बचाया। मिनिकाय के लोग भी लक्षद्वीप के लोगों से उन्हें जो कठिनाइयां भी उन्हें लेकर हमाने पास आए। कांग्रेस और झारखण्ड मुक्ति मोर्चा भारत के बहुत छोटे अल्पसंख्यक समुदायों की सबसे बड़े संरक्षक हैं जिन पर राष्ट्रीय मोर्चे और भारतीय जनता पार्टी गैर कानूनी आर्थिक दबाव डाल रही है क्योंकि मैं यह जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री महतो को भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए कितना धन दिया। यह बात सही है कि झारखण्ड मुक्ति मोर्चा कहीं पर सहायता का अपेक्षा करता है, उस दल की तलाश कर रहा है जो निहित-स्वार्थ से ऊपर उठकर उनकी रक्षा करे, एक ऐसे दल की तलाश कर रहा है जो राष्ट्रीय हितों को अधिक महत्व देता है और इसीलिए वह हमारे पास आए। मैं प्रधान मंत्री जी से अनुराध करता हूं कि उनकी मांगे पूरी की जाये जहां तक मेरा संबंध है, मुझे पूरा विश्वास है झारखण्ड मुक्ति मोर्चे की मांगे उचित हैं। मैं चाहता हूं कि उन मांगों को जुलाई, 1993 के उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की परवाह किए बगैर तत्काल पूरा किया जाना चाहिए।....**(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री रूप चन्द पाल : आपकी पार्टी के फोर्मर मिनिस्टर जेल में हैं। क्या नेशनल इंटरेस्ट के लिए? ....**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर : लेकिन वे लोग नियम 184 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव ला रहे हैं जिसमें संसद सदस्यों को कुछ धन दिए जाने के बारे में आरोप लगाए गए हैं। और उन आरोपों की जांच नहीं की गई है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि यदि उन्हें यह मालूम होता कि इस सज्जन ने 40 लाख रुपए लिए हैं तो वह उन्हें अपने दल में सम्मिलित नहीं करते। श्री वाजपेयी को उस सज्जन का नाम भी मालूम नहीं है। आप समाचार पत्र पढ़िए उन्हें उनका नाम मालूम नहीं है। उन्हें अपने दल के सहयोगी का नाम मालूम नहीं हैं, उनके पार्टी सहयोगियों को यह भी पता नहीं है कि वह महानुभाव अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। वह श्री नीतीश कुमार की जाति के हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ऐसे आदमी को अपने दल में शामिल किया है जिसके स्वयं रिश्वत लेना स्वीकार किया है, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी को मालूम नहीं है और जो दल यह नहीं जानता है कि वह अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। वह अपने एक सदस्य के संबंध में इतने गैर जिम्मेदाराना ढ़ंग से कार्य करते हैं, वह हमारे किसी सदस्य के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इस सज्जन के इस वक्तव्य के बाद कि मैंने 40 लाख रुपए लिए हैं और 20 लाख रुपए अभी खर्च नहीं किए हैं, यह बात उन्होंने समाचार पत्रों

में छपवायी और अब वे संसद में आकर यह पूछ रहे हैं कि प्रधान मंत्री जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप उस महानुभाव से पहले अपने दल से गंदगी दूर करने के लिए कहेंगे? आप इन महानुभाव जिन्होंने कल ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी, को भारतीय जनता पार्टी तुरन्त छोड़नें के लिए क्यों नहीं कहते हैं? उसके बाद हमें यह देखना चाहिए कि क्या वह फिर भी अपने वक्तव्य पर अडिग रहते हैं। फिर हमें उनसे पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने दल में आने के लिए कितना पैसा दिया है क्योंकि यदि वह पेशेवर रिश्वतखोर हैं तो उन्होंने निश्चित रूप से उन लोगों से रिश्वत ली होगी जिन्होंने हवाला एजेंटों से 60 लाख रुपए लिए हैं और इस बारे में अपनी पार्टी हाईकमान को कुछ नहीं बताया। हम पूरी तरह से भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी का विश्वास कैसे कर सकते हैं जो उन सभी जगहों पर बदनाम है जहां इसका शासन है, चाहे महाराष्ट्र में हो या मध्यप्रदेश में चाहे राजस्थान हो या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का नाम अपराधों और भ्रष्टाचार से जोड़ा गया है। ....**(व्यवधान)**... रिश्वत लेने वाला दूसरे को रिश्वत देने वाला नहीं कह सकता है। कुछ भी हो इस अस्थिर व्यक्ति जो झारखण्ड मुक्ति मोर्चे से कांग्रेस में गया और उसके बाद कांग्रेस से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में गया, के वक्तव्य की कोई विश्वसनीयता नहीं हो सकती है। उनका दल ऐसे लोगों से भरा पड़ा है।

मैंने संसद के एक अन्य भूतपूर्व सदस्य श्री यशवन्त सिन्हा का उल्लेख किया जो हाल तक बिहार विधान सभा में विपक्ष के नेता थे। मैंने उनक नाम का उल्लेख उन पर यह आरोप लगाने के लिए नहीं किया कि उन्होंने किसी से धन लिया है, मैंने उनके नाम का उल्लेख उन पर यह आरोप लगाने के लिए किया कि वह चन्द्र शेखर के दल के सदस्य थे। मैंने उन पर मेरे साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा का साथी होने का आरोप लगाने के लिए उनके नाम का उल्लेख किया है, मैं उन पर यह आरोप लगाता हूं कि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो धर्मनिर्पेक्ष परिवार में जन्मे थे, उसमें पले-बढ़े, धर्मनिर्पेक्षता के लिए कार्य करते रहे और उसके बाद विपक्ष का नेता बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। यदि वह इस प्रकार के व्यक्ति हैं, यदि उनकी इस तरह की बदलती रहने की प्रवृत्ति है जहां वे एक दिन बाबरी मस्जिद गिराने के लिए क्षमा मांगते हैं, अगले दिन कहते हैं कि वहां पर कोई मस्जिद नहीं थी वह तो एक विवादित ढांचा था और तीसरे दिन कहते हैं कि यह काम आडवाणी ने किया है, यदि विपक्ष के नेता कहते हैं कि उस समय वह दिल्ली में थे, यदि उनकी विचारधारा की बदलते रहने का यह आधार है तो मैं समझता हूं कि इस गंदी प्रकृति पर हमें किसी भी तरह के आरोप जो कि लगाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से सीखने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक आत्मनिन्दित पार्टी है।* उनकी इस छोटी-सी मांग के मामले को शीघ्रता से निपटाया जाये, जो उच्चतम न्यायालय ने नामंजूर कर दी है...*

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

एक मामला बाबरी मस्जिद से संबंधित है तथा दूसरा यह मुद्दा है ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : श्री मणि शंकर अय्यर जी, मैं इस विषय पर गौर करूंगा।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, अतः मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि यदि हम अपनी संसद की गरिमा बनाये रखना चाहते हैं, अगर हम अपने सदस्यों का सम्मान बनाये रखना चाहते हैं, यदि हम शासन में संसदीय प्रणाली को बरकरार रखना चाहते हैं तथा यदि हम भारत को 26 जनवरी, 1950 को घोषित लोकतंत्र के रूप में ही बनाये रखना चाहते हैं, तो यह उचित समय है जबकि हमें स्कूली बच्चों जैसा व्यवहार करना छोड़ दें।

यही वह समय है, जबकि विपक्षी सदस्यों को सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के विरूद्ध दोषारोपण नहीं करना चाहिये। लाखों मुद्दे ऐसे हैं जो कि जनता के दिलो-दिमाग को आंदोलित कर रहे हैं। इस संसद में गत चार वर्षों के दौरान विदेश नीति, के बारे एक बार भी चर्चा नहीं हुई है क्योंकि विपक्ष ने ऐसे वास्तविक मुद्दों पर चर्चा करने का कभी समय ही नहीं दिया। अतः मैं विपक्ष एवं विशेष तौर पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से यह निवेदन करता हूं कि यदि वह प्रजातंत्र की रक्षा जैसे महान् लक्ष्य-जिसके लिए कि उन्होंने अपने आपको समर्पित किया हुआ है तथा जोकि एक ऐसा लक्ष्य है जिसके संबंध में मैं भी शतप्रतिशत उनके साथ हूं - को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें संसद की कार्यवाही को मर्यादा-पूर्वक चलाना चाहिये। दसवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान ज्यादातर विपक्ष ही ऐसा करने में विफल रही है। अब ग्यारहवीं लोक सभा बनने जा रही है और हम आशा करते हैं कि इसमें विपक्ष की संख्या बहुत कम होगी फलस्वरूप ज्यादा शालीनता रहेगी।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, शायद मेरी आशंकाएं सही नहीं हों। लेकिन मैं आपके ध्यान में यह लाना अपना कर्तव्य मानता हूं कि इसे संसद के एक माननीय सदस्य श्री शैलेन्द्र महतो आज सुबह 10.00 बजे के तुरन्त बाद अपने घर से संसद में आने के लिए रवाना हुए थे।...**(व्यवधान)**...मैं अब सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस बात को इतने हल्के-फुल्के रूप से न लें। यदि सत्तारूढ़ दल का कोई सदस्य अथवा कोई मंत्री उन्हें संसद में आने न आने के लिए प्रभावित करता है अथवा उन्हें रोकने या नजरबंद करने में भूमिका अदा करता है...**(व्यवधान)**...

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) **:** महोदय, वह क्या कह रहे हैं? यह सब कुछ गलत है...**(व्यवधान)**...

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं जो कह रहा हूं क्या आप उसे हल्के-फुल्के तौर पर ले रहें हैं?...**(व्यवधान)**... महोदय, क्या आप उसे हल्के-फुल्के तौर पर ले रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा यह कहना है कि आपको किसी के विरूद्ध कोई आरोप लगाने की जरूरत नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह : मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : सत्तारूढ़ दल के विरूद्ध दोषारोपण मत कीजिये।

जसवन्त सिंह : महोदय, निश्चित रूप से नहीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उन आरोप को वापिस ले रहे हैं?

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं आपके नोटिस में यह ला रहा हूं कि इस सभा के एक माननीय सदस्य जिनका कि आज की चर्चा से अत्यधिक संबंध है - सुबह ठीक दस बजे के बाद अपने घर से चले थे तथा अभी तक संसद में नहीं पहुंचे है।

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं आपके नोटिस मैं यह ला रहा हूं कि इससे से यह आशंका उत्पन्न होती है कि...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप पुलिस स्टेशन में एक अर्जी दे दीजिये तथा हम उन्हें इसकी ओर ध्यान देने का निर्देश दे देंगे।

श्री जसवन्त सिंह : मैं अर्जी दे दूंगा? कृपया मेरी बात सुनिए। मैं निश्चित रूप से पुलिस स्टेशन में अर्जी दे दूंगा। लेकिन, यदि किसी सदस्य को रोका जाता है, तो क्या यह मेरे कर्तव्य नहीं है कि मैं इस बात को आपके ध्यान में लाऊं?

अध्यक्ष महोदय : हां। लेकिन यदि आप यह समझते हैं कि उन्हें रोका गया है, तो आपको यह भी पता ही होना चाहिये कि उन्हें किसने रोका है।

श्री जसवन्त सिंह : यदि मैं यह बता दूंगा, तो आप ऐसे मुस्कराएंगे कि जैसे कि मैं कोई अनुचित अनुरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं न तो मुस्कुरा रहा हूं और न ही आप से नाराज हो रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि यदि आप ये सभी बातें सतारूढ़ दल के बारे में कह रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन ये ऐसे वक्तव्य हैं जिन्हें अत्यंत सावधानीपूर्वक दिया जाना चाहिए।

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, वह तो अपनी आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, उक्त सदस्य महोदय साढ़े तीन घन्टे बीत जाने के बाद भी नहीं आए हैं। आप नहीं है...**(व्यवधान)**..

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित में दीजिये।

श्री जसवन्त सिंह : मैं सभा-पटल पर यह कह रहा हूं और आप मुझे यह लिखित रूप में देने के लिए कह रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : हां, क्योंकि इसे मैं पुलिस स्टेशन को भी भेजूंगा।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, क्या किसी संसद सदस्य की अनुपस्थिति का मामला ऐसा है कि उसका निपटान पुलिस-स्टेशन द्वारा ही किया जायेगा?

अध्यक्ष महोदय : किसी व्यक्ति को इस सदन में लाने के लिए मेरे पास कोई तंत्र नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, क्या यह सुनिश्चित करना संसद का कार्य नहीं है कि किसी संसद सदस्य—जिसे कि सभा में उपस्थित होना चाहिए—वह सभा में उपस्थित हुआ है अथवा नहीं? और मैं तो यही कर सकता हूं कि जब मैं आप से यह अनुरोध करूंगा तो आप मुझे लिखित रूप में देने के लिए कहेंगे और इसे पुलिस-स्टेशन को भेज देंगे?

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, यह एक गम्भीर मुद्दा है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताइये कि मैं क्या करूं?

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध जरूर करूंगा कि आप मेरी बात से सहमत हों।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात से सहमत हूं।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, आप सरकार को निदेश दीजिये कि वह पता लगाये कि ...**(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, एक सदस्य यहां तीन घण्टे से उपस्थित नहीं है।

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, आप इस बात को इतने हल्के-फुल्के रूप में ले रहे हैं। यह एक गम्भीर मुद्दा है...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : आप सरकार को ऐसे निदेश क्यों नहीं देते? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री जसवन्त सिंह का यह मुद्दा सभा पटल पर उठाने का विरोध नहीं कर रहा हूं। यदि वह यह समझते हैं कि सदस्य महोदय (श्री महतो) अपने घर से चले थे तथा उन्हें रोका गया और यहां आने नहीं दिया गया, यदि वे इस बारे में तथ्यों को सुस्पष्ट रूप से जानते हैं, तो उन्हें यह बात मेरे नोटिस में लाने का पूरा अधिकार है। इस संबंध में जो भी जरूरी हो तथा जो कुछ किया जा सकता हो, वह सब कुछ किया जायेगा। मैं भी इस बात से सहमत हूं। लेकिन मैं उन्हें यह नहीं कहूंगा कि स्वयं ही निष्कर्ष निकाल लें तथा सभा में किसी पर अंगुली उठायें।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, उन्होंने अपनी आशंका व्यक्त की है तथा वह इन बातों के संदर्भ में वास्तविक है।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं किसी पर कोई अंगूली नहीं उठा रहा हूं। मैं यह अवश्य कह रहा हूं कि यदि इस सभा का किसी वर्ग

अथवा सदस्य चाहे वह मंत्री हो अथवा विपक्ष का कोई सदस्य, ने उन्हें यहां आने से रोका अथवा राजी किया है...**(व्यवधान)**

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : आपने यह निष्कर्ष कैसे निकाला?**(व्यवधान)**

श्री गुमान मल लोढा : ऐसी आशंका है।

श्री मल्लिकार्जुन : नहीं, यह आशंका गलत है। आप ही ने उन्हें कहीं और छिपाकर रखा होगा...**(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा हूं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये। हमें यहां ऐसी भ्रान्तियां नहीं फैलानी चाहियें। मैंने कुछ सदस्यों को यह कहते हुए सुना है कि सम्भवतः उन्हें (श्री महतो) यहां आने से रोका गया है। मैं न तो इस वक्तव्य को अनुमति देने जा रहा हूं और न ही उन्हें यह कहने की अनुमति देने जा रहा हूं कि किसी सदस्य ने इसे किया है। मैं इस तरह की बातों की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री जसवन्त सिंह : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि किसी ने उन्हें रोका है। मैं तो आपके ध्यान में केवल यह ला रहा हूं कि किसी संसद सदस्य को संसद में आने से रोकने का क्या अर्थ होता है?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा किसने किया है।

श्री जसवन्त सिंह : मैं यह नहीं समझ रहा हूं कि सत्ता पक्ष के सदस्य किस बारे में विरोध कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा किसने किया है?

श्री जसवन्त सिंह : जब मैं कहना शुरू करूंगा तो आप कहेंगे कि यहां न कहें, पुलिस स्टेशन जा कर कहें।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। किसने ऐसा किया? जिसने उन्हें रोका, मैं उनके विरूद्ध कार्रवाई करूंगा।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय ठीक है। कार्रवाई तभी शुरू होगी, जब मेरी आशंका को संज्ञेय माना जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है कि मैंने इसका संज्ञान ले लिया है। मैंने कहा है कि मैं उस व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई करूंगा जिसने उन्हें यहां आने से रोका है, लेकिन आपको मुझे यह बताना होगा कि किसने ऐसा किया?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब आपको इसके बारे में मालूम नहीं है, तो इस तरह की बात न करें।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : मुझे क्या करना है? कृपया मेरी मदत कीजिये। मुझे पता चला है कि इस सभा का एक संसद सदस्य संसद में आने के लिए साढ़े तीन घंटे पहले अपने घर से चला था, लेकिन वह अभी तक यहां नहीं पहुंचा है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है, वह कहीं ओर गये हों।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको कैसे मालूम है कि उन्हें रोका गया है?

श्री जसवन्त सिंह : मुझे मालूम है क्योंकि उन्होंने कहा था कि वे यहां आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको कैसे मालूम कि उन्हें रोका गया है?

श्री जसवन्त सिंह : यदि आप मुझे इस मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति दें...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें अपना मामला प्रस्तुत करने की अनुमति दूंगा। अब यह एक गम्भीर मामला है। मैं इसे बहुत गम्भीरता से लूंगा।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : मुझे केवल यह कहना है कि एक सदस्य ...**(व्यवधान)**... वे किस बारे में विरोध कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह उचित तरीका नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय मैं यह बताना अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि जिस क्षण मैंने यह बताया कि इस सदस्य ने यहां आने के लिए 10 बजे बाद अपना घर छोड़ा था उसी समय से सत्ता पक्ष के सदस्य मेरा विरोध कर रहे हैं, वे किस बारे में मेरा विरोध कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : जसवन्त सिंह जी, नहीं ऐसा न करें

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह जी जब आपने यह बात कही थी, तब उन्होंने इसका विरोध नहीं किया था। उन्होंने तब आपका विरोध किया, जब आपने कहा था कि यदि सत्ता के सदस्यों में से कोई

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम कार्यवाही वृतांत को ठीक करें। सभी बातें कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित की गई है।

एक माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री जसवन्त सिंह : आप मुझे इस बारे में मत बतायें कि मैंने क्या कहा है ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमें सभा को गुमराह नहीं करना चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय क्या आप चाहते हैं कि मैं सदन को छोड़ कर बाहर चला जाऊं?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा, सभा को गुमराह न करें।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैंने कभी गुमराह नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : आपने ऐसी बात कही।

श्री जसवन्त सिंह : मैंने सभा को कभी भी गुमराह नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है बाबा, आप अपना यह मामला आगे बढ़ाएं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं बाबा नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप यह मामला आगे बढ़ायें।

श्री जसवन्त सिंह : यह एक चौंकाने वाली बात है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं नहीं समझता कि इस समय आप यह चाहते हैं कि मैं कुछ कहूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, नहीं। आप प्रत्येक वाक्य में मुझे इस तरह व्यवधान पहुंचा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको तब रोका जब आपने किसी अन्य व्यक्ति की तरफ इशारा किया।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं आपकी तरफ भी इशारा कर सकता हूं, मैंने यह किया भी। मैं वास्तव में बहुत दुःखी हुआ हूं कि आपने मुझे कहा कि मैं सभा को गुमराह कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी, मैं दोनों मामलों को उठाऊंगा।

श्री जसवन्त सिंह : यदि मैंने सभा को गुमराह किया है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, जब आपने कहा कि यदि सदस्य को इस सदन में आने की अनुमति नहीं दी गई, यह कोई तरीका नहीं है कृपया इस तरह न करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : आप हमारे साथ हमेशा ऐसा करते हैं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे इसकी जांच करने के लिए विशेषाधिकार समिति को सौपूगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके और मेरे वक्तय की जांच करने के लिए उन्हें विशेषाधिकार समिति के पास भेजूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं। कृपया यह सही तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके वक्तव्य और मेरे वक्तव्य को विशेषाधिकार समिति के पास भेजूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में यह सब सम्मिलित नहीं किया जायेगा। यदि इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाता है, तो मैं इसे विशेषाधिकार समिति को भेजूंगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जसवन्त सिंह, यह आपको शोभा नहीं देता। मैंने आपको नहीं रोका है। मैंने इस तरह की कोई बात नहीं कही। अनावश्यक रूप से उत्तेजित न हों। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जसवन्त सिंह जी, में आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा : आप पक्षपात कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत लम्बे जा रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हां, कृपया आप अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि आप कहते हैं कि मैंने सदन को गुमराह किया है, तो अध्यक्षपीठ गलत नहीं हो सकता है। मैं निश्चित रूप से दोषी हूं और मैंने अवश्य सदन को गुमराह किया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। यह आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है। आप ऐसा व्यवहार नहीं करते। मेरा यह तात्पर्य नहीं था। आप कृपया अपनी बात कहें। मैं आपको ऐसा करने की अनुमति दूंगा। लेकिन हम इस प्रकार की चर्चा को लम्बा नहीं करना चाहते। कृपया आप अपनी बात करें।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैंने जो भी बात कहनी है, वह मैंने कह दी है। अध्यक्षपीठ न मेरी कड़ी निन्दा की है कि मैंने सदन को गुमराह किया है। यह कड़ी निन्दा है। अध्यक्षपीठ गलत नहीं हो सकता। यदि अध्यक्षपीठ ने निश्चित रूप से यह टिप्पणी की है, तो मैंने सदन को अवश्य गुमराह किया होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं गलत हो सकता हूं और यदि मैं गलत हुआ तो मैं इसे ठीक करूंगा।

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जसवन्त सिंह : यह इस तरह नहीं है। अध्यक्षपीठ गलत नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे इस तरह से मत समझिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस बहस में जिस मेम्बर की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं महसूस करता हूं कि उन्हें यहां उपस्थित होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह सदन का मैम्बर है, जो रहस्योद्घाटन के समय एक औजार बना था, जिस के वक्तव्य में प्रधान मंत्री पर आरोप लगाए गए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रैंस में उपस्थित था, उसने सार्वजनिक रूप से बातें कही हैं, आज चर्चा के समय सारा सदन उनको सुनना चाहेगा। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम भी चाहेंगे कि वह आकर अपनी बात खुद कहें बजाए इसके कि हम बोलें। वह सदस्य अगर सुबह घर से चले और यहां तक नहीं पहुंचे तो क्या हम लोगों का चिन्तित होना स्वाभाविक नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल स्वाभाविक है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर यह चिन्ता प्रकट की जा रही है तो आपका भी दायित्व है कि आप कहें कि ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं जरूर सरकार से कहूंगा कि इसमें पूरी तरह से इन्वैस्टीगैशन करे कि वे मैम्बर कहां है, यदि वे मिल जाते हैं तो देखकर उनको लाने की कोशिश करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह बात सही है। इसी के लिये हम खड़े हुए थे। **(व्यवधान)**

श्री रूपचन्द पाल : आपकी तरफ से ताली बजाइये। **(व्यवधान)**

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहता था कि पहले चटर्जी साहब और अर्जुन सिंह साहब बोलते, क्योंकि उन्हीं ने 184 में हम चारों आदमियों के नाम से एलीगेशन पर नोटिस दिया था और उसकी कापी लोक सभा ने दी थी तो उनको सुनने के बाद अगर हम बोलते तो अच्छा रहता। अगर आप कहते हैं तो मैं उसमें बोलता हूं, लेकिन अगर कोई फिर ऐसा शब्द आ जाये तो फिर उसके बाद हमको जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, आप लोग तो सब को देश को उपदेश देते हैं, सिखलाते रहे हैं, हमें भी सिखलाइये, हम लोग तो अंजान आदमी हैं, हम लोग तो देहात के आदमी हैं, हम तो मजदूर के घर में पैदा हुए हैं, आप तो जमींदार के घर में पैदा हुए हैं, यही है न?

अभी जो बात हुई, अटल जी और जिन्होंने कहा, मैं सब को बैठकर सुनता रहा। यह लोग ज्यादा हैं, हम लोग कम संख्या में हैं तो हमारी बात को ठीक ढंग से न रखने देने के लिए यह अभी से बीच-बीच में टोका-टाकी करने का प्रयास कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : उनकी वैसी आदत है।

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, जब देश आजाद हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने देश के लिए लड़कर कुर्बानी दी और देश को आजाद कराया। उनमें से हमारे इलाके के भी विरसा मुण्डा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, ये सारे लोग थे, जिन्होंने देश को आजाद कराया था और ...**(व्यवधान)**

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) **:** उनका नाम मत लीजिए।

श्री सूरज मंडल : मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। ...**(व्यवधान)**

हम अकेले काफी हैं। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के बारे में कल अखबारों में छपा और प्रैस कॉफ्रेंस में बयान दिलाया, अभी कह रहे हैं कि सदस्य कहीं चले गये। यह भी तो हो सकता है कि उनको जबरदस्ती पकड़कर भी बयान दिलाया जा सकता है, यह भी हो सकता है। देखिये, गरीब का, कमजोर का हर जगह शोषण होता है।

आज सार्वजनिक जीवन में 47-48 साल के बाद, जो 1952 से लोक सभा के मैम्बर रहे हैं, सरकार में भी रहे हैं, उनको आज एहसास हो रहा है कि इस देश में भ्रष्टाचार पर राजनीति आधारित है। इतने दिनों के बाद यह महसूस कर रहे हैं, जब देश की सारी सुख-सुविधा को भोग लिया है, तब अन्तिम समय में अब भ्रष्टाचार पर आधारित राजनीति में इस देश को लेकर चल रहे थे, अभी याद आया है। हम लोग तो पीछे से आये हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आप पहले सदस्य बने और लोग मंत्री बने तो आप सबों का कर्त्तव्य था कि इस देश में ईमानदारी से लोग राजनीति करें, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने की जिम्मेदारी आप लोगों पर थी ...**(व्यवधान)** आप चुप रहिये न। लेकिन आप लोगों ने वैसी कोई व्यवस्था पैदा नहीं की। भ्रष्टाचार पर चलने के लिए राजनीति में सुविधा में छोटे लोग शामिल नहीं हो जायें, इसलिए व्यवस्था को ज्यादा खर्चीला बनाओ, मलमल का झंडा लगाओ ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राम कापसे (ठाणे) **:** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह उनका व्यक्तिगत स्टेटीकरण है या उनका भाषण है।

अध्यक्ष महोदय : यह उनका भाषण है।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, हम लोग पीछे आये हैं और पीछे हम लोग चलते हुए देख रहे हैं। हम लोग तो नये-नये लोग हैं, गड़बड़ी हो जाती है। देश के अन्दर जो पैसा है, आज यह बताइये कि इस देश के अन्दर जितने भी लोग हैं, किस आदमी के पास, किस एम. पी. के पास में धन और दौलत नहीं है? ...**(व्यवधान)** अच्छा, बाद में आयेगा। ...**(व्यवधान)**

आज आप भी महसूस करते हैं। अटलजी का मैं बहुत अदब करता हूं। वे सेक्युलर विचारों के आदमी हैं। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। हमारे इलाके को वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे रिलेशन वालों के घर में भी जाकर ठहरते थे। जहां तक पैसा लेने की बात है, उनसे पूछिये कि बोकारों में चंदा इकट्ठा करके दस लाख, बीस लाख की थैलियां किसे दी गई। ये लोग पैसा पार्टी के लिए लेते हैं। पार्टी का कोई अपना कल-कारखाना तो होता नहीं है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, किसी भी पार्टी के कारखानों से पार्टी नहीं चलती है। मैं मानता हूं कि हम लोग और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों पर लेवी है। लेकिन क्या उससे ही पार्टी का खर्चा चल जायेगा, नहीं चलता है। यह व्यवस्था ही भ्रष्टाचार पर आधारित है। अब लोग महसूस करते हैं कि इस भ्रष्टाचार को देश से दूर करने के लिए हम सब लोगों का उन्मूलन कर दिया जाये तो यह भी एक अच्छी बात हो सकती है। पार्टी से पैसा लेकर वोट देने का आरोप हम पर लगाते हैं। आप उस दिन की प्रोसीडिंग निकाल कर देखिये। मैंने इसी जगह पर कहा था कि अगर प्रधान मंत्री झारखंड का सवाल हल करेंगे तो मैं निश्चित रूप से वोट दूंगा, वरना नहीं दूंगा। प्रधान मंत्रीजी ने सदन में कहा, लेकिन इनकी सरकार बच जाने के बाद हम लोगों के साथ बेइमानी की गई और बिहार सरकार के साथ गुप्त समझौता कर लिया गया। कौंसिल बनने के बाद मैं यहां पर चार दिन तक प्रधान मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी से मिलता रहा और इनके पास जाकर गिड़गिड़ाता रहा। बाहर यह भी चर्चा है कि प्रधान मंत्रीजी का दुःख के समय जो साथ देते हैं, मदद करते हैं वे उनसे भी किनारा काट जाते हैं, इनके आदमी भी यह बात कहते हैं। मैंने इनको वोट दिया था, यह मेरा अधिकार था। एक दिन मैंने इनकी गाड़ी में अपना माथा घुसा दिया कि हमने वोट दिया, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। एसपीजी ने मुझे रोका, लेकिन मैंने कहा कि फैसला करना होगा। उसके बाद इन्होंने मुझे फोन किया और रात को बुलाया तथा बिल बनाया। छोटी पार्टी और छोटे लोगों की बदनामी हर लोग करते हैं। पार्टी के फंड को व्यक्तिगत बोल दिया। मैं पार्टी का वाइस प्रेजीडेंट हूं। शैलेन्द्र मेहतोजी जनरल सेक्रेटरी थे। जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से पैसा जमा नहीं कर सकते। मेरे अकाउंट में लिखा है वाइस प्रेजीडेंट, जे.एम.एम.। मेरे पास लाखों में है आपकी पार्टी के पास अरबों में है। आप बतायें कहां से लिया है, सिल्क का झंडा कहां से बनता है, मैं बताऊंगा।

एक और चर्चा भी बाहर है कि प्रधान मंत्रीजी और अटलजी दोनों मिल गये हैं और इनमें समझौता हुआ है। तभी अटलजी कह रहे थे कि यहां से चलकर वहां पहुंचना है। किधर-किधर से पहुंचना है, समझौता हुआ है कि चुनावों के बाद अब के प्रधान मंत्रीजी को राष्ट्रपति बना दिया जायेगा और अटलजी को प्रधान मंत्री बना दिया जायेगा। यह भी चर्चा है।

यह भी चर्चा है। ...**(व्यवधान)**... अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं लेकिन इन दो लोगों के बीच में तीसरे को क्यों घसीट रहे हैं? आप लोग तो अदला-बदली कर लेते हैं। कभी इधर बैठ जाते हैं तो कभी उधर बैठ जाते हैं। हम लोगों को तो यहीं बैठना है। अभी लैफ्ट फ्रन्ट वाले भी उम्मीद नहीं लगाये बैठे थे लेकिन अभी दोनों को निराशाजनक देखते हुए थोड़े-थोड़े उत्साहित हो गये हैं। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं करूंगा। वह उनकी बात है, उनको कहना चाहिए। लेकिन जब वह हमारे दल में थे और जब पैसा जमा था, वह हमारे जनरल सेक्रेटरी थे। लेकिन लोग समझ सकते हैं कि वह क्यों चले गये। कल के राष्ट्रीय सहारा अखबार में छपा है : "ऐसे ही जारी नहीं हो गया शैलेन्द्र महतो का बयान।" इसमें लिखा हुआ है, कि किस-किस गली से गुजर कर बयान जारी हुआ है। इन लोगों ने पार्टी तोड़कर जनता दल को बर्बाद कर दिया। हम लोगों को भी जनता दल ने बर्बाद कर दिया। हम लोग पार्टी तोड़ने के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते हैं। एक सदस्य को हमारी पार्टी से तोड़ने की क्या जरूरत थी? आप बोलिये ...**(व्यवधान)**... देवेन्द्र जी, आपने दो सदस्यों को तोड़कर अलग कर दिया है।

श्री हरिन पाठक : हमने किसी को नहीं तोड़ा है। आपने उसको निकाल दिया। हमने किसी को नहीं तोड़ा है।

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, हमने निकाला भी नहीं और उन्होंने रेजीनेशन भी नहीं दिया। सबसे दुःख की बात है कि अभी तक उन्होंने लोक सभा से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? वह हमारी पार्टी से जीतकर आये थे तो उनकी मोरल ड्यूटी बनती है। इसलिए आपको उनसे रिजाइन करवाना चाहिए था। लेकिन अटल जी, आपसे मैं उम्मीद नहीं करता था कि आप उनसे ज्वाइन कराने के लिए रांची जायें। ठीक है, आप नहीं करते। लेकिन दल-बदली को आपने प्रोत्साहन दिया। देश में लोग आपकी छवि को देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर इस तरह का स्कैंडल नहीं कराना था तो आपने उनको क्यों ज्वाइन करवाया? इसके पीछे कौन लगा है? यह षडयन्त्र किया जा रहा है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। लेकिन इसके पीछे जरूर कोई काम कर रहा है। देश को, जनता को और दुनिया को यह सब बताने वाले ऊपर बैठे हैं। आप लोग ही बराबर कहते हैं कि सी.बी.आई. की निष्पक्ष जांच होती है। जब बड़े-बड़े नेता फंस गये तब, सी.बी.आई बेईमान हो गया। ...**(व्यवधान)** .. अगर छोटा नेता फंस गया तो सी.बी.आई. ईमानदार है और बड़े नेता फंस

जायें तो सी.बी.आई. बेईमान है। पोलिटिकल व्यू से काम करते हैं। राम विलास पासवान जी, आप लोग रोज छक्का मारते हैं। हम लोगों को किसी दिन तो मारने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि प्रैस कॉफ्रेंस में जो उस समय बैठे थे, वह इस समय सदन के सदस्य भी हैं और बड़े भारी वकील भी हैं। वह हर्षद मेहता के साथ बयान देने वाले थे, सलाह देने वाले थे। उन्होंने ही इस तरह से सलाह दी है। आप जानते हैं कि बिहार में अगर कोई गरीब महिला या कोई गरीब किसी के साथ हंसकर बात कर लेती है तो उसे बदचलन कहा जाता है।

शहरी लोगों को तो अपटूडेट बोलते हैं उनके साथ में कुछ भी हो, वे कही भी चले जाएं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग तो जंगली हैं। अगर हमारी नीयत इतनी खराब होती तो हम लोग सोना खरीद लेते, कुछ भी कर लेते लेकिन हम लोगों की नीयत खराब नहीं है। हमने बैंक में पैसा रख दिया। झारखंड आंदोलन ऐसे ही नहीं चला है। हम इतना बड़ा आंदोलन दो-दो सरकारों से लड़ रहे हैं। हमें बिहार सरकार और दिल्ली सरकार से लड़ना है।...**(व्यवधान)** जब अटल जी को 10-10 लाख की थैली दे सकते हैं तो क्या हम लोगों को 2,4,5 लाख नहीं दे सकते हैं। सारे देश के लोग हमारे यहां के कोयले और लोहे के पैसे से, उद्योगपतियों और अफसरों के पैसे से राजनीति करते हैं और आप हम लोगों को सिखला रहे हैं। क्या हम लोगों को पैसा नहीं मिल सकता है? मैं जानता हूं कि कौन-कौन आदमी लोहे से पैसा कमाता है। मैंने कई बार यहां इस प्रश्न को उठाना चाहा लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। ...**(व्यवधान)** आपने सी. बी.आई. के डायरेक्टर को एक्सटेंशन दिया। "सेल" के चेयरमैन को क्यों एक्सटेंशन दिया? ...**(व्यवधान)** उसमें लेफ्ट पार्टी के लोग भी है। ...**(व्यवधान)** आप लोग नहीं है। लोहा बिकवाने का काम करते हैं। मैं इस बात को बोलूंगा।

"हम तो डूबेंगे सनम लेकिन सब को साथ लेकर डूबेंगे।"

अध्यक्ष महोदय, आज मोशन 184 दिया है। आपको याद होगा कि आज से ढ़ाई साल पहले अखबारों में छाप दिया था कि मैंने प्रीविलेज मोशन दिया है जो आज तक लोक सभा सचिवालय में पैंडिंग है। राजस्थान की अखबारों में भी छपा था। ढ़ाई साल पहले भी आचार्य साहब का फोटो लगा कर अनादिचरण दास छाप दिया था और पी.एम. साईद का फोटो लगा कर मेरा नाम छाप दिया था, लेकिन इसको सब लोग भूल जाते हैं। आज मुझे बोलने का मौका दिया गया है, उस समय जब हम बोलते थे तो हमको कह दिया जाता था कि आप बैठ जाइए, हम बैठ जाते थे। ...**(व्यवधान)** आज आप कह रहें हैं कि विदेशों से पैसा ला रहे हैं और विदेशी बैंकों में जमा कर रहे हैं। आप पुराने मेम्बर हैं आप बताइए कि स्विज बैंक में कब से पैसा जमा हो रहा है? स्विज बैंक में हिन्दुस्तान के कितने लोगों का खाता है, उसकी भी जांच हो। रूलिंग पार्टी के लोग भी विदेशों में जाते हैं। अपोजिशन के लोग भी विदेश क्यों जाते हैं? कहां से पैसा आता है? कैपिटलिस्ट लोग हम लोगों को तो थोड़ा-बहुत टुकड़ा देते हैं लेकिन आप लोगों को तो ज्यादा-ज्यादा देते हैं।...**(व्यवधान)** इस बात से कोई अछूता नहीं है। आप बताइए किस का पेट्रोल पम्प नहीं है। अभी एम.पीज. ने भी पेट्रोल पम्प लिया है। हम उनके नाम नहीं बोलेंगे। क्या बी.जे.पी. के लोगों ने नहीं लिया है, उन्होंने भी लिया है। आप बड़े लोग हैं। साजिश तो हर जगह होती है, इसलिए इस बात को छोड़ दीजिए।

हमने उस अविश्वास प्रस्ताव पर वोट दिया था और हम वोट दे करके आज जरूर पछता रहे हैं, क्योंकि जिस एग्रीमेंट के आधार पर उसको बनाना था वह नहीं बनाया गया और आज हमको उसमें काम करने लायक नहीं रहने दिया। जो एक्ट असेम्बली के अंदर आज बना है वह भी लागू नहीं किया। हमने होम-मिनिस्टर को चार बार कहा है, प्रधान मंत्री जी से भी मिले हैं लेकिन कोई नहीं सुनता है। हमने सोचा था कि कोई भी सरकार बनेगी वह हमारे साथ इंसाफ करेगी लेकिन हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं करता है। मैं बूटासिंह जी के साथ इसीलिए प्रधान मंत्री जी के पास गया था। प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि अब मैं स्वयं इस मामले को देखूंगा। बूटासिंह जी दलित-वर्ग से हैं, हरिजन हैं, होम-मिनिस्टर थे। उन्हीं के प्रयास से सी.ओ.जी.एम. कमेटी बनी थी। हम लोग मेम्बर थे। उन्होंने हमारी मदद करने की कोशिश की थी। बूटासिंह जी ने कहा कि यही मौका है, आप प्रधान मंत्री जी से बात कर लें। प्रधान मंत्री जी डील करें तो आपकी कौंसिल बन सकती है। लेकिन प्रधान मंत्री जी भी बाद में बिहार सरकार से मिल गये। हमने पन्द्रह मार्च को झारखंड बंद का आह्वान किया और 16 से 26 तक आर्थिक नाकेबंदी की। जितना 10 महीने में आर्थिक नुकसान नहीं हुआ उतना हम 10 दिन में करेंगे। आप फैसला कीजिए। यह सही है कि अगर हम वोट नहीं देते तो यह सरकार नहीं बचती। वह किसी व्यक्ति का पैसा नहीं है वह पार्टी का पैसा है, पार्टी का रुपया है। आप मुझे बताइये कि कभी भी आपने पार्टी के रुपये का रिटर्न भरने का कोई सिस्टम बनाया था। क्यों नहीं बनाया आपने। बनाया होता तो हम भी रिटर्न देते। जब आपको सुप्रीम-कोर्ट ने आदेश दिया तब आप लोगों ने रिटर्न फाइल किया। आपने स्वयं मन से नहीं किया है। हम लोगों को भी सुप्रीम-कोर्ट कहेगा तो हम भी रिटर्न फाइल कर देंगे। हमारा वह व्यक्तिगत खाता नहीं है वह पार्टी का है। इसलिए कितना मिला, यह आप बताइये?

श्री दाऊ दयाल जोशी : 30 लाख।

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी व्यक्तिगत सफाई के साथ-साथ यह जो हवाला के बारे में रूल 184 पर जो चर्चा चल रही है यह अच्छी बात है। इस देश में राजनीतिक पार्टियां किस पैसे से चलें, कैसे चुनाव लड़े, इस बारे में चिंतित होना, यह अच्छी बात है। हिन्दुस्तान का आदमी बड़े आदमी को देखकर उसके पीछे लग जाता है कि हमारा बड़ा किधर जा रहा है। इसलिए ऊपर से सुधार शुरू

होना चाहिए। गंगोत्री अगर साफ-शुद्ध हो जाए तो गंगा का पानी अपने आप ही साफ हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने कोई पैसा वोट देने के लिए नहीं लिया है। वह पैसा पार्टी का पैसा है जो चंदा लेकर हम लोग लाए थे। लोग हमें भी चंदा देते हैं। मैं यह सब आज किसी के दबाव में आकर नहीं बोल रहा हूं। ये लोग फिर कह देंगे कि हम ही ने उसको भगा दिया है। अब वह कोई बच्चा तो नहीं है। वह कोई बकरी या भेड़ तो नहीं है कि उसको ले जाकर कोई हलाल कर देगा। वह एम.पी. है। उनके पास सिक्योरिटी है। होम-मिनिस्ट्री ने हमें भी सिक्योरिटी दी है उनको भी दी है। उसको तो अपनी गलती का अहसास हो रहा होगा। मैं जानता हूं कि किस तरह से षडयंत्र करके यह सब कहलवाया जा रहा है। इसके पीछे बहुत लोग लगे हुए हैं कि ऐसा बोलो, वैसा बोलो और सब घुमा-फिराकर हमारे लिए कहा जा रहा है। मेरे साथ ढाई-करोड़ झारखंड की जनता का आशीर्वाद है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं साफ दिल का आदमी हूं। यह पैसा न शिबू सोरने का ही न ही साइमन मिरान्डी का है। हमने सोचा कि इसको फिक्स्ड-डिपोजिट में रख दें और इसके सूद से पार्टी चलाएंगे। यह पार्टी का एकाउंट है। जब हिसाब मांगने की जरूरत होगी तो जरूर दिया जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, थोड़ा लंच के लिए ब्रेक कर दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। लेकिन मुझे एक घोषणा करनी है।

मैं सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि सभा आज 4.00 म. प. पर स्थगित होगी और अन्तरिम सामान्य बजट प्रस्तुत करने के लिए 5.00 म.प. पर पुनः समवेत होगी।

श्री राम विलास पासवान : क्या यह चर्चा कल जारी रहेगी?

अध्यक्ष महोदय : जी, हां। यह चर्चा कल जारी रहेगी। यह चर्चा कल जारी रहेगी, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन, फिर 4 बजे म. प. पर हम सभा स्थगित करेंगे क्योंकि 5 बजे म.प. पर बजट प्रस्तुत किया जाएगा।

अब, मैं सभा स्थगित करूंगा। सभा 3.00 बजे म.प. पर समवेत होगी।

2.00 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3.00 बजे म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

3.05 म.प.

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.05 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे। श्री एडुआर्डो फैलीरो।

3.05 ¼ म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

सेमिकन्डक्टर काम्पलेक्स लिमिटेड का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा उन पत्रों को रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सेमिकन्डक्टर काम्पलेक्स लिमिटेड, एसएएस नगर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सेमिकन्डक्टर काम्पलेक्स लिमिटेड, एसएएस नगर का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.9050/96]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3)(एक) सोसाइटी फार इलेक्ट्रानिक्स टेस्ट इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी फार इलेक्ट्रोनिक्स टेस्ट इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार

द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.9051/96]

(4)(एक) सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.9052/96]

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं, श्री एस.आर. भारद्वाज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) कम्पनी (निक्षेपों की स्वीकृति) संशोधन नियम, 1995, जो 1 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 767(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) लागत लेखा अभिलेख (कीटनाशक) संशोधन नियम, 1995, जो 5 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 774(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 637क की उपधारा (झ) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 773(अ), जो 4 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो निधि कम्पनियों तथा म्युच्युअल बेनिफिट सोसाइटी घोषित किये जाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.9053/96]

(3) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अंतर्गत 1 जनवरी, 1994 से 31 दिसम्बर, 1994 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम, के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित चौबीसवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.9054/96]

अंडमान और निकोबार आइलैंड्स इंटिग्रेटिड डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं, श्री एम. अरुणाचलम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) अंडमान एण्ड निकोबार आइलैंड्स इंटिग्रेटिड डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंडमान एण्ड निकोबार आइलैंड्स इंटिग्रेटिड डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों का सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.9055/96]

(3)(एक) प्रक्रिया और उत्पाद विकास केन्द्र-आवश्यक तेल, कनौज के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रक्रिया और उत्पाद विकास केन्द्र-आवश्यक तेल, कनौज के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.9056/96]

(4)(एक) प्रक्रिया और उत्पाद विकास केन्द्र, मेरठ के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रक्रिया और उत्पाद विकास केन्द्र, मेरठ के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.9057/96]

(5)(एक) भारतीय उद्यमी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय उद्यमी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.9058/96]

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7)(एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के लेखा परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.9059/96]

अखिल भारतीय सेवा (आचरण) संशोधन नियम, 1995 इत्यादि।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) संशोधन नियम, 1994, जो 4 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 52 में प्रकाशित हुए थे तथा उन का एक शुद्धि पत्र जो 9 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 409 में प्रकाशित हुआ था।

(2) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 1995, जो 2 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 503 में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय वन सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 1995, जो 2 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 504 में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय वन सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1995, जो 2 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 505 में प्रकाशित हुए थे।

(5) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1995, जो 1 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 770(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9060/96]

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्री भुवनेश चतुर्वेदी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9061/96]

(2)(एक) कंसलटेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंसलटेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9062/96]

पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न के महानियंत्रक का वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन आदि।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : महोदय मैं, निम्नलिखत पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 126 के अंतर्गत पेंटट, डिजाइन और व्यापार चिह्न के महानियंत्रक के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9063/96]

(2) पेंटट अधिनियम, 1970 की धारा 155 के अंतर्गत पेंटट, डिजाइन और व्यापार चिह्न के महानियंत्रक के वर्ष 1994-95

के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9064/96]

पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : महोदय, मैं, कुमारी शैलजा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1)(एक) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9065/96]

(2) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9066/96]

(4) (एक) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9067/96]

(5) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9068/96]

(7) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9069/96]

(9) (एक) नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9070/96]

(11) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9071/96]

(12)(एक) नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9072/96]

(14)(एक) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9073/96]

(16)(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.9074/96]

(17) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (16) और (17) में उल्लिखित पत्रकों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.9075/96]

(19)(एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.9076/96]

(21)(एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.9077/96]

रेल यात्री (टिकटों का रद्दीकरण और किराये की वापसी) (दूसरा संशोधन) नियम, 1995 आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्री सुरेश कलमाडी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल यात्री (टिकटों का रद्दीकरण और किराये की वापसी) (दूसरा संशोधन) नियम, 1995, जो 19 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 801 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.9078/96]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) कोंकण रेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोंकण रेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.9079/96]

मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.9080/96]

3.05 ½म.प.

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अड़तालीसवां प्रतिवेदन

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का अड़तालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

3.06 म.प.

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

उनचासवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

स्क्वैड्रन लीडर कमल चौधरी (होशियारपुर) : महोदय, मैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का उनचासवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

3.06 ½ म.प.

[अनुवाद]

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : महोदय, मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

3.07 म.प.

[अनुवाद]

गृह कार्य संबंधी समिति

सत्ताईसवां तथा अट्ठाईसवां प्रतिवेदन

श्री किरिप चलिहा (गुवाहाटी) : महोदय, मैं निजी सुरक्षा रक्षक और अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 1994 तथा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 के संबंध में गृह कार्य संबंधी समिति के क्रमशः सत्ताईसवें और अटठाईसवें प्रतिवेदनों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

3.08 म.प.

[अनुवाद]

'हवाला मामले' से संबंधित आरोपों और कुछ संसद सदस्यों को गैर-कानूनी रूप से पैसा दिए जाने के आरोपों का उत्तर देने में सरकार की असफलता पर असंतोष व्यक्त करने के संबंध में प्रस्ताव—जारी

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं आज के दिन को इस देश, संसदीय लोकतंत्र तथा महान संस्थान के लिए बड़ा दुखद मानता हूं जबकि हम, एक ऐसे मुद्दे पर, जो यह दर्शाता है कि हमारी राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार प्रदूषित और कलुषित हो गई है तथा किस प्रकार कुछ बेईमान लोगों द्वारा इस सभा का उपहास और अवमानना की गई है, चर्चा करने के लिए बाधित हुए है। दुर्भाग्य से, आज इस देश में संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न लग गया है और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि राजनीति और प्रशासन को सैद्धान्तिक आधार प्रदान करने की जिम्मेदारी वामपंथी दलों पर आ गई है।

महोदय, मणि शंकर अय्यर जी यहां उपस्थित नहीं हैं- सत्ता पक्ष के प्रवक्ता के जटिल और प्रभावशाली भाषण की निस्सारता और गूढ़ता के बीच जो कुछ कहा गया है, अर्थात् भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आने का सपना टूट गया है, इससे मैं सहमत हूं। लेकिन महोदय, उनकी बात अंशतः ही सत्य है। वह जिस बारे में बोले नहीं लेकिन भली प्रकार जानते हैं वह यह है कि इस देश के लोग इस भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगे। यह एक ऐसी पार्टी है, जो रिश्वतखोरी, घोटाले तथा हमारे देश की राजनीति में जो भी गंदगी पाई जाती है, उसकी पर्याय है। चूंकि इनका सम्बन्ध देश के कूड़ेदान से है, अतः, इसे जितना जल्दी फेंक दिया जाये, इस देश की साख के लिए यह उतना ही अच्छा होगा। महोदय, ऐसा घोटाला पहली बार प्रकाश में नहीं आया है। इससे भी बड़े-बड़े घोटाले हमारे सामने तथा इस सभा में आ चुके हैं और इस सदन को उन मुद्दों पर घंटों चर्चा करनी पड़ी हैं परन्तु सबसे बड़ी चिन्ता की बात यह है कि इनमें से किसी भी घोटाले को सुलझाया नहीं जा सका है। किसी को भी कभी दंडित नहीं किया गया है। कई वर्षों से दिखावे के लिए जांच चल रही हैं। प्रधान मंत्री महोदय ने इस सभा में बोफोर्स मामले की जांच का निरीक्षण व्यक्तिगत रूप से करने की जिम्मेदारी ली थी और उन्होंने इस सभा में तथा सदस्यों के सामने शपथ ली थी कि व्यक्तिगत तौर पर

इस मामले में हो रही प्रगति की रिपोर्ट इस सभा को नियमित रूप से देंगे। दूसरा अवसर कभी नहीं आया। प्रधान मंत्री ने इस सभा और देश को सूचित करने का कष्ट नहीं किया कि उस मामले में क्या चल रहा है। और महोदय, केवल यही घटना नहीं हुई है। यहां हमने चीनी घोटाला, प्रतिभूति घोटाला, सेंट किट्स घोटाला, पनडुब्बी समझौता, एयरबस घोटाला तथा और बहुत से अन्य घोटाले देखे हैं। प्रत्येक मामले में जांच अभी भी लंबित है। बोफोर्स मामले में, एच.डी.डब्ल्यू. पनडुब्बी मामले में, जो पूर्व कांग्रेस सरकार के शासनकाल के दौरान प्रकाश में आये थे तथा ए-320 एयरबस समझौते में जिन व्यक्तियों पर आरोप लगाये गये थे, उनमें से एक वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, में जांच-पड़ताल का काम अभी भी चल रहा है। सेंट किट्स के जालसाजी के मामले में जांच कार्य अभी भी चल रहा है। बाबरी मस्जिद गिराने के मामले तथा सिक्ख विरोधी दंगों के मामले में न्यायालय के दबाव के पश्चात् एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और मामला शुरू हुआ है लेकिन अन्य मामलों में यह अभी भी लंबित है। प्रतिभूति घोटाले में जांच का काम अभी लंबित है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अपना काम करते रहने का निर्देश दिया गया था। उसका कुछ परिणाम नहीं निकला है। यह इस शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला है जिस पर संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की गयी थी और एक सर्वसम्मत रिपोर्ट दी गई थी लेकिन उस रिपोर्ट के महत्व को कम करने के लिए सत्तारूढ़ दल की ओर से भरसक प्रयास किये गये तथा वचनबद्धता यह दी गई थी कि इस घोटाले में धनराशि प्राप्त करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो निरन्तर प्रयास करेगी लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दम दम) : मणि शंकर अय्यर भी उस समिति के सदस्य थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी, हां। लेकिन उनकी यादाश्त बहुत कमजोर है। वह रिश्वत लेने वालों की तो बात करते हैं लेकिन व्यावसायिक रूप से रिश्वत देने वाले लोगों की नहीं।

अध्यक्ष महोदय, यह **हवाला** मामला इस देश में हो रहे भ्रष्टाचार के मामलों की लंबी सूची में सबसे गंभीर मामला है। महोदय, भारत सरकार के गृह सचिव ने जो कुछ किया, क्या उसे आप भुला सकते हैं तथा क्या हमें उसे भुला देना चाहिये? उन्होंने यहां एक रिपोर्ट पेश की जिसका नरसिंह राव की अध्यक्षता वाली सरकार ने अत्यधिक अनिच्छापूर्वक खुलासा किया था। वोहरा समिति की क्या रिपोट थी? उस रिपोर्ट के अनुसार देश में एक समानान्तर सरकार चल रही है। वस्तुतः, माफिया नेटवर्क एक समानान्तर सरकार चला रही है और प्रशासनिक मशीनरी अर्थहीन हो गई है। उन्होंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निष्कर्षों का इस प्रकार उल्लेख किया :

> "धन के बल पर जो शक्ति प्राप्त की.जाती है, उसका प्रयोग नौकरशाहों, और राजनेताओं के साथ सम्बन्ध बनाने तथा दण्ड से बचने संबंधी गतिविधियों के विस्तार के लिए किया जाता है। धन का प्रयोग ताकत बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिसे चुनावों के समय भी राजनेताओं द्वारा प्रयुक्त किया जाता है।"

उस रिपोर्ट का क्या हुआ? हमें यह बताया गया कि ऐसी कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई थीं। इन तथ्यों को संसद से छिपाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। आज संसद का महत्व कम किया जा रहा है? इस देश के आम आदमी का हमसे, कार्यकारिणी से विश्वास उठ गया है और वे सोचते हैं कि एक ही स्थान ऐसा है जहां से उन्हें कुछ राहत और समर्थन मिल सकता है और दोषी लोगों को कुछ सजा दिलाई जा सकती है, और वह स्थान न्यायपालिका है। यहां तक कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी कहना पड़ा था, "हम आशा करते हैं कि हमारा हस्तक्षेप थोड़े समय के लिए ही है।" ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए उच्चतम न्यायालय को खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि उन्हें इसलिए हस्तक्षेप करना पड़ रहा है कि न्याय मिल सके, दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जा सके तथा राजनीतिक प्रणाली को स्वच्छ किया जा सके। क्या हम आम आदमी को दोषी ठहरा सकते हैं? उन्हें मालूम है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए कोई अन्य तरीका नहीं है। मैं इस प्रधान मंत्री पर यह आरोप लगाता हूं कि वह इस संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक वस्तु को समाप्त करने में लगे हैं। आज सार्वजनिक जीवन में निष्ठा पूरी तरह समाप्त हो गई है। आज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, जो हम पर विश्वास करता हो।

उस दिन एक संसद सदस्य मजाक में कह रहे थे कि उन्होंने **धोती** और **कुर्ता** पहनना छोड़ दिया है क्योंकि लोग अब हमें राजनेता होने के कारण कोस रहे हैं..**(व्यवधान)** महोदय, यह हंसने की, मजाक की बात नहीं है। यह बात मैं बड़े दुःख और रोष के साथ कह रहा हूं। अतः यह इस सरकार का परिणाम है; लेकिन हमें इस सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री 5 बजे आयेंगे और वे फिर लोगों को गुमराह करेंगे। आज अधिक बेरोजगारी है, आज उद्योगों में अधिक रूग्णता है। आत्मनिर्भरता के हमारे सिद्धान्त को पूर्णतः नकारा गया है; बताए गए आंकड़ों के बावजूद अधिक गरीबी है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि कीमतों में बिना रोक-टोक वृद्धि हो रही हैं। लोगों की ये समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं किया जा रहा है। सुरक्षा, एकता तथा देश की अखण्डता की समस्याएं हैं। उनको कोई प्रमुखता नहीं मिल रही हैं। आज यह सरकार सभी तरह के अस्थायी समायोजनों खरीद करने अथवा खरीद न करने, सभा में सदस्यों के क्रम परिवर्तन तथा संयोजन के द्वारा शासन करने का प्रयास कर रही है। वे यहां तक कि शिथिल भी नहीं हो रहे हैं; वे शिथिल हो सकते हैं, लेकिन देश बर्बाद हो रहा है। हम यहां अनिश्चित काल तक नहीं बैठ सकते हैं और इसीलिए, हम अपनी व्यथा तथा वेदना को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

क्या हम इन मुद्दों पर उचित रूप से चर्चा नहीं कर सकते? हमें सदन के नेता को सभा में बुलाने के लिए चिल्लाना पड़ा है। क्या किसी आत्म सम्मान वाली सरकार का यह उत्तरदायित्व नहीं है कि वह तुरन्त प्रतिक्रिया व्यक्त करे जब ऐसी बातें सामने आ रही है और जब मंत्री इस तरह से त्यागपत्र दे रहे हैं? उनके खिलाफ आरोप पत्र पेश किए जा रहे हैं और प्रधान मंत्री इस देश को कुछ नहीं कह रहे हैं। आज हमारे पास उनका कोई संस्करण नहीं है। यहां तक कि श्री मणि शंकर अय्यर भी कोई कारण नहीं बता पाये हैं या कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाये हैं। प्रधान मंत्री पर पैसा लेने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन कोई उत्तर नहीं है; प्रधान मंत्री पर संसद सदस्यों को खरीदने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन कोई उत्तर नहीं है। जब ससंद को बुलाया जाता है और सभा में इस विषय पर चर्चा की जाती है, तो हमारे संसदीय कार्य मंत्री द्वारा हमें लगातार यह बताया जाता है कि, "वे आयेंगे"। यह उनकी दयालुता है। वे हम पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। वे इस देश को नेतृत्व प्रदान करने में असफल रहे हैं। इसी वजह से, आज हम यह पाते हैं कि लोगों का विधायकों, नौकरशाही में विश्वास नहीं रहा है और वे सोचते हैं कि वे यहां केवल अपना भला करने के लिए हैं।

वे यह सोचते हैं कि हमारा लोगों की समस्याओं तथा समस्याओं का समाधान करने से कोई मतलब नहीं है। आज, वे यह महसूस करते हैं कि कांग्रेस तथा भा.ज.पा. के राजनीतिज्ञ शासन करते है और उनके लिए राजनीति पैसा बनाने गैर-कानूनी पैसा, काला धन तथा हवाला धन बनाने का एक माध्यम बन गई है। आज वे यहां तक कि आंतकवादियों तथा उग्रवादियों के साथ भी मिल रहे हैं। कुछ धन आतंकवादियों तथा उग्रवादियों के बीच और इन लोगों—कांग्रेस तथा भा.ज.पा. के संसद सदस्यों तथा उनके नेताओं में बांटा गया है। आज इस बात का पता लगा है और आप को शर्म नहीं आती। प्रधान मंत्री को कुछ नहीं कहना...**(व्यवधान)**... मैंने किसी की शक्ति भंग नहीं की। महोदय, इन सज्जन की कुछ न कुछ कहने की आदत है ...**(व्यवधान)** आपको तथा आप से छुटकारा पाने के लिए लोगों को उत्तेजित करना मेरा कर्तव्य है...**(व्यवधान)** आज लोग यह समझते हैं कि राजनीति पैसा बनाने का एक माध्यम बन गई है और लोग आज यह पाते हैं कि यदि देश की सर्वोच्च न्यायपालिका सक्रिय हस्तक्षेप नहीं करती तो बड़े आकार के भ्रष्टाचार छुपे रह गए होते और वे प्रधान मंत्री उनको दबाये रहते जिनको ठीक ही भ्रष्टाचार के उद्गम स्थल के रूप में समझा जाता है और उनके सहयोगीगण यहां बैठे डेस्क थपथपा रहे हैं और प्रधान मंत्री के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

महोदय, इस देश में क्या हुआ है? कांग्रेस में किसी अन्तःकरण की आशा करना ऐसी वस्तु की मांग करने के बराबर है जो नहीं है। यह असंभव है। लेकिन क्या उनमें अन्तःकरण में कोई अशान्ति नहीं है? श्रीमती मारग्रेट अल्वा, इसका पता कब लगा था? मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आप अब भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो की प्रभारी क्यों है। मेरा विश्वास है कि आप की वहां बिल्कुल नहीं चलती है। प्रधान मंत्री सभी पर एकाधिकार जमाए हुए हैं और आप पर केवल दोष लगाये जायेंगे और मैं आप पर दोष लगा रहा हूं।...**(व्यवधान)** इससे हमें कुछ कठिनाई होती है। इन सभी में एक या दो मरूधान है। हम उनकी अधिक शक्ति भंग नहीं करना चाहते उन्हें सीधे अथवा अप्रत्यक्ष दरवाजों से आने दो। मैं इसको बुरा नहीं मानता। लेकिन दुर्भाग्य से, आपको भी दोषी ठहराया जायेगा। 25 मार्च, 1991 को क्या हुआ है? ये तारीखें महत्वपूर्ण हैं। 25 मार्च, 1991 को अब्दुल हुसैन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। वह हिज्बुल मुजाहिदीन का उपाध्यक्ष है। उसे दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था; उसके पास से नकद धनराशि तथा बैंक ड्राफ्ट पकड़े गये थे। यह कहा गया था कि धन का स्रोत लंदन में कोई था। यहां जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी तथा सात **हवाला** डीलरों को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने कुछ संकेत दिए थे जिनके परिणामस्वरूप 3 मई, 1991 को व्यापक जांच की गई थी। मैं आपको आंकड़े इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वे महत्वपूर्ण है क्योंकि अब हम 1996 में हैं और पांच वर्ष बीत गये हैं। 3 मई, 1991 को 20 स्थानों पर व्यापक तलाशी ली गई थी जिनमें जैनों के फार्म हाउस सहित उनमें कारोबार तथा आवास स्थल शामिल हैं। उन्होंने कांग्रेस के लोगों ने इस देश में इस फार्म हाउस संस्कृति का विकास किया है।...**(व्यवधान)** हां, इटेलियन तरणताल..**(व्यवधान)** ने इटेलियन संगमरमर के साथ तरणताल है। मैं शुद्धि करता हूं।

जैन बन्धुओं के फार्म हाउस से जब्त किए गये दस्तावेजों के साथ दो और महत्वपूर्ण दस्तावेज पाये गये हैं। ये वे डायरियां हैं जो उनके लिए प्रतिशोध लायी है। ये डायरियां पाई गई। श्री मणि शंकर अय्यर ने हमें इसकी व्याख्या की थी : "ठीक है, इसे पढ़ना था, हम क्या कर सकते हैं, उनके पास इतने अधिक अन्य कार्य हैं, पढ़ने में काफी समय लगता है और इसलिए कुछ भी नहीं किया जा सकता।" लेकिन महोदय, वे दस्तावेज महत्वपूर्ण पाये गये जो पुलिस, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पकड़े थे, और उन्होंने इन दस्तावेजों का क्या किया? उन्होंने उनको पढ़ना कब प्रारम्भ किया? श्रीमती अल्वा, उन्होंने निष्कर्ष कब निकाला? आप क्या कर रही थी? क्या मंत्री के रूप में आपको इसकी जानकारी दी जाती रही थी?

महोदय, यहां दस्तावेज है, कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कहा है, जिससे पता लगता है कि ये लोग विशेषकर विद्युत क्षेत्र में आकर्षक संविदा प्राप्त करने के लिए रिश्वत दे रहे थे। इन सभी मामलों में, इन कम्पनियों का प्रतिनिधित्व जैन बंधुओं द्वारा किया जा रहा था।

महोदय, आरोप पत्र दाखिल किए गये; लेकिन जिसके विरूद्ध? मार्च, 1992 में इस व्यक्ति अशाम हुसैन लोन की गिरफ्तारी के लगभग एक वर्ष पश्चात आरोप पत्र दाखिल किए गये थे? लेकिन किसके विरूद्ध?

केवल लोन तथा विद्यार्थी श्री गौरी के विरूद्ध। वह भी एक वर्ष पश्चात् । लेकिन इन डायरियों का उल्लेख नहीं किया गया था; जैन

बंधुओं के विरूद्ध आपराधिक दस्तावेजों की प्राप्ति का उल्लेख नहीं किया गया था; जैन-बंपुओं के विरूद्ध कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किए गये थे।

महोदय, बड़ी धनराशि तथा पकड़े गये दस्तावेजों जिसके बारे में विवाद नहीं है- से यह प्रतीत होता है कि 1991 में यह दिखाने के लिए साक्ष्य है कि विदेशों से काफी बड़ी धनराशियां प्राप्त की गई है और वे **हवाला** कांड करने वाले व्यक्तियों द्वारा वितरित की गई थी। यह धनराशि कश्मीरी आतंकवादियों, उग्रवादियों, राजनैतिज्ञों, नौकरशाहों तथा अन्यों को प्राप्त हुई थी। वे इसमें सह भागी थे। कुछ भी नहीं हुआ।

महोदय, वर्ष 1991 तक सब कुछ छुपा कर रखा गया था। मैं श्री विनोत नारायण, श्री राजेन्द्र पुरी, श्रीमती कामिनी जयसवाल तथा श्री प्रशान्त भूषण का इस महान सार्वजनिक सेवा के लिए धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने उच्चतम न्यायालय में जाकर की क्योंकि दो वर्षों तक- यद्यपि कुछ जानकारी समाचार पत्रों में आ गई थी- कुछ भी नहीं किया जा रहा था और उन्होंने कतिपय जानकारी का पता लगाया और वे उच्चतम न्यायालय में गये। 27 अक्तूबर, 1993 को, उच्चतम न्यायालय ने याचिका को स्वीकृत किया और नवम्बर और दिसम्बर में उसने इस मामले की प्रारम्भिक जांच की थी। 15 दिसम्बर को, उन्होंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को एक सूचना जारी की उस सार्वजनिक हित अभियोजन के आधार पर जिसमें आरोप लगाया गया था कि 115 वरिष्ठ राजनैतिक लोग तथा नौकरशाह हवाला भुगतान में शामिल थे।

महोदय, इस सभा तथा इस देश को यह जानना चाहिए कि 14 जनवरी, 1994 को श्रीमती आल्वा मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आपको इसकी जानकारी दी गई थी अथवा नहीं- श्री महेन्द्रपाल सिंह, पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा एक शपथ पत्र दाखिल किया गया था। उस याचिका के उत्तर में, जिसमें उसने कहा था, आपकी अनुमति से मैं न्यायालय में दाखिल दस्तावेज से उद्धृत कर रहा हूं:

> "रिट याचिका के पैरा 12-24 की विषय वस्तु के संदर्भ में यह बताया गया है कि विभिन्न व्यक्तियों को किए गये भुगतान के संबंध में तथ्य तथा उनकी पहचान अभी जांच द्वारा की जानी है।

दो-तीन वर्ष बीत गये हैं; इस समय तक लगभग तीन वर्ष बीत गये हैं।

> "उत्तर के अन्तर्गत पैराग्राफ में लगाए आरोप की यर्थाथता या अन्यथा का पता सभी तथ्यों के सिद्ध हो जाने और सत्यापन के बाद ही लगाया जा सकता है।"

यह कब होगा? इसमें कितना समय लगेगा?

उन्होंने क्या किया? यह बताया गया है कि :

> "नोट बुक और डायरियां संक्षिप्तियों और कूट भाषा में लिखी गई है जिसे अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है।"

क्या इसे आंशिक रूप से पढ़ लिया गया है? तब तक किन लोगों का पता लग पाया है?

> "... और न ही सत्यापित किया जा सका है। तसदीक जांच से यह बात सिद्ध हुई है कि संदर्भाधीन डारियां श्री एस.के.जैन. के अनुदेश पर श्री जे.के. जैन ने लिखी गई। श्री एस.के.जैन ने अपने वक्तव्य में कुछ हद तक संदर्भाधीन डायरी में की गई कुछ प्रविष्टियां स्पष्ट की हैं। तथापि, श्री एस.के. जैन के वक्तव्य में जिस जानकारी का रहस्योदघाटन किया गया है उसकी यर्थाथता और अन्यथा की भारत में और विदेशों में जांच की जा रही है।"

महोदय, हमें बताया गया है कि यह इस देश की सबसे अधिक सक्षम जांच एजेंसी है जिसे बहुत से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों या कार्य सौंपे गए हैं।

हवाला लेन-देन के परिणामस्वरूप इस देश में कई वर्षों से करोड़ो रुपए कथित रूप से गैर कानूनी तरीके से प्राप्त किए गए हैं और सरकार किसी प्रथम दृष्टया निष्कर्ष पर पहुंचने से भी तीन वर्ष लेती है। मैंने एक प्रश्न सीधे माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं मैं प्रधान मंत्री जी को परेशान नहीं करना चाहता हूं। संभवतः वह आराम कर रहे हैं। यदि वह दोपहर के भोजन के बाद आराम कर रहे हैं तो मैं इसे बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन उन्हें यहां उपस्थित रहना चाहिए था। मैं उनकी यहां उपस्थिति की उम्मीद कर रहा था। कम से कम उनके सहयोगी, राज्य मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। क्या यह मामला इन तीन वर्षों के दौरान कभी भी सरकार को भेजा गया था? मैं चाहता हूं कि इसका सही और विस्तृत उत्तर दिया जाए। क्या सचिवों या उच्च अधिकारियों के साथ कोई परामर्श किया गया था? क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इन कूट संक्षिप्तियों या जो कुछ भी वे थी को पढ़ने के लिए सहायता मांगने के लिए उन्हें सरकार को भेजा था? महोदय, 14 जनवरी, 1994 को यह बात शपथ-पत्र में भी थी।

तत्पश्चात् 1994 में याचिकाकर्ताओं और केन्द्रीय जांच ब्यूरो दोनों ने ग्यारह बार स्थगन लिया। महोदय, 29 नवम्बर, 1994 इस घाटाले के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमें माननीय उच्चतम न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। मैं खुले रूप से इसका सम्मान करता हूं इसका कारण यह नहीं है कि वह भारत का उच्चतम न्यायालय है जो सर्वोच्च सम्मान का अधिकारी है बल्कि इस लिए भी कि आज हम लोगों को किसी तरह से मुंह दिखा सकते हैं तो केवल इसलिए कि इस देश में कम से कम ऐसा कोई अंग है जिसने इस मुद्दे को अपेक्षित गंभीरता से लिया है। क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने इसका दिन-प्रति-दिन पर्यवेक्षण किया है जो कि सरकार को करना चाहिए था तथ्य जानकारी में आ रहे हैं और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध

कार्रवाई की जा रही है, कम से कम दोषी मान लिए गए व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है।

महोदय, क्या हमें यह विश्वास करना चाहिए कि भारत के प्रधान मंत्री को यह बात मालूम होनी चाहिए कि उनके बहुत से मंत्रियों के विरूद्ध हवाला लेन-देन में शामिल होने का आरोप लगाया गया है? क्या उन्हें मालूम है कि उनकी सरकार में एक ऐसा मंत्री था जो दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधियों को शरण दे रहा था? यदि उन्हें मालूम नहीं है तो उन्हें यहां आकर एक मिनट भी बैठने के हक नहीं है। यदि उन्हें यह सब मालूम है तो वह इतने वर्षों से क्या कर रहे हैं? यह कहना बहुत आसान है कि "कानून अपना काम करेगा" यदि अपराध प्रक्रिया सहिंता प्रधान मंत्री पर लागू नहीं होती है तो जनता फैसला करेगी। जनता की अदालत फैसला देगी। वह भविष्य में कभी भी इस पद पर आसीन नहीं हो सकेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने तीन वर्षों तक क्या किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि दाल में कुछ काला है। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने क्षुब्ध होकर जो कहा था उसे मैं उद्धत कर रहा हूं :

> "इससे हमें यह आभास मिलता है कि प्राधिकारी उन मामलों पर अपने समय नष्ट कर रहे हैं जो उन मामलों की तुलना में कुछ भी नहीं है जो कि हमारे व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंगों को खोखला कर रहा है।"

यह मेरी टिप्पणी नहीं है। यह उच्चतमम न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश का कहना है। वह कहते हैं :

> "इस बात पर विश्वास नहीं किया सकता है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की धोखाधड़ी करके इस तरह से बच सकता है। बस आप में केवल बड़े से बड़ा अपराध करने और यह कहने का साहस हो कि मैं कुछ भी करते हुए साफ बचकर निकल सकता हूं। यदि न्यायालय छोटे-छोटे अपराधों के लिए लोगों को दण्डित करने के लिए के लिए और उन लोगों को खुला घूमने के लिए छोड़ देने के लिए बने हैं जो जन्म दिन पर लाखों रुपए खर्च करते हैं तो इससे बेहतर यह होगा कि हमें न्यायालय बंद ही कर देने चाहिए।"

पीड़ा और क्षोभ की भावना देखिए। उन्होंने आगे कहा है :

> "यदि अन्ततः केन्द्र सरकार यह देखती है कि कानून ऐसा है कि वह कुछ नहीं कर सकता है तो उसे अपनी असहायता प्रकट करनी चाहिए और लोगों को सब कुछ जानने देना चाहिए। प्राधिकारियों को कम से कम इस मामले में उन लोगों को किसी तरह की न्यूनतम अवधि के लिए नजरबंद तो रखना ही चाहिए था। उच्च पदों पर आसीन लोगों से कुछ विश्वसनीयता की अपेक्षा की जाती है। सब बातों से हमें बहुत पीड़ा हुई है। ऐसा लगता है कि इन बड़े लोगों से निपटना बहुत मुश्किल काम है और उन्हें शान्त रखने का एक ही रास्ता है कि वे जो करना चाहते हैं उन्हें करने दें।"

महोदय, क्या आपको मालूम है कि भारत सरकार के अधिवक्ता, सॉलीसिटर जनरल-जिनका मैं बहुत सम्मन करता हूं, जो एक योग्य अधिवक्ता हैं-जो अब बुरी संगत में पड़ गए हैं, ने क्या कहा? सॉलीसिटर जनरल ने यह बात स्वीकार की है कि दुर्भाग्य से जून, 1991 से फरवरी, 1993 के बीच जांच में एक अन्तराल रहा था। क्या आप इसके कारण जानना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, क्या हमें इतना ज्यादा उद्धत करना चाहिए?

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी को उद्धत नहीं कर सकता हूं? हम अपनी बातों को उद्धत नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह कोई फैसला है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी, हां। मैं इसकी प्रतियां दूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं जानना चाहती हूं कि वह किस दस्तावेज से उद्धत कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे पूछा है। वह किसी फैसले से उद्धत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह इसकी प्रतियां देंगे।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : कौन सा वक्तव्य?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि उच्चतम न्यायालय यह कहता है कि यह टिप्पणियां उसने नहीं की हैं तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं और क्या कर सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी वही बात आप शब्दों में भी कह सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे योग्य सरकार के अधिवक्ता को उद्धत करने दीजिए। इसका कारण यह है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी जो जांच कार्य की देख-रेख कर रहे थे, उन्हें जैन बन्धुओं से इस बहाने रिश्वत की मांग करते हुए पकड़ा गया कि उन्हें इस मामले में छोड़ दिया जाएगा। ढाई वर्ष तक कुछ नहीं किया गया। सरकारी वकील उच्चतम न्यायालय में जाते हैं और कहते हैं कि "मुझे खेद है" कि विलम्ब हो गया क्योंकि मेरे अधिकारी रिश्वत ले रहे थे। इस योग्य सरकार को इस बात का पता कब चला?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसका अब तक पता नहीं चला है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसका पता लगने के बाद सरकार ने क्या किया? मैं इसका उल्लेख यह बताने के लिए कर रहा हूं कि सरकार

तथ्यों को पूरी तरह से उजागर नहीं करना चाहती है। उन्होंने अंतिम क्षण तक हर संभव प्रयास किया, सिर मत हिलाइए, यह आपको शोभा नहीं देता है– और इसका कारण केवल यह था कि भारत की महान संस्था, भारत के उच्चतम न्यायालय ने आपको ऐसा करने के लिए बाध्य किया वरना यह बात नहीं खुलती, कोई जांच नहीं होती, कुछ भी नहीं हुआ होता और गलत तरीके से प्राप्त किए गए धन से वे लोग मौज करते रहते जिन्हें एक सेकिन्ड भी यहां नहीं बैठना चाहिए। इस देश में ऐसी स्थिति है।

अतः हमने देखा कि जांच के दौरान जांच अधिकारी को रिश्वत दी गई है–इस आरोप को कम से कम सरकारी अधिवक्ता ने स्वीकार किया है। अतः जांच कार्य जारी नहीं रहा उसके बाद क्या हुआ? नवम्बर, 1994 में उच्चतम न्यायालय ने इस मामले गंभीर चिन्ता प्रकट की। उसने कहा कि सरकार बहुत निष्क्रिय रही है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक और संबंध विभाग के सचिव को भी उच्चतम न्यायालय में बुलाया गया था और उन्हें निदेश दिए गए थे, कि उनसे विलम्ब के कारण स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। एक अवसर पर, 27 मार्च, 1995 को उच्चतम न्यायालय ने अपनी नाराजगी जताई। उसने कहा था, मैं उद्धत नहीं कर रहा हूं–कि जो अधिकारी जांच कर रहे हैं वे उस पद के योग्य नहीं है। इसमें कहा गया है कि यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस तरह जांच करता है तो बेहतर यह होगा कि इस देश में एक अन्य जांच करने वाला निकाय होना चाहिए।

हम छोटे लोग हैं, जो कुछ हम कहते हैं उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। लेकिन कम-से-कम हमें उच्चतम न्यायालय की अवमानना नहीं करनी चाहिये लेकिन जो कुछ हुआ है उसके लिए हम उच्चतम न्यायालय की पुनः प्रशंसा नहीं कर सकते। आज इन्हीं कारणों से हमें यह सूचना मिली है, आरोप पत्र दाखिल किए जा रहे हैं; लेकिन उच्चतम न्यायालय के निदेश के बिना, हालत क्या होता? केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस निष्कर्ष पर कब पहुंचा कि आरोप-पत्र दाखिल किये जाने हैं और इन्हें किस तारीख को दाखिल किये जायें? कुछ वर्तमान मंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही करने या मुकदमे चलाने की अनुमति के लिए इसने भारत सरकार ने आवेदन करने के बारे में सोचा?

केवल उच्चतम न्यायालय के कारण अब लगभग प्रतिदिन अथवा प्रति सप्ताह अथवा तिमाही इस मुद्दे की जांच हो रही है। अन्यथा कुछ नहीं होता। अभी भी वे बहुत सारे मामलों की जांच कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि वह कौन सी एजेंसी है। यह स्पष्ट रूप से कर्त्तव्य से विमुख होना है। बहुत सारे गम्भीर आरोप लगाए गये हैं। प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं, और कुछ व्यक्तियों ने तो धन लेने की बात भी स्वीकार कर ली है। अतः ये काल्पनिक राशियां नहीं हैं। ऐसे मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो किसी प्रथम दृष्टया निष्कर्ष पर कब पहुंचा और किसके विरूद्ध? यह निर्णय किसने लिया? वे कागजात कहां हैं? यदि आप कुछ नहीं छिपा रहे हैं तो आप देश को विश्वास में लेकर सभा के समक्ष इन सभी मुद्दों का खुलासा क्यों नहीं करते? महोदय, कारण स्पष्ट है। यह उन्हें रास नहीं आया। इस देश में किसी को भी इस बारे में कोई शक नहीं है। उच्चतम न्यायालय के निदेश के बिना कुछ भी सामने नहीं आती। आज हम यह पाकर आश्चर्यान्वित नहीं हैं कि कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी दोनों ही इस जुर्म, लूट में हिस्सेदार हैं। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। व्यक्तिगत तौर पर उनको विशेषतः आडवाणी जी को जिनके साथ सन् 1971 से मुझे इस सभा में साथ रहने का अवसर मिला है, मैं अत्यधिक सम्मान देता हूं। हम यहां बहुत सारी समितियों में एक साथ रहे हैं। यदि अन्ततोगत्वा वह अपराधी पाये जाते हैं तो मुझे दुःख होगा। लेकिन आज आरोप लगे हैं। यह मेरी व्यक्तिगत पसंद का प्रश्न नहीं है अपितु यह भारत की राजनैतिक प्रणाली, इस देश की विश्वसनीयता तथा इस देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं। हम कतिपय आदर्शों के प्रति अपनी वचनबद्धता की बातें करते हैं। हम इस देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने की बातें करते हैं। सभी हमारी ओर देख रहे हैं। विदेशों के टेलीविजन प्रसारणों में से कुछेक तो आप भी शायद देखते होंगे। उन्होंने इन घटनाओं को कैसा दिखाया? हमारी पद्धति को कैसा दिखा रहे हैं?

भ्रष्टाचार फैल रहा है जो इस देश के मर्मस्थल को समाप्त कर रहा है और महोदय, आज हालात ये हैं कि हमारी सरकार हमें यह स्पष्टीकरण देने का प्रयास कर रही है कि कोई घटना कैसे हुई या कैसे नहीं हुई। क्या इतना ही काफी नहीं है? जैसे तैसे उन्होंने प्रयास करके जोड़-तोड़ करके बहुमत प्राप्त कर लिया है। उन्होंने जोड़-तोड़ करके बहुमत कैसे प्राप्त किया? इस जोड़-तोड़ के पीछे क्या सिद्धांत थे हमें अभी तक मालूम नहीं हुआ है। श्री नरसिंह राव जो अपना बहुमत हासिल करने के लिए इस देश की जनता को उत्साह तक नहीं दिखा सके थे, ने बहुमत कैसे हासिल कर लिया? यहां बहुत से संसद सदस्यों को अपने दल में शामिल कर उन्होंने बहुमत हासिल कर लिया? अतः अकस्मात अल्पमत की सरकार बहुमत की सरकार बन गई। अतः "प्यार, स्नेह तथा फुसलाहट" से वह बहुमत की सरकार बन गई है।

तब श्री मणिशंकर अय्यर ने सभा के एक सदस्य को पेशेवर रिश्वतखोर कहा। लेकिन पेशेवर धन देने वाले अथवा रिश्वत देने वाले के बगैर कोई रिश्वतखोर नहीं हो सकता। पेशेवर रिश्वत देने वालों की संगति में बैठकर अब वह रिश्वतखोरों को गालियां दे रहे हैं। लेकिन अब आप दोनों ने एक दूसरे को अच्छी प्रकार से समझ लिया है। परिणाम यह है कि आप पेट्रोल पम्प और सभी तरह के लाभ दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी प्रणाली बिगड़ी नहीं है चूंकि हम भारत के अंग हैं जहां दुर्भाग्य से कांग्रेस दल शासन कर रहा है।

महोदय, लाभ भोगी कौन है? प्रत्येक परिवर्तन श्री नरसिंह राव को लाभ पहुंचाया है। धन देने में किसकी रूचि थी अथवा उनको

फुसलाने में अथवा उनको राजनैतिक लाभ देने का आश्वासन देकर कुछ संसद सदस्यों पर दवाब डालने का प्रयास करने में किसी रूचि थी? यह धन देने समान ही निन्दनीय भ्रष्टाचार है। ठीक मतदान से पहले वह झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के सदस्य से मिले थे—उन्होंने उनसे बातचीत की थी उनको आश्वासन दिया था श्री बूटा सिंह ने आज ये सब बातें स्वीकार किया है। अब श्री सूरज मण्डल कहते हैं कि उन्हें नरसिंह राव पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, निस्संदेह सूरज मण्डल ने 30 लाख रुपये की राशि प्राप्त की है। अतः भारत के प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव द्वारा दिया गया कोई आश्वासन यह था कि अविश्वास प्रस्ताव के विरूद्ध मतदान करने के लिए सूरज मण्डल को फुसलाया गया है। यह वस्तु स्थिति है।

क्या यह राजनैतिक भ्रष्टाचार नहीं है। आप उन्हें लाभ दे रहे हैं, आप केवल मत हासिल करने के लिए उन्हें वायदे दे रहे हैं। क्या यह राजनैतिक सिद्धांत पर आधारित है? आप झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, झारखण्ड स्वायत्तशासी परिषद के बारे में सोचते हैं, और वह भी ठीक अविश्वास प्रस्ताव के पहले। इसके बारे में सोचने के लिए आपके पास सन् 1991 से जुलाई 1993 तक काफी समय था। आपके पास लगभग ढाई वर्ष का समय था और क्या आपके पास झारखण्ड के बारे में सोचने के लिए कोई समय नहीं था? आपने झारखण्ड स्वायत्तता के बारे में ठीक मतदान होने से पहले सोचा। ताज्जुब है। यह किस तरह का भ्रष्टाचार है? यदि यह भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? इसे खुले आम स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि 'हां' आश्वासन वायदे देकर उनका समर्थन हासिल करने के लिए हमने प्रयास किया था। यह इस देश में हमारे राजनैतिक जीवन का अनिष्ट कारण है। क्या इस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है।

अब यह पता लगा है कि आतंकवादियों, उग्रवादियों को भी धन दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न शामिल है। देश में भ्रष्टाचार न केवल संस्थागत है अपितु इस देश की सुरक्षा का प्रश्न भी इस बात से जुड़ा हुआ है। जो आवश्यकता दर्शायी गई है इसकी क्या जरूरत थी? जो गंभीरता दर्शायी गई है यह कैसी गंभीरता थी? तो जैन का धन कश्मीर उग्रवादियों के पास जा रहा था और उन्हें इधर यहां-वहां जाने की अनुमति दी गई थी वे इधर-उधर जा रहे थे। परिणाम कुछ नहीं निकला उनके बयान नवम्बर सन् 1995 में लिये गये थे। जिसमें प्रधान मंत्री को फंसाया गया उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

मैं उचित अथवा अनुचित की बात नहीं कह रहा हूं अपितु जांच होनी है। कौन सी जांच हुई है? मैं ईमानदारी तथा गंभीरतापूर्वक पूछ रहा हूं। क्या कोई व्यक्ति जिसके आचरण की जांच होनी है, एक संस्था का मुखिया रह सकता है? क्या यह न्याय है? क्या यह निष्पक्ष कार्यवाही है? क्या इस प्रणाली द्वारा आप लोगों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं? यह मुझे मालूम नहीं वह समर्पित हो सकती है? लेकिन क्या यह आशा की जाती है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो का कोई कनिष्ठ अथवा वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती आल्वा के आचरण की जांच करेगा—मुखिया के रूप में संगठन के प्रति जिम्मेदार प्रधान मंत्री के आचरण की नहीं? अतः कम-से-कम प्रधान मंत्री यह तो कर ही सकते हैं कि यह प्रभार किसी और को दे दें। बशर्ते कि जब उन्हें इस विवादास्पद संस्था के मुखिया के पद को संभालने वाला व्यक्ति मिल सकता हो।

अध्यक्ष महोदय, जो तीन-चार वर्षों में हुआ है उसमें जब तक उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वास्तव में दरकिनार कर दिया गया था। इसे कार्य करने की अनुमति नहीं मिली थी और यह कार्य कर रहा था। ऐसी हालत में रिश्वत लेने वाले अधिकारियों के माध्यम से उन अभियुक्तों से धन के पास पहुंचता था। जब बड़ी संख्या में उच्चाधिकारी अथवा महत्वपूर्ण लोग इसमें फंस गये तो एक अधिकारी ने जैन बंधुओं के बयान लिये जाने के लिए कोई जांच करने हेतु बड़ा परिश्रम किया। अतः उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा।

अब हम श्री मणिशंकर अय्यर के भारतीय विदेश सेवा में उनके कार्यकाल की बात करते हैं, जब उन्हें कहीं भेजा गया, जब उन्हें कहीं नहीं भेजा गया अथवा उन्हें एक स्थान पर आदि पर 16 से ज्यादा दिन तक रखा गया। लेकिन आप उस समय को देखें। जैनों के बयान की रिकोर्डिंग के पश्चात यह शीघ्र कार्यवाही करता रहा। अतः इसमें न केवल केन्द्रीय जांच ब्यूरो के उप महानिरीक्षक जिनका तबादला कर दिया गया, शामिल थे अपितु इसमें आयकर तथा 'फेरा' जिसमें उस व्यक्ति के साथ संबंध थे के संयुक्त निदेशक को नौकरी से हाथ धोना पड़ा था भी इसमें शामिल थे।

तत्पश्चात् केन्द्रीय जांच ब्यूरो के महानिदेशक कार्यालय में *कार्यरत उप निदेशक का आयकर विभाग में बदली कर दी गई।* उन सभी का एक साथ तबादला किया गया और जांच-पड़ताल के सम्बंध में जब भी कुछ हुआ तो उन सभी का तबादला कर दिया गया। हालांकि बाद में इसका खंडन किया गया। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री ने कहा था कि मंत्री से सम्बंधित सभी मामलों को उनके समक्ष रखे जायें, वह एक शिकायत थी। उन्होंने कहा था, नहीं। क्या ऐसा आदेश नहीं होना चाहिए था। यह स्पष्ट है। इसके लिए अलग से आदेश क्यों हो? सभी मामले सामने आने चाहिये। स्पष्ट है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो स्वयं प्रधान मंत्री से निदेश मिला बिना किसी मंत्री अथवा किसी उच्च महत्वपूर्ण अधिकारी अथवा कांग्रेस के किसी महत्वपूर्ण सदस्य अथवा उस मुद्दे के लिए यहां तक कि किसी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगा। कोई भी समय सरकार कानूनों से चलती है न कि मात्र व्यक्तियों द्वारा उच्चतम न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि हम विधि की सरकार चाहते हैं न कि व्यक्तियों की यह विधि अनुसार सरकार है तो क्या कोई व्यक्ति जिस पर मामले में फंसने का संदेह है वह उस सरकार का प्रभारी रह सकता है। इस देश में जो हो रहा है यह विचित्र स्थिति है। आज संभवतः अभियुक्त जांच का निरीक्षण कर रहा है और वह सीधे

जांच पर नियंत्रण रखता है। महोदय, श्री मणिशंकर अय्यर ने कतिपय स्पष्टीकरण दिये हैं। अपने अवमानित दल की ओर से बोलने के पश्चात् मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उन्होंने लोकतंत्र जिहाद की बातें की हैं। क्या आपके हाथों में, लोकतंत्र सुरक्षित है? इस देश की जनता ने जो बहुत सारे चुनाव हुये हैं, उनमें अपना फैसला दिया है। हां, वे मौके का भी इन्तजार कर रहे हैं। आप कौन से प्रजातन्त्रात्मक सिद्धांत बनाये रखे हुए हैं? आप किस जिहाद की बातें कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के लिए जिहाद की? भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कोई जिहाद नहीं आरम्भ किया गया है? यह जिहाद भ्रष्टाचार को बचाने तथा भ्रष्टाचार से समझौता करने के लिए है।

उन्होंने विलम्ब के लिए एक लम्बा स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा था कि उग्रवादियों तथा आतंकवाद से लड़ना अधिक महत्वपूर्ण है। निस्संदेह, यह महत्वपूर्ण है। किसी भी समय यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आज यही संदेश है? क्या भारत सरकार का यही रवैया है? भारत सरकार तथा सत्ता दल की ओर से श्री मणिशंकर अय्यर ने बताया था कि, चूंकि इसमें उग्रवादी संलिप्त हैं और अतः वर्षों तक कोई अन्य जांच नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया था कि हवाला काण्ड इतना बड़ा था कि, इसमें बहुत सारा समय लग गया। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा तो आतंकवाद था। यह नहीं निकाला जा सका। इसके निकाले जाने के बारे में किसने कहा था? अतः कुछ निकायों को यह काम दिया जाना चाहिये था, इस प्रयोजनार्थ कुछ अधिकारीगण निर्धारित किए जाने चाहिए थे। महोदय, क्या भारत सरकार का यही धारणा है? मैं विशेषरूप से यही जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि आतंकवाद की जांच की जानी थी इसलिए यह विलम्ब हुआ। उन्होंने कहा था कि विलम्ब जानबूझकर नहीं किया गया था। इसके पश्चात् बाद नियत को एक नया अर्थ, एक नई सोच दी जानी है। यह तो देखभाल के लिए बदनियत है। इस किस्म का अशर्मनाक कर्तव्य जानबूझकर ही हो सकता था और ये सारे भेद खुल गये हैं जिनको दबाने में आपकी दिलचस्पी थी और वे कांग्रेस पार्टी तथा कांग्रेस सरकार के खिलाफ गये हैं। भारतीये जनता पार्टी भी आपको साथ दे रही है लेकिन पहले आपको अपने को बचाना है। दोनों को साथ चलना है। हम वही चाहते हैं एवं लोग भी यही चाहते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : आपने उच्च न्यायालय में हवाला काण्ड की पैरवी की है। महोदय, मैं आपको बता रही हूं। उन्होंने हवाला काण्ड के प्रमुख अभियुक्त की पैरवी की है। मैं आपको प्रमाणिकता दे सकती हूं। मेरे पास कागजात हैं।...**(व्यवधान)** वे दोगले लोग हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जो वह कहती है उसका यदि कोई अर्थ होता तो मैं इसका उत्तर दे देता।

कुमारी ममता बनर्जी : चिल्लाइये मत। मैं जो कह रही हूं वह प्रामाणिकता के साथ कह रही हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं बहुत से मामलों में भारत सरकार की ओर से भी न्यायालय में पेश हो चुका हूं। वे बड़े हवाला डीलर्स हैं, मैं भारत सरकार की ओर से पेश हुआ हूं।...**(व्यवधान)** मंत्रियों ने उनकी ओर से पेश होने के लिए मुझसे निवेदन किया था और दुर्भाग्य से मैं सरकार का मुकदमा जीत गया।

महोदय, चयनात्मकता के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि श्री मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि चयनात्मकता नहीं हो सकती थी। वे कह रहे थे कि वे श्री सिंधिया को क्यों छोड़ दें वे बड़े मंत्री, श्री वी. सी. शुक्ल को क्यों छोड़ दें, वे हमारे अच्छे दोस्त डॉ. बलराम जाखड़ को क्यों छोड़ दें। निस्संदेह हर बार जब भी सरकार बदली है श्री वी. सी. शुक्ल का सत्ता में रहने का अद्भुत रिकोर्ड है। वे सत्ता में रहे हैं। उन्होंने इस कला में महारत हासिल कर ली है। लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि श्री नरसिंह राव के दिमाग में क्या है। वस्तुतः वे मौनी बाबा हैं, वे कभी भी अपना मुंह नहीं खोलते हैं और वे अपनी राय के बारे में मुझे भागीदार नहीं बनायेंगे।

लेकिन जैसा कि आज हमने पाया है कि अनेक उच्च-स्तरीय व्यक्तियों के नाम इसमें शामिल हैं किन्तु आरोप-पत्र उनमें से कुछ ही लोगों के विरूद्ध दायर किया गया है। ऐसा किस आधार पर किया गया है। यह तो श्रीमती अल्वा ही बता सकती हैं। अन्य लोगों के विरूद्ध क्या ठोस प्रमाण है? और कौन इस मामले में कार्यवाही करेगा?

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो।

श्री सोमनाथ चटर्जी : केन्द्रीय जांच ब्यूरो? किसके अधीन? महोदय, एक बात जो हम और इस देश की जनता जानती है कि यदि इस सरकार को किसी प्रकार का शर्म-लिहाज नहीं है अथवा वह किसी मामले में अत्म विश्लेषण नहीं करती है तो उसका कोई दोष नहीं है क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं किया। इसीलिए, जब तक पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तब तक हमें उनके बारे में पता नहीं चलेगा और चुन-चुन कर आरोप लगाने का सिलसिला जारी रहेगा। अतः इस के बारे में प्रधान मंत्री ही स्पष्टीकरण दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इसके लिए एक स्वतंत्र जांच एर्जेसी गठित की जानी चाहिए, तो उनका उत्तर था "जनता दल ने क्यों नहीं किया?" "बहुत खूब!" अपने ग्यारह महीनों के शासन के दौरान जनता दल ने क्यों नहीं किया? "इसीलिए, हमने नहीं किया।" तो क्या, वह सभी मामले में जनता दल का अनुसरण करते हैं? क्या यही उनका उत्तर है?

तत्पश्चात्, 11 मार्च को दिए गए वक्तव्य का प्रश्न उठता है। श्री एस.के. जैन के अहस्ताक्षरित वक्तव्य, उनके अपुष्ट वक्तव्य का प्रश्न उठता है। लोगों का कहना है कि इस प्रश्न का उत्तर आवश्यक नहीं है और हम इस मुद्दे को महत्वहीन बना रहे हैं। उन वक्तव्यों को देने के लिए हमने श्री एस.के. जैन को नहीं कहा था। यह सरकार डायरी में दर्ज-प्रविष्टियों के आधार पर कार्यवाही कर रही है। वक्तव्य

देने के लिए वे मौखिक वक्तव्य के आधार पर कार्य नहीं कर रही है। अतः डायरी और मौखिक वक्तव्य के बीच क्या भेद है? वे मौखिक वक्तव्य पर कार्य करने से तो रहे क्योंकि उसमें 3.55 करोड़ किसी व्यक्ति को दिए जाने का उल्लेख है।...**(व्यवधान)** दूसरी ओर बैठे मेरे मित्र यदि यह सोचते हैं कि मुझे बोलने से रोक कर वे लोगों के बीच गर्व से सिर उठाकर जा सकते हैं तो वे इसके लिए भरसक कोशिश कर सकते हैं...**(व्यवधान)**

कुछ लोगों में सुधार की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती है। मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता।

अतः आज मैं यह कहता हूं कि यह सरकार इस सता में बने रहने का अधिकार खो चुकी है। देश का राज-काज चलाने के मामले पर उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। देश की सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण पहलुओं पर दृष्टिकोण के मामले में उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। देश के प्रशासन में स्वच्छता बनाये रखने के लिए उनसे आशा नहीं की जा सकती। जहां तक इस सरकार का संबंध है, ईमानदारी से इसका कोई सरोकार नहीं है? इसके अतिरिक्त इस संदर्भ में जिस संसद सदस्य ने वक्तव्य दिया है उसका कहना है कि शायद उसने इस मामले में वक्तव्य दिया है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उसकी पुष्टि की गई अथवा नहीं। उनके संदर्भ में 'अमीबा' और 'हाइड्रा' का उल्लेख किया गया था। श्री अय्यर ने कहा है कि इन्हीं अमीबा और हाइड्रा के गुणों से युक्त लोग दल-बदल करते हैं। अच्छा! ऐसे ही कुछ व्यक्ति जिन्होंने दल-बदल किया था इस सरकार में मंत्री हैं। उस अमीबा और हाइड्रा के क्या गुण हैं मैं नहीं जानता। जहां तक इन मंत्रियों का संबंध है उनमें अमीबा और हाइड्रा के कौन-कौन से गुण हैं? महोदय, यह एक ऐसी बात है ...**(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : यह संसद है, पश्चिम बंगाल विधान सभा नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, संसद में...**(व्यवधान)** उनमें बारे में मेरी कोई अच्छी राय नहीं है।

4.00 म.प.

उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने पैसा लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने दल में शामिल करने का निर्णय किया और श्री वाजपेयी जी ने भी यह कहा कि उन्हें पता नहीं कि उन्होंने उन्हें कब दल में शामिल किया। लेकिन यह सब जानने के बाद भी वह उनको आवंटित सीट की शोभा बढ़ा रहे हैं। वह आपके दल के ही सदस्य हैं। आप ने उन्हें दल से निष्कासित नहीं किया। हम जानते हैं कि यह आपका सर्वनाश करेगा। श्री सूरज मण्डल जो इस सभा के एक माननीय सदस्य हैं, ने कहा है कि हम गरीब संसद सदस्य हैं और आप अमीर संसद लोग बेदाग बच जाते हो। यह एक संसद सदस्य के विचार हैं कि सभी अमीर सांसद सदस्य धन अर्जित करते हैं और बेदाग बच जाते हैं और मात्र गरीब संसद सदस्य ही पकड़े जाते हैं। ऐसा वह खुल्लम-खुल्ला कह रहे हैं। इस देश के लोगों पर वह यही छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका कहना है कि सब एम.पीज के पास पैसा है।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल : मैंने ऐसा नहीं कहा है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन मैं इसका खंडन करता हूं। मैं उन सभी आरोपों और आक्षेपों का खंडन करता हूं जो उन्होंने लगाए हैं। लेकिन मैं मात्र एक और बात कहना चाहता हूं जो बिल्कुल भी व्यक्तिगत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपको और समय चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा कल जारी रख सकते हैं। क्योंकि बजट के प्रस्तुतीकरण के लिए हम सभा को 4 म.प. पर स्थगित करेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम कापसे (ठाणे) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री मणिशंकर अय्यर और श्री सूरज मण्डल ने जो भी कहा उस बात की जांच की जानी चाहिए जिसे कार्यवाही वृत्तान्त से हटाया जाना जरूरी हो उसे कार्यवाही वृत्तान्त से हटा दिया जाना चाहिए। अन्यथा यह प्रेस में आ जाएगा। श्री मणिशंकर अय्यर ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में बहुत कुछ कहा है और आपने इस बारे में कोई आदेश भी दिया...**(व्यवधान)** हम यह मुद्दा इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि इसके बारे में कुछ करने की आवश्यकता है। अन्यथा यह प्रेस में आ जाएगा।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : आप क्या कुछ नहीं बोलते रहे हैं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो भी बात न्यायालय की कार्यवाही को प्रभावित करने वाली होगी उस पर मैं गौर करूंगा।

सभा 5 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

4.02 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा 5.00 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

5.00 म.प.

लोक सभा 5.00 म.प. पर पुनः समवेत हुई।
(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

अंतरिम बजट (सामान्य)–1996

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 204 के अंतर्गत आज बजट प्रस्तुत किया जाना है। इसी तरह, कल रेल बजट प्रस्तुत किया गया था। कल की कार्य सूची में यह दर्शाया गया था कि यह अंतरिम बजट होगा। यहां तक कि आज जो कार्य सूची हमें प्राप्त हुई है उसमें भी यही कहा गया है कि यह अंतरिम सामान्य बजट है। कल घर जाकर जब हमने रेल बजट से संबंधित कागजातों का अध्ययन किया तो पता चला कि 'अंतरिम' शब्द को कहीं भी नहीं पाया। कल आपने रेल राज्य मंत्री का भाषण सुना होगा उन्होंने अपने भाषण के दौरान कुछेक योजनाओं का उल्लेख किया जिसमें मुम्बई में मेट्रो रेल का भी एक प्रावधान था जिसे चार वर्ष बाद भी क्रियान्वित किया जाएगा। 'अंतरिम बजट' का आशय है जारी परियोजनाओं के लिए लेखानुदान दिया जाना। कल मंत्रीजी ने भाषण दिया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्री भी अपने में भाषण पूरे वर्ष के लिए ऐसी ही घोषणायें करने जा रहे हैं? यदि हां तो उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसी कारण मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। कल रेल राज्य मंत्री ने संसदीय प्रक्रिया के अनुरूप अंतरिम बजट प्रस्तुत नहीं किया और यदि वित्त मंत्री भी ऐसा ही कुछ करेंगे तो उचित नहीं होगा। उचित तो यही होगा कि वह अपने भाषण की प्रति सभा पटल पर रख दें। कल रेल राज्य मंत्री ने ऐसा नहीं किया। अतः वित्त मंत्री किसी नई योजना की घोषणा न करें क्योंकि यह अंतरिम बजट है। मुझे उम्मीद है कि आज कम से कम आप वित्त मंत्री का मार्ग-दर्शन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने 1996-97 में रेलवे पर केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय किए जाने हेतु प्रस्तुत लेखानुदानों को पढ़ा होगा तो उन्हें पता चला होगा कि उनमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसमें यह उल्लेख किया गया है कि यह 'अंतरिम बजट' है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे पूरा बोलने दीजिए। इसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि इस वर्ष लेखानुदान में पूरे वर्ष की एक तिहाई अनुमानित प्रावधान को शामिल किया गया है यद्यपि ये प्रावधान किसी नए सेवा उपस्कर पर व्यय के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। उन्होंने यही कहा। उन्होंने संसद ने नई योजनाओं हेतु धन नहीं मांगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, कृपया बीच में नहीं बोलिए। आज तो कम से कम मेरे ऊपर कृपा कीजिए और बोलने दीजिए।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है और मेरा भी यही विचार है कि यह संसद, केन्द्रीय सरकार और संसद सदस्यों से यह अपेक्षा की जानी है तथा उनका यह कर्तव्य है और अधिकार भी है कि किसी परियोजना को एक वर्ष, पांच वर्ष, बीस वर्ष अथवा पच्चास वर्ष में पूरा करने के बारे में विचार करें।

वे केवल धन की मांग कर रहे हैं और यदि इसके सदुपयोग हेतु उनके पास नीतियां भी हैं तो इसमें क्या बुराई है। हमें उसमें गलती ढूंढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बल्कि उसकी सराहना करनी चाहिए क्योंकि उनके पास दीर्घकालीन व्यापक कार्यक्रम हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, एक अन्य मामले में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह वित्त विधेयक क्या है? क्या यह पूरे वर्ष के लिए है?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए धन मांगा गया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वित्त विधेयक का क्या अर्थ है? क्या इसमें तीन या चार महीनों के लिए ही प्रबंध किया गया है। यदि लेखानुदान ही पारित किया जा रहा है तो वित्त विधेयक कैसे पुरःस्थापित किया जा रहा है? इस वास्तविकता के बावजूद क्योंकि मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे सूचना दीजिए। मैं दस्तावेज का अध्ययन करूंगा और तब निदेश दूंगा। मैं इस तरह जल्दबाजी निदेश नहीं दूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस दस्तावेज को पढ़ा नहीं है। मैं इसे पढ़ नहीं सकता।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वित्त विधेयक मात्र चार महीने तक के लिए सीमित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं साफ तौर पर यह बता दूं कि इन दस्तावेजों जिन्हें वित्त मंत्री सभा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं–के ब्यौरों पर चर्चा किये बिना ही वह केवल उन्हीं योजनाओं के लिए संसद धनराशि मांग रहे हैं, जिनका कि कार्य चल रहा है और यह धनराशि मात्र चार महीनों के लिए मांगी जा रही है। सम्भवतः वह और अधिक धनराशि की मांग नहीं कर रहे हैं। इस हद तक, यदि कोई प्रावधान करने हों तथा ऐसे प्रावधान पुरानी नीतियों के अनुरूप हों, तो मैं नहीं समझता–यह मेरा अन्तिम निर्णय नहीं है—कि ऐसा करना गलत है। लेकिन जब आप अन्तिम दस्तावेज को पढ़ने के बाद मुझे लिखित रूप में देंगे, तो मैं इस बारे में विस्तार से विचार करूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, अन्तरिम बजट लाये जाने की अवधारणा क्या है?

अध्यक्ष महोदय : आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, उन्हें लेखानुदान पेश करना चाहिये था।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : आपने भी लेखानुदान पारित किया था...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, संसद का यह छोटा-सा सत्र प्रमुख रूप से 31 मार्च के बाद न्यूनतम जरूरी वित्तीय कार्य पारित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है क्योंकि चुनाव 31 मार्च से पहले नहीं करवाये जा सकते। अतः, 31 मार्च के बाद धनराशि व्यय करने के लिए कोई प्राधिकार लेना होगा ताकि कुछ कार्य निपटाया जा सके। यह सरकारी कार्य है। अतः, अन्तरिम बजट प्रस्तुत करने की आवधारणा क्या है? क्या अन्तरिम बजट अगले पांच अथवा दस वर्षों के लिए प्रस्तावों एवं योजनाओं की घोषणा करने जैसा कि रेल मंत्री जी ने किया है के प्रयोजन से प्रस्तुत किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं वित्त मंत्री को इस बात को स्पष्ट करने की अनुमति दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या ऐसा बजट-भाषण को चुनावी भाषण बनाने के प्रयोजन से किया गया है? यह सही नहीं है? ...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह केवल लेखानुदान है। उन्होंने अपनी विधान सभा में भी लेखानुदान पारित किया है। वे इस प्रश्न को अब यहां क्यों उठा रहे हैं?...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसी बात नहीं है।

वित्त मंत्री महोदय, क्या आप इस विषय पर स्पष्टीकरण देना चाहेंगे तथा क्या आप पहले इसी विषय पर स्थिति थोड़ी और सुस्पष्ट करना चाहेंगे?

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं इस विषय पर स्थिति सुस्पष्ट करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व, मैं सभी माननीय सदस्यों की आशंकाओं का समाधान कर उन्हें संतुष्ट कर चुका हूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1996-97 का अन्तरिम बजट प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूं।

महोदय, भारत एक युवा देश है, लेकिन इसकी सभ्यता प्राचीन है। हमारा लम्बा एवं पेचीदा इतिहास न केवल उल्लास एवं त्रासदी, सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने तथा साहस एवं उद्यम का मिश्रण है, बल्कि पतन एवं अवनति के काल और आंसुओं एवं उल्लास के क्षणों का मिश्रण भी है। सच तो यह है कि भारी चुनौतियों, परीक्षणों एवं विपत्तियों के बावजूद, हमने अपनी अत्यंत प्राचीन सभ्यता को 5000 वर्ष से भी ज्यादा वर्षों तक जीवन्त बनाये रखा है, ऐसा हमारे सतत उद्यमशील रहने एवं बर्दाश्त करने के शाश्वत मानव मूल्यों तथा अनेकता के माध्यम से एकता की चाहत, हमारे भविष्ट द्रष्टा, वीरगाथाओं एवं सन्तों एवं सदियों से चले आ रहे हमारे धर्मग्रन्थों से विरासत में मिली धरोहर के कारण सम्भव हो पाया है। यह हमारी सभ्यता की विरासत में मिली सारगर्भिता है जिसका शायर इकबाल ने एक यादगार नज्म में उल्लेख किया है :

मिट गए मिश्र, यूनान और रोमां,
कायम है लेकिन अब तक नामो निशां हमारा।
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमां हमारा।।

महोदय, स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री केनेडी ने कहा था कि साहस दबाव में शालीनता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान हमारे राष्ट्र के इतिहास में जब हमने एक गम्भीर आर्थिक संकट को राष्ट्रनिर्माण के एक असरदार अवसर में लक्ष्मी और सरस्वती की अराधना के माध्यम से परिवर्तित किया, उससे साहस की उपरोक्त परिभाषा सत्य प्रतीत होती है। हम अपने प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव की आर्थिक विकास की परिकल्पना को मानवीय दृष्टिकोण से मूर्त रूप देने में सफल रहे हैं।

पांच वर्ष पूर्व भारत की जनता ने प्रधान मंत्री श्री पी.वी.नरसिम्हा राव के उत्साहवर्धक एवं दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व में हमारी पार्टी को शासनादेश दिया था। हमने ऐसे समय में कार्यभार संभाला था जब अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। मुद्रास्फीति नियंत्रण के बाहर थी, निर्यातों में कमी हो रही थी, विदेशी मुद्रा भंडार कम हो कर मुश्किल से दो सप्ताह की अवधि के आयातों के बराबर रह गए थे तथा उद्योग वस्तुतः चरमरा गये थे। हमें स्थूल आर्थिक स्थिरता को पुनः स्थापित करने के लिए और फिर यथा-संभव शीघ्र ही अर्थव्यवस्था को तीव्र एवं साम्यिक आर्थिक प्रगति के पथ पर वापस लाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देनी पड़ी।

इसके लिए जिस नीति का हमने अनुसरण किया है, उसका प्रधान मंत्री ने स्वयं कई अवसरों पर इस सदन के समक्ष उल्लेख किया है। हमारा यह प्रयास रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बढ़े और उसका व्यापक विकास हो जिसकी वजह से ही हमारे सभी लोगों के बढ़ते हुए जीवन स्तर को कायम रखा जा सकता है। हमने अपनी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करने, उत्पादकता में सुधार लाने तथा सभी क्षेत्रों में कार्यक्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया है। हमने अपनी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अधिक कारगर ढ़ग से समामेलन करने का प्रयास किया है ताकि हम विश्व-बाजार में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सकें और साथ ही अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में निवेश को आकृष्ट कर सकें जैसा कि एशिया के अन्य बहुत से देशों ने अपने लाभ के लिए किया है। सबसे अधिक हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि इस प्रक्रिया में हमारे समाज

के अपेक्षाकृत गरीब वर्गों की जरूरतों का लगातार ध्यान रखा जाए। क्योंकि निजी क्षेत्र का ऐसे बहुत से क्षेत्रों में तेजी से विस्तार हुआ है जो कि पहले राज्य कि लिए आरक्षित थे अतः राज्य की गतिविध का आकर्षण तथा सरकारी संसाधनों का नियोजन अब गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा करने तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं ग्रामीण आधारभूत संरचना जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर संकेन्द्रित किया जा रहा है जहां अकेले बाजार अर्थव्यवस्था तेजी से लाभ प्रदान नहीं कर सकती है।

विगत पांच वर्षों की यात्रा कठिन और लाभप्रद दोनों ही प्रकार की रही है। मैं यह नहीं कहूंगा कि हमने जो भी चाहा वह सब पा लिया है। लेकिन मेरा विश्वास है कि हम ईमानदारी से यह कह सकते हैं कि जो परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं, वे हमारी विचारधारा और आकांक्षाओं की भलीभांति पुष्टि करते हैं। अब मैं संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा करूंगा।

मुद्रास्फीति हमारी सबसे प्रबल शत्रु है और इससे किसी अन्य की अपेक्षा गरीबों को अधिक क्षति पहुंचती है। इसलिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना हमारी प्रथम प्राथमिकता थी। राजकोषीय घाटे को कम करके, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि को नियंत्रित करके और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बढ़ाकर हमने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम किया। परिणाम सुस्पष्ट है। अगस्त, 1991 में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 17 प्रतिशत के अधिकतम स्तर पर थी। इसे फरवरी, 1996 में 5 प्रतिशत से नीचे लाया गया है जा 1988 से लेकर अब तक निम्नतम स्तर पर है। इसके अतिरिक्त, गेहूं, खाद्य तेलों और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं की वार्षिक मूल्य वृद्धि दर और भी कम है। गरीब वर्गों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है। इस सुदृढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सा.वि.प्र.) का विस्तार जनजातीय, पहाड़ी, रेगिस्तानी तथा अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों में 1775 विकास खण्डों तक किया गया है। 650 से भी अधिक और विकास खण्डों में इस सुदृढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सु.सा.वि.प्र.) के विस्तार का कार्य चल रहा है।

हमारी नीतियों से आर्थिक वृद्धि का पुनरुत्थान भी हुआ है। 1991-92 के संकटकालीन वर्ष में एक प्रतिशत से भी कम की मन्दी के उपरान्त, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 1992-93 तथा 1993-94 दोनों वर्षों में बढ़कर 5 प्रतिशत वार्षिक पर आ गई, फिर 1994-95 में यह बढ़कर 6.3 प्रतिशत हो गई और 1995-96 के लिए 6.2 प्रतिशत की निरन्तर उच्च वृद्धि होने का अनुमान है। किसी भी रूप में यह समूचे विश्व में गंभीर स्थूल आर्थिक संकट से उभरने वाली एक सबसे तीव्र एवं सबसे मजबूत उपलब्धि रही है। आठवीं योजना के पहले चार वर्षों में वृद्धि औसतन 5.7 प्रतिशत रही है। यह 5.6 प्रतिशत के योजना लक्ष्य के अनुरूप है।

इस असाधारण उपलब्धि को अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों के अच्छे कार्य-निष्पादन से संबल प्राप्त हुआ है। कृषि से हमारी दो-तिहाई जनता को आजीविका प्राप्त होती है और हमारी नीतियों में इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। हमने लाभकारी मूल्य प्रदान किए हैं। हमने कृषि वस्तुओं में आन्तरिक और विदेशी व्यापार बाधाओं को समाप्त कर दिया है। हमने कृषि-प्रसंस्करण वाले क्रियाकलापों की बढ़ावा दिया है। हमने अपनी विदेश व्यापार नीतियों में कृषि के प्रति पूर्वाग्रह को अत्यधिक अनुकूल बना दिया है। इसका उद्देश्य हमारे किसानों को शीघ्र आय अर्जन के अवसर उपलब्ध कराना रहा है।

माननीय सदस्य किसानों की यथोचित प्रशंसा करने में मेरा साथ देंगे। इन नई नीतियों के प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यधिक अनुकूल रहा है। वर्ष 1991-92 के संकट के दौरान कृषि उत्पादन में गिरावट आई लेकिन उसके पश्चात् अगले तीन वर्षों में औसतन प्रति वर्ष 4 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है। खाद्य उत्पादन में भी औसतन प्रति वर्ष 4 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई जिससे वर्ष 1994-95 में यह 191 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 1995-96 में इसी तरह भरपूर उत्पादन होने की आशा है। तथापि खाद्यान्न उत्पादन तो इस कहानी का केवल एक अंश है। कृषि में भी विविधता लाई गई है। दुग्ध उत्पादन में 1990-91 तथा 1994-95 के बीच लगभग 10 लाख टन तक की वृद्धि हुई है। फल और सब्जियों के उत्पादन मे भी काफी वृद्धि हुई है।

उन आलोचकों, जो यह दावा करते थे कि हमारी नीतियों में कृषि की उपेक्षा की गई है, से बस इतना ही कहना काफी है।

हमारे उद्योग ने निर्मुक्त घरेलू उद्योग की हमारी नीतियों के प्रोत्साहन तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की चुनौती का शानदार ढंग से प्रत्युत्तर दिया है। बहुतों का यह पूर्वानुमान था कि आयातों के उदारीकरण से हमारा घरेलू उद्योग समाप्त हो जाएगा। अपने उद्योग पर हमें अधिक विश्वास था। पांच वर्ष पहले, मैंने कहा था कि "हमारे उद्यमी किसी से कम नहीं हैं।" हमने उनमें जो विश्वास जताया था उसकी उन्होंने भलीभांति पुष्टि कर दी है। 1991-92 में औद्योगिक उत्पादन अवरूद्ध था। यह तेजी से और सुधर कर 1993-94 में 6 प्रतिशत तक बढ़ गया और फिर 1994-95 में यह बढ़कर 8.6 प्रतिशत हो गया। औद्योगिक वृद्धि 1995-96 की प्रथम छमाही में और बढ़कर 12 प्रतिशत हो गई है। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन 1994 में बढ़कर 25 प्रतिशत तक हो गया। यह बुनियादी वस्तुओं, मध्यवर्ती वस्तुओं तथा उपभोक्ता वस्तुओं की अन्य श्रेणियों में दर्ज की गई वृद्धि के दुगुने से भी अधिक है। 1995-96 की प्रथम छमाही में पूंजीगत वस्तुओं का क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से आगे बना रहा जिसमें 14.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आयातों की प्रतिस्पर्धा में अर्थव्यवस्था का मार्ग खुल जाने के बावजूद ऐसा हुआ है। अब कोई भी हमारे उद्योग के अन्तर्निहित सामर्थ्य और प्रतिस्पर्धात्मकता पर सन्देह नहीं कर सकता।

मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए विशेष रूप से प्रसन्न हूं कि हमारी सुधार नीतियों से लघु उद्योग को विशेष बल मिला है। संकट के बाद प्रत्येक वर्ष, लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादन में समग्र

औद्योगिक उत्पादन की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई है। उदारहण के लिए, 1993-94 में लघु उद्योग उत्पादन में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हो गई जबकि समग्र औद्योगिक उत्पादन में 6.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी तरह 1994-95 में लघु उद्योग की वृद्धि 10.1 प्रतिशत थी जोकि 8. 6 प्रतिशत की समग्र औद्योगिक वृद्धि से अधिक थी।

जैसाकि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, सुधार की हमारी नीति में गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। हमने तीव्र, व्यापक आधार वाले, रोजागर-सृजनकारी विकास को बढ़ावा देने, गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन के लिए विशेष कार्यक्रमों का विस्तार एवं प्रसार करने और समाजिक क्षेत्रों तथा सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों पर अधिक जोर देने का त्रिपक्षीय दृष्टिकोण अपनाया है। 1991 में हमारे आलोचकों ने यह चेतावनी दी थी कि आर्थिक सुधारों के कारण बेशुमार बेरोजगारी बढ़ेगी तथा गरीबों को समंजन का सामना करना पड़ेगा। इन परिणामों से ये आशंकाए दूर हो गई हैं।

* 1991-92 में अर्थव्यवस्था में रोजगार की कुल वृद्धि 3 मिलियन थी। अगले दो वर्षों में यह दुगुनी होकर औसतन 6 मिलियन हो गई तथा 1994-95 में यह 7 मिलियन से भी अधिक हो गई। रोजनगार में वृद्धि इस साल और भी अधिक होने की संभावना है। यह अस्सी के दशक में प्रतिवर्ष 5 मिलियन से कम की औसत वृद्धि के बराबर है।

* योजना आयोग के निर्धनता संबंधी अद्धतन अनुमान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के अनुपात में महत्वपूर्ण कमी दर्शाते हैं। यह अनुपात 1987-88 के 25 प्रतिशत से भी अधिक से कम होकर 1993-94 में 19 प्रतिशत से नीचे आ गया।

* हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्ग अकुशल कृषि श्रमिक की वास्तविक औसत मजदूरी में भी सुधार हुआ है। 1991-92 के संकटकालीन वर्ष में वास्तविक मजदूरी में 6 प्रतिशत तक की गिरावट आयी। उसके उपरान्त उसमें अगले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष निरन्तर 5 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई।

कड़े राजकोषीय प्रतिबंधों के बावजूद, 1992-93 और 1995-96 के मध्य के तीन वर्षों में हमने केन्द्रीय आयोजना के बजट आबंटन को बढ़ाकर ग्रामीण विकास के लिए लगभग 150 प्रतिशत तक, शिक्षा के लिए 90 प्रतिशत से अधिक, प्राथमिक शिक्षा के लिए लगभग 130 प्रतिशत तक तथा स्वास्थ्य के लिए 120 प्रतिशत से भी अधिक कर दिया है। हमने कमजोर वर्गों के लिए महत्वपूर्ण नए कार्यक्रमों एवं योजनाओं की शुरूआत की है।

* रोजगार आश्वासन योजना मंदी के समय में देश के सबसे गरीब 3175 विकास खण्डों में प्रति परिवार दो व्यक्तियों की दर से अकुशल ग्रामीण गरीब व्यक्तियों को 100 दिनों के लिए सुनिश्चित रोजगार प्रदान करती है।

* प्रधान मंत्री की रोजगार योजना शिक्षित बेरोजगारों द्वारा छोटे-छोटे उद्यमों की स्थापना करके रोजगार-सृजन के लिए तैयार की गई है। वर्ष 1994-95 में इस योजना के अधीन 1.9 लाख लाभभोगियों को ऋण दिए गए थे। वर्ष, 1995-96 के लिए 2.6 लाख लाभभोगियों का लक्ष्य रखा गया है।

* राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तीन मुख्य घटक हैं, पहले में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले वृद्धों को केन्द्रीय सरकार से 75 रुपए की मासिक वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। इससे 54 लाख लोगों के लाभान्वित होने की आशा है। दूसरे, गरीब परिवारों के प्रमुख आय अर्जक की मृत्यु होने पर दुर्घटना में मृत्यु होने के मामले में 10,000 रुपए तथा प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने के मामले में 5,000 रुपए के एकमुश्त उत्तरजीवी लाभ की व्यवस्था है। इससे प्रतिवर्ष 4.5 लाख परिवारों के लाभान्वित होने की आशा है। तीसरे, गर्भवती माताओं के लिए 300 रुपए के मातृत्व लाभ की व्यवस्था है। इससे प्रतिवर्ष 46 लाख महिलाओं के लाभान्वित होने की प्रत्याशा है।

* मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का उद्देश्य 3 वर्षों में पहली से चौथी कक्षाओं के 11 करोड़ बच्चों के पोषाहार और विद्यालय में उपस्थिति में सुधार लाना है। इस योजना के पहले वर्ष में 3.4 करोड़ बच्चों को पहले ही इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

* इन्दिरा आवास योजना के अधीन वर्ष 1994-95 में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों के लिए 4 लाख मकान बनाए गए थे। इस योजना के अधीन वर्ष 1995-96 में 10 लाख मकान बनाए जाएंगे।

* महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य घरेलू बचतों पर अपेक्षाकृत अधिक नियन्त्रण प्रदान करके हमारी महिलाओं को समर्थ बनाना है।

* 'नाबार्ड' में ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि स्थापित की गई है। यह मध्यम और लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण और अन्य ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं की चालू परियोजनाओं के लिए 2000 करोड़ रुपए प्रदान करेगी।

* 1000 करोड़ रुपए की एक विशेष बैंक संघीय निधि की व्यवस्था से ग्राम और खादी उद्योगों के लिए बैंक ऋण का विस्तार किया जा रहा है।

* गरीब परिवारों के लिए कम प्रीमियम से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रत्येक व्यक्ति को

5000 रुपए का जीवन कवच प्रदान करने के लिए जीवन बीमा निगम की एक नई समूह जीवन बीमा योजना।

* राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, जिसे हमने 1992 में स्थापित किया था, ने लाभभोगियों को 250 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत किए हैं।
* राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति वित्त और विकास निगम ने 400 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किये हैं।
* अल्पसंख्यकों में पिछड़े वर्गों के विकास के लिए सहायता देने हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम ने अब कार्य करना शुरू कर दिया है।
* 400 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी सहित विकलांग विकास और वित्त निगम की स्थापना की जा रही है।

महोदय, पूर्वोत्तर अंचल की जनता-जिसने एक बेघर वित्त मंत्री को स्वीकारा है - को यह जानकर खुशी होगी कि हाल ही में प्रधान मंत्री महोदय ने 500 करोड़ रूपये की प्राधिकृत पूंजी वाले पूर्वोत्तर विकस वित्त निगम नामक एक नये विकास बैंक का उद्घाटन किया है तथा अब इसने कार्य करना शुरू कर दिया है। इससे पूर्वोत्तर राज्यों एवं शेष भारत के बीच आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक दूरी समाप्त करने में सहायता मिलेगी।

हमें औद्योगिक विकास की गति तेज करने में भारतीय श्रमिकों द्वारा निभाई गई भूमिका पर गर्व है। उनके हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई उपाय किए गए हैं। हमने बोनस-भुगतान की पात्रता सीमा 2500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 3500 रुपए प्रतिमाह और बोनस-परिकलन की सीमा 1600 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रतिमाह कर दी है। इसके पूर्व, सरकार ने हमारे श्रमिकों को 1 लाख रुपए तक उपदान प्राप्त कर सकने के लिए उपदान-भुगतान अधिनियम के अधीन सीमा बढ़ा दी थी। बोनस पात्रता और बोनस परिकलन की संशोधित सीमा गैर-सरकारी और सरकारी कर्मचारियों दोनों पर लागू है। यहां तक कि हमने पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन से पूर्व की सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम राहत की एक किस्त प्रदान कर दी। तत्पश्चात उस वर्ष दूसरी किस्त वेतन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर दे दी गई थी। अंतरिम राहत पेंशनभोगियों और परिवार पेंशनभोगियों को भी प्रदान की गई है। हमने उपदान के परिकलन के लिए महंगाई भत्ते के एक भाग को भी वेतन के साथ विलयित कर दिया है।

संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 का पारित होना एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों एवं उससे संबंध सस्थाओं की स्थापना करना एक संवैधानिक आवश्यकता बना दिया। यह संशोधन सुनिश्चित करता है कि महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को पंचायतों में अनिवार्यतः पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। यह समाज के इन अल्पाधिकार - प्राप्त वर्गों को शक्ति प्रदान करने के लिए एक मुख्य कदम है। इस शक्ति की सुपुर्दगी को वास्तविकता बनाने के लिए प्रत्येक राज्य को उन सिद्धान्तों, जिन्हें राज्य और पंचायतों के बीच राज्य राजस्व का वितरण नियंत्रित करना चाहिए, की सिफारिश करने के लिए एक वित्त आयोग गठित करना अपेक्षित है। दसवें वित्त आयोग ने भी आगामी चार वर्षों की अवधि के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने के लिए लगभग 4,400 करोड़ रुपए की राशि केन्द्रीय राजस्व से आबंटित की है।

वर्ष 1991 का संकट हमारे भुगतान संतुलन में स्पष्टतया प्रदर्शित किया गया था। पिछले पांच वर्षों में हमारे विदेशी व्यापार और विदेशी भुगतान नीतियों ने हमारी कमजोरियों को मजबूती में बल दिया जाता है:

* निर्यातों में वर्ष 1991-92 में डालर मूल्य में गिरावट आई। उनमें वर्ष 1993-94 में 20 प्रतिशत और वर्ष 1994-95 में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निर्यात वृद्धि में वर्ष 1995-96 के प्रथम महीनों में 24 प्रतिशत की तेजी आई।
* व्यापार संबंधी उदारीकरण ने वास्तविक रूप से विदेश व्यापार में हमारी आत्म-निर्भरता में वृद्धि की है। आयात भुगतानों की तुलना में निर्यात आय का अनुपात अस्सी के दशक में औसतन 60 प्रतिशत से बढ़कर पिछले दो वर्षों में 90 प्रतिशत हो गया है।
* विदेशी निवेश वर्ष 1991-92 में 200 मिलियन डालर से भी कम से बढ़कर पिछले वर्ष लगभग 5 बिलियन डालर हो गया। अकेले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह के इस वर्ष बढ़कर लगभग 2 बिलियन डालर हो जाने की आशा है। माननीय सदस्यों को यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि 85 प्रतिशत से भी अधिक विदेशी निवेश संबंधी अनुमोदन आधारभूत संरचना सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में है और 80 प्रतिशत से भी अधिक प्रस्तावों में भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम शामिल हैं।
* वर्ष 1991 के संकट के समय हमारा विदेशी ऋण प्रति वर्ष 8 बिलियन डॉलर की दर से बढ़ रहा था। अप्रैल, 1991 से सितम्बर, 1995 तक साढ़े चार वर्षों में विदेशी ऋण की वृद्धि प्रतिवर्ष औसतन केवल 2.2 बिलियन डालर थी। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, विदेशी ऋण वर्ष 1991-92 में 41 प्रतिशत के शीर्ष से घटकर सितम्बर, 1995 में लगभग 29 प्रतिशत हो गया। तदनुसार ही, वर्तमान आय के प्रतिशत रूप में ऋण शोधन भुगतान के वर्ष 1990-91 में 35 प्रतिशत से भी अधिक से घटकर वर्ष 1995-9· में 27 प्रतिशत से भी कम हो जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, अल्पावधिक विदेशी ऋण का समानुपात भी मार्च, 1991

में 10 प्रतिशत से भी कम करके सितम्बर, 1995 में 5 प्रतिशत से कम पर लाया गया है।

आर्थिक सुधारों के एक भाग के रूप में, हमने अपनी बैंकिंग प्रणाली और पूंजी बाजारों को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक उपाय किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, प्रचालन हानि घोषित करने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या वर्ष 1992-93 में अप्रत्याशित रूप से 8 से घटकर वर्ष 1994-95 में केवल एक हो गई है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल अग्रिमों की तुलना में गैर-निष्पत्ति आस्तियों का औसत अनुपात भी वर्ष 1992-93 में 26 प्रतिशत से काफी घटकर वर्ष 1994-95 में 20 प्रतिशत हो गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्वास और पुनर्गठन का एक वृहत कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

पूंजी बाजार सुधार के हमारे कार्यक्रम ने मुख्य निर्गमों के माध्यम से निवेश योग्य निधियों के संग्रहण में अत्यधिक वृद्धि की है जो कि वर्ष 1991-92 में लगभग 6000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 1994-95 में 27,500 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हमने अपने स्टॉक एक्सचेंजों की सुस्पष्टता, क्षमता और विश्वसनीयता में सुधार करने की दृष्टि से पूंजी बाजारों पर विनियमन और पर्यवेक्षण सुदृढ़ किया है। पूंजी बाजारों की आधारभूत संरचना और कार्यशैली को आधुनिक बनाने के लिए सुव्यवस्थित और दृढ़ प्रयास किए गए हैं। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज मौजूद नहीं था। वर्ष 1995 तक इस आधुनिक, कम्प्यूटरीकृत और अनुवीक्षण आधारित एक्सचेंज, जिसने व्यापार में सुस्पष्टता के नए मानक स्थापित किए, का देश में अन्य किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की तुलना में व्यापार में अधिक हिस्सा था। हमने निक्षेपागार की एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने के भी उपाय किए हैं, जो हमारी निपटान प्रणाली में काफी सुधार लाएगी।

वित्तीय क्षेत्र में हमारे सुधारों को हमारी अर्थव्यवस्था में बचतों और निवेशों के संवर्धन के लिए तैयार किया गया है। जैसा मैंने पहले कहा है, हमें अपनी विकास प्रक्रिया के वित्तपोषण के लिए अधिक से अधिक अपने स्वयं के संसाधनों पर ही निर्भर रहना चाहिए। मुझे इस माननीय सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आत्म-निर्भरता पर बल दिए जाने के हमारे प्रयासों को सफलता मिली है। पिछले वर्ष हमारी सकल घरेलू बचतों की दर (स.घ.उ. के अनुपात के रूप में) ने 24.4 प्रतिशत का नया रिकार्ड स्थापित किया, जो हमारे इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक है। इसने सकल घरेलू उत्पाद के 25.2 प्रतिशत के रूप में उच्च दर के सकल घरेलू निवेश का वित्तपोषण किया और घरेलू उत्पाद के 22.2 प्रतिशत पर वास्तविक सकल नियत निवेश के रिकार्ड उच्च स्तर को समर्थन प्रदान किया।

अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में, आज हमारी अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत से भी अधिक की दर से वृद्धि हो रही है। उद्योग में तेजी से विकास हो रहा है। कृषि उत्पादन बहुत अच्छा है। खाद्यान्न के पर्याप्त भंडार हैं। रोजगार वृद्धि उत्साहवर्धक है। निर्धनता कम हो रही है। मुद्रास्फीति कई वर्षों में सबसे कम स्तर पर है। निर्यातों में भरपूर वृद्धि हो रही है। विदेशी निवेश की स्थिति काफी अच्छी है। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार की स्थिति काफी अच्छी है और बचतों तथा निवेश का स्तर भी अधिक है।

ये सभी प्रभावशाली आर्थिक उपलब्धियां हैं। वे हमारी नीतियों में एक क्रमिक विकास लाने में प्रधान मंत्री के राजनीतिक नेतृत्व और दूरदृष्टि के प्रत्यक्ष परिणाम हैं, जिसने हमारे श्रमिकों और किसानों, हमारे उद्यमियों और हमारे प्रबंधकों, हमारे वैज्ञानिकों और अन्य व्यावसायिकविदों और उनकी अन्तर्निहित कार्यक्षमता प्रदर्शित करने के योग्य बनाया है। प्रवर्तित गतिशीलता अच्छे भविष्य का आभास प्रदान करती है। परंतु फिर भी, आर्थिक सुधारों का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। चुनावों के बाद चाहे जो भी सरकार सत्ता में आए उसे पिछले पांच वर्षों के आर्थिक निष्पादन के मजबूत रिकार्ड को बनाए रखने और उसे सुधारने की चुनौती का सामना करना होगा। यह कार्य सरल नहीं होगा। मुद्रास्फीति को कम रखने, ब्याज दरें घटाने और भुगतान संतुलन पर दबाव रोकने के लिए राजकोषीय घाटे में और कमी लाना अनिवार्य होगा। हमने विद्युत, दूरसंचार, पेट्रोलियम, सड़कों तथा पत्तनों जैसे मुख्य आधारभूत क्षेत्रों में निजी निवेश शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विद्युत तथा दूरसंचार क्षेत्रों में की गई हमारी पहल को जबरदस्त बढ़ावा मिला है तथा सड़कों, पुलों और पत्तनों के क्षेत्र में निजी निवेश की शुरूआत हो चुकी है। परन्तु हमें अपनी इस पहल को जारी रखना होगा और मुख्य आधारभूत संरचना क्षेत्रों के लिए नीति संबंधी ढांचे में और सुधार करने होंगे ताकि सरकारी और निजी निवेश का उच्च स्तर, पर्याप्त आपूर्तियों में सक्षम प्रचालन और विश्वसनीय सेवाओं की विस्तारित व्यवस्था और समर्थन कीमतों को सुनिश्चित बनाए रखा जा सके। अगर आर्थिक वृद्धि, रोजगार और निर्यातों में मौजूदा उत्साहजनक स्थिति बनाए रखनी है तो विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम सड़कों और पत्तनों के क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सुधारों को जारी रखना होगा। व्यापार और औद्योगिकी नीति में सुधार करना भी आवश्यक है। सरकारी उद्यमों का पुनर्गठन और सुधार उत्साहपूर्वक करना होगा। हमारी औद्योगिक संबंधों की प्रणाली में भी सुधार करने की आवश्यकता है। हमारे सामाजिक क्षेत्रों, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य के निष्पादन, में और भी काफी सुधार लाना है। ऐसा ही सिंचाई और ग्रामीण आधारभूत संरचना के अन्य रूपों के लिए भी किया जाना है, जिनकी सीमा और गुणवत्ता उन दशाओं का निर्धारण करती हैं, जिनमें हमारे ग्रामीण भारत में तीन-चौथाई नागरिक रहते और कार्य करते हैं।

चुनावों के पश्चात् सत्ता में आने वाली सरकार को इन और अन्य चुनौतियों का सामना करना होगा। हमारी ओर से मैं केवल यह कह सकता हूं कि प्रधान मंत्री, श्री पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह दिखा दिया है कि उसमें आने वाली चुनौतियों का सामना करने और आगे बढ़ने के लिए भारत की आर्थिक और सामाजिक

प्रगति हेतु आवश्यक कार्यों को करने की इच्छाशक्ति और दूरदर्शिता है।

महोदय, मैं अपने इरादों को एक और उर्दू कवि के शब्दों में कह सकता हूं :

"हमारी तो यह ख्वाहिश है-हर घर में चिराग जले।
कुछ वो भी हैं-जो चाहते हैं रात ही बनी रहें।"

अब मैं संक्षेप में वर्ष 1995-96 के संशोधित अनुमानों की चर्चा करूंगा।

वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों में 172,151 करोड़ रुपए के कुल व्यय का प्रावधान रखा गया था। अब यह व्यय बढ़कर 183,004 करोड़ रुपए जो जाने का अनुमान है जो 10,853 करोड़ रुपए की वृद्धि को दर्शाता है।

वर्ष 1995-96 में आयोजना व्यय के लिए, बजट अनुमानों में 48,500 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था। अब यह व्यय बढ़कर 48,684 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। ग्रामीण विकास क्षेत्र की बढ़ी हुई आवश्यकता तथा वर्ष के दौरान घोषित की गई योजनाओं के लिए व्यवस्था करने के लिए मुझे आवंटनों में कुछ समायोजन करने पड़े हैं। संशोधित अनुमान ग्रामीण विकास के आयोजना व्यय में 551 करोड़ रुपए तथा शिक्षा क्षेत्र में 679 करोड़ रुपए की वृद्धि को दर्शाते हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता, जिसका अनुमान 19,506 करोड़ रुपए लगाया गया था, अब बढ़कर 19,854 करोड़ रुपए हो जाने की आशा है।

आयोजना-भिन्न व्यय के क्षेत्र में, मैंने खाद्य और उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता हेतु 1,085 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान रखा है। मुझे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को, लघु बचत संग्रहणों में उनके हिस्से के रूप में, बढ़े हुए ऋणों के लिए 3,112 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करना पड़ा है जो कि बजट अनुमानों से काफी अधिक है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रदान की गई अंतरिम राहत के कारण चालू वित्त वर्ष में लगभग 1650 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। राज्य सरकारों के ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिए 1,010 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। रक्षा संबंधी तैयारी के स्तर को बनाए रखने के लिए रक्षा व्यय के लिए 1,379 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है। हमारी आंतरिक सुरक्षा संबंधी बढ़ती हुई जरूरतों को देखते हुए, पुलिस संबंधी व्यय के लिए भी मुझे 266 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान करना पड़ा है। रूग्ण उपक्रमों के कर्मचारियों वेतन और मजदूरी के भुगतान के लिए सरकार क्षेत्र के उपक्रमों को 745 करोड़ रुपए के ऋण देने के कारण भी व्यय में वृद्धि हुई है। कुल आयोजना भिन्न व्यय में 10,669 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ा है।

इस माननीय सदन को एक बार फिर से सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारे कर-संबंधी सुधारों से हमें लगातार आशातीत लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इस तथ्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों से संबंधित बढ़ती हुई प्राप्तियों के संबंध में देखा जा सकता है। बजट अनुमान की तुलना में, सकल कर राजस्व की प्राप्तियां 6,592 करोड़ रुपए अधिक होने का अनुमान है, तथा यह राशि बढ़कर अब 110,354 करोड़ रुपए हो जाएगी। हमारे कर संबंधी सुधारों, जिनमें उचित कर संबंधी दरों के साथ साथ उनका कठोर संचालन और व्यापक विस्तार शामिल है, की नीति को सक्रिय रूप से जारी रखने की आवश्यकता है ताकि हम आने वाले वर्षों में और भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। राजस्व विभाग के वे अधिकारी प्रशंसा के पात्र हैं, जिनकी निष्ठा और अथक प्रयासों से हमें ये उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने में सहायता मिली है।

कर-भिन्न राजस्व, जो कि हमारी प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्स हैं, में भी पर्याप्त वृद्धि दिखाई देती है। इस शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों की राशि जिसका बजट अनुमानों में 26,413 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था, अब संशोधित अनुमानों से बढ़कर 29,103 करोड़ रुपए हो जाने की आशा है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि कर-भिन्न प्राप्तियों में सेलुलर दूरसंचार सेवाओं के निजी संचालकों से लाइसेंस शुल्क के रूप में प्राप्त 1,850 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है। सामान्य राजस्व में इन प्राप्तियों से, सरकार को उच्च प्राथमिकता वाले विकास संबंधी कार्यों के लिए अधिक संसाधन प्रदान करने में सहायता मिलेगी। इस सदन को यह जानकारी है कि कुछ दिन पहले उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने सरकार के पक्ष को उचित ठहराया है तथा बुनियादी दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंस आवंटित करने के लिए रास्ता साफ कर दिया है। फिर भी, प्राप्तियों के बारे में समय निर्धारण संबंधी अनिश्चितता के कारण तथा अत्यधिक सावधानी के तौर पर, चालू वर्ष में बुनियादी दूरसंचार सेवाओं के संचालकों से प्राप्त लाइसेंस शुल्क के लिए मैं कोई श्रेय नहीं ले रहा हूं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से गैर ऋण सृजनकारी पूंजीगत प्राप्तियां भी बजट अनुमानों की तुलना में काफी कम होगी, जिसका मुख्य कारण वर्ष की अधिकांश अवधि के दौरान पूंजी बाजार में मंदी की स्थिति रहना है। ये प्राप्तियां अब केवल 357 करोड़ रुपए की होगी जब कि इसकी तुलना में बजट अनुमान 7,000 करोड़ रुपए के थे।

प्राप्तियों और व्यय में उतार-चढ़ाव को देखते हुए, चालू वर्ष के अंत तक 7,600 करोड़ रुपए का बजट घाटा होने का अनुमान है। मूल रूप से राजकोषीय घाटा 57,634 करोड़ रुपए होने का अनुमान था, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 5.5 प्रतिशत था। अब यह घाटा 64,010 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो सकल घरेलू उत्पाद का 5.9 प्रतिशत बैठता है। तथापि, बजट अनुमानों की तुलना में राजकोषीय घाटे में अधिकांश गिरावट का कारण लघु बचतों का

अधिक मात्रा में जुटाया जाना है। लघु बचतों के संग्रहण की राशि में से तीन-चौथाई राशि राज्यों को ऋण के रूप में दी गई है। इसलिए, जब लघु बचतों के संग्रहण की राशि बजट अनुमानों से अधिक हो जाती है तो केन्द्र का राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है। यदि इस वर्ष लघु बचत संग्रहण बजट स्तर से अधिक न बढ़ते तो राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का केवल 5.6 प्रतिशत अर्थात् इस वर्ष के लक्ष्य के बिल्कुल निकट ही रहता।

1996-97 की कर और व्यय नीतियों पर आते हुए मैं यह स्पष्ट करूंगा कि इसके अन्तर्गत अगले पांच वर्षों में त्वरित आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए मध्यावधिक उद्देश्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मोटे तौर पर यह उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(क) मूल्यों की उचित स्थिरता के ढांचे में प्रतिवर्ष 7 से 8 प्रतिशत तक आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने वाली स्थूल आर्थिक नीतियों को जारी रखना।

(ख) ऐसे विकास का प्रतिमान तैयार करना जिससे कि प्रति वर्ष कम से कम 10 मिलियन से अधिक नई नौकरियों की वृद्धि हो।

(ग) आर्थिक और सामाजिक नीतियों का पुनर्निर्माण करना ताकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों का अनुपात सन् 2001 तक 10 प्रतिशत से कम हो जाए।

(घ) यह सुनिश्चित करना कि भारतीय कृषि में प्रति वर्ष कम से कम चार प्रतिशत की वार्षिक दर से विकास होता रहे जिसमें फसल पद्धति के विविधीकरण को बढ़ावा देने तथा शुष्क भूमि की कृषि में उत्पादकता और पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक क्षेत्रों में वृद्धि करने के विशेष प्रयास का सुधार करने के लिए आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर अधिक बल दिया जा सके।

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय उद्योग को और अधिक सुदृढ़ करना तथा प्रति वर्ष लगभग 25 प्रतिशत की दर पर निर्यातों में सतत् वृद्धि सुनिश्चित करना।

(च) विकास के स्तरों में क्षेत्रीय असन्तुलनों को तेजी से कम करने पर विशेष बल देते हुए विद्युत, यातायात, संचार तथा सड़कों की गुणवत्तात्मक आर्थिक आधारभूत संरचना का विस्तार और सुधार करना।

(छ) असुरक्षित वर्गों को अधिक कारगर और प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बनाना तथा उनका विस्तार करना।

(ज) बालिका शिक्षा पर विशेष बल देते हुए और माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ व्यावसायिक आधार प्रदान करते हुए वर्ष 2001 तक प्राथमिक शिक्षा को सुनिश्चित रूप से सर्वसुलभ बनाना।

(झ) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं का विस्तार करना तथा शिशु मृत्यु दरों में केरल जैसे राज्यों में विद्यमान स्तर तक कमी लाने पर अत्यधिक बल देना।

(ञ) आश्रय स्थल, ग्रामीण आवास की व्यवस्था तथा गन्दी बस्ती सुधार में संबंधित कार्यक्रमों का पर्याप्त विस्तार करना।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बहुत से नए कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी। तथापि, संवैधानिक मर्यादा की यह मांग है कि कर और व्यय दोनों की संयुक्त नीतियों वाले ये कार्यक्रम नई सरकार द्वारा तैयार किए जाएं जो कि लोक सभा के आगामी चुनावों के उपरांत अपना कार्यभार संभालेगी। इसलिए 1996-97 के अंतरिम बजट में कोई नया कार्यक्रम शामिल नहीं है।

अतः, मुझे उम्मीद है कि इससे इस बात का उत्तर मिल जाता है। आगामी वित्त वर्ष के प्रथम 4 महीनों के दौरान व्यय को पूरा करने के लिए सरकार को सक्षम बनाने हेतु लेखानुदान के प्रयोजन के लिए मैं अंतरिम बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। अनुदान की मांगें तथा वार्षिक वित्तीय विवरण पूरे वित्त वर्ष के लिए हैं तथा नियमित बजट प्रस्तुत करते समय उनमें आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाएगा।

अब मैं वर्ष 1996-97 के बजट अनुमानों पर आता हूं। मैं आयोजना व्यय के लिए बजट अनुमानों में वृद्धि करने का प्रस्ताव रख रहा हूं, जो वर्ष 1995-96 के अनुमानों में 48,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 1996-97 के बजट अनुमानों में 50,521 करोड़ रुपए किया जा रहा है। आयोजना के लिए प्रस्तावित बजटीय सहायता भी अंतरिम है तथा नियमित बजट प्रस्तुत करने के समय उसकी समीक्षा करने की भी आवश्यकता होगी। तथापि, मैं जो राशि प्रदान कर रहा हूं वह यह सुनिश्चित करेगी कि विकासात्मक कार्यों की गति इसी प्रकार बनी रहे तथा चालू वर्ष के दौरान आरंभ की गई मुख्य सामाजिक क्षेत्र योजनाओं की पूरे वर्ष की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरा किया जाए।

मैंने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि ग्रामीण विकास और सामाजिक क्षेत्रों के लिए अधिक बजटीय सहायता प्रदान की जाए।

* माननीय सदस्यों को याद होगा कि हमारी सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आठवीं योजना की अवधि के दौरान ग्रामीण विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिए परिव्यय की राशि को अत्यधिक रूप से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था जब कि सातवीं योजना के दौरान इसका वास्तविक व्यय 11,000 करोड़ रुपए का था। 1996-97 के लिए 8,692 करोड़ रुपए के

प्रस्तावित आवंटनों के पश्चात् आठवीं योजना के दौरान, कुल व्यय 33,400 करोड़ रुपए होगा। यह राशि सातवीं योजना के दौरान किए गए वास्तविक व्यय से तीन गुणा से भी अधिक बैठती है।

* मैंने शिक्षा संबंधी योजना व्यय के लिए लगभग 880 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता की वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि संसाधनों की कमी के कारण मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे। वर्ष 1996-97 में इस कार्यक्रम से 7.2 करोड़ बच्चों को लाभ पहुंचने की आशा है।
* मैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आवंटन को भी 1995-96 में 550 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1996-97 में 932 करोड़ रुपए कर रहा हूं।
* मैं इंदिरा आवास योजना के आवंटन में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि 1996-97 में ग्रामीण निर्धनों के लिए 10 लाख से भी अधिक मकानों की व्यवस्था की जा सके।
* दस लाख कुएं योजना (मिलियन वैल स्कीम) के लिए 448 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिससे गरीबी रेखा से नीचे वाले छोटे तथा सीमान्त किसानों को उनकी जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लाभकारी आस्तियां प्रदान की जा सकें।
* अक्तूबर, 1993 में आरम्भ की गई रोजगार आश्वासन योजना को बड़ी उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। 1996-97 में इस योजना के लिए 1970 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

1996-97 के दौरान कुल आयोजना-भिन्न व्यय 151,503 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जब कि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह राशि 134,320 करोड़ रुपए थी। हमारे आयोजना भिन्न व्यय में भारी मात्रा में वृद्धि का एक मुख्य कारण ब्याज संबंधी भार है। चालू वर्ष के 52,000 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में 1996-97 में ब्याज अदायगियों के लिए 60,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखे जाने का अनुमान है। ब्याज संबंधी अदायगियां मुख्यतः पहले से लिए गए उधारों को प्रदर्शित करती है। हाल ही के वर्षों में यदि हम राजकोषीय घाटे को कम करने में सफल नहीं हुए होते तो ब्याज की यह राशियां और भी अधिक होती। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि राजकोषीय घाटे को कम करने पर हमारे बल दिए जाने से आने वाले वर्षों में ब्याज के भार मे कमी आने के रूप में हमें भारी लाभ होगा। राजकोषीय घाटे को और अधिक नियंत्रणीय तथा वहनीय स्तर तक लाने संबंधी हमारी राष्ट्रीय संकल्प में किसी प्रकार की ढील नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही, हमारी कर-प्रणाली में निरंतर सुधार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा और अधिक आंतरिक संसाधन जुटाने, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अधिक विनिवेश तथा आर्थिक सहायता को सक्षम स्तर तक सीमित रखने से उच्च प्राथमिकता वाली विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए संसाधन मुक्त रूप से सुलभ हो जाएंगे।

इस अंतरिम बजट में मैं रक्षा के लिए 27,819 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहा हूं जबकि 1995-96 के बजट अनुमानों में यह राशि 25,500 करोड़ रुपए थी। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रक्षा संबंधी तैयारी अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा सदन इस बात से आश्वस्त रहे कि हम अपने देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। नियमित बजट तैयार करते समय रक्षा संबंधी प्रावधान में और भी संशोधन किए जाएंगे। मैं खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता के लिए 5,774 करोड़ रुपए तथा उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता के लिए 6,800 करोड़ रुपए की राशि का भी प्रावधान कर रहा हूं। आकस्मिक खर्चों के लिए 5000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखा गया है। लोक सभा के आम चुनाव कराने के लिए भी 400 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है।

जहां तक प्राप्तियों का संबंध है, अंतरिम बजट में कर संबंधी राजस्व के अनुमान कराधान की विद्यमान दरों के अनुसार तैयार किए गए हैं। कराधान की विद्यमान दरों के अनुसार सकल कर राजस्व 128,540 करोड़ रुपए बैठता है। अगले वर्ष, करों में राज्यों का हिस्सा 34,027 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जब कि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह राशि 29,266 करोड़ रुपए है। परिपक्वता देयता को ध्यान में रखते हुए, 1996-97 में लघु बचत संग्रहणों की निवल राशि 15,716 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। मैं अगले वर्ष गैर-स्फीतिकारी संसाधन जुटाने की नीति को जारी रखते हुए, विनिवेश से प्राप्तियों के रूप में, 5,000 करोड़ रुपए का ऋण ले रहा हूं। मुझे लाभांशों में भी वृद्धि होने की आशा है तथा 1996-97 में इन प्राप्तियों की राशि 4,051 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

प्राप्तियों और व्यय में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, कराधान की वर्तमान दरों के अनुसार केन्द्र की कुल निवल राजस्व प्राप्तियां 127,162 करोड़ रुपए तथा कुल व्यय 202,024 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वर्ष 1996-97 के दौरान बजटीय घाटा 5000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है तथा राजकोषीय घाटा 62,404 करोड़ रुपए होने की संभावना है। अंतरिम बजट में दिए गए मेरे प्रस्तावों से राजकोषीय घाटे को और अधिक नियंत्रणीय अनुपातों तक कम करने की दिशा में हम और आगे बढ़ेंगे। मुझे आशा है कि इन अनुमानों के आधार पर, 1996-97 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत होगा। मैं इसमें और सुधार करना चाहता था। मुझे अपने प्रयासों को सीमित रखना पड़ रहा है क्योंकि इस समय मैं अंतरिम बजट पेश कर रहा हूं। लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे इन प्रयासों से, इस दिशा में किए जाने वाले अभिवृद्धित प्रयासों के लिए ठोस आधार मिलेगा।

मैं एक वित्त विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखता हूं जिसमें वित्तीय वर्ष 1996-97 में आयकर की वर्तमान दरों को जारी रखने की

मांग की गई है। मैं सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने हमारी उपलब्धियों, किए जाने वाले अधूरे रह गए कार्यों और साथ ही युद्ध, गरीबी तथा शोषण के भय से मुक्त भारत; एक ऐसा भारत जो एक मजबूत, आत्मनिर्भर और अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था निर्मित करने के लिए आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पूरा लाभ उठाए; एक ऐसा भारत जो कानून के शासन और मौलिक मानव स्वतंत्रता में दृढ़ विश्वास पर आधारित एक मुक्त समाज और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के ढांचे में उत्कृष्टता और सामाजिक समानता के दोहरे प्रयास के लिए दृढ़तापूर्वक वचनबद्ध हो; के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा अपनाए जाने वाले भावी आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों की दूरदृष्टि का उल्लेख करने का प्रयास किया है।

दिनांक 24 जुलाई, 1991 को इस माननीय सदन में अपने प्रथम बजट भाषण में मैंने विक्टर ह्यूगो का उद्धरण देते हुए कहा था कि पृथ्वी पर कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती, जिसके आविर्भाव का समय आ गया हो। मैंने इस सदन को यह भी सुझाव दिया था कि विश्व अर्थव्यवस्था के आर्थिक शक्ति केन्द्र में भारत का अग्रणी रूप से उभरना भी एक ऐसा विचार था, जिसका वास्तव में उपयुक्त समय आ गया था। कड़ी चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद, इस स्वप्न को साकार रूप देने में हमने भरपूर परिश्रम किया है। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमारा पहले से ही छठा स्थान है। हम इस दिशा में और आगे बढ़ने के लिए दृढ़संकल्प हैं। लेकिन इसके लिए हमें दूरदर्शितापूर्ण राजनीतिक नेतृत्व; निरंतर कठोर परिश्रम तथा हमारे राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में कड़ा अनुशासन अपनाने की इच्छा की आवश्यकता होगी। हम अपने राष्ट्र की व्यापक शक्ति को बेतुके साम्प्रदायिक भेदभाव अथवा जाति और वर्ग संघर्ष में व्यर्थ नहीं गंवा सकते और न ही हम अल्पदृश्यता की शक्तियों को स्वदेशी के लिए राष्ट्रीय वचनबद्धता को आर्थिक पिछड़ेपन को जारी रखने और भारत को विश्व में अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त करने से रोकने के लिए सफल होने देंगे। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने हमें सिखलाया था कि पारस्परिक निर्भरता वाले विश्व में स्वदेशी का तात्पर्य भारत का आर्थिक अकेलापन नहीं है बल्कि आत्मनिर्भरता वाले एक ऐसे समृद्ध भारत का निर्माण करना है, जो विश्व में अन्य देशों के साथ बराबरी से कार्य कर सके। हम एक ऐसे नवीन भारत का निर्माण करना चाहते हैं जो कि, गांधी जी के शब्दों में, एक ऐसे घर की तरह होगा जिसकी खिड़कियां सभी दिशाओं में खुली हों; विश्व की सभी संस्कृतियों और सभ्यताओं की विचारधाराओं को स्वच्छंदतापूर्वक अंदर आने दें; लेकिन उनमें से किसी भी विचारधारा के कारण हमारे पांव उखड़े नहीं। स्वदेशी का यही सच्चा सार है और हम इस मूल सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे।

भारत शानदार नए अवसरों की दहलीज पर खड़ा है। गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि भारत की मुख्य कमी इसकी अत्यधिक गरीबी और अज्ञानता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हाल ही की उपलब्धियों को धन्यवाद देना होगा जिसके कारण अब हम गरीबी, अज्ञानता और बीमारी का पहले की अपेक्षा अधिक सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, गुरुदेव रविन्द्र नाथ टैगोर और पंडित जवाहरलाल नेहरू की उच्च विचारधाराओं तथा मानवतावाद से प्रेरणा लेकर हमारी पार्टी और हमारी सरकार इस महान राष्ट्रीय कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के संकल्प को पुनः दोहराती है। हम इसमें विजयी होंगे।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान लोक सभा का यह आखिरी सत्र है। शीघ्र ही हमारी जनता को अपने सार्वभौम प्रजातांत्रिक अधिकार का प्रयोग करके अगली सरकार चुनने के लिए कहा जाएगा। निस्संदेह, उनके चयन का हमारी शासन प्रणाली के भविष्य पर तथा हमारे बच्चों के कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। हर बार भारतीय जनता ने दिखा दिया है कि अच्छे और विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए उनपर विश्वास किया जा सकता है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब समय आएगा तो हमारी जनता दोस्ती वाले उस हाथ को पहचान लेगी, जो शांति और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ने तथा अपनी एकता और निष्ठा को बनाए रखने में हमारे राष्ट्र की सहायता कर सकता है।

मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं क्योंकि किसी कवि ने यह कहा है :

"सफर लम्बा है दोस्त बनाते रहिए,
बिन मिले हर हाथ से हाथ मिलाते रहिए।"

6.00 म.प.

[अनुवाद]

वित्त विधेयक 1996*

वित्त मंत्री (श्री मन मोहन सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयकर की वर्तमान दरों को वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए जारी रखने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयकर की वर्तमान दरों को वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए जारी रखने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मनमोहन सिंह : मैं विधेयक **पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक 1996 पुरःस्थापित हुआ।

---

* भारत के दिनांक 28.2.96 राजपत्र असाधारण भाग-2, खंड 2, में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने बीच मे कहा है:

गांधी जी के आदर्श को कौन रखता है याद
चिराग बुझा दिए जाते हैं शासन में आने के बाद।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, इनके लिए एक शेर हमारी तरफ से भी हो जाए।

हूं मैं शमां, हूं मैं परवाना
पर शमां तो हो, रात तो हो
जां देने को हूं राजी
पर कोई बात तो हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल, दिनांक 29 फरवरी, 1996 को 11.00 म.पू. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.02 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 29 फरवरी, 1996/10 फाल्गुन, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।